भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र

Sociology of Indian Women

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

तीनपानी बाईपास मार्ग, ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे, हल्द्वानी-263139

नैनीताल, (उत्तराखण्ड़)

फोन न0- 05946- 261122, 061123

Toll free No.: 18001804025

Email: info@uou.ac.in Website: https://uou.ac.in

अध्ययन मण्डल

अध्यक्ष — कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

संयोजक — निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा

अध्ययन मण्डल के सदस्यों के नाम

1. **प्रो. ज्योति जोशी,** (सदस्य) संयोजक, समाजशास्त्र, कु.वि.वि., नैनीताल
2. **प्रो. ए. पी. सिंह,** (सदस्य) प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मासी, अल्मोड़ा
3. **डॉ. दीपक पालीवाल,** (सदस्य) एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, इग्नू, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली
4. **प्रो. रेनू प्रकाश,** (सदस्य) समन्वयक, समाजशास्त्र, उत्तराखण्ड़ मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
5. **डॉ. भावना डोभाल,** (मनोनीत सदस्य) असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी), समाजशास्त्र, उत्तराखण्ड़ मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
6. **डॉ. गोपाल सिंह गौनिया,** (मनोनीत सदस्य) असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी), समाजशास्त्र, उत्तराखण्ड़ मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
7. **शैलजा,** (मनोनीत सदस्य) असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी), समाजशास्त्र, उत्तराखण्ड़ मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

पाठ्यक्रम समन्वयक

प्रो. रेनू प्रकाश, उत्तराखण्ड़ मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

इकाई लेखन	इकाई संख्या
डॉ. भावना डोभाल सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	1, 2
शैलजा सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र, उत्तराखण्ड़ मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	3, 4
डॉ. गोपाल सिंह गौनिया सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र, उत्तराखण्ड़ मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	5, 6
डॉ. किशोर कुमार सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र, उत्तराखण्ड़ मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	7, 8
डॉ. अरुणिमा पाण्डेय सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र, हरि ओम सरस्वती पी.जी. कालेज धनौरी, हरिद्वार	9, 10
प्रो. रेनू प्रकाश प्राध्यापक, समाजशास्त्र, उत्तराखण्ड़ मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	11
डॉ. कंवलजीत कौर सहायक प्राध्यापकसमाजशास्त्र, एम. बी. रा. स्ना. महाविद्यालय, हल्द्वानी	12, 13
प्रो. रेनू प्रकाश, प्राध्यापक, समाजशास्त्र, उत्तराखण्ड़ मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	14

संपादक मंडल

इकाई संयोजन एवं आंतरिक संपादक

प्रो. रेनू प्रकाश
समन्वयक
उत्तराखण्ड़ मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

डॉ. गोपाल सिंह गौनिया
असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी), समाजशास्त्र
उत्तराखण्ड़ मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

बाह्य संपादक

प्रो. किरण डंगवाल
प्रोफ़ेसर एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखंड

आई.एस.बी.एन. : **संस्करण- प्रकाशन पूर्व प्रतियां**
प्रकाशक एवं कापीराइट: उत्तराखण्ड़ मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, 263139 **प्रकाशन वर्ष: 2025**
नोट: सर्वाधिक सुरक्षित। इस प्रकाशन का कोई भी अंश उत्तराखण्ड़ मुक्त विश्वविद्यालय, की लिखित अनुमति के बिना मिमियोग्राफ या किसी अन्य साधन से पुन: प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।
मुद्रित प्रतियॉं-

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

पंचम सेमेस्टर (fifth Semester) **BASO (N) 303**

वैकल्पिक प्रश्न पत्र **4 CREDITS**

भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र

(Sociology of Indian Women)

इकाई संख्या	अनुक्रमणिका	पृष्ठ संख्या
खण्ड-1	**भारत में महिलाओं की ऐतिहासिक स्थिति (Historical Status of Women in India)**	
इकाई-1	**वैदिक काल एवं उत्तरवैदिक काल में महिलाओं की प्रस्थिति** (Status Of Women in Vedic Period and Post-Vedic Period)	**1-7**
इकाई-2	**मध्यकाल एवं ब्रिटिश काल में महिलाओं की प्रस्थिति** (Status of Women in Medieval and British Period)	**8-18**
इकाई-3	**स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की प्रस्थिति** (Status of Women after Independence)	**19-31**
इकाई-4	**इक्कीसवीं शताब्दी में महिलाओं की प्रस्थिति** (Status of Women in the Twenty-First Century)	**32-44**
खण्ड-2	**महिलाओं के प्रदत्त अधिकार (Rights Ascribed to women)**	
इकाई-5	**प्राचीन समाज व्यवस्था में महिलाओं के प्रदत्त अधिकार** (Rights Ascribed to Women in Ancient Social System)	**45-56**
इकाई-6	**समकालीन समाज में प्रदत्त अधिकार** (Rights Ascribed in Contemporary Society)	**57-72**
खण्ड-3	**महिला कल्याण हेतु कानून एवं संवैधानिक प्रावधान (Law & Constitutional Provisions for Women Welfare)**	
इकाई-7	**विवाह एवं सम्पत्ति सम्बन्धी कानून** (Marriage and Property Law)	**73-91**
इकाई-8	**व्यवसाय से सम्बन्धी कानून** (Women's Business/ Occupation Laws)	**92-106**
इकाई-9	**स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी अधिकार** (Health and Reproductive Rights)	**107-1123**
इकाई-10	**संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन एवं चुनौतियाँ (**Implementation and Challenges of Constitutional and Legal Provisions)	**124-136**
खण्ड-4	**भारतीय महिलाओं से सम्बन्धित समस्यायें (Problems Related to Indian Women)**	
इकाई-11	**महिलाओं के विरूद्ध हिंसा** (Violence Against Women)	**137-164**
इकाई-12	**भारतीय समाज में लैंगिक असमानता एवं भेदभाव** (Gender Inequality and Discrimination in Indian Society)	**165-185**
इकाई-13	**अविवाहित, परित्यक्ताओं एवं विधवा महिलाओं से सम्बन्धित समस्यायें** (Problems Related to Unmarried, Abandoned and Widowed Women)	**186-214**
इकाई-14	**महिला स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख समस्याएं एवं निराकरण (**Major Problems and Solutions Related to Women's Health)	**215-229**

इकाई-1 वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की प्रस्थिति

Status Of Women in Vedic Period and Post Vedic Period

इकाई की रुपरेखा

1.0 प्रस्तावना

1.1 उद्देश्य

1.2 वैदिक काल में महिलाओं की प्रस्थिति

1.3 उत्तर वैदिककाल में महिलाओं की प्रस्थिति

1.4 सारांश

1.5 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1.6 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री

1.7 निबंधात्मक प्रश्न

1.0 प्रस्तावना

भारत में महिलाओं की स्थिति हमेंशा से एक जैसी नहीं रही है। यह समय के साथ बदलती रही है। वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक उनकी स्थिति में कई उतार-चढ़ाव आए हैं और उनके अधिकार भी उसी के अनुसार बदले हैं। हमारे समाज में महिलाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अपनी सभी भूमिकाओं में दक्षता दिखाने के बावजूद आज के आधुनिक युग में महिलाएं पुरुषों से पीछे नजर आती हैं। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की क्षमता पुरुषों की तुलना में कम देखी जाती है। सरकार द्वारा कई जागरूकता कार्यक्रम चलाने के बावजूद महिलाओं का जीवन पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक जटिल हो गया है। एक महिला को अपने जीवन के साथ-साथ पूरे परिवार का भी ध्यान रखना होता है। वह जीवन भर बेटी, बहन, पत्नी, मां, सास और दादी के रिश्तों को ईमानदारी से निभाती है। इन सभी रिश्तों को निभाते हुए भी वह पूरी ताकत से काम करती है ताकि वह अपने परिवार और देश का भविष्य उज्ज्वल बना सके। प्राचीन समाज में महिलाओं को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता था, लेकिन यह भी सच है कि

आज स्थिति उस समय के बिल्कुल विपरीत है। महिलाओं के उत्थान के लिए यह बहुत जरूरी है कि पुरुष आगे आएं और प्रयास करें ताकि समाज में सकारात्मक बदलाव आ सके।

1.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप -

1. वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति का ऐतिहासिक का जान पाऐंगें।
2. भारतीय संस्कृति में नारी के महत्त्व को जान सकेंगे

1.2 वैदिक काल में महिलाओं की प्रस्थिति (Status of Women in Vedic Period)

भारत में स्त्रियों की स्थिति समय-समय पर बदलती रही है। प्राचीन काल में समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था। उन्हें सुख, समृद्धि, शांति, वैभव और ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। इसीलिए उन्हें दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में पूजने की परंपरा रही है। मनुस्मृति के अनुसार, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। अर्थात् जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ उनकी पूजा नहीं होती, वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। लेकिन धीरे-धीरे समाज में स्त्रियों का सम्मान कम होने लगा।

वैदिक काल में भारतीय समाज में स्त्रियों का स्थान ऊँचा था। समाज और परिवार में स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान था। स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा जाता था। पति-पत्नी दोनों मिलकर यज्ञ करते थे। स्त्रियों के बिना धार्मिक कार्य अधूरे माने जाते थे। वैदिक काल में कन्याएँ अपनी इच्छानुसार विवाह कर सकती थीं। स्त्रियों में बाल विवाह या पर्दा प्रथा नहीं थी। वे घर से बाहर स्वतंत्र रूप से आ-जा सकती थीं। विधवाएँ पुनर्विवाह कर सकती थीं। यजुर्वेद के अनुसार स्त्रियों को संध्या और उपनयन संस्कार करने का अधिकार था। पी.एन. प्रभु के शब्दों में, जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न था, स्त्री और पुरुष में कोई विशेष भेद नहीं था और इस युग में दोनों की सामाजिक स्थिति समान रूप से महत्वपूर्ण थी।

वैदिक युग में पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि कुरीतियाँ नहीं थीं। वैदिक युग में स्त्रियों को पवित्र और पवित्र माना जाता था, किन्तु मासिक धर्म के दौरान उन्हें अपवित्र और अछूत माना जाता था। वैदिक स्त्रियों को धार्मिक क्षेत्र में पुरुषों के समान सभी अधिकार प्राप्त थे। ए.एस. उल्तेकर के अनुसार, "स्त्रियाँ धर्म के मार्ग में बाधक नहीं थीं। धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में पत्नी की उपस्थिति और सहयोग वांछनीय माना

जाता था।" वैदिक युग में पत्नी व्यक्तिगत संपत्ति की भी स्वामी होती थी। पत्नी की यह संपत्ति उसके वस्त्र, आभूषण और धन के रूप में होती थी।

पत्नी को यह संपत्ति विवाह के अवसर पर दहेज और उपहार के रूप में प्राप्त होती थी। इस संपत्ति पर पत्नी का पूर्ण अधिकार होता था। पत्नी इस निजी संपत्ति को कभी भी बेच सकती थी या किसी को दे सकती थी। भाई के अभाव में पुत्री पिता की संपूर्ण संपत्ति की हकदार होती थी। वैदिक युग की विधवाएँ कष्टपूर्ण जीवन नहीं व्यतीत करती थीं, बल्कि वे सभी सुविधाओं का आनंद लेती थीं। पुनर्विवाहित विधवाओं को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। अधिकतर, विधवा महिला अपने पति के भाई या उसके निकट संबंधी से विवाह करती थी। हालाँकि, उन्हें किसी अजनबी से विवाह करने का भी अधिकार था। के.एम. कपाड़िया के अनुसार, वह गृहस्थ दिनचर्या का मुख्य केंद्र होती थी, उसे अपने घर की साम्राज्ञी माना जाता था। उस युग में स्त्रियों से संबंधित कुरीतियों का प्रचलन शुरू नहीं हुआ था। प्राचीन भारतीय इतिहास में वैदिक युग को स्त्रियों के उत्थान का चरम काल माना जाता है।

इसी प्रकार, राधा कुमार मुखर्जी (1958) कहते हैं कि ऋग वेद ने महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने और परम पुरुष या ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने में पुरुषों के समान अधिकार दिए। मूल संस्कृत ग्रंथों, श्रुति और स्मृति के ज्ञान के अभाव के कारण प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही। इन ग्रंथों में ऐसे कानून, रीति-रिवाज और परंपराएँ थीं जो उस समाज में महिलाओं की स्थिति को परिभाषित करती थीं। हालाँकि अधिकांश मंत्र पुरुष ऋषियों द्वारा रचित थे, फिर भी कुछ ऋषि पत्नियों ने भी उनकी रचना में योगदान दिया। धार्मिक अनुष्ठानों में पत्नी और पति दोनों की भागीदारी आवश्यक थी और उनके बिना अनुष्ठान अमान्य थे।,

शैक्षिक दृष्टि से स्त्रियों की स्थिति

वैदिक काल में ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। माता-पिता का यह कर्तव्य था कि वे अपनी बेटियों को विद्वान बनाएँ। अविवाहित लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने और ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करने के समान अवसर दिए जाते थे। घरेलू काम के अलावा उन्हें ललित कलाओं में भी निपुण बनाया जाता था। वैदिक काल में धार्मिक सभाएँ हुआ करती थीं। धार्मिक ग्रंथों पर शास्त्रार्थ हुआ करते थे। उस समय के प्रसिद्ध दार्शनिक ऐसी बहसों में भाग लिया करते थे। उस समय के आठ प्रसिद्ध दार्शनिकों में से एक महिला दार्शनिक थीं - ब्रह्मवादिनी गार्गी। अथर्ववेद में लिखा है कि यदि स्त्री को उसकी पढ़ाई के दौरान ही उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो वह अपने वैवाहिक जीवन को

सफल बना सकती है। लड़कियों को पढ़ाई के लिए आठ से दस साल का समय मिलता था। जिसमें वे वेदों के मंत्रों को कंठस्थ करती थीं। उन मंत्रों में ऐसे मंत्र भी शामिल होते थे जो दैनिक प्रार्थनाओं के लिए उपयोग किए जाते थे। उन्हें वे मंत्र भी कंठस्थ कराए जाते थे जो विवाह के बाद अपने पति के साथ किए जाने वाले अनुष्ठानों में सक्रिय रूप से भाग लेते समय उनके लिए उपयोगी होते थे। छात्राओं को दो समूहों में विभाजित किया गया था, ब्रह्मवादिनी और सहयोधा। ब्रह्मवादिनी जीवन भर धार्मिक ग्रंथों और दर्शनशास्त्र की छात्रा रही। सहयोधा अपने विवाह के समय तक अर्थात् 15 से 16 वर्ष की आयु तक ऐसी ही रहीं। ब्रह्मवादिनी उच्च शिक्षित और विदुषी होती थीं। वे अनेक विषयों में पारंगत थीं। वे धार्मिक शास्त्रार्थों में भाग लेती थीं। ऐसी स्त्रियों को विदुषी, आचार्या, पंडिता आदि नामों से पुकारा जाता था। वैदिक काल में स्त्रियाँ कृषि, धनुष-बाण निर्माण और युद्ध सामग्री निर्माण में सक्रिय भाग लेती थीं। रंगाई, कढ़ाई, टोकरी बनाने के साथ-साथ वे अध्यापन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी संलग्न रहती थीं। स्त्रियाँ चिकित्सा का कार्य भी करती थीं। रूसा नामक एक महिला ने दाईगिरी पर एक पुस्तक भी लिखी थी। स्त्रियों को संगीत और नृत्य की भी शिक्षा दी जाती थी। जो स्त्रियाँ गायन और नृत्य कर सकती थीं, उन्हें अधिक सम्मान और सराहना दी जाती थी। वैदिक काल में यह माना जाता था कि पत्नी को इतनी शिक्षित होना चाहिए कि वह धार्मिक महत्व के वैदिक संस्कारों और समारोहों में भाग ले सके। अशिक्षित पत्नी पति के लिए उपयुक्त नहीं थी। शिक्षित कुमारियों को 'विदुषी' कहा जाता था। ऐसी विदुषियों का विवाह समान योग्यता वाले पुरुषों से होता था, जिन्हें 'मनीषी' कहा जाता था। वेदों में अनेक विदुषी स्त्रियों के श्लोक मिलते हैं।

1.3 उत्तर वैदिककाल में महिलाओं की प्रस्थिति (Status of Women in Post Vedic Period)

उत्तर वैदिक काल सामान्यतः ईसा से 600 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा के 300 वर्ष पश्चात तक माना जाता है। इस युग में पुत्र का जन्म पुत्री की अपेक्षा अधिक शुभ एवं आनन्ददायक माना जाता था, फिर भी पुत्री का स्थान सम्माननीय था। आपस्तम्ब गृह सूत्र से ज्ञात होता है कि यात्रा से लौटने पर पिता मंत्रोच्चार द्वारा पुत्री को भी पुत्र के समान आशीर्वाद देता था। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था। स्त्रियों के उपनयन संस्कार की प्रथा पूर्णतः समाप्त हुई प्रतीत नहीं होती, क्योंकि गृह सूत्रों में स्त्रियों के समावर्तन संस्कार का उल्लेख होने से सिद्ध होता है कि स्त्रियाँ वेदों का अध्ययन करती थीं। विवाह के समय वर-वधू मिलकर अनुवाचक मंत्रों का उच्चारण करते थे। अतः स्त्रियों की शिक्षा नवयुवकों से कम नहीं थी। पाणिनि ने 'उपाध्याय' एवं 'आचार्य' स्त्रियों पर भी प्रकाश डाला है। सूत्राध्ययन से स्पष्ट है कि विवाह के समय कन्याएँ पूर्णतः वयस्क एवं समागम के योग्य होती थीं।

विधवा को नीची दृष्टि से नहीं देखा जाता था। इस युग में सती प्रथा नहीं थी। विधवा अपने पति के शव को लेकर श्मशान जाती थी, किन्तु वहाँ से विधवा का देवर या कोई वृद्ध व्यक्ति या पति का शिष्य उसे घर ले आता था। घर पर रहकर विधवा संयमित एवं अनुशासित जीवन व्यतीत करती थी। पति के बांझपन (संतान उत्पन्न करने में असमर्थता), दुश्चरित्रता, पागलपन और नैतिक पतन के कारण पत्नी अपने पति को तलाक दे सकती थी। यदि पति लंबे समय तक विदेश में रहता था, तब भी पत्नी उसे तलाक दे सकती थी। सूत्र युग की स्त्रियाँ पर्दा प्रथा से परेशान नहीं थीं। नवविवाहित स्त्रियाँ भी पर्दा नहीं करती थीं। आपस्तम्ब गृह सूत्र में हमें इसका प्रमाण मिलता है कि विवाह के बाद ससुराल जाते समय सभी दर्शक दुल्हन का चेहरा देखते थे और इस वैदिक मंत्र का उच्चारण भी करते थे।

समाज में स्त्री का स्थान न केवल पत्नी के रूप में आदरणीय था, बल्कि माता के रूप में भी स्त्री का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। पुत्र अपने पतित पिता का बहिष्कार कर सकता था, किन्तु पतित माता अपने पुत्र से आदर की पात्र थी। अतः सूत्र काल में स्त्री का स्थान सम्मानजनक था। उसे धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। आर्थिक क्षेत्र में भी उसे सीमित अधिकार प्राप्त थे। यद्यपि सूत्र लेखकों ने संपत्ति पर दम्पति के संयुक्त अधिकार को स्वीकार किया है, फिर भी धन व्यय के प्रश्न में पति को प्राथमिकता और प्रमुखता दी जाती थी। पति की अनुपस्थिति में पत्नी अवश्य ही कुछ धन व्यय कर सकती थी।

महाकाव्य युगीन समाज में स्त्रियों की स्थिति धीरे-धीरे बदलने लगी। महाभारत में कन्या के जन्म को अशुभ मानने का केवल एक ही संकेत मिलता है। यद्यपि इस समकालीन समाज में कन्या को लक्ष्मी माना जाता था। कन्या की पवित्रता के कारण ही राजसिंहासन या राज्याभिषेक जैसे शुभ कार्यों में कन्या की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती थी। पुत्री की रक्षा करना पिता का कर्तव्य माना जाता था। राजा अनाथ कन्याओं की पिता के समान रक्षा करते थे। घर में कन्या का मुख्य कर्तव्य अतिथियों का स्वागत करना होता था। पुत्री को पुत्र के समान सभी अधिकार प्राप्त थे। केवल पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं था, फिर भी उसे दहेज के रूप में पिता की संपत्ति का कुछ भाग प्राप्त होता था। कन्याओं को शिक्षा भी प्राप्त होती थी।

गृहलक्ष्मी के रूप में पत्नी को सर्वोच्च दर्जा प्राप्त था। पुत्र, पौत्र, सेवक आदि से युक्त घर पत्नी के अभाव में जंगल माना जाता था। लड़की को शुरू से ही पतिव्रता होने की शिक्षा दी जाती थी। पत्नी अपने पति के धार्मिक कार्यों में उसका साथ देती थी। पत्नी को पति के सभी सुख-दुख में भागीदार माना जाता था। यह आवश्यक माना जाता था कि पत्नी का अपने पति के प्रति प्रेम निस्वार्थ और मधुर हो। महाभारत

के अनुशासन पर्व में पत्नी के आदर्श रूप का विस्तार से वर्णन किया गया है। पत्नी को घर की शोभा और आभूषण माना जाता था। परिवार में उसका सम्मान किसी देवी से कम नहीं था, परंतु देवी जैसा सम्मान पाने के लिए पत्नी को पति के प्रति पतिव्रता और एक आदर्श गृहिणी होना आवश्यक था। यद्यपि महाभारत काल का परिवार पितृसत्तात्मक था, फिर भी माता का स्थान सम्माननीय माना जाता था क्योंकि वह 'व्रजसु' और जननी थी। माता अपने शरीर के एक अंग और अपने हृदय के एक अंग के रूप में बच्चे को जन्म देती है। माता को 'अम्बा' और 'शुष्ठा' इसलिए कहा गया क्योंकि वह बालक की पोषक या पालनहार थी। माता अपने बालक के पालन-पोषण के लिए पृथ्वी के समान कष्ट सहन करती है, इसीलिए उसे पृथ्वी से भी महान माना गया है।

शिक्षा जगत में माता का दर्जा पिता और उपाध्याय से भी ऊँचा माना जाता था। माता को 'त्रि-गुरु' में स्थान प्राप्त था। पुत्र के लिए माता से बढ़कर कोई वेद या शास्त्र नहीं माना जाता था। गर्भवती स्त्रियों के साथ सावधानी बरती जाती थी। गर्भवती स्त्रियों की सुख-सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता था। प्रसूतिगृहों की पर्याप्त व्यवस्था थी। सड़क पर गर्भवती स्त्रियों को पहले जाने दिया जाता था। गर्भवती स्त्री की हत्या करने वाला ब्रह्महत्या का दोषी माना जाता था। विधवा स्त्री को निःसंदेह दुःखी प्राणी माना जाता था, किन्तु वह अपने समकक्षों द्वारा तिरस्कृत नहीं की जाती थी। विधवात्व पाकर स्त्री भले ही अपने भाग्य को कोसे, किन्तु समाज उसे सम्माननीय स्थान देता था। विधवा को अशुभ या पापिनी नहीं माना जाता था। इसका प्रमाण रामायण के इस काण्ड में मिलता है कि राम के राज्याभिषेक पर उनकी विधवा माताओं ने उनका श्रृंगार किया था। कुन्ती ने द्रौपदी को विवाह पर आशीर्वाद दिया था। महाकाव्य युग के समाज में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। राजा दशरथ, बाली और रावण आदि सभी की विधवा पत्नियाँ अंत तक जीवित रहीं।

1.4 सारांश

इस इकाई में हमने वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की प्रस्थिति का अध्य किया। काल में महिलाओं को समान और महत्वपूर्ण सामाजिक दर्जा प्राप्त था। पुरुषों की ज़िम्मेदारियों और घरेलू कर्तव्यों में भी महिलाओं को समान भागीदार माना जाता था। सार्वजनिक जीवन में भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे सभाओं में भाग लेती थीं। महिलाओं की स्थिति सामान्यतः पुरुषों से बहुत भिन्न नहीं थीअर्थात वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर थी।

1.5 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अल्तेकर, ए. एस. (1956) दी पोजीशन ऑफ वीमेंन इन हिन्दू सिविलाइज़ेशन, दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास
2. अल्तेकर, ए. एस. (1956) दी पोजीशन ऑफ वीमेंन इन हिन्दू सिविलाइज़ेशन, दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास
3. भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, डॉ. एम. एम. लवानिया
4. भारतीय समाज एवं महिलाओं की स्थिति (2001) डॉ. अवतार सिंह प्रो. आर.पी. यादव, डॉ. निशा वर्मा, डॉ. वंदना राठौड़
5. Dr A.S. Altekar (1956) - "The Position of Women in Hindu Civilisation", The Culture Publication House, Bhu
6. K.M. Kapadia (1966)- "Marriage and Family in India", Oxford University Press, Bombay
7. P.H. Prabhu (1961) - "Hindu Social Organization", Popular Book Depot, Bombay

1.6 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. अल्तेकर , ए. एस. (1956) दी पोजीशन ऑफ वीमेंन इन हिन्दू सिविलाइज़ेशन, दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास
2. भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, डॉ. एम. एम. लवानिया
3. भारतीय समाज एवं महिलाओं की स्थिति (2001) डॉ. अवतार सिंह प्रो. आर.पी. यादव, डॉ. निशा वर्मा, डॉ. वंदना राठौड़

1.7 निबंधात्मक प्रश्न

1. वैदिक काल में महिलाओं की प्रस्थति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
2. भारत में उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट कीजिए।

इकाई–2 मध्यकाल एवं ब्रिटिश काल में महिलाओं की प्रस्थिति

Status of Women in Medieval and British Period

इकाई की रुपरेखा

2.0 प्रस्तावना

2 .1 उद्देश्य

2.2 मध्यकाल में महिलाओं की प्रस्थिति

2.3 ब्रिटिश काल में महिलाओं की प्रस्थिति

2.3.1 स्वतंत्रता से पूर्व महिलाओं की स्थिति

2.3.2 सुधार आंदोलन और महिलाओं की स्थिति

2.3.3 अंग्रेजों द्वारा पारित कानून

2.4 सारांश

2.5 संदर्भ ग्रन्थ सूची

2.6 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री

2.7 निबंधात्मक प्रश्न

2 .0 प्रस्तावना

भारत में महिलाओं की स्थिति हमेंशा एक जैसी नहीं रही। समय के साथ इसमें परिवर्तन होता रहा है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग तक उनकी स्थिति में अनेक उतार-चढ़ाव आए हैं। साथ ही उनके अधिकारों में भी परिवर्तन हुए हैं। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ थी, परिवार और समाज में उनका सम्मान था। उन्हें शिक्षा का अधिकार था। संपत्ति में भी उन्हें समान अधिकार प्राप्त थे। स्पष्ट है कि वैदिक काल में महिलाओं को सम्माननीय माना जाता था। शिक्षा, धर्म, व्यक्तित्व और सामाजिक विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान था। किन्तु मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई। एक प्रकार से

यह महिलाओं के सम्मान, विकास और सशक्तिकरण का अंधकार युग था। मुगल शासन, सामंती व्यवस्था, केंद्रीय सत्ता का विनाश, विदेशी आक्रमण और शासकों की विलासी प्रवृत्ति ने महिलाओं को उपभोग की वस्तु बना दिया था और इसी के परिणामस्वरूप बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अशिक्षा आदि विभिन्न सामाजिक बुराइयाँ समाज में प्रवेश कर गई।

2 .1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन से आप समझ सकेंगे कि-

1. मध्यकाल में महिलाओं की प्रस्थिति कैसे थी।
2. ब्रिटिश काल में महिलाओं की प्रस्थिति कैसी थी।

2.2 मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति (Status of women in the medieval period)

वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बाद हमारे समाज की मौलिक व्यवस्थाएँ रूढ़ियों व कुरूतियों के रूप में बदलने लगी और स्त्रियों में लज्जा, ममता व स्नेह के गुणों को उनकी दुर्बलता समझकर पुरूषों ने उनका मनमाना शोषण करना प्रारम्भ कर दिया। सोलहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक के काल को मध्यकाल माना जा सकता है। इस काल में महिलाओं की स्थिति कभी इतनी खराब नहीं हुई थी। हालाँकि, पूर्व-मध्यकालीन समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति के संदर्भ कई स्थानों पर देखे जा सकते हैं।

प्रारंभिक मध्यकाल में समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। पहले की तुलना में उनमें निरंतर गिरावट आ रही थी। इस काल के स्मृतिकारों ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि पत्नी का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने पति की सेवा करना है। स्मृतिकारों का कहना है कि पति को अपनी पत्नी के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोनों केवल शारीरिक रूप से भिन्न हैं, अन्यथा सभी कार्यों के लिए समान हैं। मेंघातिथि में कहा गया है कि पति और पत्नी दोनों कानून के समक्ष समान हैं। पति का परम कर्तव्य है कि वह अपनी गुणी पत्नी के अनेक दोषों के बावजूद उसका ध्यान रखे। यदि उसमें गंभीर दोष भी हों, तो भी पत्नी को घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। यदि रत्नी में कोई दोष हो, तो उसे दूर करने के लिए उसे हल्का दंड दिया जा सकता है। अगर पति विदेश जाता है, तो पत्नी के भरण-पोषण का इंतज़ाम करना उसका फ़र्ज़ है। पत्नी को सिर्फ़ बार-बार अपराध करने पर ही छोड़ा जा सकता है।'

मत्स्य पुराण में कहा गया है कि "पत्नी को सुधारने के लिए उसे रस्सी या बाँस की छड़ी से पीटा जा सकता है, परन्तु चोट सिर या पीठ पर नहीं लगनी चाहिए।" विश्वरूप कहते हैं कि पत्नी को पीटना उचित है, वरन् उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि पति के मना करने पर भी पत्नी कोई खेल, तमाशा आदि देखने जाए या मदिरापान करे, तो उस पर जुर्माना लगाना चाहिए। पति के विदेश जाने पर स्त्री के लिए एक निश्चित अवधि तक उसके लौटने की प्रतीक्षा करना आवश्यक था। यदि पति उस अवधि में वापस न आए, तो पत्नी का क्या कर्तव्य है? इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि पति वापस न आए, तो पत्नी को अपनी जीविका के लिए अनुचित व्यवसाय स्वीकार नहीं करना चाहिए। मेंधातिथि का कथन है कि "निश्चित अवधि पूरी होने के बाद स्त्री अनुचित व्यवसाय स्वीकार कर सकती है।" कुछ विद्वान कहते हैं कि स्त्री को पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। अन्य लोग कहते हैं कि वह किसी की सेवा कर सकती है और पति के लौट आने पर वह पुनः उसके साथ रह सकती है।

मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति में जितना ह्रास हुआ उसे हमारा इतिहास कलंक के रूप में शायद ही कभी भूल सकेगा। इस काल में स्त्रियों कें जन्म को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था। पर्दा प्रथा इस सीमा तक पहुँच गयी कि परिवार का सदस्य तो क्या स्वयं पति भी किसी के सामने अपनी पत्नी का मुँह नहीं देख सकता था। विधवा पुनर्विवाह के बारे में सोचना अपराध माना जाने लगा। विवाह की आयु 6-7 वर्ष निश्चित की गई। राजपुतों में कन्या को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। महिलाओं का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। अतः धार्मिक दृष्टि से वे शूद्रों के समान हो गई। इस काल में अपने को शक्तिशाली प्रदर्शित करने की भावना से पुरूषों ने स्त्रियों के अधिकारों पर कुठाराघात करना प्रारम्भ कर दिया था।

मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति का ह्रास होना शुरू हुआ और धीरे-धीरे महिलाओं की स्थिति सामाजिक रूप से बिगड़ती गयी। इस काल में भारतीय समाज में भौतिकता की चाह हमारी नैतिक मान्यताओं को पीछे धकेलने लगी। सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके भाग लेने को सीमित कर दिया गया। अशिक्षा, अंधविश्वास और परम्पराओं के भवर में फंसकर महिलाओं ने अपना सब कुछ गवां दिया, उनका अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया था। वह घर की ऊँची चार दीवारों में बंद होकर अज्ञान के अंधकार में उलझकर रह गई थी। बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध आदि ने नारी को पुरूषों का गुलाम बना दिया था। स्त्रियों का एक मात्र धर्म पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करना था। स्त्रियों की यह दशा अठारहवी शताब्दी की समाप्ति तक स्थिर रही।

मंगोल साम्राज्य की स्थापना के बाद जिस गति से महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, वह हमारे सामाजिक इतिहास पर एक कलंक के रूप में सदैव याद की जाएगी। 11वीं शताब्दी के आरंभ से ही

भारतीय समाज पर मुसलमानों के बढ़ते प्रभाव के कारण अपनी संस्कृति की रक्षा करना आवश्यक हो गया। अतः ब्राह्मणों ने संस्कृति की रक्षा, स्त्रियों की सतीत्वता और रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए स्त्रियों संबंधी नियमों को और अधिक कठोर बना दिया, किन्तु वे यह भूल गए कि यदि समाज और संस्कृति में विशेष महत्व रखने वाली स्त्री अपनी चेतना खो दे, तो समाज और संस्कृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इस युग में रक्त की शुद्धता की संकीर्णता इतनी विकसित हो गई कि निस्संदेह विवाह 5-6 वर्ष की आयु में ही होने लगे, जिसके परिणामस्वरूप स्त्रियों की शिक्षा और उनकी सामाजिक स्थिति में तेजी से गिरावट आई। पर्दा प्रथा इस सीमा तक विकसित हो गई कि परिवार के अन्य सदस्यों की तो बात ही छोड़िए, स्वयं पति भी किसी अन्य के सामने अपनी पत्नी का मुँह नहीं देख सकता था। पति की मृत्यु के बाद पत्नी का अपने पति के साथ सती हो जाना पतिव्रत धर्म की सर्वोच्च कसौटी माना जाता था। इस प्रथा को धार्मिक आवरण प्रदान करके बढ़ावा दिया गया। सतियों की पूजा की जाती थी। पहली पत्नी के होते हुए भी विवाह करना और एक से अधिक पत्नियाँ रखना पुरुषों के लिए एक सामाजिक प्रतिष्ठा बन गई। इस प्रकार स्त्रियाँ अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह से पुरुषों पर निर्भर हो गई। मध्यकाल में समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति और भी खराब हो गई जब भारत में कुछ समुदायों में सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, जौहर प्रथा, पर्दा प्रथा, गुलामी आदि प्रथाएं प्रचलित हो गई। इन बुराइयों का हिंदू-मुस्लिम समाज की महिलाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा।

2.3 ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति (Status of women during the British period)

ब्रिटिश शासन काल में भारतीयों द्वारा सामाजिक सुधार के अनेक प्रयास किए गए, परंतु सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कोई व्यावहारिक प्रयास नहीं किए गए। अपने हितों की पूर्ति हेतु महिलाओं का शोषण करते रहना भी अंग्रेजों के लिए लाभदायक था। इसका परिणाम यह हुआ कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक महिलाओं की अक्षमताओं के आधार पर उनकी दयनीय स्थिति का अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है-

(1) सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने, स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों की माँग करने तथा आचरण के नियमों में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था। महिलाओं में अज्ञानता इस हद तक बढ़ गई थी कि स्वतंत्रता से पहले महिलाओं की साक्षरता दर 6 से भी कम थी। यह शिक्षा भी केवल अस्थायी थी। बाल विवाह या पर्दा प्रथा का विरोध करने वाली किसी भी महिला को उसके चरित्र

पर कलंक माना जाता था। महिला के संबंध उसके माता-पिता के परिवार तक ही सीमित थे और पारंपरिक धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना ही उसके मनोरंजन का एकमात्र साधन था।

(2) पारिवारिक क्षेत्र में महिलाओं के सभी अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। सिद्धांततः महिलाएँ परिवार के सभी कार्यों की संचालक होती थीं, लेकिन व्यवहार में ये सभी अधिकार परिवार के 'मुख्य कर्ता' में निहित थे। चूँकि महिलाओं का विवाह बहुत कम उम्र में ही हो जाता था, इसलिए उनका जीवन शुरू से ही पारंपरिक निषेधों और रीति-रिवाजों से भरा हुआ था। वैदिक काल की 'महारानी' अब सास की दासी बन गई थी। परिवार में महिलाओं का एकमात्र कार्य संतान उत्पन्न करना और पति के सभी रिश्तेदारों की सेवा करना था। दहेज की राशि, सदस्यों की सेवा और धार्मिक कार्यों को लेकर परिवार में महिलाओं का शोषण आम बात हो गई थी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह था कि महिलाएँ स्वयं इस उत्पीड़न को अपने पूर्वजन्म के कर्मों का फल मानकर संतुष्ट रहती थीं। इससे उनकी स्थिति निरंतर गिरती गई।

(3) आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की सबसे अधिक अक्षमताएँ थीं। वे न केवल संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी से वंचित थीं, बल्कि महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में भी हिस्सा पाने का अधिकार नहीं था। महिलाएँ स्वयं संपत्ति बन गई थीं, फिर उन्हें संपत्ति का अधिकार कैसे दिया जा सकता था? महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कोई भी आर्थिक कार्य अनैतिक कार्य माना जाता था। इससे अधिक दिवालियापन और क्या हो सकता है कि स्त्री चाहे कितनी भी भूख-प्यास से तड़पती रहे, कोई भी आर्थिक गतिविधि उसके कुलीनता और नारीत्व के विरुद्ध मानी जाती थी। इसी आर्थिक अक्षमता का परिणाम था कि अत्यंत अमानवीय व्यवहार के बावजूद महिलाओं को पुरुषों की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। आत्महत्या ही इस निर्भरता का एकमात्र समाधान थी।

(4) महिलाओं के राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेने का प्रश्न ही नहीं उठता था। जब घर के भीतर महिलाओं का मनमाना शोषण करने वाला पुरुष ही घर के बाहर अंग्रेजों का गुलाम हो, तो महिलाएं राजनीति में भाग लेने की कल्पना भी कैसे कर सकती थीं? यद्यपि 1919 के बाद महिलाओं को मतदान का अधिकार देने के प्रयास किए गए, परंतु इसमें व्यावहारिक सफलता नहीं मिल सकी। 1937 के चुनावों में पति की शिक्षा और संपत्ति के आधार पर बहुत कम महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। वस्तुतः महिलाओं की संपूर्ण राजनीतिक चेतना उनके घरों की चारदीवारी तक ही सीमित रही। 1919 के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में कुछ महिलाओं ने राजनीति में भाग अवश्य लिया, परंतु कुलीन परिवारों ने सदैव इसका विरोध किया।

भारतीय समाज में नवजागरण से महिलाओं के सुधार की तरफ लोगों का ध्यान जाने लगा। समय और समाज परिवर्तन के साथ- साथ हमारे समाज के बड़े भाग ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के व्यापक प्रयत्न किये। महिलाओं ने बन्द कमरे से बाहर निकलकर अपने अधिकार को पाने के लिये संघर्ष करना आरम्भ कर दिया। उन्नीसवीं सदी में सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिये सुधार का मुख्य केन्द्र स्त्री को बनाया गया। अनेक महापुरूषों द्वारा समाज सुधार के कार्य किये गये, इनमें से कुछ प्रमुख समाज सुधारक थे - राजा राम मोहनराय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, बंकिमचन्द्र, देवेन्द्र नाथ ठाकुर, भारतेन्दु हरिशचन्द्र, दयानन्द सरस्वती। इनके द्वारा स्त्रियों की मुक्ति एवं उनके शोषण को रोकने का प्रयास किया गया।

समाज सुधारकों के कठिन परिश्रम से महिलाओं में अपने घर की दीवारों को लांघने का साहस पैदा हुआ है। इस समय ही उनमें स्कूली शिक्षा का प्रसार हुआ। नारी सुधार के लिये राजाराममोहन राय और ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने शिक्षा की व्यवस्था करने का कार्य भार अपने ऊपर ले लिया। सन् 1818 में राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरूद्ध आवाज उठाई, उनके कठिन परिश्रम से ही सन् 1829 में सती प्रथा को बन्द किया गया। उस समय विधवाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये अनेक कानून बनाये गये। डी0 के0 कर्वे ने सन् 1915 में देश के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके बाद से ही भारत में स्त्री शिक्षा का प्रचार तेजी से बढ़ता गया। स्त्रियाँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती गयी।

स्वामी विवेकानन्द की यह धारणा थी कि कोई भी राष्ट्र महान तब तक नहीं हो सकता है, जब तक कि वह महिलाओं को उनके अधिकार व समाज में उपयुक्त स्थान न दे। वे यह सोचते थे कि वर्तमान देश की परिस्थिति का कारण केवल महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित करना था। उनका कहना था कि अपनी महिलाओं को शिक्षित करो और फिर उन्हें उनके हाल में छोड़ दो। वे यह बता देंगी कि कौन - कौन से परिवर्तन आवश्यक है। उन्हांने इग्लैण्ड में भारतीय नारियों की स्थिति पर मिस माग्रेट नोबेल से बहुत लम्बा विचार विमर्श किया था यही आगे चलकर भगिनी निवेदिता के नाम से जानी गयी, जो सीता, सावित्री, मीरा, झांसी की रानी आदि महान भारतीय नारियों के जीवन से प्रभावित हुयी थी। उन्होने कलकत्ता में निवेदिता बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। भारत में स्त्रियों के प्रति बदलती विचारधारा ने स्त्रियों को पुरूषों के समान अधिकार देकर उन्हें आगे बढ़ने का अधिकार दिया।

2.3.1 स्वतंत्रता से पूर्व महिलाओं की स्थिति (WOMEN'S STATUS BEFORE INDEPENDENCE)

18वीं शताब्दी के अंत से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक का काल इस काल के अंतर्गत आता है। इस काल में भारत पर अंग्रेजों का शासन था। इस काल में भारतीयों ने सामाजिक सुधार के कई प्रयास किए, लेकिन उन्हें इस कार्य में ब्रिटिश सरकार से अधिक सहयोग नहीं मिला। इस काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे-

1. निरक्षरता- इस काल में महिलाएँ शिक्षा से वंचित रहीं, जिसके कारण उनका जीवन स्तर अपने परिवार तक ही सीमित रहा। महिलाओं को जो थोड़ी-बहुत शिक्षा मिलती थी, उसका उपयोग वे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में करती थीं क्योंकि इसे नैतिक धर्म माना जाता था। इसलिए, वे अपने अधिकारों से वंचित थीं।

2. पुरुषों पर निर्भरता- महिलाओं को अपने परिवार और पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। चाहे महिला कितनी भी भूख-प्यास से पीड़ित क्यों न हो, उसके लिए आर्थिक गतिविधियाँ करना उसकी गरिमा और कुलीनता के विरुद्ध माना जाता था। अतः अमानवीय व्यवहार के बावजूद, पत्नी आर्थिक रूप से पुरुष की दया पर निर्भर रहती थी।

3. बाल विवाह - बाल विवाह के कारण महिलाओं में शिक्षा का स्तर निम्न था, जिससे अज्ञानता बढ़ी, जिसके कारण वे समाज की मूल स्थिति को समझकर अपने अधिकारों की माँग नहीं कर सकीं। कम उम्र में विवाह होने के कारण पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ जल्दी आ गईं, जिससे उनका विकास प्रभावित हुआ।

4. संयुक्त परिवार व्यवस्था - संयुक्त परिवार व्यवस्था में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता था। अनेक कथाओं और उपदेशों के माध्यम से महिलाओं को यह सिखाया जाता था कि पति ही परमेश्वर है और उसकी पूजा करनी चाहिए। महिलाओं के सभी अधिकार छीनकर उन्हें अपंग बना दिया गया।

5. वैवाहिक कुरीतियाँ - अनेक वैवाहिक कुरीतियाँ; जैसे सजातीय विवाह, कुलीन विवाह, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर नियंत्रण आदि ने महिलाओं की स्थिति में गिरावट में योगदान दिया है। इन रीति-रिवाजों के कारण महिलाओं को परिवार में बोझ माना जाता था।

6. मुसलमानों के आक्रमण- बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह पर प्रतिबंध, महिलाओं का घर से बाहर न निकलना आदि मुसलमानों के आक्रमणों का ही परिणाम थे, जिसके कारण मुसलमान हिंदू महिलाओं को अपने साथ नहीं रख सकते थे।

2.3.2 सुधार आंदोलन और महिलाओं की स्थिति (REFORM MOVEMENT AND STATUS OF WOMEN)

स्वतंत्रता-पूर्व भारत में सुधार आंदोलनों ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

1. बाह्य समाज- 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप, 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए सती प्रथा निषेध अधिनियम बनाया गया। राजा राममोहन राय ने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिलाने, बाल विवाह को समाप्त करने और महिलाओं में शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया।

2. आर्य समाज- 1875 में महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की और हिंदू समाज को वैदिक आदर्शों की ओर ले जाने का प्रयास किया। इस संगठन ने उत्तर भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने, पर्दा प्रथा और बाल विवाह को रोकने में अच्छा कार्य किया।

3. ईश्वरचंद्र विद्यासागर: उन्होंने बिना किसी संस्था की स्थापना के व्यक्तिगत स्तर पर महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए विधवा पुनर्विवाह पर ज़ोर दिया और बहुविवाह संबंधी पारंपरिक नियमों का विरोध किया तथा स्व-शिक्षा पर ज़ोर दिया। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह एक विधवा से कराकर एक मिसाल कायम की। उनके प्रयासों से 1856 में 'हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम' पारित हुआ।

समाज सुधारकों के प्रयासों से 1891 में 'सहमति आयु विधेयक' पारित हुआ, जिसके द्वारा लड़कियों की विवाह आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। केशवचंद्र सेन के प्रयासों के परिणामस्वरूप 'मूलनिवासी विवाह अधिनियम' पारित हुआ जिसमें बहुविवाह को दंडनीय अपराध माना गया और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा अंतर्जातीय विवाह को मान्यता दी गई।

1917 में चेन्नई में 'भारतीय महिला समिति' की स्थापना हुई जिसकी अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट चुनी गईं। इसके अलावा, 'भारतीय स्वे मंडल', 'पूना सेवा सदन', 'सरोजिनी दत्त महिला समाज' आदि कुछ अन्य महिला संगठन भी विकसित हुए। इन विभिन्न संगठनों ने मिलकर कार्य करने हेतु 1929 में अखिल

भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया। इस सम्मेलन ने 1929 से ही संगठित रूप से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया, जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे:

1. स्त्व- शिक्षा के प्रसार हेतु सक्रिय रूप से कार्य करना।

2. दहेज, बाल विवाह, बहुविवाह और विवाह से संबंधित अन्य कुरीतियों का उन्मूलन करना।

3. स्त्वे को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना।

4. स्त्वे को नागरिकता की शिक्षा देना और उनके नैतिक मानकों को ऊँचा उठाने का प्रयास करना।

5. अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और विश्व शांति के लिए कार्य करना।

अखिल भारतीय स्तर पर कार्यरत अन्य महिला संगठनों में राष्ट्रीय महिला परिषद, विश्वविद्यालय महिला महासंघ, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट और युवा महिला ईसाई संघ शामिल हैं। ये संगठन शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कार्य करते हैं। महिलाओं में शिक्षा का प्रसार तथा उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता इन सुधार आंदोलनों का परिणाम है।

2.3.3 अंग्रेजों द्वारा पारित कानून (ACTS PASSED BY BRITISHERS)

ब्रिटिश सरकार ने भारत में महिलाओं से संबंधित निम्नलिखित कानून पारित किए -

1. सती प्रथा निषेध अधिनियम, 1829 (Regulation No XVII, 1829) - 1829 से पहले भारत में सती प्रथा प्रचलित थी। पति की मृत्यु के समय पत्नी को जबरन उसकी चिता में धकेल दिया जाता था। जब राजा राम मोहन राय के बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु हुई, तो उनकी भाभी को उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरन चिता में जला दिया गया। इस अमानवीय दृश्य ने उनका मन विचलित कर दिया और उन्होंने इस सती प्रथा को समाप्त करने की शपथ ली। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित हुआ।

2. हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 (Hindu Widow Remarriage Act, 1856) - 1856 से पहले हिंदू विधवा पुनर्विवाह प्रचलित नहीं था। विधवाओं को अपने मृत पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। कुछ विधवाओं ने ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिया

था। आर्य समाज, बाहरी समाज और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से सरकार ने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया।

3. बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 (Child Marriage Restraint Act, 1929) - हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ, जिसे 'शारदा अधिनियम' के नाम से भी जाना जाता है।

4. हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 (The Hindu Women's Right to Property Act, 1937) - इस अधिनियम द्वारा हिंदू विधवा को अपने पति की संपत्ति में अधिकार दिया गया।

5. महिलाओं के अलग रहने और भरण-पोषण का अधिकार अधिनियम, 1946 - यदि कोई पत्नी किसी कारणवश अपने पति से अलग रहती है, तो उसे भरण-पोषण मिलेगा; यह अधिकार उक्त अधिनियम द्वारा दिया गया।

2.4 सारांश

मध्य युग की समाप्ति के साथ आधुनिक युग का आगमन ब्रिटिश दासता की सौगात तो लेकर आया ही, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप यूरोपीय पुनर्जागरण के सकारात्मक प्रभावों से अछूता नहीं रह सका। महिलाओं को समाज में उनका खोया हुआ सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों और लॉर्ड विलियम बेंटिक जैसे गवर्नर जनरलों ने सामाजिक और कानूनी, दोनों स्तरों पर गंभीर प्रयास किए। सती प्रथा का उन्मूलन और शारदा एक्ट इसी का परिणाम थे। इसके साथ ही, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित लोकतांत्रिक मूल्यों की लहर ने भी महिलाओं को घर की दहलीज से बाहर निकालकर विश्व पटल पर स्थापित किया।

2.5 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अल्तेकर, ए. एस. (1956) हिंदू सभ्यता में महिलाओं की स्थिति, दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास
2. भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, डॉ. एम. एम. लवानिया
3. भारतीय समाज और महिलाओं की स्थिति (2001) डॉ. अवतार सिंह प्रो. आर. पी. यादव, डॉ. निशा वर्मा, डॉ. वंदना राठौर

4. डॉ. ए.एस. अल्तेकर (1956) - "हिंदू सभ्यता में महिलाओं की स्थिति", द कल्चर पब्लिकेशन हाउस, भुबनेश्वर
5. के.एम. कपाड़िया (1966) - "भारत में विवाह और परिवार", ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बॉम्बे
6. Desai, Neera, 1957, 'Women in Morden India', Bombey Bora, K. Publishing
7. तोमर, राम विहारी, 1959 "हिन्दू स्त्रियों की स्थिति" दत्त ब्रदर्स, कचहरी रोड, अजमेर
8. डॉ भावना डोभाल (2022) संगठित क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं की समस्याएं एवं चुनौतियाँ, आशा पब्लिकेशन देहरादून उत्तराखंड
9. Prabhu, P.N., 1971, Hindu Social organization: A study in socio – Psychological and Ideological Foundation Þ, Bombay, Popular Prakashan
10. Indra, 1955 Status of women in India

2.6 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, डॉ. एम.एम. लवानिया
2. भारतीय समाज और महिलाओं की स्थिति (2001) डॉ. अवतार सिंह प्रो. आर.पी. यादव, डॉ. निशा वर्मा, डॉ. वंदना राठौर

2.7 निबंधात्मक प्रश्न

1. मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
2. ब्रिटिश काल में भारत में महिलाओं की स्थिति की व्याख्या कीजिए।
3. ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए अंग्रेजों द्वारा पारित कानून की व्याख्या कीजिये।
4. सुधार आंदोलन और महिलाओं की स्थिति पर संक्षिप्त लेख लिखिए।

इकाई-3 स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की प्रस्थिति
Status Of Women After Independence

इकाई की रूपरेखा

3.0 प्रस्तावना

3.1 उद्देश्य

3.2 स्वतंत्रता से पूर्व महिलाओं की प्रस्थिति

3.3 स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की प्रस्थिति

3.4 स्वतंत्रता के पश्चात् बने प्रमुख संवैधानिक प्रावधान

3.5 स्वतंत्रता के पश्चात् शैक्षिक प्रस्थिति

3.6 स्वतंत्रता के पश्चात् समाजिक एवं परिवारिक प्रस्थिति

3.7 स्वतंत्रता के पश्चात् आर्थिक प्रस्थिति

3.8 स्वतंत्रता के पश्चात् राजनतिक प्रस्थिति

3.9 सारांश

3.10 परिभाषिक शब्दावली

3.11 बोध प्रश्न के उत्तर

3.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

3.13 पाठ्य उपयोगी समाग्री

3.14 निबंधनात्मक प्रश्न

3.0 प्रस्तावना

भारत की स्वतंत्रता ने भारतीय समाज के हर वर्ग में परिवर्तन को गति प्रदान की। सन् 1947 के पश्चात भारतीय महिलाओं की स्थिति में व्यापक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिलता है। जहाँ एक ओर महिलाओं को भारतीय संविधान ने बराबरी का दर्जा दिया, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक पितृसत्तात्मक ढांचे और सामाजिक रूढ़ियों ने उनके समग्र विकास में बाधाएँ उत्पन्न कीं।

सदियों से पितृसत्तात्मक व्यवस्था, सामाजिक रूढ़िवादिता और आर्थिक पराधीनता में बंधी भारतीय महिलाएं जो मुख्यत घर की चारदीवारी तक सीमित थी, स्वतंत्रता के बाद धीरे-धीरे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगी। भारतीय संविधान ने समानता का अधिकार, शिक्षा, संपत्ति का अधिकार और राजनीतिक भागीदारी में बड़ोत्तरी के बावजूद पितृसत्ता, सामाजिक पूर्वाग्रह और आर्थिक विषमताएँ महिलाओं की प्रगति में बाधक बनती हैं। अत: इस इकाई में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं की प्रस्थिति का अध्ययन किया गया है।

3.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन पश्चात् आपके द्वारा संभव होगा-

1. स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व राजनतिक प्रस्थिति को समझना।
2. स्वतंत्रता के पश्चात् बने प्रमुख संवैधानिक प्रावधान को समझना।

3.2 स्वतंत्रता से पूर्व महिलाओं की प्रस्थिति

भारत में महिलाओं की स्थिति प्रारंभ से वर्तमान तक एक समान नहीं रही है। जहां वैदिक काल, में उन्हें उच्च स्थान प्राप्त था, वहीं मध्यकाल से लेकर औपनिवेशिक काल तक उनकी प्रस्थिति में लगातार गिरावट आई। प्रिय शिक्षार्थियों, आपने इससें पहले की इकाई में स्वतंत्रता से पूर्व में महिलाओं की प्रस्थिति के विषय में अध्ययन किया होगा, किन्तु स्वतंत्रता के बाद महिलओं की प्रस्थिति में क्या बदलाओं आयें? इसे जानने के लिए सर्वप्रथम हमें एक बार पुन: स्वतंत्रता से पूर्व महिलाओं की स्थिति को समझना आवश्यक होगा।

स्वतंत्रता से पूर्व या ब्रिटिशकाल में भारतीय महिलाओं की प्रस्थिति विरोधाभासी थी। एक ओर वे बाल विवाह, सती, पर्दा, अशिक्षा और आर्थिक निर्भरता जैसी सामाजिक कुरीतियों एवं निर्योग्यता में

बंधी हुई थीं, तो दूसरी ओर सामाजिक-सुधार आंदोलनों, शिक्षा के प्रसार, सती प्रथा उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह व बाल विवाह निषेध जैसे कानूनी प्रावधानों और स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने उनके भीतर आत्मनिर्भरता की भावना जगाई। वी. एन. सिंह एवं जनमेंजय सिंह अपनी पुस्तक 'आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण' में लिखते है कि, ''स्त्रियों ने यह महसूस किया कि उनका अपना एक सामाजिक संगठन होना चाहिए जो नारी जगत के कल्याण के लिए कार्य करे। इस तरह 1910 और 1920 के मध्य अनेक स्त्री संगठनों की स्थापनाएं हुई। इनमें मुख्य हैं, 'महिला समिति', 'वीमन्स क्लब', 'वीमन्स इंडियन एसोसिएशन' और सरला देवी चौधरी ने 'भारत स्त्री महामंडल' की स्थापना की। सरोजनी नायडू जैसी विद्वान और संभ्रांत परिवार की महिला, स्त्री-उत्थान के कार्य में आगे आई। बंबई में 1920 में 'अखिल भारतीय महिला परिषद' की स्थापना हुई। इस तरह एक के बाद एक महिला संगठनों या परिषदों की स्थापनाएं होने लगीं। यह सभी संगठन महिला-चेतना के प्रमाण हैं। इन महिला संगठनों ने यह महसूस किया कि स्त्री समाज के लिए जितना स्त्री-संगठन कार्य कर सकता है, उतना पुरुष नहीं। उन्हें अपनी समस्याओं का निराकरण स्वयं करना होगा। स्वयं जूझना होगा समाज और सरकार से। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि ब्रिटिशकाल में महिला शिक्षा, महिला-चेतना ने एक नई जमीन स्त्री-उत्थान व कल्याण के लिए तैयार की।''[1] यही दौर आगे चलकर स्वतंत्र भारत में महिलाओं की सशक्त भूमिका और अधिकारों की नींव बना। स्वतंत्रता के बाद यह अपेक्षा की जाने लगी कि उन्हें भी पुरुषों के समान अवसर और अधिकार मिलेंगे।

बोध प्रश्न -1

1. 'अखिल भारतीय महिला परिषद' की स्थापना किस वर्ष हुई?
(i) 1920 में (ii) 1919 में (iii) 1921 (iv) 1923

2. 'भारत स्त्री महामंडल' की स्थापना किसने की थी?
(i) सरोजनी नायडू (ii) सुचेता कृपलानी (iii) रानी चेन्नम्मा (iv) सरला देवी चौधरी

3.3 स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की प्रस्थिति

प्रारंभिक परिदृश्य

स्वतंत्रत भारत का प्रथम दशक महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और महिला कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत का दौर था, किन्तु ग्रामीण भारत में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज, अशिक्षा और स्त्री-पुरुष असमानता जैसी समस्याएँ गहरी जड़ें जमाए हुए थीं। स्वतंत्रता केवल राजनीतिक सत्ता नहीं, बल्कि

एक व्यापक सामाजिक पुनर्जागरण का आरंभ था, जिसमें महिला मुक्ति एवं सशक्तिकरण को अधिकार-सिद्धि के रूप में स्थान मिला। भारतीय समाज में सदियों से महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की रही थी। उनके अधिकार, स्वतंत्रता और गरिमा पर परंपरागत बंधनों का शिकंजा था। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा, शहरीकरण, औद्योगीकरण, आधुनिकीकरण और मीडिया विस्तार के फलस्वरूप भारतीय समाज में कई परिवर्तन हुए। महिलाएं पुरूषों के समान अधिकारों की मांग करने लगी। इरावती कर्वे कहती हैं कि "पुरुषों से अधिकारों के लिए लड़ते हुए, महिलाओं को केवल समान अधिकारों के लिए ही क्यों लड़ना चाहिए? हमेंशा अधिक अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए।"[2] स्वतंत्रता के बाद का अपनी पहचान बनाने के लिए महिलाओं के पास कोई असान पथ नही था। पितृसत्तात्मक समाज में निर्णय लेने से लेकर संसाधनों पर नियंत्रण पुरुषों के पास था। महिला एवं पुरुष में शिक्षा और रोजगार में असमानता थी , तो वहीं ग्रामीण-शहरी शिक्षा में भी अन्तर था। शोषण व घरेलू हिंसा आम बात थी। महिला आंदोलनों ने समाज में जागरूकता फैलाने और महिलाओं की प्रस्थिति को प्रभावित करने में अहम योगदान दिया। 1970 से 1980 का नारीवादी आंदोलन दहेज प्रथा, बलात्कार कानून में संशोधन, समान वेतन की मांग के लिए था। भारत में महिला आंदोलन स्वतंत्रता से लेकर लोकतंत्र तक निरंतर सक्रिय रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, वहीं स्वतंत्रता के बाद अपने अधिकारों, समानता और सम्मान के लिए आगे आयी। महिला आंदोलन केवल भारतीय समाज तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे वैश्विक नारीवाद, डिजिटल मीडिया और मानवाधिकार आंदोलनों से भी जुड़े हुए हैं। इस प्रकार, महिला आंदोलनों ने भारत में न केवल महिलाओं की प्रस्थिति को बेहतर बनाया बल्कि समाज को अधिक समानतामूलक, न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक बनाने में भी निर्णायक भूमिका निभाई।

3.4 स्वतंत्रता के पश्चात् बने प्रमुख संवैधानिक प्रावधान-

स्वतंत्र भारत में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक प्रस्थिति को सुधारने के लिए कई संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान बनायें गए। एन.आर. माधव मेंनन का कहते हैं कि ‘‘दो सदी तक उपनिवेशी शासन के बाद देश स्वतंत्र हुआ है इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम कानून व्यवस्था को कायम करें जिससे कि बुनियादी मानवाधिकार की रक्षा हो सके और एक सामाजिक-आर्थिक विकास की ऐसी रूपरेखा बनाएं जो सभी को स्वीकार हो।’’[3] अत: भारतीय संविधान ने महिलाओं की समानता, गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कई अनुच्छेद और प्रावधान दिए हैं।

प्रमुख संवैधानिक प्रावधान-

1 मौलिक अधिकार- भारतीय संविधान के भाग- 3 में मूल (मौलिक) अधिकारों को दिया गया है। जिसमें स्पष्ट रूप से महिलाओं के अधिकारों की बात कही गई है-

अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता)- सभी को नागरिकों को विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है। इसके अनुसार ''राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।''[4]

अनुच्छेद 15 (धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिवेध)- "धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी राज्य किसी भी प्रकार के भेदभाव नही कर सकता है अर्थात् उसकी दृष्टि में स्त्री और पुरूष दोनों ही समान है।"[5]

अनुच्छेद 16- अनुच्छेद-16 में कहा गया है कि "लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता-अर्थात **(1)** राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। **(2)** राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा।"[6]

(3) इस अनुच्छेद में यह भी इस अनुच्छेद में बताया गया है कि "कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदाधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही होगा।"[7]

नीति-निर्देशक तत्व- भारतीय संविधान के भाग- 4 में नीति-निर्देशक को दिया गया है। जिसमें महिलाओं के अधिकारों की भी व्याख्या की गई है-

अनुच्छेद 39(क)- ने समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जायेगा।

अनुच्छेद 39 - राज्य अपनी नीतियों को इस प्रकार संचालन करेगा कि –

1 सभी नागरिकों (पुरुष और महिला) को समान रूप से पर्याप्त आजीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार हों।

2 समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बँटा जाए कि वे सामान्य हित की सेवा करें।

आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चलाई जाए कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेन्द्रण कुछ व्यक्तियों के हाथों में न हो।

3 पुरुष और महिला दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले।

4 श्रमिकों, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को काम की ऐसी परिस्थितियाँ और सुविधा दी जाएँ जो उनकी स्वास्थ्य और शक्ति की रक्षा करे।

5 बच्चों को अवधि से पूर्व आयु पर और आर्थिक आवश्यकता के कारण काम करने के लिए बाध्य न किया जाए तथा उन्हें स्वस्थ विकास और शिक्षा मिले।

अनुच्छेद 42- मातृत्व लाभ और मानवीय कार्य-स्थितियों की व्यवस्था पर बल दिया।

अनुच्छेद 51ए(ई)- नागरिकों का यह कर्तव्य निर्धारित किया है, कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें।

इन संवैधानिक प्रावधानों ने स्वतंत्रता पश्चात् महिलाओं की स्थिति को कानूनी और सामाजिक रूप से सशक्त करने का आधार प्रदान किया गया है।

प्रमुख विधिक प्रावधान-

स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की प्रस्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण विधिक सुधार किए गए।

1 कारखाना अधिनियम, 1948- श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए बनाया गया एक महत्त्वपूर्ण श्रम कानून है। इस अधिनियम के तहत वयस्क श्रमिकों के लिए कार्य प्रतिदिन घंटे निर्धारित किया गया है। महिलाओं को रात में कार्य करने की मनाही है तथा 14 वर्ष से कम बच्चों को काम पर रखना निषिद्ध है। इसमें स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, शौचालय, स्नानागार, क्रेच और प्राथमिक उपचार आदि सुविधाएँ अनिवार्य की गई।

2 खान-अधिनियम, 1952- यह अधिनियम खानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने हेतु बनाया गया। इस अधिनियत के तहत महिलाओं एवं 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को भूमिगत खानों में कार्य करने की मनाही है।

3 हिंदू विवाह अधिनियम, 1955- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत बहुविवाह पर रोक लगाई गई और महिलाओं को तलाक का अधिकार प्रदान किया गया।

4 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956- इस अधिनियम ने पुरुष और महिला दोनों को संपत्ति में समान अधिकार प्रदान किए। वर्ष 2005 के इस अधिनियम में संशोधन द्वारा पुत्रियों को भी पुत्रों के समान अधिकार प्रदान किया।

5 स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956- यह अधिनियम वेश्यावृत्ति एवं उससे जुड़े अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए बनाया गया। इसमें वेश्यावृत्ति हेतु दलाली करना, ग्राहकों की व्यवस्था करना, वेश्यावृत्ति से आय अर्जित करना तथा वेश्यावृत्ति स्थल चलाना दंडनीय अपराध घोषित किया गया। ऐसे व्यक्तियों को 15 वर्ष तक की कैद व 2000 रूपये तक दण्ड का जुर्माना है। इस कार्य में लिप्त नबालिक बालिका को सुधार गृह में भेजने की व्यवस्था है।

6 दहेज निषेध अधिनियम, 1961- दहेज निषेध अधिनियम, 1961 ने दहेज की मांग और लेन-देन को अपराध घोषित कर महिलाओं को सामाजिक शोषण से बचाने का प्रयास किया।

7 मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961- इस अधिनियम ने गर्भवती और प्रसूता महिलाओं को मातृत्व अवकाश तथा आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य और कार्य-जीवन संतुलन की सुरक्षा की।

8 कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम, (1994, 1996)- इस अधिनियम को Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act, भी कहा जाता है। इस अधिनियम को वर्ष 1996 में सख़्त किया गया। इस अधिनियम में वर्ष 2003 में संशोधित किया गया। इसका उद्देश्य भ्रूण लिंग परीक्षण पर रोक तथा कन्या भ्रूण हत्या को दंडनीय अपराध बनाना था। इस अधिनियम के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड आदि तकनीकों द्वारा लिंग निर्धारण और गर्भपात कराना अपराध है। जिसके लिए कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

"श्यामल पप्पू स्वतंत्रता के पश्चात जो अधिनियम बने हैं उनकी समीक्षा करते हुए कहते हैं कि भारत में महिला से संबंधित कानूनों को कठोरता से बदलने की आवश्यकता है। यद्यपि संविदान समय में बहुत से कानूनों का निर्माण किया गया है लेकिन वास्तविकता यह है कि स्त्री की स्थिति में संविधान बनने के पूर्व और आज भी कोई विशेष अंतर नहीं है। संविधान में महिला समानता की बात है, उसने स्त्री के सामाजिक-आर्थिक जीवन को प्रभावित नहीं किया है। स्त्री आज भी आर्थिक, सामाजिक और यहां तक कि मनोवैज्ञानिक रूप से निर्भर है। उसने शायद ही अपने अधिकार को व्यक्तिगत रूप में महसूस किया हो। गत दो दशकों से जो कानून बने हैं वे शायद ही स्त्रियों तक पहुंचे हों क्योंकि न तो उनमें जागरूकता है और न वे आर्थिक रूप से समर्थ हैं कि वे इन कानूनों का लाभ उठा सकें।"[8]

बोध प्रश्न -2

1 हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ।

(i) 1947 (ii) 1955 (iii) 1961 (iv) 1967

2 कौन सा अनुच्छेद, पुरुष और महिला को समान आजीविका का अधिकार देता है।

(i) अनुच्छेद 39(क) (ii) अनुच्छेद 15 (iii) अनुच्छेद 18 (iv) अनुच्छेद 21

3.5 स्वतंत्रता के पश्चात् शैक्षिक प्रस्थिति

स्वतंत्रता से पूर्व महिलाओं की शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नही दिया जाता था। महिलाओं की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था एवं समुचित सुविधाएं उपलब्ध नही थी। ''किसी भी देश की प्रगति को देखकर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। वहां कितने प्रतिशत स्त्री-पुरूष शिक्षित हैं। किसने विभिन्न विषयों में उच्च- शिक्षा प्राप्त की है। कितने साक्षर हैं और कितने निरक्षर। सैकड़ों-सैकड़ों वर्षो तक भारतीय महिला शिक्षा प्रकाश से दूर रखी गई है। मनु जैसा विचारक, चिंतक और मनीषी भी स्त्री को घर के कार्यों में ही बंद रखना चाहता है। स्त्री का कार्य स्वाभावनुकूल होना चाहिए जैसे स्त्रियों का कार्य गृहस्थी का है। इसलिए वह गृहलक्ष्मी कहलाती है। वह घर के बाहर की परिस्थितियों का सरलता से सामना नहीं कर सकती इसलिए उसे घर पर ही रहना चाहिए। स्वतंत्र होकर न घूमें।''[9] स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आया। भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण व शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया बालिकाओं के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं महिला विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिससे उन्हें प्रारंभिक से लेकर उच्च, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा तक अवसर उपलब्ध हो सकें। भारतीय

संविधान के अनुच्छेद 15(3) एवं 15(4) में महिलाओं, बच्चों और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिक्षा हेतु विशेष प्रावधान किए गए। इसी क्रम में सर्वशिक्षा अभियान और राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम जैसे प्रयासों ने बालिकाओं को निःशुल्क शैक्षणिक सामग्री, छात्रवृत्ति एवं अनुकूल विद्यालय प्रदान किए। इन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानताओं को समाप्त करना तथा महिलाओं के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना था। परिणामस्वरूप ''सन् 1942 में भारत में ऐसी केवल 2,054 महिलाएँ थी जो कुछ लिख-पड़ सकती थी, जबकि 1981 की जनगणना के समय तक साक्षर महिलाओं की संख्या बढ़कर 7 करोड़ 91 लाख से भी अधिक हो गयी। 1943 में जहाँ पहली बार एक महिलाओं ने बी. ए. पास किया, वहीं 1980 में 7.5 लाख से अधिक लड़कियाँ विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातकीय और स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ रही थीं। 1991 के आँकड़ों के अनुसार यह संख्या 72 लाख को पार कर गई।''[10] महिला शिक्षा और सशक्तिकरण का गहरा संबंध है। शिक्षा महिलाओं को ज्ञान, आत्मविश्वास और रोजगार के अवसर देती है, जिससे वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनती हैं। शिक्षित महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर समाज में समान भागीदारी निभा सकती है। संक्षेप में, शिक्षा ही महिला सशक्तिकरण की आधारशिला है। अत: स्वतंत्र भारत में साक्षरता दर एवं लैंगिक अंतर निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है।

वर्ष Years	ग्रामीण Rural			शहरी Urban			कुल Total		
	पुरुष Male	महिला Female	व्यक्ति Person	पुरुष Male	महिला Female	व्यक्ति Person	पुरुष Male	महिला Female	व्यक्ति Person
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1951	19.0	4.9	12.1	45.6	22.3	34.6	27.2	8.9	18.3
1961	34.3	10.1	22.5	66.0	40.5	54.4	40.4	15.4	28.3
1971	48.6	15.5	27.9	69.8	48.8	60.2	46.0	22.0	34.5
1981	49.6	21.7	36.0	76.7	56.3	67.2	56.4	29.8	43.6
1991	57.0	30.2	36.0	81.1	64.1	67.2	64.1	39.3	52.2
2001	71.4	46.7	59.4	86.7	73.2	80.3	75.3	53.7	64.8
2011	77.2	57.9	66.8	88.8	79.1	84.1	80.9	64.6	73.0
2017*	81.5	65.0	73.5	92.2	82.8	87.7	84.7	70.3	77.7
2011 से 2017 में वृद्धि (%) / Increase in 2017 over 2011 (%)	5.6	12.2	10.1	3.9	4.7	4.3	4.7	8.8	6.5

स्त्रोत:https://mospi.gov.in/sites/default/files/reports_and_publication/statistical_publication/Women_Men/mw21/Chapter%203%20Education.pdf

3.6 स्वतंत्रता के पश्चात् समाजिक एवं परिवारिक प्रस्थिति –

स्वतंत्रता के बाद विवाह की न्यूनतम आयु तय कर दी गयी।, अंतरजातीय और अंतर्धार्मिक विवाह के प्रचलन में वृद्धि होने लगी। महिलाओं को विवाह में निर्णय का अधिकार मिलने लगा। प्रेम विवाह,

विधवा विवाह को समाज द्वारा मान्यता मिलने लगी। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, दहेज, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं में कमी आई। विलम्ब-विवाह समाज में लोकप्रिय होने लगा तथा बाल विवाह में कमी दर्ज होने लगी। महिलाओं की पारिवारिक स्थिति में भी स्वतंत्रता के बाद महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब महिला पुरुष की दासी नहीं बल्कि उनकी साथी है जो परिवार के फैसलों में अपनी बात रखती हैं। महिला की स्थिति परिवार में एक याचिका की जगह एक प्रबन्धक की हो गई। शिक्षित महिलाएं संयुक्त परिवार में अपने सभी अधिकारों का बलिदान करके शोषण में रहने के बजाय, एकाकी परिवार को प्राथमिकता देने लगी। महिलाओं की इच्छा बच्चों की शिक्षा, पारिवारिक आय का उपभोग, संस्कारों का प्रबन्ध और पारिवारिक योजनाओं का रूप निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। ''कुछ व्यक्ति परिवार में महिलाओं के बढ़ते हुए अधिकारों से इतने चिन्तित हो उठे हैं कि उन्हें पारिवारिक जीवन के विघटित हो जाने का भय हो गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि उनकी यह चिन्ता अपने एकाधिकार में होती हुई कमी के कारण उत्पन्न हुई है। आज की नयी पीढ़ी तो स्वयं महिलाओं को उनके पारिवारिक अधिकार देने के पक्ष में है और यदि किसी कारण उन्हें इन अधिकारों से वंचित रखा भी गया तब आने वाले समय में वे इन्हें अपनी शक्ति से स्वयं ही प्राप्त कर लेंगी।''[11]

3.7 स्वतंत्रता के पश्चात् आर्थिक प्रस्थिति -

''स्वतन्त्रता के पश्चात् शिक्षा, औद्योगीकरण और नवीन विचारधारा के कारण महिलाओं की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता लगातार कम होती जा रही है। स्वतन्त्रता से पहले यद्यपि निम्न वर्ग की बहुत-सी महिलाएँ उद्योगों और घरेलू कार्यों द्वारा जीविका उपार्जित करती थीं, लेकिन मध्यम और उच्च वर्ग की महिलाओं द्वारा आर्थिक क्रिया करना अनैतिकता के रूप में देखा जाता था। स्वतन्त्रता के पश्चात् एक बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग की महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त कर आर्थिक क्षेत्रों की ओर बढ़ना आरम्भ कर दिया।''[12] जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आया। भारतीय महिलाएं मुख्यतः गृहिणी या असंगठित क्षेत्र की श्रमिक रहीं और उनका श्रम अक्सर अवमूल्यित था। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के रूप में महिलाओं भागीदारी अधिक, जबकि शहरी क्षेत्रों में सेवा और औद्योगिक क्षेत्रों में कम थी। 1970–1990 के दौरान पंचवर्षीय योजनाओं, सहकारी समितियों, कुटीर उद्योगों और शिक्षा के प्रसार ने उन्हें शिक्षक, नर्स, बैंकिंग और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुँचाया। उदारीकरण (1991) के पहले तक महिलाओं को पिंक-कॉलर नौकरियों में के लिए उपयुक्त माना जाता था, किन्तु उदारीकरण के बाद महिलाओं ने आईटी, सेवा, बैंकिंग, मीडिया और कॉर्पोरेट जगत भी कार्य करने लगी। स्वयं सहायता समूहों और माइक्रो-फाइनेंस योजनाओं ने ग्रामीण महिलाओं को भी सशक्त किया। वर्तमान समय में महिलाएँ लगभग हर क्षेत्र

में सक्रिय हैं, किंतु उन्हें अब भी लैंगिक, वेतन असमानता, असुरक्षित रोजगार, सामाजिक दबाव व दोहरी भूमिका जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

3.8 स्वतंत्रता के पश्चात् राजनतिक प्रस्थिति-

स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में क्रमशः वृद्धि हुई। महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त है। स्वतंत्रता के बाद सुचेता कृपलानी किसी भी भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी, वहीं डॉ. विजयलक्ष्मी पंडित का संयुक्त राष्ट्र महासभा (1953-54) की अध्यक्ष बनना भारतीय महिलाओं की वैश्विक पहचान का प्रतीक था। "राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति जिस गति से ऊँची उठ रही है वह वास्तव में एक आश्चर्य का विषय है। 1957 के चुनाव में महिलाओं के लिए 41 सीटें सुरक्षित होने पर भी केवल 10 महिलाएँ ही चुनाव के लिए सामने आयीं थीं, जबकि 1967 के चुनाव तक महिलाओं की राजनीतिक जागरुकता इतनी बढ़ गयी कि केवल राज्यों की विधान सभाओं के लिये ही 342 महिलाएँ चुनाव के लिए खड़ी हुई जिनमें से 195 निर्वाचित हो गयीं। 1977 के आम चुनाव के बाद राज्य सभा और लोक सभा में महिला सदस्यों की संख्या 42 थी जबकि 1980 के आम चुनावों के पश्चात् यह संख्या बढ़कर 54 हो गयी। भारत के अनेक राज्यों में महिलाओं का मुख्यमंत्री बनना सम्पूर्ण संसार के लिए आश्चर्य की बात थी। 1980 में जब श्रीमती गाँधी पुनः भारत की प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई, तब पश्चिम के तथाकथित सभ्य समाजों की हतप्रभ रह गयीं। उन्हें पहली बार यह महसूस हुआ कि उनकी राजनीतिक जागरुकता अभी बहुत पीछे है। 2003 में भी दिल्ली में शीला दीक्षित, उत्तर प्रदेश में मायावती, बिहार में राबड़ी देवी और तमिलनाडू में जयललिता मुख्यमंत्री थी। पणिक्कर का कथन है कि जब स्वतन्त्रता ने पहली अंगड़ाई ली तब भारत के राजनीतिक जीवन में महिलाओं को जो पद प्राप्त हुआ, उसे देखकर बाहरी दुनियाँ चौंक पड़ी क्योंकि वह तो हिन्दू महिलाओं को पिछड़ी हुई, अशिक्षित और प्रतिक्रियावादी सामाजिक व्यवस्था में जकड़ी हुई समझने की अभ्यस्त थी।"[13] इसी क्रम में भारतीय राजनीति में वास्तविक बदलाव 73वें और 74वें संविधान संशोधनों (1992–93) से आया, जिनसे पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिला और लाखों महिलाएँ स्थानीय राजनीति में सक्रिय होकर सशक्त नेतृत्व की ओर अग्रसर हुईं।

अत: संक्षेप में कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम और राजनीति सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी और स्थिति क्रमशः मजबूत होती गई है।

3.9 सारांश

स्वतंत्रता के बाद से भारतीय महिलाओं ने शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। संविधान और कानूनों ने उन्हें समानता का अधिकार दिया। परिवार में महिलाओं की भूमिका एवं प्रस्थिति में बदलाव आया। पहले उनका कार्यक्षेत्र घरेलू काम, पालन-पोषण, एवं पारिवारिक कार्य तक सीमित था। अब महिलाएं शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति, कला, एवं समाज सेवा में सक्रियता बड़ने लगी। सामाज में महिलाओं की स्थिति परंपरागत सोच के मुकाबले बदल रही है, परंतु पितृसत्तात्मक मानसिकता पर असर अपेक्षाकृत धीमा रहा। अत: भविष्य में महिलाओं के लिए नीतियाँ केवल कल्याणकारी न होकर सशक्तिकरण-उन्मुख होनी चाहिए, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल समावेशन और लैंगिक न्याय पर जोर हो।

3.10 परिभाषिक शब्दावली

पिंक-कॉलर नौकरियां- पिंक कॉलर नौकरियां ऐसे रोजगार को कहा जाता है जो पारंपरिक रूप से महिलाओं के काम माना जाता है। यह नौकरियां सेवा-क्षेत्र, देखभाल और सहायक कार्यों से संबंधित होती हैं। जैसे- नर्स, रिसेप्शनिस्ट आदि।

3.11 बोध प्रश्न के उत्तर

बोध प्रश्न-1 के उत्तर

1 (i) 1920 में **2** (iv) सरला देवी चौधरी

बोध प्रश्न-2 के उत्तर

1 (ii) 1955 **2** (i) अनुच्छेद 39 (क)

3.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, वी. एन., सिंह, जनमेंजय (2010), ''आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण'' रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर
2. https://countercurrents.org/2022/08/great-genious-anthropologist-doctor-iravati-karveher-life-story/

3 ए. आर. माधव मेंनन, लॉ लॉ एंड चेंज टूवर्ड्स ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी, पृ. 10 (दीप एंड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली)।

4 भारत का संविधान भाग-3, पृ. 4

5 भारत का संविधान भाग-3, पृ. 5

6 भारत का संविधान। पृ. 5-7

7 भारत का संविधान। पृ. 7

8 श्यामल पप्पू, इंडियन वीमन, भारत सरकार प्रकाशन विभाग, दिल्ली, पृ. 121

9 मनुस्मृति, 19-11, 192

10 Ram Ahuja: Right of Women-Feminist Perspective, p.132

11 Rehana Ghadially: Op.cit p 50

12 Rehana Ghadiallv: Ibid. p. 139

13 K. M. Pannikar: Hindu Sociology at Road, p. 18-19

3.13 पाठ्य उपयोगी समाग्री

1 भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र- डॉ. एम. एम. लवानिया

2 आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण- वी. एन. सिंह, जनमेंजय सिंह

3 औद्योगिक सन्नियम- बालकृष्ण कुमावत

4 लॉ लॉ एंड चेंज टूवर्ड्स ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी- ए. आर. माधव मेंनन,

5 https://censusindia.gov.in

3.14 निबांधात्मक प्रश्न

1. स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति में आए परिवर्तनों का मूल्यांकन कीजिए।

2. संविधान ने महिलाओं की स्थिति सुधारने में क्या भूमिका निभाई स्पष्ट कीजिए।

3. महिला शिक्षा और सशक्तिकरण का आपसी संबंध स्पष्ट कीजिए।

4. स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की व्याख्या कीजिए।

इकाई-4 इक्कीसवीं शताब्दी में महिलाओं की प्रस्थिति
Status of Women in the Twenty-First Century

इकाई की रूपरेखा

4.0 प्रस्तावना

4.1 उद्देश्य

4.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

4.3 इक्कीसवीं शताब्दी में महिलाओं की प्रस्थिति

4.3.1 सामाजिक स्थिति

4.3.2 शैक्षिक स्थिति

4.3.3 अर्थव्यवस्था व श्रम क्षेत्र में स्थिति

4.3.4 राजनीतिक क्षेत्र में स्थिति

4.3.5 स्वास्थ्य की स्थिति

4.3.6 खेल, मीडिया एवं अन्य

4.4 इक्कीसवीं सदी की महिलाओं की उपलब्धियाँ

4.5 इक्कीसवीं सदी की महिलाओं की चुनौतियाँ

4.6 सारांश

4.7 परिभाषिक शब्दावली

4.8 बोध प्रश्न के उत्तर

4.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

4.10 पाठ्य उपयोगी समाग्री

4.11 निबांधात्मक प्रश्न

4.0 प्रस्तावना

इक्कीसवीं शताब्दी को स्त्री-पुरुष समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए महत्त्वपूर्ण माना जाता है। सूचना क्रांति, वैश्वीकरण, शिक्षा का प्रसार, और सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन ने महिलाओं की स्थिति को नई दिशा प्रदान की है। जहाँ एक ओर महिलाएँ राजनीति, शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन, खेलकूद और कॉर्पोरेट क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, असमान वेतन और सामाजिक-सांस्कृतिक रूढ़िवादिता जैसी समस्याएँ अब भी विद्यमान हैं।

4.1 उद्देश्य

इस इकाई को अध्ययन के बाद आप के लिए संभव होगा-

1. महिलाओं की ऐतिहासिक स्थिति को समझ पाएँगे।
2. इक्कीसवीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण कर सकेंगे।
3. महिलाओं की उपलब्धियों और चुनौतियों को पहचान पाएँगे।

4.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मानव समाज के विकास के साथ महिलाओं की प्रस्थिति व भूमिका समय-समय पर बदलती रही है। कभी उन्हें सम्मान और स्वतंत्रता मिली, तो कभी उन पर अनेक सामाजिक बंधन लगाए गए। प्रिय शिक्षार्थियों इस से पूर्व की इकाईयों में आपने अलग-अलग युगों में महिलाओं की प्रस्थिति का अध्ययन किया है। आइये एक बार पुनः अलग-अलग युगों में महिलाओं की प्रस्थिति पुनरावलोकन करतें हैं-

(i) वैदिक काल (1500 ईसा पूर्व – 600 ईसा पूर्व)- इस काल को महिलाओं की "स्वर्णिम स्थिति" माना जाता है।

- वैदिक में महिलाओं को अपेक्षाकृत ऊँचा स्थान प्राप्त था।
- महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं और वेदों का अध्ययन करती थीं।
- गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषियों ने दार्शनिक चर्चाओं में भाग लिया।
- सती प्रथा और पर्दा प्रथा नहीं थी।

(ii) उत्तरवैदिक (1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व)

- इस काल में महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित होने लगी और पितृसत्ता मजबूत हुई।
- महिलाओं की शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों में उनकी भागीदारी कम हो गई।
- महिलाओं की भूमिका गृहस्थ जीवन और पारिवारिक कर्तव्यों तक सीमित हो गई।

(iii) बौद्ध और जैन काल (लगभग 600 ई.पू.)

- इस काल में स्त्रियों के लिए आश्रम और संघ की व्यवस्था हुई।
- महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को भिक्षुणी संघ में प्रवेश की अनुमति दी।
- इससे धार्मिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता बनी रही।

(iv) मध्यकालीन भारत (1200–1750 ई.)

- इस काल में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत दयनीय हो गई।
- पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ प्रचलित हुई।
- शिक्षा और सामाजिक स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो गई।

(v) औपनिवेशिक काल (1757–1947)- इस काल में समाज सुधार आंदोलनों ने महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में काम किया।

- राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए संघर्ष किया।
- ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया।
- महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।
- शिक्षा का प्रसार हुआ और महिला संगठनों का गठन हुआ।

(vi) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद (1947–2000)

- भारतीय संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार (समानता का अधिकार, शिक्षा, संपत्ति के अधिकार प्रदान) किए।

- शिक्षा, रोजगार, राजनीति, स्वास्थ्य और संपत्ति के क्षेत्र में उन्हें अवसर मिले।
- पंचायत व निकाय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया गया।

अत: उपरोक्त के आधार पर स्पष्ट है कि वैदिक काल में महिलाएँ शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागी थीं। मध्यकाल में पर्दा और सती प्रथा ने महिलाओं को पुरुषों के अधीन कर दिया था। औपनिवेशिक काल में समाज-सुधार आंदोलनों से महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार हुआ। रज़िया सुल्तान, लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले एवं अन्य महिलाओं ने इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ी।

स्वतंत्रता के बाद संविधान संवैधानिक प्रावधानों (समानता का अधिकार, शिक्षा, संपत्ति के अधिकार) ने महिलाओं की स्थिति को कानूनी आधार प्रदान किया। महिलाओं की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी भेदभाव विद्यमान रहा।

बोध प्रश्न -1

1 निम्न में से किसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया।

(i) ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने **(ii)** राजा राममोहन राय **(iii)** महात्मा गांधी **(iv)** उपरोक्त सभी

2 किस काल को महिलाओं की "स्वर्णिम स्थिति" माना जाता है।

(i) वैदिक काल (ii) उत्तर वैदिक काल (iii) मध्य काल (iv) औपनिवेशिक काल

4.3 इक्कीसवीं शताब्दी में महिलाओं की प्रस्थिति

इक्कीसवीं सदी को प्रायः 'महिला सशक्तिकरण की सदी' कहा जाता है। इक्कीसवीं शताब्दी में महिला आंदोलनों, नारीवाद और मानवाधिकार विमर्श ने महिलाओं में नई चेतना का संचार किया। शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीकी और कला प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। वह अब केवल 'गृहिणी' की पारंपरिक छवि तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण और वैश्विक विकास की अग्रिम पंक्ति में खड़ी हैं। राष्ट्र या समाज के संतुलित और समग्र विकास के लिए यह जरूरी है कि महिलाएँ मुख्यधारा से जुड़ी हों। समाज की आधी आबादी की सक्रिय भागीदारी और पूर्ण सहभागिता के बिना किसी भी देश का वास्तविक विकास संभव नहीं है। इक्कीसवीं सदी में जहाँ एक ओर महिलाएं शिक्षा, राजनीति, रोजगार, व्यापार और डिजिटल जगत में अपनी पहचान बना रही हैं, वहीं दूसरी ओर सामाजिक

असमानताएँ, लैंगिक भेदभाव और पितृसत्तात्मक सोच अब भी उनके मार्ग में बाधक हैं। संयुक्त राष्ट्र (UN Women, 2022) की रिपोर्ट के अनुसार, "महिलाओं के समान अधिकार और अवसर केवल विकास का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक समाज की मजबूती का भी प्रश्न हैं।"[1]

4.3.1 सामाजिक स्थिति-

परंपरागत रूप से महिलाओं की छवि केवल गृहिणी, माता और पत्नी के रूप में देखी जाती थी। परिवारों की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे पानी, ईंधन, भोजन और देखभाल का प्रबंधन परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा ही किया जाता था। अधिकांश घरों में महिलाएँ ही घरेलू उपयोग की वस्तुएँ तथा धन का प्रबंध करती है। यहाँ तक कि अकाल अथवा प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में, जब खेत-खलिहान सूख जाते हैं और परिवारों को अन्न की कमी हो जाती है, तब भी महिलाएँ परिवार के पोषण के लिए विभिन्न उपाय करती हैं जैसे- कंदमूल इकट्ठा करना, जंगली फल लाना अथवा उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग करना। किंतु इक्कीसवी वीं सदी में शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक जागरूकता के कारण महिलाओं की प्रस्थिति में व्यापक परिवर्तन आया है। आज महिलाएँ केवल गृहस्थी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वह प्रश्न पूछने वाली और निर्णय लेने वाली भूमिका भी निभा रही हैं, किन्तु आज भी कई ग्रामीण और पारंपरिक परिवारों में भोजन पकाना, बच्चों की परवरिश करना, बुजुर्गों की सेवा करना और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करना महिलाओं की ही जिम्मेदारी समझा जाता है। धीरे-धीरे शिक्षा और रोजगार ने महिलाओं को पारंपरिक भूमिकाओं से बाहर निकलने का अवसर प्रदान किया है। पारंपरिक पितृसत्तात्मक मूल्यों में आंशिक बदलाव आया है। विवाह, मातृत्व (प्रजनन) और पारिवारिक जीवन से संबंधित निर्णयों में महिलाओं की भूमिका निर्णायक होती जा रही है।

अत: सामाजिक जीवन में महिला की प्रस्थिति केवल घर तक सीमित नहीं है। वह निर्णय-निर्माता, सहयोगी और नेतृत्वकारी के रूप में उभर रही हैं। शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता ने उन्हें परिवार और समाज दोनों में सम्मान और अधिकार दिलाया है। हालाँकि चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं, लेकिन निरंतर हो रहे सामाजिक परिवर्तनों से यह स्पष्ट है कि इक्कीसवी वीं सदी की महिलाएँ परिवार और समाज में समान भागीदारी निभाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

4.3.2 शैक्षिक स्थिति-

"ज्योतिबा फुले ने विद्यार्थी जीवन में ही स्त्री-शिक्षा के महत्व को जान लिया था कि एक शिक्षित मां ही महिला का निर्माण करती है। शिवाजी को योद्धा बनाने में मां की ही भूमिका थी। उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए स्कूल खोले।"[2] इसी क्रम में ''स्वामी विवेकानंद ने जीवन का एकमात्र उद्देश्य शिक्षा को ही कहा है। समग्र जीवन का एकमेंव उद्देश्य है शिक्षा जिस संयम के द्वारा इच्छाशक्ति का प्रवाह विकास पथ में लाया जाता है, वह फलदायक होता है, शिक्षा कहलाती है। सर्वसाधारण को शिक्षित बनाइए और उन्नत कीजिए। स्वामी जी जब विदेशों में भ्रमण कर लौटे तो उन्होंने कहा कि कोई भी देश जब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक उस देश की महिलाएं शिक्षित और कामकाजी नहीं होतीं।''[3] इक्कीसवीं सदी में भारत में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलता है। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। डिजिटल शिक्षा ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को कुछ हद तक पाटने का कार्य किया है। जनगणना (2021) के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 70.3 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 84.7 प्रतिशत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' जैसी योजनाओं से महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) के आँकड़ों के अनुसार ''उच्च शिक्षा में लगभग 49 प्रतिशत छात्राएँ महिलाएँ हैं।''[4] इसके बावजूद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है।

4.3.3 अर्थव्यवस्था व श्रम क्षेत्र में स्थिति-

महिला किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था की आधारशिला होती है। प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाएँ उत्पादन, श्रम और संसाधनों के प्रबंधन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती रही हैं। इक्कीसवीं सदी में शिक्षा, तकनीक और नीतिगत सुधारों के कारण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। उद्योग जगत और स्वरोज़गार में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है। आईटी, सेवा और बैंकिंग, मिडिया एवं अन्य क्षेत्रों में महिला कर्मियों का अनुपात उल्लेखनीय तौर पर बढ़ रहा है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की स्थिति अब भी दयनीय है। भारत में महिला कार्यबल भागीदारी में सुधार लाने पर गोलमेंज (3 और 4 मार्च 2025) चर्चा में श्रीमती डावरा ने "इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे भारत ने पिछले छह वर्षों में महिला कार्यबल भागीदारी में सकारात्मक रुझान देखा है, जिसमें उच्च आर्थिक जुड़ाव, घटती बेरोजगारी और अधिक शिक्षित महिलाएं कार्यबल में प्रवेश कर रही हैं। उन्होंने बताया कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2017-18 में 22.0 प्रतिशत से बढ़कर 2023-

24 में 40.3 प्रतिशत हो गया है, जबकि इसी अवधि में महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 41.7 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने कहा कि उल्लेखनीय रूप से महिला बेरोजगारी दर 5.6 प्रतिशत से घटकर मात्र 3.2 प्रतिशत रह गई है, जो अधिक समावेशिता और आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बदलाव को दर्शाता है।''[5] फाल्गुनी नायर (Nykaa की संस्थापक) जैसी महिला उद्यमियों ने यह साबित किया कि महिलाएँ व्यवसाय में भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं।

4.3.4 राजनीतिक क्षेत्र में स्थिति

महिलाएँ किसी भी लोकतांत्रिक समाज की आधी आबादी हैं। राजनीति में उनकी भागीदारी न केवल लोकतंत्र को सशक्त करती है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता को भी बढ़ावा देती है। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं ने राजनीति में उल्लेखनीय योगदान दिया है। पंचायत राज संस्थाओं में तैंतीस प्रतिशत आरक्षण ने ग्रामीण नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाया। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी अभी भी सीमित है। हाल ही में संसद में महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) पारित हुआ है, जो भविष्य में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मज़बूत करेगा। पंचायत स्तर पर तैंतीस प्रतिशत आरक्षण ने लाखों महिलाओं को राजनीति में लाया। महिला आरक्षण विधेयक 2023 संसद और विधानसभाओं में तैंतीस प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करता है। 2024 तक भारत में लोकसभा की महिला सांसदों का अनुपात केवल 13.6 प्रतिशत है, जबकि वैश्विक औसत 26 प्रतिशत है।

4.3.5 स्वास्थ्य की स्थिति

''हम सामाजिक दृष्टि से नारी स्वास्थ्य पर यदि विचार करें तो सहज ही ज्ञात होता है कि निर्धन, दरिद्रता के हाशिए पर रहने वाली, झोपड़ियों और मलिन बस्तियों में निवास करने वाली महिलाओं को किस प्रकार की चिकित्सा सुविधा मिल पाती है। उन्हें दिनभर कठोर-परिश्रम करने के पश्चात किस प्रकार का भोजन मिलता है। उसमें स्वस्थ रहने के लिए कितने विटामिन्स होते हैं। क्या वे ये जानती हैं। ठीक इसी प्रकार निम्न और निम्न मध्यम वर्ग की स्त्रियां भी हैं जो बीमारियों से घिरी हैं। लंबे समय तक किसी गंभीर रोग का इलाज भी नहीं करा पातीं। इसीलिए इनकी कार्यक्षमता दिन-प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। हम जब स्त्री-स्वास्थ्य पर विचार करते हैं तो उसके अंतर्गत, कितनी स्वस्थ आयु, पोषण आहार की स्थिति और संतानोत्पत्ति की शक्ति आती है को देखा जाता है, वहीं हिंसा और जोखिम भरा कार्य और कार्य का

वातावरण और काम की दशाएं सभी स्त्री स्वास्थ्य के अंतर्गत आती हैं। इनकी विवाह की आयु क्या है? स्त्रियों की सामान्य आयु क्या है? कुपोषण के आधार क्या हैं? यह सभी चीजें स्त्री की शारीरिक स्थिति को दर्शाती हैं। विश्व-महिलाओं के चौथे सम्मेलन में यह कहा गया कि स्त्री का स्वास्थ्य परिवार की आर्थिक-सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है। उसका वैवाहिक जीवन कैसा है। इसका भी प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार हुआ है। प्रजनन स्वास्थ्य, मातृ मृत्यु दर और पोषण संबंधी स्थिति में प्रगति देखी गई है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य असमानताएँ और लिंग आधारित भेदभाव जारी है। काम के बोझ से स्त्रियों का ध्यान अपने स्वास्थ्य की ओर जाता नहीं। इतने कड़े परिश्रम करने के पश्चात इन्हें पौष्टिक आहार भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये अस्वस्थ रहती हैं। इस सम्मेलन में यह बात जोर-शोर से उठाई गई कि महिला के स्वास्थ्य की भूमिका इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि वह भविष्य की जनसंख्या के स्वास्थ्य की निर्माता है क्योंकि स्त्री का स्वास्थ्य आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता है। और जिन महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है उनकी संतानें भी कमजोर होती हैं और कम वजन की होती हैं। यही कारण है कि 15 प्रतिशत महिलाओं की मृत्यु 15-44 वर्ष की आयु में हो जाती है।''[6]

संयुक्त राष्ट्र मातृ मृत्यु अनुमान अंतर-एजेंसी समूह की रिपोर्ट (1990-2020) के अनुसार, ''पिछले 30 सालों में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) में 83 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह कमी 42 प्रतिशत है।''[7]

आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं ने महिला स्वास्थ्य में सुधार एवं सकारात्मक प्रभाव डाला हैं। नगरीय महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ और तनाव बढ़ रहा है। 21 वीं सदी को तकनीकी क्रांति का युग भी कहा जाता है। स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रमुख तकनीकी सेवा इस प्रकार हैं:

- ''**यू-विन (डिजिटल टीकाकरण प्लेटफॉर्म):** अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया यू-विन पोर्टल, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं और जन्म से 17 वर्ष तक के बच्चों के लिए, टीकाकरण सेवाओं के पूर्ण डिजिटलीकरण और टीकाकरण रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए विकसित किया गया है।

- **टेली-मानस (मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन):** सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुँच को और बेहतर बनाने के लिए 10 अक्टूबर 2022 को "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" शुरू किया है।
- **एमएमयू मॉनिटरिंग पोर्टल:** जीपीएस के ज़रिए मोबाइल मेंडिकल यूनिट्स (एमएमयू) को ट्रैक करता है, जिससे फील्ड हेल्थकेयर सेवाओं में वृद्धि होती है।''[8]

4.3.6 खेल, मीडिया एवं अन्य

अमेरिका की एक प्रसिद्ध शोध संस्था वर्ल्ड इकॉनामिक फोरम के अनुसार (श्रीवास्तव ए0 आर0 एन0, 2017) ''महिला सशक्तिकरण की पहचान और परख आर्थिकी, शिक्षा स्वास्थ्य और राजनैतिक क्षेत्रों में उनकी भूमिका से की जा सकती है, इन्हें चार स्तंभ बताया गया है।''[9] वर्तमान में खेल, मीडिया एवं अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण दृष्टिगत होता है। खेल, साहित्य, और सिनेमा महिलाओं के सांस्कृतिक योगदान को दर्शाती हैं। मीडिया ने महिलाओं को अभिव्यक्ति का मंच दिया है। सोशल मीडिया ने महिलाओं की आवाज़ को वैश्विक स्तर तक पहुँचाया है। साथ ही, विज्ञापन व मनोरंजन जगत में स्त्री को उपभोक्तावादी वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति भी चिंता का विषय है। महिलाएँ सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, डिजिटल मार्केटिंग और पत्रकारिता में सक्रिय हो चुकी हैं। ''राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार देश में 15-49 साल आयु वर्ग की केवल 33 महिलाएं ही इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं। शहरों की 51.8 फीसद और गांवों की 24.6 फीसद महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती हैं।''[10]

4.4 इक्कीसवीं सदी की महिलाओं की उपलब्धियाँ

इक्कीसवीं सदी में दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में भी महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। विभिन्न महिला संगठनों के आंदोलन और जागरूकता अभियानों के परिणामस्वरूप महिलाएँ आज अपने अधिकारों के प्रति सजग हो चुकी हैं तथा सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। राजनीति, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, संस्कृति और खेल जैसे क्षेत्रों में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं ने महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। कई राज्यों में वे नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं और 21वीभारत की प्रथम नागरिक (राष्ट्रपति) के रूप में भी उन्होंने अपनी ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज कराई है। पंचायत स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था ने ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की

भागीदारी को बढ़ाया है। किरण बेदी, सानिया मिर्ज़ा, इंदिरा गांधी और चंदा कोचर जैसे नाम महिलाओं की अग्रगामी सामाजिक गतिशीलता का प्रतीक बन चुके हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं ने अद्वितीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। उसमें भी महिलाएं सर्वप्रथम स्थान प्राप्त कर रही हैं। वर्ष 2008 की सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष तीन स्थानों पर महिलाओं का चयन हुआ, वहीं वर्ष 2014, 2015 में क्रमश: इरा सिंघल और टीना डाबी ने प्रथम स्थान में आकर यह सिद्ध किया कि महिलाएँ किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं।

आर्थिक और व्यवसायिक क्षेत्र में भी महिलाओं ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। चंदा कोचर, फाल्गुनी नायर और किरण मजूमदार-शॉ जैसी महिला उद्यमियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में नया मुकाम बनाया है। SEWA (Self-Employed Women's Association) जैसे संगठनों ने भी असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त बनाने में योगदान दिया है। 21वीं सदी की महिलाएं सशस्त्र बलों में केवल चिकित्सा और शिक्षाशाखा तक सीमित नही हैं, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रमुख भूमिका निभाई।

खेल और संस्कृति में सानिया मिर्ज़ा, मैरी कॉम, पी. वी. सिंधु तथा दीपा करमाकर जैसी महिलाओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है।

4.5 इक्कीसवीं सदी की महिलाओं की चुनौतियाँ

अनेक उपलब्धियों के बावजूद महिलाओं के सामने दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, लैंगिक अपराध और ऑनर किलिंग जैसी कई चुनौतियाँ आज भी महिलाओं की स्वतंत्रता और गरिमा में बाधा उत्पन्न करती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2019-21) के अनुसार, "तैंतीस प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने किसी न किसी प्रकार की घरेलू हिंसा का अनुभव किया है।"[11]

सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर पर पितृसत्ता और परंपरागत रूढ़िवादिता अब भी महिलाओं की स्वतंत्रता में बाधक बनी हुई है। दहेज प्रथा, ऑनर किलिंग और घरेलू हिंसा जैसी घटनाएँ दर्शाती हैं कि सामाजिक मानसिकता में अब भी व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। लैंगिक असमानता और वेतन भेदभाव अब भी एक गंभीर समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO, 2020) की रिपोर्ट के अनुसार महिलाएँ समान कार्य करने के बावजूद पुरुषों से कम वेतन पाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी शिक्षा और

स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कमजोर है। NFHS-5 (2021) की रिपोर्ट बताती है कि गरीबी, बाल विवाह और परंपरागत लैंगिक सोच बालिकाओं की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती है।

महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार और समाज दोनों स्तरों पर अनेक प्रयास किए गए हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, स्टैंड-अप इंडिया और महिला ई-हाट जैसी योजनाएँ महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को मज़बूत करने में सहायक सिद्ध हुई हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), NFIW और SEWA जैसे संगठनों ने भी महिला अधिकारों और सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वर्तमान समय की नारी शिक्षा, राजनीति और रोजगार में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कर रही है। किंतु लैंगिक असमानता, पितृसत्ता और हिंसा जैसी चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कानूनी सुधार, सामाजिक जागरूकता और आर्थिक अवसरों का विस्तार आवश्यक है। जब समाज में समानता और न्याय की वास्तविक स्थापना होगी, तभी महिला सशक्तिकरण का सपना साकार हो सकेगा।

साइबर अपराध महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई चुनौतियाँ बनकर सामने आए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB, 2021) के अनुसार घरेलू हिंसा और साइबर अपराधों की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। यद्यपि घरेलू हिंसा अधिनियम (2005), यौन उत्पीड़न अधिनियम (2013) और महिला हेल्पलाइन (181) का निमार्ण किया गया हैं। महिला पुलिस स्टेशन और फास्ट-ट्रैक अदालतें इस दिशा में सहायक हो सकती हैं। कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए विशाखा गाइडलाइन (1997) और बाद में "महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" (POSH अधिनियम) महिलाओं की सुरक्षा का आधार प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने हिंसा, उत्पीड़न या संकट की स्थिति में पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता, परामर्श, चिकित्सा सुविधा और अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराने हेतु वन स्टॉप सेंटर (OSC) स्थापित किए हैं। वन स्टॉप सेंटर महिलाओं को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराती है।

4.6 सारांश

इक्कीसवीं शताब्दी की महिलाएँ शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय रूप से योगदान दे रही हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह परिवर्तन केवल कानूनी प्रावधानों का परिणाम नहीं है, बल्कि नारीवादी आंदोलनों, सामाजिक चेतना और वैश्विक परिदृश्य के प्रभाव का परिणाम भी है।

हालाँकि चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं, लेकिन यह शताब्दी महिलाओं की स्वायत्तता, आत्मनिर्भरता और समानता की दिशा में महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रही है।

4.7 परिभाषिक शब्दावली

1. प्रस्थिति का अर्थ है– किसी व्यक्ति का सामाजिक समूह या समाज में स्थान या पद उसकी प्रस्थिति कहलाती है। व्यक्ति अपनी प्रस्थिति के अनुरूप अपने पद का निर्वहन करता है।

2. **महिलाओं की प्रस्थिति** का अर्थ है समाज में महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, राजनीति, परिवार और सामाजिक जीवन में उनकी स्थिति।

4.8 बोध प्रश्न के उत्तर

1 (i) ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने

2 (i) वैदिक काल

4.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1-United Nations Development Programme (UNDP), & UN Women. (2024, January 17). *There is no democracy without gender equality*. UNDP. https://www.undp.org/blog/there-no-democracy-without-gender-equality

2-कन्हैयालाल चंचरीक, महात्मा ज्योतिबा फुले, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार पृ. 42

3-डॉ. सोमनाथ शुक्ल, बीसवीं सदी के राजनीतिक विचारक, आशीष प्रकाशन कानपुर।

4-https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics-new/AISHE%20Book_2021-22_4.pdf

5- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2108333

6- चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन, (बीजिंग) 1995, पृ. 84

7- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2112611

8-https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2112611

9-श्रीवास्तव ए0 आर0 एन0 ‘‘महिला सशक्तिकरण उज्जवल भविष्य, काले धब्बे (लेख) राधाकमल मुकर्जीः चिन्तन परम्परा, जनवरी-जून 2017 पेज न. 02

10-https://www.jansatta.com/national/internet-expanding-rapidly-country-use-women-still-very-low/2644164/

11-सूरी एस, मोना मोना, सरकार डी. भारत में घरेलू हिंसा और महिलाओं का स्वास्थ्य: एनएफएचएस-4 से अंतर्दृष्टि। [सितंबर; 2023]। 2022. https://www.orfonline.org/research/domestic-violence-and-womens-health-in-india-insights-from-nfhs https://www.orfonline.org/research/domestic-violence-and-womens-health-in-india-insights-from-nfhs-4/

4.10 पाठ्य उपयोगी समाग्री

6 भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र- डॉ. एम. एम. लवानिया
7 आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण- वी. एन. सिंह, जनमेंजय सिंह
8 लिंग एवं समाज- प्रकाश नारायण नाटाणी, ज्योति गौतम
9 https://censusindia.gov.in

4.11 निबांधात्मक प्रश्न

1. इक्कीसवीं सदी में महिलाओं की प्रस्थिति का विश्लेषण कीजिए।

2. इक्कीसवीं सदी की महिलाओं की उपलब्धियों एवं चुनौतियाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए

इकाई-5 प्राचीन समाज व्यवस्था में महिलाओं के प्रदत्त अधिकार

Rights of Women in Ancient Indian Social System

इकाई की रूपरेखा

5.0 प्रस्तावना

5.1 उद्देश्य

5.2 प्राचीन भारत में समाज व्यवस्था

5.3 प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के प्रदत्त अधिकार

- 5.3.1 प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के शैक्षिक अधिकार
- 5.3.2 प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के सामाजिक अधिकार
- 5.3.3 प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के आर्थिक अधिकार
- 5.3.4 प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के राजनीतिक अधिकार
- 5.3.5 प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के वैवाहिक एवं पारिवारिक अधिकार
- 5.3.6 प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के धार्मिक अधिकार

5.4 सारांश

5.5 शब्दावली

5.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

5.7 सन्दर्भ सूची

5.8 सहायक उपयोगी सामग्री

5.9 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

5.0 प्रस्तावना (Introduction)

भारत प्राचीन काल से ही अद्भुत विशेषताओं और विलक्षण क्षमताओं वाला देश रहा है। भारतीय समाज व्यवस्था के प्रत्येक पहलू की विशेषताएं विशिष्ट हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए विभिन्न विषय इसकी पुष्टि करते हैं। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के दृष्टिकोण से बात करें तो पता चलता है कि प्राचीन भारत का काल वेदों और वैदिक संस्कृति से प्रारंभ होता है, उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ तथा रामायण एवं महाभारत कालीन समाज भी प्राचीन भारत के इतिहास एवं संस्कृति का भाग रहे हैं। प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति को समझना और उनके अधिकारों के विषय में जानना महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति में महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में भूमिका संपादन का अवसर प्राप्त हुआ। इसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए विभिन्न प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों और उनके स्रोतों को समझने का प्रयास करना होगा। इन स्रोतों में वेद, उपनिषद, स्मृतियां, रामायण, महाभारत और अन्य सहायक प्राचीन ग्रंथ सम्मिलित हैं। इन ग्रंथों के माध्यम से प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं के शैक्षिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार एवं पारिवारिक अधिकारों के विषय में विस्तृत विवरण प्राप्त होता है।

5.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप-

- प्राचीन भारत में समाज व्यवस्था के विषय में समझ सकेंगे।
- प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के प्रदत्त अधिकारों के बारे में जान सकेंगे।
- प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के शैक्षिक और सामाजिक अधिकारों के विषय में जान सकेंगे।
- प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के विषय में जान सकेंगे।
- प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के वैवाहिक और पारिवारिक अधिकारों के विषय में जान सकेंगे।
- प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के धार्मिक अधिकारों के विषय में जान सकेंगे।

5.2 प्राचीन भारत में समाज व्यवस्था (Social System in Ancient India)

प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था के मुख्य आधार वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था एवं पुरुषार्थ रहे हैं। वर्ण व्यवस्था मनुष्य सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए अनेक निर्देशन प्रदान करती है, जिसमें गुण, कर्म और और व्यवसाय के आधार पर समाज को मुख्य रूप से चार वर्णों में विभक्त किया गया था। यह चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र रूप में रहे हैं। चारों वर्णों में ब्राह्मण का मुख्य कर्म एवं व्यवसाय पूजा-पाठ करना, समाज का दिशा-निर्देशन करना, शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना रहा है, क्षत्रिय वर्ण योद्धा, शासक एवं प्रशासक के रूप में समाज को अपनी सेवाएं प्रदान करता था। व्यापार, किसान और व्यापारी समुदाय से जुड़ा हुआ कर्म एवं व्यवसाय वैश्य वर्ण का था और शूद्र वर्ण उपरोक्त तीनों वर्णों के लिए सहायता का कार्य करते थे। आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को व्यवस्थित करने के लिये मनुष्य को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। आश्रम व्यवस्था में मुख्य रूप से आश्रमों की संख्या चार बतायी गई है, जिसमें प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य, द्वितीय आश्रम गृहस्थ, तृतीय आश्रम वानप्रस्थ एवं चतुर्थ आश्रम के रूप में संन्यास आश्रम बताया गया है। परंपरागत भारतीय मान्यता के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य और कर्तव्य वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जीवन यापन करते हुए चारों पुरुषार्थों (धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष) का पालन करते हुए अपने लौकिक एवं पारलौकिक जीवन को व्यवस्थित व समृद्ध बनाना रहा है। भारतीय समाज में स्थापित सभी व्यवस्थाओं में स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए नियमों एवं आदर्शों का समुच्चय विद्यमान रहा है। भारत में प्राचीन काल से सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप पितृसत्तात्मक रहा है। यद्यपि पितृसत्ता के अधीन सामाजिक व्यवस्था होने के बावजूद भी, महिला सम्मान और महिला अधिकार प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में सर्वथा सुरक्षित रहे हैं। भारत की प्राचीनतम भारतीय समाज व्यवस्था का उदाहरण वेदों और वैदिक संस्कृति से मिलते हैं। प्राचीन समाज व्यवस्था में समाज की मौलिक इकाई के रूप में परिवार संस्था का महत्त्व था। संयुक्त परिवार परंपरा प्राचीन समाज व्यवस्था में प्रचलित एवं आम परंपरा रही है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में महिलाओं का स्थान माता और पत्नी के रूप में अत्यधिक सम्मानजनक रहा। इस प्रकार यदि कहा जाए कि प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को व्यवस्थित करने वाली अनेक प्रकार की संस्थाएँ क्रियाशील रही हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय संस्कृति में महिला और पुरुष दोनों के अधिकारों को संरक्षित करने के अनेक उपाय किए गए हैं। प्राचीन भारतीय समाज विविधतायुक्त समाज रहा है। अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि वैदिककालीन समाज व्यवस्था ग्रामीण व्यवस्था के रूप में विद्यमान थी, किंतु उत्तरोत्तर सिंधु सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता के रूप में इतिहासकारों

ने व्याख्यायित किया है। उत्तरोत्तर महाजनपद काल में 16 महाजनपदों का विवरण था जिससे पता चलता है कि नगरीय व्यवस्था का भी अस्तित्व प्राचीन समाज व्यवस्था में विद्यमान रहा है।

बोध प्रश्न-1

भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के अनुसार प्राचीन भारत का काल...से प्रारम्भ होता है।

....

....

बोध प्रश्न-2

आश्रम व्यवस्था में आश्रमों की संख्या..........................बतायी गयी है।

....

....

बोध प्रश्न-3

उत्तरोत्तर महाजनपद काल में.................जनपदों का विवरण था।

..

..

5.3 प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के प्रदत्त अधिकार (Rights of Women in Ancient Indian Social System)

प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं की विचारधारा के संबंध में दो भिन्न भिन्न एवं विपरीत मत पाए गए हैं। कई स्थानों पर महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष, तो कई स्थानों पर महिलाओं की स्थिति पूजनीय कि दिखाई देती है। जैसे मनुस्मृति में मनु ने लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिस घर में नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। दूसरी तरफ मनु ने लिखा है, पिता रक्षित कौमार्ये, भरता रक्षति यौवने, रक्षान्ति स्थिविरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति, अर्थात स्त्री को बचपन में पिता के अधीन, यौवन अवस्था में पति के अधीन एवं वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए, स्त्री

आजीवन स्वतंत्र नहीं हो सकती। इस प्रकार स्त्री अधिकारों के विषय में कई स्थानों पर विरोधाभास भी देखने को मिलता है, किंतु यह भी सत्य है कि प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में स्त्रियों की प्रस्थिति सम्मानजनक थी और उन्हें जीवन के अनेक क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से अधिकार प्राप्त थे। भारतीय परम्पराओं के मूल्यों में महिलाओं के सम्मान एवं अधिकार के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता देखने को मिलती है। प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के प्रदत्त अधिकारों को विभिन्न उपभागों में विभाजित करते हुए निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है-

बोध प्रश्न-4

मनुस्मृति के अनुसार देवताओं का वास कहॉ माना गया है।

....

....

5.3.1 प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के शैक्षिक अधिकार (Educational Rights of Women in Ancient Indian Social System)

प्राचीन भारतीय व्यवस्था में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। वैदिक काल में महिलाओं को उपनयन संस्कार के प्रमाण मिलते हैं। महिलाओं को औपचारिक रूप से गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त था। वैदिककालीन महिलाएं सभाओं एवं सम्मेलनों का संबोधन कर सकती थीं, शास्त्रार्थ कर सकती थीं। वेदों में निपुण विदुषी महिलाओं को ऋषिकाएं कहा जाता था। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, गार्गी, मैत्रेयी, विश्ववारा आदि जैसी वैदिककालीन महिलाएं तत्कालीन समय की प्रबुद्ध ऋषिकाएं रही हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वैदिककालीन समाज में महिलाओं को उच्च शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में (01/13/09) उल्लेख मिलता है कि ईला सरस्वती और मही यह तीनों देवियां विद्या से संबंधित है। इनकी आराधना करके मनुष्य को अज्ञान और अंधकार से मुक्ति प्राप्त करना चाहिए और ज्ञान के प्रकाश की तरफ बढ़ना चाहिए। इससे यह प्रमाणित होता है कि महिलाओं को ज्ञान के विशेष क्षेत्र की विशेषज्ञता प्राप्त थी। वेदों और उपनिषदों में उल्लेख है कि कन्याएं ब्रह्मचारिणी हो सकती हैं, यहाँ पर ब्रह्मचारिणी होने का तात्पर्य- ब्रह्म ज्ञान के विचरण करने से है। अर्थात् परिवर्तित अर्थ में यहाँ ब्रह्मचारिणी होने का तात्पर्य शिक्षा प्राप्त करने से है। यद्यपि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के संबंध में सामाजिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुआ, उनकी शैक्षिक स्थिति सापेक्षिक रूप से निम्न हुई, किंतु अभी भी महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही थीं। चाणक्यनीति के दूसरे अध्याय के श्लोक

में कहा गया कि, (माता शत्रु: पिता बैरी येन बालो न पथित:) वे माता पिता अपनी संतानों के लिए शत्रु के समान हैं जो उन्हें शिक्षित नहीं करते। तात्पर्य है कि माता-पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने सभी संतानों, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री को शिक्षित करें। इस प्रकार प्राचीन काल में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति उत्तम रही है, यज्ञ, हवन आदि की ज्ञाता हुआ करती थीं। महिलाएं न केवल शिक्षा प्राप्त करती थीं बल्कि वह भिन्न भिन्न विषयों की विशेषज्ञ रही हैं।

5.3.2 प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार (Social Rights of Women in Ancient Indian Social System)

भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में महिलाओं की सामाजिक सांस्कृतिक प्रस्थिति उच्च रही है। वैदिककालीन भारतीय समाज में महिलाओं को अनेक प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त थे। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त 09 में तीन देवियों के लिए कहा गया कि इला, सरस्वती एवं मही तीनों देवियां जो सुख देने वाली एवं हिंसा से रहित है, वह कुश पर बैठे। इसी प्रकार वेदों, पुराणों और उपनिषदों में उल्लिखित कई देवी देवताओं के नाम के साथ ऐसे दृष्टांत आते हैं, जिसमें स्त्री तत्व की शक्ति का नाम पुरुष तत्व से पहले लिया जाता है जैसे, गौरी शंकर, श्री हरि, सीता राम, राधा कृष्ण, आदि। इस प्रकार इस सभ्यता के अनुयायियों को यह स्पष्ट संदेश जाता है, कि जीवन क्रम में पत्नी का महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक क्षेत्र में पत्नी पुरुष की सहगामी है। यद्यपि विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं में स्त्री तत्व को यह महत्त्व मिला हो, इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं प्राप्त हुए हैं। वैदिक कालीन महिलाएं कुशलतापूर्वक नृत्य करती थीं एवं ऋग्वेद की ऋचाओं का गायन भी करा करती थीं (ऋग्वेद पुरुषसूक्त 09)। इस काल में पुत्र और पुत्री के बीच स्पष्ट रूप से भेद नहीं दिखाई देता, यद्यपि यदा कदा पुत्र जन्म की कामना के लिए विशेष अनुष्ठान के प्रमाण मिलते हैं। वैदिक काल में महिलाएं सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अधिकार सम्पन्न रही हैं। महिलाओं की भागीदारी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऐतिहासिक साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित होती है।

उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों कुछ कटौती अवश्य दृष्टिगोचर होती है। यद्यपि महिलाओं को अनेक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त थे, किंतु साक्ष्यों से प्रमाणित होता है कि कन्या का जन्म अब दुख एवं चिंता का विषय बन गया था एवं उपनयन संस्कार उच्च वर्ग के कन्याओं तक सीमित रह गया (गुप्ता; 2009)।

रामायण एवं महाभारत काल में महिलाओं को सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त थे, समाज में स्त्री इस काल में भी माता, बहन तथा पत्नी के रूप में प्रतिष्ठित थी। परिवार की

बागडोर महिलाओं के हाथ में हुआ करती थी। बौद्ध काल में महिलाओं को बौद्ध संघ ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों, समाजसेवी तथा सार्वजनिक जीवन में भागीदारी के अनेक अवसर प्रदान किए। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता में महिलाओं को सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र में अनेक अधिकार और अवसर प्राप्त रहे हैं।

बोध प्रश्न 5

ऋग्वेद के प्रथम मंडल में उल्लेखित विद्या से संबंधित तीनों देवियों का नाम बताइये।

...

...

5.3.3 प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के आर्थिक अधिकार (Economic Rights of Women in Ancient Indian Social System)

प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के आर्थिक अधिकार और प्रस्थिति कुछ अपवादों को छोड़कर सम्पन्न रही है। वैदिक काल में महिलाओं को सम्पत्ति में समानता का अधिकार प्राप्त था। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के रूप में जानी जाती है। अनेक प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि वैदिक सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन रहा है। परिवारों का स्वरूप संयुक्त रहा है और पूरा परिवार अपने परंपरागत व्यवसाय में योगदान देता था। कन्या को पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में कुछ प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि स्त्रियों को पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया। हालांकि पुत्री को उपहारस्वरुप स्त्रीधन, वस्त्रादि विवाह के समय मिलते थे। वह अपनी पति के घर की गृहस्वामिनी होती थी। अर्थात घर के भीतर वस्तुओं, मुद्राओं आदि का संयोजन पत्नी के हाथ में होता था। भूमि इत्यादि के क्रय-विक्रय के स्पष्ट प्रमाण नहीं प्राप्त होते। संक्षेप में परिवार की जो भी संपत्ति वस्तु आदि के रूप में होती थी, महिलाओं को उन सभी पर समान अधिकार प्राप्त रहे हैं।

5.3.4 प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के राजनीतिक अधिकार (Political Rights of Women in Ancient Indian Social System)

प्राचीन भारतीय व्यवस्था में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों का अधिक स्पष्ट विवरण नहीं प्राप्त होता है। किंतु इतना अवश्य है, कि तत्कालीन समय मैं महिलाएं युद्ध कौशल, युद्धनीति आदि में निपुण होती थी। इसके लिए उन्हें गुरुकुलों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त होती थी। यद्यपि प्राचीन काल में

महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से किसी राजनीतिक पद पर आसीन होने का अधिकार प्राप्त नहीं था, तथापि यजुर्वेद में प्रमाण मिलता है कि रानियाँ दरबार में राजा के समान बुद्धिमान है एवं वह अन्य महिलाओं को राजनीति का ज्ञान प्रदान करने के योग्य हैं। इससे पता चलता है कि राज़ दरबार की रानियों का संबंध अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति से रहा है। रामायण काल में एक प्रसंग आता है कि जो कैकेय प्रदेश की राजकुमारी थी, उन्होंने युद्ध के समय अपनी पति की कुशल सलाहकार के रूप में सेवा की थी। यह प्रसंग देवासुर संग्राम से संबंधित है, जहाँ पर कौशल नरेश दशरथ ने देवासुर संग्राम में असुरों के साथ युद्ध किया था जहाँ कैकेयी कौशल नरेश के रथ की सारथी रही हैं, युद्ध के दौरान राजा दशरथ के रथ के पहिये का बोल्ट निकलने ही वाला था की कैकेयी ने बोल्ट की जगह पर अपनी उँगली लगाकर रथ को स्थिर किया, जो कैकेयी की सैन्य कुशलता को दर्शाता है। इस प्रकार राजा दशरथ युद्ध जीत गए और कैकेयी को दो वरदान मांगने का वचन दिया। तारा और मंदोदरी जैसी स्त्रियाँ बुद्धिमत्ता एवं नीतिगत आधार पर योग्य एवं कुशल महिलाएं रही हैं। महाभारत काल की द्रौपदी ने न्याय, साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय देते भरी सभा में अपने अपमान के लिए स्वर मुखर किया यह उनकी विपरीत परिस्थिति की निर्भीकता एवं निर्णयन की क्षमता को दर्शाता है। हुए इस प्रकार कतिपय उदाहरणों से ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में महिलाएं राजनीतिक रूप से सक्रिय रही हैं, उन्हें आंशिक रूप से राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त रहे हैं, किंतु सक्रिय रूप से राजनीति में महिलाओं की मुख्य भूमिका के उदाहरण देखने को नहीं मिलते।

5.3.5 प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के वैवाहिक एवं पारिवारिक अधिकार (Family Rights of Women in Ancient Indian Social System)

जब महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो सामाजिक अधिकारी की शुरुआत उसके स्वयं के परिवार से होने पर उसकी सामाजिक अधिकारों की पुष्टि एवं महत्त्व और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि सामाजिक अधिकारों को जो संरक्षण एवं वैधता परिवार में मिल सकती है वह अनियंत्रित कही नहीं। वैदिककालीन महिलाओं को परिवार में समान अधिकार प्राप्त था। वैदिक साहित्य के विभिन्न प्रमाणों से यह पता चलता है कि पति का जीवन पत्नी के बिना अधूरा है। प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में पत्नी को अर्धांगिनी, सहचारिणी, सहधर्मिणी की प्रस्थिति प्राप्त थी। जिसका तात्पर्य है कि पत्नी पति के जीवन में उसके समान ही उसके आधे अंग जितना महत्त्व रखती है। अथर्ववेद (3/30/3) में उल्लिखित है कि भाई बहन मैं द्वेष नहीं होना चाहिए। आर यो को कन्याएं उतनी प्रिय थीं जितना कि पुत्र। कन्याओं की प्राप्ति हेतु आर्य पूषा देवता को मनाते थे। वैदिककालीन सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को विवाह हेतु भर चुनाव की स्वतंत्रता प्राप्त थी। नव-वधू, श्वसुर गृह/ससुराल की साम्राज्ञी होती थी। (10/85/46) ऋग्वेद के एक मंत्र

द्वारा विधवा पुनर्विवाह की स्वीकारोक्ति का संकेत प्राप्त होता है, जिसका तात्पर्य है हे विध्वे! इस मृत पति की आशा छोड़ एवं जीवित में से दूसरा पति चुन। प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में एक विवाह और बहुविवाह दोनों ही प्रचलित रहे हैं। साक्ष्यों से यह प्रमाणित होता है कि एक विवाह की परंपरा तत्कालीन समाज के जन सामान्य की परंपरा थी, जबकि इसी समय में कुछ उच्च वर्गों में बहुविवाह भी प्रचलित रहा है। मैत्रेयी, ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नियों में से एक प्रमुख पत्नी थीं। ऐतरेय ब्राह्मण के प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि पुरुषों के लिए बहुविवाह की स्वीकृति समाज देता था, किंतु महिलाओं के लिए एक पति को ही पर्याप्त बताया गया है। यद्यपि प्राचीन भारत में जहाँ रघुकुल में जन्मे श्रीराम जी ने एक पत्नी का व्रत लेते हुए पत्नी के रूप में सीताजी का वरण किया, तो वहीं उनके पिता राजा दशरथ की तीन रानियाँ रही हैं। महाभारत कालीन सामाजिक व्यवस्था में द्रौपदी के पांच पति होने का भी प्रमाण मिलता है। ऐसे में स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय समाज में एक विवाह एक आदर्श व्यवस्था रही है, किंतु बहुविवाह के रूप में बहुपत्नी विवाह और बहुपत्नी विवाह का उदाहरण भी प्रचलित रहा है।

बोध प्रश्न 06

राजा दशरथ की कितनी रानियां थी।

....

....

....

5.3.6 प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के धार्मिक अधिकार (Religious Rights of Women in Ancient Indian Social System)

प्राचीन भारत का प्रारंभिक समाज, वैदिक कालीन समाज, वेद और धर्म पर आधारित समाज था। प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं को धार्मिक रूप से पूजनीय की स्थिति प्राप्त है। भारतीय संस्कृति और सनातन सभ्यता विश्व के किसी भी कोने में विद्यमान हों, प्रत्येक ऐसे स्थान पर महिलाओं को देवी के रूप में सम्मान प्रदान किया जाता है। इसकी प्रामाणिकता इस बात से पता चलती है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता भारत समेंत अन्य देशों के जिन क्षेत्रों में विद्यमान है, वहाँ पर देवियों का मंदिर और उनकी विशिष्ट आराधना विधियां स्पष्ट रूप से स्थापित हैं। पाकिस्तान में स्थित माता हिंगलाज का मंदिर, भारत में स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर, माँ कामाख्या का मंदिर, दक्षिण भारत के कोलकाता में स्थित काली माता का मंदिर, उत्तराखंड में स्थित नैना देवी और मंशा देवी का मंदिर, दक्षिण भारत के मदुरई में

स्थित मीनाक्षी अम्मा का मंदिर इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। महिलाओं के धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में अगर बात करें तो ज्ञात होता है कि महिलाओं को यज्ञों एवं धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया था। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में (01/83/3) ही पति पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से धार्मिक यज्ञ करने का वर्णन मिलता है।

वैदिक एवं उत्तर वैदिक संस्कृति की तरह बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में भी धर्म के क्षेत्र में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही थीं, बौद्ध एवं जैन धर्म में महिलाएं धार्मिक अनुष्ठानों को पूर्ण करती थीं। जैन धर्म के दोनों संप्रदायों जिसमें दिगंबर और श्वेतांबर आते हैं, में जैन भिक्षुणियां और साध्वियां अनेक जैन रीति रिवाजों, अनुष्ठानों और नैतिक मानदंडो को संरक्षित और संवर्धित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। वैदिक और उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति में मोक्ष की प्राप्ति के पुत्र की महत्ता को स्वीकार किया, किंतु कालांतर में प्रचलित बौद्ध धर्म मोक्ष की प्राप्ति हेतु पुत्र का होना अनिवार्य नहीं बताया गया है, बल्कि महात्मा बुद्ध का ये मानना था की पुत्री पुत्रों से श्रेष्ठ होती है।

5.4 सारांश Conclusion

उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं को कम या अधिक, सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। महिलाओं की प्रस्थिति सापेक्षिक रूप से समृद्ध रही है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, पारिवारिक एवं अन्य अधिकारों के बारे में विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इस अध्याय में प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के प्रदत्त अधिकारों को विभिन्न उपभागों में विभाजित करके स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। इसी क्रम में प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के शैक्षिक अधिकार, प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में इन महिलाओं के सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार, प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के आर्थिक अधिकार, प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के राजनीतिक अधिकार, प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के वैवाहिक एवं पारिवारिक अधिकार, प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के धार्मिक अधिकार आदि के रूप में महिलाओं के अधिकारों को समझने और समझाने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में कम या अधिक मात्रा में अधिकार प्राप्त रहे हैं। प्राचीन समाज में परिवार की व्यवस्था पितृसत्तात्मक रही है और अनेक स्थानों पर

महिला अधिकारों के विषय में विरोधाभास की स्थिति भी बनी हुई है। इन सभी के बावजूद प्राचीन समाज व्यवस्था में महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने के यथा संभव प्रयत्न किये गए थे।

5.5 शब्दावली (glossary)

- **वैदिक काल-** लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का समय, जिसमें वेदों में प्राचीनतम, ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद से तत्कालीन सामाजिक संगठन और संस्थाओं का ज्ञान होता है।
- **उत्तरवैदिक काल-** लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व तक का समय, इसमें अन्य तीन वेदों (यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद) एवं अन्य वैदिक ग्रन्थ जैसे ब्राह्मण ग्रन्थ, उपनिषद और आरण्यक आदि की रचना हुई।
- **रामायण काल-** रामायण काल की घटना प्राचीन मान्यताओं के अनुसार चारों युगों में से त्रेतायुग के उत्तरार्ध की घटना है। आधुनिक शोध के आधार पर श्री राम जी का जन्म आज से लगभग 5114 ईसा पूर्व (लगभग 7139 वर्ष पहले) हुआ था। इन सभी का विवरण वाल्मीकि रामायण नमक महाकाव्य में मिलता है।
- **महाभारत काल-** महाभारत काल की गणना चारों युगों में तीसरे स्थान पर आने वाले द्वापर युग के समय में की जाती है। यह समय लगभग 3102 ईसा पूर्व (लगभग 5127 वर्ष पहले) का है। महाभारत काल की घटना द्वापर युग के उत्तरार्ध की घटना है। इसका विवरण वेदव्यास रचित महाकाव्य महाभारत में मिलता है।
- **जैन काल-** जैन धर्म का उदय लगभग सातवीं से पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे हैं, उन्होंने इस धर्म के प्रचार प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **बौद्ध काल-** बौद्ध काल को छठीं शताब्दी ईसा पूर्व से बारहवीं शताब्दी तक के काल को विद्वानों ने बौद्ध काल कहा है। इस दौरान भारत में बौद्ध धर्म का उदय एवं विकास हुआ।

5.6 बोध प्रश्नों के उत्तर (Answers to Comprehension Questions)

उत्तर-1. **वेदों और वैदिक संस्कृति**

उत्तर-2. **04**

उत्तर-3. **16**

उत्तर-4. **जिस घर में नारी की पूजा होती है वहॉ देवताओं का वास होता है।**

उत्तर-5. **ईला, सरस्वती एवं मही।**

उत्तर-6. **तीन रानियां।**

5.7 सन्दर्भ-सूची (References)

1. मनुस्मृति, प्रकरण 09, श्लोक तीन, पृष्ठ संख्या 276।

2. वहीं, प्रकरण 09, श्लोक 15 पृष्ठ 2।

3. गुप्ता, मोतीलाल भारत में समाज, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, वर्ष 2009, पृष्ठ संख्या 432।

5.8 सहायक उपयोगी सामग्री (Helpful Materials)

1. वी. एन. सिंह एवं जन्मेजय सिंह, आधुनिकता एवं महिला सशक्तिकरण, रावत पब्लिकेशन, 2010, जयपुर
2. सिन्हा, अदिति (2016), भारत में कानूनी सहायता प्रणालियों में नौकरशाही की चुनौतियाँ, 28 भारतीय जे. एडमिन. साइंस, वर्ष-2016, पृष्ठ संख्या -115
3. लवानिया, डॉ. एम. एम. भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर 2023
4. डॉ. अवतार सिंह, प्रो. आर.पी. यादव, डॉ. निशा वर्मा, राठौड़, डॉ. वंदना, भारतीय समाज एवं महिलाओं की स्थिति (2001)

5.9 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों की विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिए।

2. प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक एवं धार्मिक अधिकारों पर निबंध लिखिए।

3. प्राचीन भारत में समाज व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण देते हुए, महिलाओं के वैवाहिक एवं पारिवारिक अधिकारों के विषय में चर्चा कीजिए।

इकाई-6 समकालीन समाज में प्रदत्त अधिकार

Rights Ascribed in Contemporary Society

इकाई की रूपरेखा

6.0 प्रस्तावना

6.1 उद्देश्य

6.2 महिलाएं एवं समकालीन समाज

6.3 समकालीन समाज में महिलाओं के प्रदत्त अधिकार

6.3.1 महिलाओं को प्रदत्त प्रमुख संवैधानिक अधिकार

6.3.2 शिक्षा एवं स्वावलंबन के क्षेत्र में महिलाओं को प्रदत्त अधिकार

6.3.3 स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को प्रदत्त अधिकार

6.3.4 राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को प्रदत्त अधिकार

6.3.5 सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं को प्रदत्त अधिकार

6.3.6 हिंसा एवं उत्पीड़न के विरुद्ध महिलाओं को प्रदत्त अधिकार

6.4 महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में चुनौतियाँ

6.4.1 जागरूकता में कमी

6.4.2 लैंगिक भेदभाव

6.4.3 हिंसा एवं उत्पीड़न

6.4.4 कानूनों का अप्रभावी कार्यान्वयन

6.4.5 अशिक्षा

6.4.5 आर्थिक निर्भरता

6.5 सारांश

6.6 शब्दावली

6.7 सन्दर्भ सूची

6.8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

6.0 प्रस्तावना

आधुनिक समाज विकास, प्रगति एवं व्यवस्था वाला समाज है। वर्तमान में भारत विकसित होने की राह पर बढ़ चला है। विकसित भारत की दिशा में अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाएं, जो भारत की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनका देश के विकास और प्रगति के लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पर समाज की मुख्यधारा से जुड़कर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में महिला अधिकारों की भूमिका को कमतर नहीं आंका जा सकता। महिलाओं के अधिकारों को ऐसे मूलभूत अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो किसी महिला को, महिला होने के नाते प्राप्त होते हैं। महिला अधिकारों से यह तय होता है कि महिलाएं भी पुरुषों के समान स्वतंत्रता एवं समानता के अवसरों को जी सकें। घर के चारदीवारी के भीतर से लेकर सार्वजनिक एवं सामाजिक क्षेत्रों तक महिलाओं के अधिकारों की सुनिश्चितता किसी भी देश की प्रगति और विकास का आधारभूत मानक है। बिना सुरक्षा और अधिकार के महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भागीदारी को शत-प्रतिशत तय नहीं किया जा सकता। इस इकाई में यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि भारत में आजादी के बाद से आज तक समाज में महिलाओं के कौन-कौन से प्रदत्त अधिकार है, जो संसद द्वारा कानून बनाकर एवं संविधान के अनुच्छेदों द्वारा उन्हें प्रदान किया गया है। भारत के संविधान भाग चार में नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों में कई अनुच्छेद महिलाओं के लिए हैं, जिसके लिए महिलाएं सरकार या किसी भी अन्य व्यक्ति तथा संस्था के विरुद्ध न्यायालय में चुनौती दे सकती हैं। इस अध्याय में महिलाओं को प्रदत्त समकालीन अधिकारों के विषय में चर्चा की गई है, इसके साथ ही महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों के उपयोग में आने वाली चुनौतियों के विषय में विवेचन किया गया है।

6.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन से आप-

1. समकालीन समाज में महिलाओं की प्रस्थिति को समझ सकेंगे।
2. महिलाओं को प्रदत्त प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों के विषय में जान सकेंगे।
3. महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों के विषय में जान सकेंगे।
4. महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों के विषय में जान सकेंगे।
5. महिलाओं को स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों के विषय में जान सकेंगे।
6. महिलाओं के राजनीति के विषय में प्रदत्त अधिकारों के विषय में जान सकेंगे।
7. लैंगिक समानता के क्षेत्र में महिलओं को प्रदत्त अधिकारों के विषय में जान सकेंगे।
8. हिंसा और उत्पीड़न के विरुद्ध महिलाओं के प्रदत्त अधिकारों के विषय में जान सकेंगे।
9. महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों के उपयोग में आने वाली चुनौतियों के विषय में जान सकेंगे।

6.2 महिलाएं एवं समकालीन समाज

विश्व की जनगणना 2011 के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या की आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाएं समाज का अभिन्न अंग हैं। भारत के संदर्भ में यदि महिला अधिकारों की बात की जाए तो प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में महिलाएं लगभग जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिकार सम्पन्न रही हैं। उत्तरोत्तर प्राचीन काल के अंत में एवं पूरे मध्य काल के इतिहास दौरान महिलाओं की प्रस्थिति में बहुत गिरावट आई। महिलाओं के इतिहास के दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास का मध्यकालीन समय एक काला अध्याय रहा है। इस काल में महिलाओं के अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया गया। वर्तमान में स्वतंत्रता के लगभग 75 से अधिक वर्षों के बीतने बाद भी अनेक सामाजिक कुरीतियां महिला अधिकारों के लिए बाधक का कार्य कर रही हैं। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि किसी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर वहाँ की महिलाओं की स्थिति है। यहाँ स्थिति से तात्पर्य महिलाओं की स्वतंत्रता एवं उनको प्रदत्त अधिकारों से लगाया जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद समकालीन भारतीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति को उन्नत बनाने के लिए एवं उनके अधिकारों के संरक्षण एवं विकास लिए अनेक प्रकार के संवैधानिक एवं कानूनी उपबंध किए गए हैं। इन उपबंधों के कारण भारतीय महिलाओं को जीवन के अनेक क्षेत्रों में सुरक्षात्मक आवरण प्राप्त हुआ है। यद्यपि इनकी सफलता की दर महिलाओं तथा समाज की जागरूकता एवं कानूनों के सफल क्रियान्वयन पर बहुत कुछ निर्भर करती है।

6.3 समकालीन समाज में महिलाओं के प्रदत्त अधिकार

समकालीन समाज 21वीं सदी का समाज है। वर्तमान में भारत और विश्व में महिलाओं को जो भी अधिकार प्राप्त हैं, वह सभी अधिकार एक दीर्घकालिक सुधारवादी प्रक्रिया के परिणाम रहे हैं। आधुनिक युग में पश्चिमी और यूरोपीय देशों ने महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के लिए कई आंदोलन और प्रयास किए। अमेंरिका में महिलाओं को मत देने का अधिकार 1611 ई0 में प्राप्त हुआ। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मतदान का अधिकार 1971 में मिला। इस प्रकार महिलाओं के अधिकारों और उनकी जागृति की संबंध में विश्व स्तर पर अनेक प्रयास किए गए। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अखिल भारतीय स्तर पर लागू हुआ। सदियों से मुगलों और अंग्रेजों के दासता से मुक्ति के बाद भारत एक नए गणराज्य के रूप में विश्व पटल पर उभरा। महिलाओं को दासता, शोषण एवं अत्याचार से मुक्त करने एवं मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भारतीय मनीषियों एवं संविधान निर्माताओं के द्वारा अनेक प्रयास किए गए। भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को अनेक संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार प्रदान किए गए। जिसमें भेदभाव से मुक्त जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, राज्य द्वारा नियोजित रोजगार पाने का अधिकार, मतदान करने एवं चुनाव लड़ने का अधिकार, समान वेतन का अधिकार आदि प्रमुख हैं। इसका विश्लेषण एवं विवेचन प्रस्तुत अध्याय में अग्रलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है-

6.3.1 महिलाओं को प्रदत्त प्रमुख संवैधानिक अधिकार

भारतीय महिलाओं को सुरक्षा एवं अधिकार प्रदान करने के दृष्टिकोण से अनेक संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान किए गए हैं। इन्हें निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है-

- **अनुच्छेद 14-**

  भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि विधि के समक्ष भारत के सभी नागरिक चाहे वो किसी भी क्षेत्र, भाषा, समुदाय, सम्प्रदाय, लिंग अथवा जाति से आते हैं, एक समान होंगे। उनसे उपरोक्त आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।

- **अनुच्छेद 15-**

  अनुच्छेद 15 भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो भारतीय नागरिको को, धर्म मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से मुक्त करता है। अनुच्छेद 15

भी समानता के अधिकार से ही संबंधित है। इस अनुच्छेद में महिलाओं, बच्चों और वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का भी उपबंध करता है।

- **अनुच्छेद 19-**

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो और वहाँ स्वतंत्रतापूर्वक भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकें।

- **अनुच्छेद 23-24-**

अनुच्छेद 23 एवं 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध प्रावधान किया गया है। जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी प्रकार मानव तस्करी और जबरन श्रम अवैध है। इसके साथ ही यह अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को जोखिम भरे उद्योगों में काम नहीं कराने का निर्देश देता है। इस अनुच्छेद के द्वारा महिलाओं को शोषण के विरुद्ध सुरक्षा मिलती है।

- **अनुच्छेद 39-**

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भाग है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों साथ ही महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ मिले। इस प्रकार यह अनुच्छेद महिलाओं को आर्थिक न्याय प्रदान करने एवं स्वावलम्बी बनाने की दिशा में एक उत्तम उपाय है।

- **अनुच्छेद 42-**

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। यह अनुच्छेद महिलाओं के मातृत्व राहत की व्यवस्था करने के लिए निर्देश देता है। इसका संबंध श्रमिक कल्याण से जुड़ा हुआ है, जो महिलाओं के लिए उत्तम स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की सुनिश्चितता को तय करता है।

- **अनुच्छेद 46-**

अनुच्छेद 46 राज्य के नीति निदेशक तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। यह अनुच्छेद समाज के विशेष एवं कमजोर वर्गों के कल्याण को सुनिश्चित करके उनके शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को संरक्षित करता है और उनके शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है।

- **अनुच्छेद 243-**

  अनुच्छेद 243 डी संविधान के भाग नौ का हिस्सा है। इस अनुच्छेद के द्वारा या व्यवस्था की गयी है कि पंचायती राज़ संस्थाओं में कुल सीटों का कम से कम एक तिहाई भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

- **संविधान का 128 वहाँ संशोधन विधेयक 2023-**

  यह संविधान संशोधन व्यवस्था करता है कि लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा।

- **अनुच्छेद 325-**

  अनुच्छेद 325 के अनुसार निर्वाचक नामावली में महिला एवं पुरुष दोनों को समानता के आधार पर सम्मिलित करने के लिए अधिकार प्रदान करता है।

6.3.2 शिक्षा एवं स्वावलंबन के क्षेत्र में महिलाओं को प्रदत्त अधिकार

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नीती निर्माताओं के द्वारा महिलाओं समेंत सभी वर्गों के उत्थान के लिये विशेष शैक्षिक एवं आर्थिक उपाय किए गए। इनमें से प्रमुख उपायों को हम अग्रलिखित के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं-

- **शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को प्रदत्त अधिकार-**

शिक्षा मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। शिक्षा के बिना मनुष्य अन्य जीव जंतुओं के समान है। महिलाओं की शिक्षा के लिये किए गए विशेष उपायों में से प्रमुख उपायों को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किये जा सकता है-

- **शिक्षा के लिए समान अवसर-**

  भारतीय सरकार के द्वारा संवैधानिक और विधिक व्यवस्था की गई है कि शिक्षा के लिए पुरुषों एवं महिलाओं को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। लैंगिक आधार पर शिक्षा प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

- **भारत साक्षरता मिशन (1988)-**

  भारत साक्षरता मिशन एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जिसकी स्थापना भारत की सरकार के द्वारा 05 मई 1988 को की गयी थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निरक्षरता का

उन्मूलन करना है, जिसमें 15 से 35 वर्ष तक की आयु के वयस्कों को कार्यकारी साक्षरता प्रदान करने की बात कही गई है।

- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)-**

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हमारे देश में से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों और बालिकाओं के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करता है। यह अधिनियम 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 21ए में सम्मिलित किया गया था। इस अधिनियम में व्यवस्था है कि निजी स्कूलों में भी 25% सीटों पर वंचित छात्रों को प्रवेश अवश्य दिया जाए। इस प्रकार यह अधिनियम बलिका शिक्षा के विषय में शिक्षा के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है।

- **विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49)-**

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को डॉ. राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इस आयोग की अनुशंसा थी कि 14 वर्ष की आयु से 18 वर्ष तक की आयु के लड़के एवं लड़कियों के विद्यालय अलग अलग किए जा सकते हैं। और कॉलेज में प्रवेश की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। कॉलेज में सह शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। महिलाओं एवं पुरुषों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। महिलाओं की शिक्षा में उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष शिक्षा जैसे- गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, गृह प्रबंध आदि जैसे विषयों का प्रबंधन किया जाए, जिससे वह कुशल गृहणी और अच्छी माता बन सकें।

- **राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति (1958)-**

तत्कालीन समय में भारत सरकार द्वारा दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया गया जिसका कार्य महिला शिक्षा के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर अपनी अनुशंसा देना था। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर सन 1959 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना की गई और महिला शिक्षा पर सम्यक विचार करने के लिए अलग इकाई की नियुक्ति भी की गई।

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020**

एनईपी 2020 के नाम से अखिल भारतीय स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू हुई, जिसका प्रारंभिक नाम न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति था, बाद में इसे बदलकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर दिया गया। इस शिक्षा नीति में महिलाओं के शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया गया है। इसमें लैंगिक समानता, शिक्षा तक महिलाओं की सुलभ पहुँच और

महिला सशक्तिकरण, लिंग संवेदीकरण आदि जैसे विषयों को केंद्रीय स्थान मिला है। इस शिक्षा नीति में जेंडर इन्क्लूजन फंड की स्थापना, छात्रों के लिए उत्तम छात्रवृत्ति की व्यवस्था और शिक्षा के माध्यम से महिलाओं समेंत सभी युवाओं में कौशल और तकनीकी दक्षता के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं समेंत भारत के सभी वर्गों की सामाजिक आर्थिक बाधाओं को दूर करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर और दक्ष बनाना है।

➢ **महिलाओं के आर्थिक एवं स्वावलंबन के क्षेत्र में प्रदत्त अधिकार-**

सशक्त महिला का स्वावलंबी होना अनिवार्य है। आर्थिक स्वतंत्रता उनकी स्वतंत्रता को समृद्ध करती है और आर्थिक परतंत्रता महिलाओं के अधिकारों को सीमित करती है। आत्मनिर्भरता एवं स्वावलंबन क्षेत्र में महिलाओं के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किये गए हैं।

- **हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956)-**

इस अधिनियम के अंतर्गत महिला को पारिवारिक संपत्ति पर पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हुआ। यह अधिनियम पुत्रों और पुत्रियों में भेदभाव समाप्त करने से संबंधित है और महिलाओं की स्थिति, संपत्ति, पारिवारिक आय और उत्तराधिकार इत्यादि के द्वारा उच्च बनाने का प्रयत्न करता है।

- **हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम (1956)-**

इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को यह अधिकार दिया गया है कि यदि महिलाएं यदि निःसंतान हैं तो वह किसी बच्चे के गोद ले सकती हैं। गोद लेने के बाद यदि किसी महिला के पति द्वारा तलाक दे दिया जाता है, तो उसे भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार भी यह अधिनियम प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा मिलती है।

- **समान वेतन अधिनियम (1976)-**

समान वेतन अधिनियम का अधिकार यह व्यवस्था करता है कि किसी भी एक समान कार्य के लिए कोई भी नियोक्ता, सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान लिंग के आधार पर दिए जाने वाले वेतन में भेदभाव नहीं कर सकेगा। महिला और पुरुष दोनों को ही समान कार्य के लिये समान पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

- **मातृत्व लाभ अधिनियम (1961)-**

यह अधिनियम गर्भवती महिलाओं की गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान उनके रोजगार की रक्षा के लिये बनाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता को सवेतन अवकाश एवं बच्चे के पालन पोषण के लिए आवश्यक सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम कम से कम 10 या अधिक कर्मचारी वाले सभी संस्थानों पर लागू होता है।

- **यौन उत्पीड़न अधिनियम/कार्यस्थल पर उत्पीड़न से सुरक्षा अधिनियम (2013)-**

कार्यस्थल पर उत्पीड़न से सुरक्षा अधिनियम 2013 महिलाओं के कार्यस्थल से जुड़ा हुआ एक सशक्त कानून है, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को रोकता है।

- **सूक्ष्म वित्त और स्वयं सहायता समूह-**

कम आय वाली महिलाओं को छोटे ऋण और वित्तीय सेवाएं प्रदान कर के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। वित्तीय संस्थानों द्वारा किया जाने वाला यह कार्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसी प्रकार ग्रामीण भारत में महिलाओं द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण इकाई है जो महिलाओं को संयुक्त रूप से मिल कर बचत करने और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में कार्य करते हैं।

6.3.3 स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को प्रदत्त अधिकार-

भारतीय महिलाओं को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने के दृष्टिकोण सेउन्हें अनेक स्वास्थ्य सुविधाएं और अधिकारप्रदान किए गए है। इनमें से कुछ प्रमुख अधिकारों को निम्नलिखित रूप मेंस्पष्ट किया जा सकता है-

- **मातृत्व लाभ अधिनियम (1961)-**

यह अधिनियम 10 से अधिक की संख्या वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। कार्यरत महिलाओं के लिए यह अधिनियम मातृत्व अधिकारों की गारंटी है, जिसमें सवैतनिक मातृत्व अवकाश, चिकित्सा सुविधाएं और बच्चों के पालन पोषण के लिये आवश्यक सुविधाएं सम्मिलित है। यह अधिनियम महिला के स्वास्थ्य अधिकारों के साथ ही आर्थिक और स्वावलंबन संबंधी अधिकारों की भी रक्षा करता है।

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-**

  राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने एवं उन्हें उत्तम बनाने के दृष्टिकोण से कई योजनाएं सम्मिलित रूप से कार्य कर रही हैं। इनमें से मुख्य रूप से प्रजनन स्वास्थ्य, माता एवं शिशु का स्वास्थ्य, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य आदि जैसे विषय सम्मिलित हैं।

- **महिलाओं तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए सरकारी प्रयास-**

  भारत सरकार द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के दृष्टिकोण से कई योजनाएं चलाई गईं, जिनमें जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आदि जैसी योजनाएं सम्मिलित हैं। जननी सुरक्षा योजना जैसे कार्यक्रम घर पर प्रसव को हतोत्साहित करते हैं और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व निशुल्क जांच सुविधा प्रदान करता है।

6.3.4 राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को प्रदत्त अधिकार-

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को अनेक राजनीतिक क्षेत्रों के अधिकार प्राप्त हैं। भारत की प्रत्येक महिला नागरिक को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही सरकार के सभी संवैधानिक पदों पर महिलाओं को चयन के समान अवसर प्राप्त हैं। भारत सरकार ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों का संरक्षण करते हुए एवं संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में कुल सीटों के सापेक्ष एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित किया। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी इनकी संख्या के अनुपात में 1/3 की प्रतिशतता में सीटों को आरक्षित किया गया। महिला आरक्षण विधेयक को, जो दीर्घावधि से प्रतीक्षित था, संविधान के 106 वें संशोधन अधिनियम 2023 के द्वारा मूर्त रूप दिया गया। इसके अंतर्गत भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया गया।

6.3.5 सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं को प्रदत्त अधिकार-

सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये उनके सामाजिक अधिकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं को अनेक अधिकार प्राप्त हैं इनकी संक्षिप्त विवेचना निम्नलिखित है-

- **परिवार न्यायालय अधिनियम 1954-**

परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 विवाह और पारिवारिक मामलों से संबंधित अधिनियम है, जिसमें विवाह एवं पारिवारिक विषयों से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है। यह अधिनियम पारिवारिक न्यायालयों के स्थापना का भी प्रावधान करता है। जिसका प्रमुख उद्देश्य पारिवारिक एवं वैवाहिक मामलों में यथाशीघ्र शांति और सौहार्द पूर्वक समाधान प्रस्तुत किया जा सके।

- **हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 संशोधित 2005-**

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख धर्म के अनुयायियों पर लागू होता है, यह अधिनियम यह व्यवस्था करता है कि संयुक्त हिंदू परिवार और सहदायिक संपत्तियों में बिना वसीयत यदि किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति उसकी पत्नी, बच्चों एवं माँ के बीच बराबर बांट दिए जाने का प्रावधान होगा, यदि इनमें से कोई जीवित नहीं हैं तो वह संपत्ति पिता को प्राप्त हो जाती थी। इसी प्रकार यदि किसी हिंदू महिला की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति जिसमें उसकी अर्जित संपत्ति भी शामिल है, प्राथमिक रूप से उसके बच्चों और पति को विरासत में मिलती है। इस अधिनियम में संशोधन करते हुए वर्ष 2005 में पुत्री को भी जन्म से पिता और माता की संपत्ति में पुत्र के समान अधिकार दिया गया।1956 के मूल अधिनियम को संशोधित करते हुए उक्त अधिनियम में निहित लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया गया। यह अधिनियम प्रावधानित करता है कि जैसे जन्म से ही पुत्रों को अधिकार प्राप्त होते हैं वैसे ही सारे अधिकार पुत्रियों को भी प्राप्त होंगे।

- **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006-**

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम भारत का एक प्रमुख कानून है, जो हाल ही में प्रभाव में आया है। यह कानून बाल विवाह को प्रतिबंधित करते हुए विवाह के लिए लड़कों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष करने का निर्देश देता है। इस कानून के उल्लंघन के तहत 2 साल तक के कठोर कारावास और 1,00,000 तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह कानून पीड़ितों को सुरक्षा और राहत भी प्रदान करता है जिसमें, निवास एवं भरण पोषण की सुविधा सम्मिलित है।

6.3.6 हिंसा एवं उत्पीड़न के विरुद्ध महिलाओं को प्रदत्त अधिकार-

महिलाओं को हिंसा एवं उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिए प्रमुख अधिकारों को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है-

- **अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (1956)-**

  यह कानून वेश्यावृत्ति, यौन दासता, अंग तस्करी आदि के लिए महिलाओं या बालिकाओं के लिए किसी भी प्रकार के अवैध व्यापार पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाता है। यह कानून महिलाओं एवं बच्चियों के अनैतिक व्यापर को कठोर एवं दंडनीय अपराध बनाता है।

- **दहेज निषेध अधिनियम (1961)-**

  शादी के बाद दहेज की माँग पूरी करने के लिए अक्सर महिलाओं को उनके ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए, यह कानून भारत में दहेज लेना और देना, दोनों को दंडनीय अपराध बनाता है। समय समय पर इस लानूं में संशोधन करके इसकी प्रभावशीलता को बढ़ने का प्रयास किया गया है।

- **महिलाओं का अशिष्ट चित्रण निषेध अधिनियम (1986)-**

  यह अधिनियम विज्ञापनों, प्रस्तुतियों, कृतियों, रचनाओं, आकृतियों या किसी अन्य माध्यम से महिलाओं के अश्लील चित्रण और उससे जुड़े विषयों पर प्रतिबंध लगाता है और इसे दण्डनीय अपराध बनाता है।

- **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005)-**

  यह कानून किसी भी महिला को उसके पति और ससुराल वालों की शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है।

- **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (2013)-**

  यह कानून कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर, जहाँ भी वह कार्य करती है, सुरक्षा देता है।

6.4 महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में चुनौतियाँ

महिलाओं को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग सामाजिक एवं वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। अनेक बाधाओं एवं चुनौतियों के कारण महिलाएं इन अधिकारों का प्रयोग कम मात्रा में और कई बार न के बराबर कर पाती हैं। महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में कुछ मुख्य बाधाओं और चुनौतियों का संक्षिप्त विवेचन अग्रलिखित रूप में किया जा रहा है-

6.4.1 जागरूकता में कमी

महिलाओं को अपने अधिकारों के विषय में यदि कम जागरूकता है तो यह स्थिति उनके अधिकारों के प्रयोग के लिए बड़े बाधक का कार्य करती है। अतः आवश्यक है कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जागरूक हों।

06.4.2 लैंगिक भेदभाव

लैंगिक भेदभाव की शुरुआत परिवार में होती है। समाज में लैंगिक भेदभाव विद्यमान होने से महिला अधिकारों के प्रयोग में सदैव बाधा उत्पन्न होती है। लैंगिक भेदभाव के निवारण के बिना संवैधानिक प्रावधानों एवं महिला अधिकारों से संबंधित विधानों का सफल क्रियान्वयन नहीं हो सकता।

6.4.3 हिंसा एवं उत्पीड़न

महिलाएं घर एवं समाज में हिंसा से मुक्त होनी चाहिए। सामाजिक संरचना में जब तक महिला हिंसा के तत्व मौजूद हैं, तब तक कितने ही कानून बना लिए जाएं, महिलाओं को न तो हिंसा और उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी और न ही वह अपने अधिकारों की सजगता पूर्वक प्रयोग कर सकेंगी।

6.4.4 कानूनों का अप्रभावी कार्यान्वयन

महिला अधिकारों से संबंधित कानूनों का यदि प्रभावी क्रियान्वयन न हो सके, तब यह महिला अधिकारों के प्रयोग में बड़ी चुनौती सिद्ध होता है। कानूनों का सफल क्रियान्वयन काफी हद तक अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करता है।

6.4.5 अशिक्षा

महिलाओं की अशिक्षा महिलाओं के अधिकारों के प्रयोग एक बड़ी बाधा है। अशिक्षित महिला अपने जीवन के अनेक निर्णयों के लिये प्रायः दूसरों पर, अधिकांश तौर पर परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहती है। ऐसे में जब वह अपने अधिकारों के विषय में कम समझ रखेगी तो उसके प्रयोग के लिए तत्पर रहे, इसकी भी संभावना कम है। शिक्षित महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति तुलनात्मक रूप से अधिक जागरूक होती है।

6.4.5 आर्थिक पर निर्भरता

जो महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए परिवार के या किसी अन्य सदस्य के ऊपर निर्भर करती हैं, ऐसी महिलाएं अपने अधिकारों का मुक्त तौर पर प्रयोग नहीं कर पाती। कई बार वह तनाव और दबाव के कारण हिंसा, शोषण एवं असमानता झेलती हैं। ऐसे में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना किसी भी महिला को उसके अधिकारों के प्रति अधिक सजग और जागरूक करता है। ऐसी महिलाओं के लिए उनके अधिकारों तक सुलभ पहुँच और उनका आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग सापेक्षिक रूप से अधिक होता है।

6.5 सारांश

महिला अधिकार महिलाओं के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महिला अधिकारों से संपन्न समाज में विकास और समकालीन भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों का लाभ महिलाएं शिक्षा जागरूकता एवं आत्मविश्वास के साथ और अधिक उठा सकती हैं। इस इकाई में महिलाओं के प्रमुख समकालीन अधिकारों की विस्तृत विवेचना की गयी है। इस इकाई के अध्ययन के बाद शिक्षार्थी यह जानने में सक्षम होंगे कि समकालीन समाज में महिलाओं के प्रमुख संवैधानिक प्रावधान एवं संबंधित अधिकार कौन-कौन से हैं। इस अध्याय में अलग-अलग बिंदुओं के माध्यम से महिलाओं को विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों से मिलने वाले अधिकारों के विषय में बताया गया है। इनमें से प्रमुख, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के प्रदत्त अधिकार, स्वावलंबन एवं आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं को प्रदत्त अधिकार, स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को प्रदत्त अधिकार, राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं को प्रदत्त अधिकार, लैंगिक समानता के क्षेत्र में महिलाओं को प्रदत्त अधिकार, हिंसा एवं उत्पीड़न के विरुद्ध महिलाओं को प्रदत्त अधिकार आदि प्रमुख हैं। इस अध्ययन में यह भी व्याख्यायित किया गया है कि महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों के उपयोग में आने वाली विभिन्न चुनौतियां कौन कौन

सी हैं? इस प्रकार इस अध्ययन में महिलाओं के समकालीन अधिकारों एवं इससे संबंधित चुनौतियों की विस्तृत विवेचना की की गई है।

6.6 शब्दावली

- **समकालीन समाज-** यहाँ समकालीन समाज का तात्पर्य वर्तमान भारतीय समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्यगत स्थितियों से है।
- **लैंगिक भेदभाव-** लैंगिक भेदभाव का तात्पर्य किसी भी व्यक्ति के साथ उसके लिंग विशेष से होने के कारण अनुचित या असमान व्यवहार करना है। यह स्थिति किसी समाज में सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में निहित मानदंडों और पूर्वाग्रहों के कारण उत्पन्न होती है। विश्व के अधिकांश देशों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि लैंगिक भेदभाव का दंश अधिकांश रूप में महिलाएं और बालिकाएं झेलती हैं।
- **प्रदत्त अधिकार-** प्रदत्त अधिकारों को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि यह किसी देश के नागरिक को प्राप्त ऐसे अधिकार हैं, जो उन्हें उनके देश के संविधान या कानून के द्वारा दिए जाते हैं। ऐसे अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं।

6.7 सन्दर्भ सूची

1. चोपडा, पी.ए.एन. पुरी, एवं अन्य, (2005), भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास, नई दिल्ली मैकमिलन इंडिया लिमिटेड।
2. बसु, डी. डी. (2002), भारत का संविधान एक परिचय, प्रेंटिंग हॉल ऑफ इंडिया पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
3. पांडेय, डॉ. जयनारायण (2008) भारत का संविधान, 41 संस्करण, सेंट्रल लॉ एजेंसी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
4. आहूजा, राम (1987) क्राइम अगेंस्ट वुमन, रावत पब्लिकेशन जयपुर।
5. शर्मा, बृजकिशोर (2008) भारत का संविधान: एक परिचय, पंचम संस्करण, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया प्रेस, नई दिल्ली।
6. एन.ई.पी. ड्राफ्ट (2020)- भारत संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार दिल्ली।
7. शुक्ला, पश्यन्ति (2016)- भारत में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति, कुरुक्षेत्र, जनवरी 2016।
8. शर्मा, डॉ. प्रज्ञा (2010)- भारतीय नारी के बदलते आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।

9. कुमार, अनिमेष (2024), समकालीन भारतीय समाज में महिलाएँ: एक अवलोकन, छत्तीसगढ़ लॉ जर्नल, ISSN 2394-5281, खंड 10, अंक 1. पृ. 90=93,
10. गुप्ता, रजनी (2011)- हिन्दू स्त्रियों में महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता, अप्रकाशित शोध प्रबंध, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर-प्रदेश।

6.8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. समकालीन समाज में महिलाओं के प्रदत्त अधिकारों की विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिए।
2. महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग मैं कौन-कौन सी बाधाएं और चुनौतियां मुख्य हैं? चर्चा कीजिये।
3. समकालीन समाज में महिलाओं के प्रमुख संवैधानिक अधिकारों का वर्णन कीजिए।

ईकाई-7 विवाह एवं संपत्ति सम्बन्धी कानून

Marriage and Property Law

ईकाई की रूपरेखा

7.0 प्रस्तावना

7.1 उद्देश्य

7.2 विवाह एवं कानून

7.3 विवाह के उद्देश्य

7.4 महिलाओं का संपत्ति संबंधी अधिकार एवं अधिनियम

7.5 महिलाओं का संपत्ति संबंधी अधिकारों का महत्व

7.6 सारांश

7.7 निबंधनात्मक प्रश्न

7.8 संदर्भ ग्रंथ सूची

7.0 प्रस्तावना :

सामाजिक कल्याण का महत्व समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए है परंतु महिलाओं के लिये सामाजिक कल्याण का महत्व कुछ और भी ज्यादा है इसका कारण यह है की महिलाओं को समाज का शायद उपेक्षित वर्ग माना जाता रहा है। महिलाओं में शिक्षा, सशक्तिकरण, कानून व संवैधानिक प्रावधान के प्रति जागरूकता की कमी है। इसी संदर्भ में भारतीय महिलाओं को भी आज अधिकार दिए जाने की जरूरत है। जब इन्हें वास्तविक रूप से स्वयं के प्रति कानून एवं संवैधानिक प्रावधान की जागरूकता होगी तभी महिलाओं का सामाजिक कल्याण संभव हो पाएगा। इसी संदर्भ में

पी एल कैसलमैन कहते है की महिला कल्याण के अंतर्गत वे सब प्रयास आते हैं जो महिलाओं के बेहतरी के प्रयोजन से युक्त होती हैं। महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक उन्नति ही इसका लक्ष्य होता है। अतार्थ महिलाओं की समस्याओं को दूर करके उनके विकास एवं कल्याण में मदद करने के तरीके को महिला कल्याण कहा जाता है। जिन देशों में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार एवं सुख-

सुविधाएं प्राप्त नहीं होता है। वहाँ महिला कल्याण की बात होना आवश्यक प्रतीत होता है। भारत में भी महिला कल्याण एक महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि यहॉ पुरूषों की अपेक्षा महिलायें विकास पटल पर पिछड़ी मानी जाती है।

भारत में महिला कल्याण कार्यक्रम-: स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की दशा एवं दिशा सुधारने के अनेक कार्यक्रम शुरू किये गए। साथ ही महिलाओं के विकास एवं प्रगति के लिये अनेकों उपबंध बनाए गए। योजना आयोग की विभिन्न **पंचवर्षीय योजनाओं (1951-2017)** में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिये कई कदम उठाए गए है देश में सरकार तथा सार्वजनिक अभिकरणों द्वारा महिला कल्याण के लिये निम्नलिखित संवैधानिक प्रयास किये गए। वर्तमान में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएँ अब महिलाओं को कुछ विशेष अधिकारों से सम्पन्न कर रही है और इसके लिए अनेकों कानून एवं संविधानों में संशोधन किए जा रहे है ताकि उन्हें सामाजिक-आर्थिक अन्य सभी क्षेत्रों में बराबरी का दर्जा दिया जाएं, जिससे महिलाओं के कल्याण हेतु संभावित ताकि महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए महिला कल्याण एवं सरंक्षण हेतु नए–नए कानून बनाए जा रहे हैं। महिलाओं से संबन्धित ये अधिकार एवं कानून, संविधान के मौलिक अधिकारों के साथ-साथ राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में भी शामिल किया गया है। जिसकी प्रमुख विशेषता यह है की इसमें महिलाओं और पुरूषों को समान अधिकार दिए गए है इसके अतिरिक्त महिलाओं की स्थिति पुरूषों के समान बनाने एवं उनके विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है।

भारतीय संविधान महिला-पुरूषों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करता है अर्थात संविधान न तो पुरूषों का पक्ष लेता है और न ही महिलाओं का विरोध करता है। जिस प्रकार संविधान की नजर में महिला-पुरूष समान है। उसी प्रकार महियालों के पक्ष में बने कानूनों ने भी उन्हें पुरूषों के समान दर्जा दिलाकर उनके लिये समुचित न्याय का भी प्रावधान किया है। महिलाओं के हक में **दहेज प्रतिषेध अधिनियम, भरण-पोषण संबंधी कानून, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, मातत्त्व लाभ अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, बाल विवाह अवरोध अधिनियम और अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम आदि** जैसे अनेक कानून बने हैं। जिनके करण महिलाओं की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है जो महिलाओं की वास्तविक स्थिति में सुधार के लिये आवश्यक है।

भारत में महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कई कानून और संवैधानिक प्रावधान बनाए गए हैं, जो उनकी सुरक्षा, समानता, और सामाजिक-आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करते हैं। प्रजातांन्त्रिक मूल्यों के विकास के साथ ही कानून एवं संवैधानिक प्रावधान भी किसी न किसी रूप से अब

महिलाओं तक पहुचने लगे हैं।जिसमें आधुनिकीकरण का भी महत्वपूर्ण रूप से योगदान रहा है आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप महिलाओं में भी कानून एवं संवैधानिक प्रावधानों के प्रति रूचि का बढ़ी है। इसीलिए यह अपेक्षा की जाती है कि आधुनिकीकरण के साथ ही महिलाओं में कानूनी ज्ञान, चेतना एवं सहभागिता का भी विकास होगा। स्वतंत्रता के पश्चात् महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए गये। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्रयास किए गये, परन्तु इन प्रयासों का क्रियान्वयन उचित ढंग से न हो पाने के कारण इन क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी तो है, पर उनको इसका पर्याप्त लाभ नही मिल पा रहा है। साथ ही महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अनेक कल्याणकारी व रोजगार परक योजनाएं बनायी गयी। इन योजनाओं से संबन्धित कानून एवं संवैधानिक प्रावधान के प्रति जागरूकता के विकास के कारण महिला कल्याण एवं स्थिति में निरन्तर विकास हुआ है। महिला कल्याण के विकास को ध्यान में रखते हुए महिलाओं से संबंधित विवाह एवं कानूनों पर प्रकाश डालना आवश्यक है।

7.1 उद्देश्य:

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप –

1- सामाजिक कल्याण को समझ पाएंगे।

2- विवाह के महत्व एवं संबंधित कानूनों को समझ पाएंगे।

3- महिलाओं के संपत्ति संबंधित अधिकारों के बारे में ज्ञान अर्जित कर सकेंगे।

7.2 विवाह एवं कानून:

विवाह एक मौलिक और सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है जो प्रत्येक देश, काल, समाज और संस्कृति में पायी जाती रही है। समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों के अन्तर्गत स्त्री-पुरूष को यौन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे एक ढंग से नियन्त्रित करने, स्थिर रखने तथा परिवार को स्थायित्व देने के लिए विवाह संस्था को हत्वपूर्ण सामाजिक इकाई माना जाता है। **दुबे (1982)** ने भी कहा है कि,‘‘परिवार निर्माण के लिए दो आवश्यक सदस्य पति-पत्नी होते हैं। यौन सम्बन्धों को स्थिर करने और परिवार को स्थायी रूप देने के लिए ही विवाह संस्था का जन्म हुआ है।’’ मात्र यौन सम्बन्धों को ही विवाह

का उद्देश्य मानना गलत होगा क्योंकि कई यौन सम्बन्ध विवाह में परिणत नहीं होते। इसी संदर्भ में **मैलिनोवस्की के अनुसार** विवाह एक ऐसा अनुबंध है जिससे यौन संबंधों को वैधता मिलती है और संतान को सामाजिक पहचान। विवाह द्वारा आर्थिक सहकार सामाजिक दायित्व और आत्मीय भावनात्मक सम्बन्ध की श्रंखला भी जुडने लगती है। **मैकाइवर और पेज** के अनुसार विवाह एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो पुरुष और स्त्री के बीच वैध यौन संबंधों को मान्यता देती है।

विवाह भिन्न-भिन्न समाजों में भिन्न-भिन्न प्रकार के पाये जाते हैं। अतः इसे सांस्कृतिक संस्था के रूप में स्वीकार करना चाहिए। भारतीय हिन्दू समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार एवं जीवन भर का एक सामाजिक बंधन है, जिसे हिन्दू सामाजिक मूल्यों के अनुसार किसी भी स्थिति में तोडना उचित नहीं माना जाता है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में पति-पत्नी दोनों की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती है। पत्नी के अभाव में व्यक्ति अपूर्ण माना जाता है। समाज में विवाहित जोड़े की जिम्मेदारिया बढ़ जाती हैं, साथ ही उन्हें समाज की विशेष अपेक्षाओं के सन्दर्भ में कार्य करना पड़ता है। व्यक्ति के सारे निर्णय एवं व्यवहार एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार विवाह व्यक्ति की व्यक्तिगत संतुष्टियों तथा उसके सामाजिक दायित्वो के विस्तार का महत्वपूर्ण आधार है, **कपाडिया (1966)**। अतः व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति उसके सामाजिक सम्बन्धों, दायित्वों तथा भूमिकाओं को निर्धारित करती है और उसके सामाजिक सम्बन्धों के विस्तारण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। मनुष्य के सामाजीकरण में भी विवाह का महत्वपूर्ण योगदान है। विवाह संस्था का प्रमुख कार्य, संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरित करने में सहायता देना तथा स्थायित्व बनाये रखना है। अतः संस्कृति को कायम रखने के लिए वैवाहिक सम्बन्धों को कायम रखना अपरिहार्य है।

महिलाओं के विवाह संबंधी अधिकार भारतीय कानूनों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विभिन्न कानूनों के तहत महिलाओं को उनके विवाह संबन्धित अधिकारों की रक्षा की जाती है। निम्नलिखित प्रमुख कानूनों के माध्यम से इन अधिकारों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। **भारत में विवाह अधिनियमों को मुख्य रूप से बाल विवाह निग्रह अधिनियम(1929), हिंदू विवाह अधिनियम (1955), विशेष विवाह अधिनियम(1954), और मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1937 आदि में विभाजित किया जा सकता है।**

हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम,1856 (The Hindu Widows Remarriage Act, 1856) - यह अधिनियम भारतीय समाज में विधवाओं की दुर्दशा को देखते हुए बनाया गया था। इसका उद्देश्य **हिन्दू विधवाओं को पुनर्विवाह का कानूनी अधिकार** देना था। यह कानून भारत में सामाजिक

सुधार आंदोलन के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सामने आया। **राजा राममोहन राय** और **ईश्वरचंद्र विद्यासागर** जैसे समाज सुधारकों ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया। जिसने हिन्दू विधवाओं के विवाह में आने वाली सभी कानूनी अड़चनों को दूर कर किया। यह अधिनियम घोषित करता था की ऐसी विधवा जिसका पति स्वर्गवासी हो गया हो, का पुनर्विवाह वैध है और ऐसे विवाह की कोई भी संतान अवैधानिक नहीं होगी ।साथ यह अधिनियम विधवा को पहले पति की संपत्ति में से निर्वाह अधिकार प्राप्त करने से वंचित करता है।

बाल विवाह निग्रह अधिनियम,1929 (The child Marriage Restrlint Act,1929)- यह अधिनियम Ist अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। यह अधिनियम बाल विवाह को रोकने का कार्य करता है। जिसमें 14 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह करना कानूनी अपराध था। तत्पश्चात लड़की की आयु बड़ाकर 15 वर्ष कर दी गयी थी। 1978 में सुधार के बाद लड़की आयु 18 वर्ष कर दी गयी। अधिनियम के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है लेकिन विवाह स्वयं में वैध रहता है। अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञय (Non-cognizlble) है। और इसके अंतर्गत माता-पिता, वर, संरक्षक और पंडित तक के लिये तीन माह का साधारण कारावास और 1000 रुपए तक का अर्थ दंड है।

हिन्दू विवाह निर्योग्यता निवारक अधिनियम,1946 (The Hindu Marriage Disabilities Removal Act., 1946)- हिंदुओं में कोई भी विवाह यदि निषेधों की सीमा में आपस में संबन्धित व्यक्तियों के मध्य हुआ है तो वह वैध नहीं है जब तक ऐसा विवाह रिवाजों द्वारा मान्यता प्राप्त न हो। इस अधिनियम के अंतर्गत एक ही गोत्र और प्रवर के व्यक्तियों के मध्य विवाह वैध करार दिया गया। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के पारित होने के बाद यह अधिनियम निरस्त हो गया है।

हिन्दू विवाह वैधता अधिनियम, 1949 (The Hindu Marriage Vllidity Act. 1949) – 1940 तक हिन्दुओं में प्रतिलोम विवाह अवैध तथा अनुलोम विवाह अनुमान्य था, यद्यपि इस प्रकार के विवाहों की वैधता के विरूद्ध न्यायिक निर्णय थे। 1949 के अधिनियमों ने वे सभी विवाह वैध घोषित कर दिए जो भिन्न जातियों, धर्मों, उपजातियों एवं विश्वासों के लोगों के बीच सम्पन्न हुए हो। लेकिन एक हिन्दू मुसलमान के बीच विवाह को वैध नहीं मन गया। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के पारित होने के बाद यह अधिनियम निरस्त हो गया है ।

विशेष विवाह अधिनियम,1954 (The Special Marriage Act.,1954) – यह अधिनियम सर्वप्रथम Ist अप्रैल 1955 को प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के पश्चात 1872 का विशेष विवाह

अधिनियम निररस्त हो गया जो उन व्यक्तियों को, जो वर्तमान स्वरूपों का पालन नहीं करना चाहते थे, ने एक नया स्वरूप दिया। 1872 के अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान था की जो व्यक्ति विवाह के इच्छुक होते थे उन्हें घोषणा करनी होती थी की वे जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, पारसी, ईसाई या हिन्दू किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। **यह अधिनियम** केवल एक कानून नहीं, बल्कि **भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की पहचान** है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक समरसता का वाहक है। हालाँकि इसमें व्यावहारिक चुनौतियाँ हैं, फिर भी यह एक ऐसा कानूनी उपकरण है जो आधुनिक भारत में **प्रेम, स्वतंत्रता और समानता** को संरक्षित करता है। यह हिंदू-मुस्लिम, सिख-ईसाई जैसे अंतरधार्मिक विवाहों को स्वीकार्यता देता है। यह अधिनियम उन सामाजिक बंधनों को चुनौती देता है, जो जाति, गोत्र और धर्म के नाम पर विवाह को रोकते हैं। इससे समाज में **धार्मिक सहिष्णुता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता** को बल मिलता है। यह अधिनियम महिलाओं को बराबरी का दर्जा देता है। विवाह, तलाक और भरण-पोषण से जुड़े अधिकार महिला को स्वतः प्राप्त होते हैं, जिससे **पितृसत्तात्मक संरचना को चुनौती** मिलती है।

हिन्दू विवाह अधिनियम,1955 (The Hindu Marriage Act. 1955)– यह अधिनियम 18 मई 1955 से प्रभावी हुआ और जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर समस्त भारत में लागू होता है। इस अधिनियम में **'हिन्दू'** शब्द में जैन, बौद्ध, सिख और अनुसूचित जातियाँ सम्मिलित है। 1978 के संशोधन के अनुसार लड़की की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। अधिनियम में विवाह सम्पन्न करने के लिये किसी विशेष स्वरूप का प्रावधान नहीं है। सम्बद्ध पक्षों को स्वतंत्रता है की वे प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह सम्पन्न करें। अधिनियम न्यायिक पृथक्करण तथा विवाह निरस्त करने की प्रक्रिया की अनुमति देता है। सन् 1986 का संशोधन परस्पर सहमति तथा असंगतता के आधार पर विवाह विच्छेद की अनुमति देता है। जिसमें विवाह विच्छेद तभी हो सकता जब विवाह को दो वर्ष पूरे हो चुके हो पहले यह अवधि तीन वर्ष थी। अधिनियम में पृथक्करण के बाद गुजारा भत्ता (Maintenance Allowance) तथा विच्छेद के बाद निर्वाह व्यव (Aimony) का प्रावधान है। कोई भी पक्ष चार आधारों पर न्यायिक पृथक्करण ले सकता है : दो वर्ष तक निरंतर त्याग, निर्दयी व्यवहार, कोढ़, व्यभिचार। जबकि विवाह को निम्नलिखित चार आधारों पर निरस्त किया जा सकता है :

1- विवाह के समय विवाहित स्त्री/पुरुष नपुंसक रहा हो।

2- विवाह के समय दोनों में एक पागल या मूर्ख रहा हो।

3- माता-पिता या संरक्षक की सहमति बलात ली गयी हो या धोखे से ली गयी हो।

4- विवाह के समय पति-पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से गर्भ धारण कर चुकी हो।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (The Dowry Prohibition Act., 1961)- यह अधिनियम 20 मई 1961 को पारित हुआ। इसका आशय का विधेयक 27 अप्रैल 1959 को तत्कालीन **विधि मंत्री श्री ए . के . सेन** द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, परंतु राज्य सभा ने इसे स्वीकार नहीं किया था। तत्पश्चात लोकसभा ने कुछ संशोधन के साथ इसे पुनः राज्य सभा में भेजा, परंतु राज्य सभा ने इसे पुनः अस्वीकार कर दिया। तब यह विधेयक सयुक्त प्रवर समिति (Joint Select Committee) को संदर्भित किया गया। समिति की सिफारिशों पर लोकसभा एवं राज्य सभा की सयुक्त बैठक में बहस हुई तब यह पारित हो सका। यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा **दहेज प्रथा** को रोकने और इससे संबंधित अपराधों को **कानूनी रूप से दंडनीय** बनाने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि विवाह के 7 वर्षों के भीतर किसी महिला की मृत्यु **अस्वाभाविक परिस्थितियों में होती है** और यह सिद्ध होता है कि उसे **दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया,** तो पति या ससुराल पक्ष के व्यक्ति को **कम से कम 7 साल और अधिकतम उम्रकैद** की सजा दी जा सकती है। अतः दहेज जो एक सामाजिक समस्या है, को समाप्त करने हेतु यह अधिनियम महिलाओं के सम्मान, समानता और सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

I. बोध प्रश्न

1- बाल विवाह निग्रह अधिनियम कब पारित हुआ था?
2- हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था?
3- मकीवर एवं पेज के विवाह को परिभाषित कीजिए।

7.3 विवाह के उद्देश्य:

पारिवारिक जीवन: विवाह का मुख्य उद्देश्य एक परिवार बनाना और एक साथ रहना है।

सामाजिक स्थिरता: विवाह सामाजिक स्थिरता और निरंतरता में योगदान देता है।

कानूनी मान्यता: विवाह दो व्यक्तियों को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संबंध में लाता है, जिससे उन्हें विभिन्न अधिकार और लाभ प्राप्त होते हैं।

विवाह अधिनियम के महत्व (Importance of Marriage Acts) भारतीय समाज में क़ानूनी, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक हैं। ये अधिनियम विवाह को एक वैधानिक (legal) संस्था के रूप में स्थापित करते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं में विवाह अधिनियमों का महत्व बताया गया है:

1. **विवाह को कानूनी मान्यता देना**

विवाह अधिनियम किसी विवाह को वैधानिक रूप से मान्यता प्रदान करते हैं, जिससे पति-पत्नी के अधिकार और कर्तव्यों को तय किया जा सके।

2. **विवाह की न्यूनतम आयु तय करना**

अधिनियमों के अंतर्गत विवाह के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है (पुरुष: 21 वर्ष, महिला: 18 वर्ष)। इससे बाल विवाह को रोकने में मदद मिलती है।

3. **जबरदस्ती और धोखे से विवाह की रोकथाम**

क़ानून यह सुनिश्चित करता है कि विवाह दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति से हो, ना कि बलपूर्वक या धोखे से।

4. **स्त्री और पुरुष दोनों के अधिकारों की सुरक्षा**

विवाह अधिनियम महिलाओं को बराबरी का दर्जा देते हैं और उन्हें पति से जुड़े अधिकार (जैसे भरण-पोषण, संपत्ति, तलाक, पुनर्विवाह) प्रदान करते हैं।

5. विवाह पंजीकरण की अनिवार्यता

विवाह को कानूनी रूप से पंजीकृत करना आवश्यक होता है, जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि विवाह वैध है।

6. तलाक और न्यायिक प्रक्रिया: - यदि पति-पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं हैं, तो विवाह अधिनियम तलाक की वैधानिक प्रक्रिया और शर्तें तय करते हैं।

7. विधवा पुनर्विवाह और अंतरधार्मिक विवाह को मान्यता

कुछ अधिनियम (जैसे विशेष विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम) सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

8. दहेज और उत्पीड़न से सुरक्षा

इन अधिनियमों के साथ अन्य कानून जैसे दहेज निषेध अधिनियम मिलकर महिलाओं को दहेज उत्पीड़न से सुरक्षा देते हैं।

7.4 महिलाओं का संपत्ति संबंधी अधिकार एवं अधिनियम:

संपत्ति के संबंध में महिलाओं के अधिकार के बारे में विविध जातियों तथा विभिन्न धर्मों में विविध प्रथाएं प्रचलित थी, किन्तु धीरे-धीरे महिलायें स्वयं संपत्ति समझी जाने लागी, अतः उन्हें संपत्ति में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। समय की मांग एवं बदलती सामाजिक परिस्थितियों में पुनः महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार देने की मांग बलवती होने लागी। अतः अंग्रेजी शासन काल में तथा आजादी के बाद इस संबंध में कानून बनाने का प्रयास किया गया। प्राचीन काल में वैदिक युग में महिलाओं का समाज में आदरपूर्ण स्थान था। उन्हें शिक्षा, धार्मिक क्रियाओं, विवाह, धन-सम्पत्ति के स्वामित्व की दृष्टि से पुरूषों के समान ही सुविधाएँ एवं अधिकार प्राप्त थे। कालान्तर में यह स्थिति बदल गई। समाज में स्त्रियों का स्थान पुरूषों से निम्नतर होता चला गया। वर्ण व्यवस्था की कठोरता एवं धार्मिक प्रतिबंधों के कारण स्त्री पुरूष पर आर्थिक रूप से आधारित मानी जाने लगी। मनुस्मृति के अनुसार-''स्त्रियों को कभी भी स्वतंत्र नहीं रखा जाए। पुत्री के रूप में वह अपने पिता के संरक्षण में रहे, पत्नी के रूप में वह पति के अधीन रहे तथा विधवा के रूप में वह अपने पुत्र पर निर्भर रहे। अठाहरवी शताब्दी आते-आते धार्मिक एवं सामाजिक प्रतिबंधों के कारण स्त्रियों की दशा अत्यंत दयनीय हो गई। **19 वीं** शताब्दी के मध्य भारतीय समाज में एक ऐसा बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग विकसित हो गया जो महिलाओं की स्थिति को उन्नत बनाना चाहता था। इसी वर्ग के सहयोग व प्रभाव से कुछ सुधारवादी कानून महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु बनाये गए। जिनमें **सती प्रथा निषेध अधिनियम, 1829, विधवा विवाह अधिनियम 1856, बाल विवाह निषेध अधिनियम-1872, अन्तर्जातिय विवाह 1872** इत्यादि लागू किए गए।

महिला सम्पत्ति अधिनियम:- महिलाओं को विवाह से पूर्व में अपने पति की सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार नहीं था जिसके कारण वे पति पर या विधवा होने पर परिवार के अन्य पुरूष सदस्य पर आर्थिक रूप से निर्भर रहती थी। इस स्थिति में सुधार हेतु **1874 ई. में विवाहित महिला सम्पत्ति अधिनियम पारित** किया गया जिसके अनुसार परिवार की सम्पत्ति पर महिलाओं को अधिकार दिया गया। इससे महिलाओं की पुरूषों पर आर्थिक निर्भरता से उत्पन्न कष्टों से मुक्ति मिलने की दिशा में अच्छी प्रगति हुई। हिन्दू विधिवेत्ताओं ने ये कभी नहीं माना कि महिलायें भी सम्पत्ति की स्वामिनी नहीं हो सकती। परन्तु सम्पत्ति पर स्वामित्व के पूर्ण अधिकार का प्रयोग वह सभी की भांति नहीं कर सकती थी। उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति की वह स्वामिनी थी, उसका उपभोग कर सकती थी, परन्तु हस्तांतरण के अधिकार सीमित थे। धर्मशास्त्रों और टीकाकारों और निबंधकारों द्वारा महिलाओं के सम्पत्ति अधिकारों की विवेचना कर न्यायालयों ने अपनी व्याख्या दी और स्थिति यह उत्पन्न हुई है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के पूर्व हिन्दू-विधि में महिलाओं की सम्पत्ति मुख्यतया दो भागों में विभक्त होती थी-

1. स्त्रीधन

2. स्त्रीसम्पदा

हिन्दू महिला को सम्पत्ति अधिकार अधिनियम,1937 में नये अधिकार दिये गये, परन्तु स्त्री सम्पत्ति का स्त्रीधन और स्त्री सम्पदा में विभाजन मान्य रहा। अब हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 ने इस संबंध में मूलभूत परिवर्तन किये हैं। स्त्री सम्पदा को समाप्त कर दिया गया है और इस प्रकार सम्पत्ति पर स्त्री को स्वामित्व के पूर्ण अधिकार दिये गये हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा 1937 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया।

स्त्रीधन:- स्त्रीधन दो शब्दो से मिलकर बना है पहला स्त्री और दूसरा धन। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है स्त्री की सम्पत्ति परन्तु इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ में नहीं लिया गया है। इसका संयुक्त अर्थ है नारी की वह सम्पत्ति जिस पर उसका पूर्ण स्वामित्व होता है स्मृतिकारों में इस विषय पर मतभेद है कि कौन सी सम्पत्ति स्त्रीधन कहलाती है। उन्होंने स्त्रीधन का स्पष्ट वर्णन नहीं किया है। स्त्रीधन का प्रांरभ सर्वप्रथम वैदिक युग से हुआ। वैदिक युग में कन्या को विवाह के अवसर पर जो दहेज की वस्तुएं ,आभूषण,घर की सामग्री आदि दिये जाते थे, उसे स्त्रीधन माना जाता था तथा उन वस्तुओं पर स्त्री का पूर्ण स्वामित्व होता था। **अल्तेकर का मत है कि** स्त्रीधन का आंरभ शुल्क (कन्या के पिता का दिया धन) से हुआ तथा **सर हेनरी मेंन** ने भी इस मत की पुष्टि की है। परन्तु विष्णु, कौटिल्य तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से पूर्व स्त्रीधन के प्रकारों में

शुल्क का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। स्त्रीधन का सर्वप्रथम उल्लेख गौतम जी ने किया परन्तु इस पर उन्होने कोई प्रकाश नहीं डाला, तत्पश्चात कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में स्त्रीधन की विस्तार में दो व्यवस्थाएं की-

1. पहली वृत्ति अर्थात जीवन निर्वाह के साधन-भू-सम्पत्ति तथा स्वर्ण को इसमें सम्मिलित किया,

2. आंबध्य अर्थात शरीर से बाँधे जाने वाले आभूषण।

आविवाहित होने या विधवा होने पर महिला को प्रत्येक की भांति स्त्रीधन पर पूर्ण स्वामित्व के सब अधिकारों के प्रयोग, उपभोग और हस्तातंरण के पूर्ण अधिकार थे। जबकि विवाहित होने पर उसके अधिकारों पर कुछ नियंत्रण थे। इस दृष्टिकोण से स्त्रीधन को दो भागों में विभक्त किया गया था।

1. सौदायिका स्त्रीधन: - इसके अंतर्गत प्रेम और स्नेह की भेंट आती थी अर्थात् माता-पिता और पति से और उनके नातेदारों द्वारा भेंट और दान सौदायिका स्त्रीधन कहलाता था।

2. असौदायिका स्त्रीधन: - इसके अंतर्गत अन्य भांति के स्त्रीधन आते थे। प्रथम पर उसे स्वामित्व के पूर्ण अधिकार थे, द्वितीय को वह बिना अपने पति की सहमति से हस्तातंरित नहीं कर सकती थी। स्त्रीधन पर स्त्री के स्वामित्व के पूर्ण अधिकारों को दूसरे स्वरूप के अंतर्गत उसकी मृत्यु के पश्चात्-उसकी सम्पत्ति उसके अपने उत्तराधिकारियों को जाती थी।

हिन्दू महिला के उसके स्त्रीधन सम्पत्ति पर अधिकार:- हिन्दू महिला के उसके स्त्रीधन सम्पत्ति पर निम्न अधिकार होते हैः-

1. उपभोग और कब्जे का पूर्ण अधिकार होता है।

2. उसके हस्तातंरण का पूर्ण अधिकार होता है।

3. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ई. की धारा 15 एवं 16 के अनुसार, उसकी मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारियों को मिलती है।

स्त्री-सम्पदा:- स्त्री सम्पदा अर्थात नारी सम्पदा वह सम्पदा है जिस पर स्त्री को स्वामित्व के पूर्ण अधिकार नहीं है। पूर्ण हिन्दू विधि में नारी द्वारा प्राप्त सम्पत्ति दो प्रकार की होती थी-

1. स्त्रीधन, जो उसकी पूर्ण सम्पत्ति होती थी,

2. नारी सम्पदा, जिसमें उसको सीमित अधिकार प्राप्त था।

इस प्रकार नारी सम्पदा वह सम्पत्ति है जो कोई नारी किसी पुरूष अथवा नारी से दाय अथवा विरासत में पाती है अथवा उसे विभाजन में प्राप्त होती है नारी सम्पदा को 'विधवा सम्पदा अथवा सीमित सम्पदा' के नाम से भी जाना जाता है। वह सम्पत्ति उसे केवल अपने जीवनकाल में उपभोग के लिए प्राप्त होती है। उसकी मृत्यु के पश्चात् यह सम्पदा उसके दायादो अथवा वारिस को प्राप्त न होकर उसके भूतपूर्व स्वामी (चाहे वह पुरूष हो अथवा नारी) के दायादों को प्राप्त होती है।

हिन्दू स्त्री का सम्पत्ति अधिकार अधिनियम,1937- हिन्दू विधवा के उत्तराधिकारों में विषमता को दूर करने के लिये सन् 1937 में हिन्दू स्त्री के सम्पत्ति अधिकार अधिनियम पास किया गया था। 1937 के अधिनियम ने विधवा, विधवा पुत्र-वधू और विधवा पौत्र- वधू को उत्तराधिकार के अधिकार दिये। परंतु उत्तराधिकार प्राप्त सम्पत्ति को महिला, स्त्री-सम्पदा के रूप में लेती थी न कि स्त्री-धन के रूप में। विधवाओं को ये अधिकार न केवल हिन्दू की पृथक सम्पत्ति में दिये गये थे, बल्कि ये अधिकार उन्हें मिताक्षरा सहदायिक के अविभक्त हित में भी दिये गये थे। यह अधिनियम कृषि भूमि पर लागू नहीं होता था। यदि किसी हिन्दू ने अपनी सम्पत्ति विल द्वारा दे दी है तो भी यह अधिनियम लागू नहीं होता था।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,1956- हिन्दू विधि की सम्पत्ति संबंधी विधि में विभिन्न सुधा की आवश्यकता बहुत पहले से ही अनुभव की जा रही थी। सन् 1937 में हिन्दू नारी के लिये सम्पत्ति संबंधी अधिकार अधिनियम पास हो जाने पर सरकार ने **राव कमेंटी** को नियुक्त किया। कमेंटी ने हिन्दू उत्तराधिकार विधि का अध्ययन करने के बाद यह निर्णय दिया, कि हिन्दू नारी व पुत्रियों के प्रति अन्यायपूर्ण विचारधारा को समाप्त करने के लिये यह आवश्यक है, कि उसमें सुधार किया जाये, तत् पश्चात् हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसमें पहली बार महिलाओं को पुरूष की सम्पत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ, साथ ही हिन्दू महिलायें अपनी सम्पत्ति की सम्पूर्ण स्वामिनी घोषित की गई। यह अधिनियम निम्नानुसार लागू होता हैः-

1. संयुक्त परिवारों की दायभाग तथा मिताक्षरा प्रणाली समाप्त कर समस्त हिन्दूओं पर यह अधिनियम लागू किया गया।
2. महिलाओं को पति तथा पुत्र-पुत्री के समान पारिवारिक सम्पत्ति पर हक प्रदान किया गया।
3. महिलाओं के लिये सीमित सम्पत्ति का उत्तराधिकार समाप्त कर पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया।

4. महिलाओं को बीमारी, अंग-भंग अथवा अन्य शारीरिक दोषों के आधार पर उत्तराधिकार से वंचित न करने का प्रावधान किया गया।

5. पैतृक रूप से प्राप्त सम्पत्ति पर बालिग पुत्रियां, पिता से अपने हिस्से की मांग कर सकेगी।

6. पुरूष एवं पुत्र-पुत्री को सम्पत्ति का समानाधिकार प्राप्त हुआ।

7. यदि व्यक्ति की मृत्यु के पूर्व ही उसके पुत्र अथवा पुत्री की मृत्यु हो जाये तो उसके पोता-पोती अपने दादा अथवा नाना से अपने पिता अथवा माता के हिस्से का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे जो उनमें समान रूप से बँटेगा।

8. पत्नी, माता तथा पुत्री के रूप में पति एवं पुत्र की मृत्यु के पश्चात् महिलाओं को क्रमशः पति, पुत्र अथवा पिता की सम्पत्ति पर समानाधिकार की व्यवस्था की गयी।

सन् 1956 के पूर्व मिताक्षरा विधि से सहदायिक सम्पत्ति में अविभाजित भाग को अंतरित करने का अधिकार नहीं था। सन् 1956 के बाद हिन्दू पुरूष व स्त्री की यदि बिना वसीयत किये मृत्यु होती है, तो उनके उत्तराधिकारियों को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार सम्पत्ति प्राप्त होगी। इस अधिनियम से पूर्व **स्त्री सम्पदा** का न्यागमन महिला वारिसों को न होकर उस पुरूष के वारिसों को होता था, जिससे उस महिला को सम्पत्ति प्राप्त हुई थी। इस व्यवस्था को समाप्त करते हुये इस अधिनियम की धारा 15 और 16 में वे नियम बनाये गये हैं। जिसके अधीन हिन्दू स्त्री की सम्पत्ति उत्तराधिकार द्वारा न्यागमित होगा। हिन्दू स्त्री की मृत्यु यदि निर्वसीयत सम्पत्ति छोड़कर होती है, जबकि सम्पत्ति पर उसका धारा 14(1) के आधार पर पूर्ण हित था, तो वह सम्पत्ति धारा 15 में दिये गये नियमों के आधार पर अग्रांकित तरीके से न्यागित होगी।

1. पहले उसकी सम्पत्ति पुत्रों, पुत्रियों, पूर्व मृत पुत्र या पुत्र की संतानों को दी जायेगी।

2. इनके अभाव में सम्पत्ति पति के उत्तराधिकारों को दी जायेगी।

3. इनके अभाव में सम्पत्ति माता-पिता को दी जायेगी।

4. इनके अभाव में पिता के उत्तराधिकारियों को दी जायेगी।

5. अंत में माता के उत्तराधिकारियों को दी जायेगी।

परंतु धारा 15(2) यह प्रावधित करती है, कि यदि किसी हिन्दू महिला की मृत्यु निःसंतान हुयी है तो यह देखा जायेगा कि उसे सम्पत्ति कहां से प्राप्त हुयी थी। यदि महिला के पास सम्पत्ति स्वयं के परिश्रम के द्वारा अर्जित है तो सम्पत्ति का न्यागमन उपयुक्त क्रम के आधार पर ही वारिसों को होगा, लेकिन यदि महिला को सम्पत्ति अपने माता-पिता से उत्तराधिकार में मिली है तो निःसंतान मृत्यु होने पर वह सम्पत्ति केवल पिता के उत्तराधिकारियों को दी जायेगी और यदि सम्पत्ति उसे अपने पिता या ससुर से उत्तराधिकार में प्राप्त हुयी है तो वह केवल पति के उत्तराधिकारियों को दी जायेगी। लेकिन इस अधिनियम की धारा 14 के द्वारा नारी के सम्पत्ति पर अधिकार के संबंध में महत्पूर्ण परिवर्तन किया गया है, जिसके अनुसार इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पूर्व महिला द्वारा अर्जित सभी सम्पत्ति और अधिनियमित होने के बाद अर्जित समस्त सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी बना दी गई है। अब हिन्दू नारी पूर्ण स्वामिनी की हैसियत से सम्पत्ति को बिक्री करने या किसी प्रकार भी हस्तांतरित करने के लिये स्वतंत्र है, वह सम्पत्ति अर्जित भी कर सकती है। इसलिये यदि कोई विधवा पति की सम्पत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करने के बाद पुनः विवाह कर लेती है, तो वह पति से उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति से वंचित नहीं की जायेगी।

हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम,2005:- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 का संशोधन एक क्रांतिकारी कदम था। इसने बेटियों को जन्म से ही संयुक्त परिवार की संपत्ति में सहभागी बनने और विरासत में समान रूप से हिस्सा लेने के लिए बेटों के समान अधिकार दिए। इस बदलाव ने न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया। इसी आधार पर हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा महिलाओं को भी सहदायिकी में सम्मिलित कर लिया गया है। हालांकि पत्नी तथा माता को विभाजन हो जाने पर एक निश्चित अंश ही प्रदान किया जाता था।

अतः हिन्दू उत्तराधिकार,1956 अधिनियम में 2005 में किये गए महत्वपूर्ण संशोधनों के तहत मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब में सहदायिकी की पुत्री भी पुत्र के समान सहदायिकी (coparcenary) सम्पत्ति में समान हिस्सा रखेगी और कोई पुरूष हिन्दू की यदि निर्वसीयती मृत्यु हो जाती है तो उसकी सम्पत्ति हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत न्यागत होगी। **हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956** में 9 सितंबर 2005 में हुए संशोधन के अनुसार बेटियों को पैतृक संपत्ति में हमवारिस होने का कानूनी अधिकार दिया गया है। हिन्दू उत्तराधिकार कानून में बेटियां हिन्दू अविभाजित परिवार का हिस्सा मानी जाती थी, समान उत्तराधिकारी नही लेकिन वर्तमान में हुए संशोधनों के बाद विवाह होने के बाद भी वह पिता की संपत्ति में अपना दावा कर सकती है। यदि 2005 से पहले बेटी का जन्म हुआ

है तो भी संशोधन का लाभ ले सकेगी और वो पिता की पैतृक सम्पत्ति पर दावा कर सकेगी और यदि पिता की मौत 9 सितंबर 2005 से पहले हो चुकी हो तो सम्पत्ति को पिता की वसीयत के अनुसार बाँटा जाएगा।

संपत्ति संबंधी अधिकार (Property Rights) में संशोधनों के परिणामस्वरूप भारत में महिलाओं के संपत्ति के अधिकार एक महत्वपूर्ण और विकसित क्षेत्र है। ऐतिहासिक रूप से, महिलाओं को संपत्ति के अधिकारों में पुरुषों के बराबर माना जाने लगा था। भारतीय समाज में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार अब कानूनी रूप से पुरुषों के समान है। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन के बाद, बेटियों को बेटों के समान पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं को अपनी निजी संपत्ति पर भी पूरा अधिकार है, जिसे वे अपनी इच्छानुसार बेच या दान कर सकती हैं।

हिन्दू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम:- निर्वसीयत (Intestlte) मरने वाली हिन्दू नारी की सम्पत्ति धारा 16 में दिए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित का न्यागत होगी-

(क) प्रथमतः पुत्रों और पुत्रियों (जिसके अंतर्गत किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी हैं) और पति को

(ख) द्वितीयतः पति के वारिसों को

(ग) तृतीयतः माता और पिता को

(घ) चतुर्थतः पिता के वारिसों को

(ड) अन्ततः माता के वारिसो को

संपत्ति संबंधी अधिकारों के प्रकार (Types of Property Rights):

1. स्वामित्व का अधिकार (Right to Ownership) - किसी व्यक्ति को संपत्ति का मालिक बनने, उसे बेचने या हस्तांतरित करने का पूरा अधिकार होता है।

2. उपयोग का अधिकार (Right to Possession & Use) - संपत्ति पर कब्जा रखने और उसका उपयोग (जैसे—रहने, किराए पर देने या व्यापार करने) का अधिकार।

3. हस्तांतरण का अधिकार (Right to Tr l nsfer)- संपत्ति को बेचने, गिफ्ट करने, वसीयत लिखने या लीज पर देने का अधिकार।

4. विरासत का अधिकार (Right to Inheritlnce) - कानूनी उत्तराधिकार के तहत संपत्ति पाने का अधिकार (जैसे—बेटी, पत्नी या माता-पिता का हिस्सा)।

5. संपत्ति से आय प्राप्त करने का अधिकार (Right to Elrn Income from Property) - किराया, लाभ या कृषि उपज से आय प्राप्त करने का अधिकार।

6. संपत्ति की रक्षा का अधिकार (Right to Protect Property) - अगर कोई अवैध रूप से संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करे, तो कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार।

संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300l: कानून के अधीन व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। जबकि 44वें संविधान संशोधन (1978) के बाद संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, लेकिन यह एक कानूनी अधिकार है।

अन्य कानूनी अधिकार

भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के विकास में कई अन्य कानूनों ने भी योगदान दिया है। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम, 1874, पत्नी की संपत्ति को उसके पति और ऋणदाताओं से बचाता है। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, वैवाहिक घरों में महिलाओं के अधिकारों को और अधिक सुरक्षित बनाता है।

- **माँ के रूप में महिलाओं के संपत्ति अधिकार :** यदि किसी बच्चे की मृत्यु बिना वसीयत छोड़े हो जाती है तो उसकी मां को अपने बच्चों से उत्तराधिकार पाने का अधिकार है।
- **संपत्ति का अधिकार:** वह अपनी इच्छानुसार अपनी संपत्ति का स्वामित्व रख सकती है, उसे बेच सकती है या उपहार में दे सकती है।
- **पति की संपत्ति में हिस्सा:** विधवा होने के नाते, वह अन्य उत्तराधिकारियों के साथ अपने पति की संपत्ति में हिस्सा पाने की हकदार है।
- **बेटी के रूप में महिलाओं के संपत्ति अधिकार** : हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के तहत बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में बेटों के समान अधिकार प्राप्त हैं, जिससे वे सहदायिक बन जाती हैं। यह हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों पर लागू होता है।

- **स्व-अर्जित संपत्ति का अधिकार**: बेटियाँ बिना किसी लिंग-आधारित प्रतिबंध के अपनी स्व-अर्जित संपत्ति का स्वामित्व, प्रबंधन और निपटान कर सकती हैं।
- **विवाहित महिला के रूप में महिलाओं के संपत्ति अधिकार :** यह उस संपत्ति को संदर्भित करता है जो एक महिला अपनी शादी के दौरान अर्जित करती है, जिसमें उसके माता-पिता, उसके पति और उसके ससुराल वालों से उपहार शामिल हो सकते हैं। उसका अपने स्त्रीधन पर पूरा नियंत्रण होता है।
- **पति की संपत्ति पर अधिकार:** पति की मृत्यु के बाद, वह अपने अन्य उत्तराधिकारियों के साथ उसकी संपत्ति में बराबर हिस्सा पाने की हकदार है। यह हिस्सा पति के धर्म पर लागू उत्तराधिकार कानूनों द्वारा परिभाषित किया जाता है।
- **गुजारा भत्ता और भरण-पोषण का अधिकार:** अलगाव या तलाक की स्थिति में, एक विवाहित महिला गुजारा भत्ता या भरण-पोषण की हकदार हो सकती है, जिसमें न्यायालय के निर्णय के आधार पर पति की संपत्ति का हिस्सा भी शामिल हो सकता है।

II- बोध प्रश्न

1- हिन्दू-विधि में महिलाओं की सम्पत्ति मुख्यतया कितने भागों में विभक्त थी?

2- माता-पिता और पति से और उनके नातेदारों द्वारा भेंट और दान ……………कहलाता था।

7.5 महिलाओं का संपत्ति संबंधी अधिकारों का महत्व:

महिलाओं के संपत्ति अधिकार -भारतीय समाज में लैंगिक समानताए आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इन अधिकारों ने महिलाओं को केवल पत्नी या बेटी के रूप में नहींए बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में संपत्ति में हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया है।

1. लैंगिक समानता की स्थापना- महिलाओं को पुरुषों के समान संपत्ति में अधिकार देना संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 15 (लैंगिक भेदभाव का निषेध) के अनुरूप है।

2. आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता- संपत्ति पर अधिकार से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है, जिससे वे निर्णय लेने की स्थिति में आती हैं।

3. पारिवारिक शोषण से सुरक्षा- यदि महिला को विवाह या विधवा होने पर संपत्ति का अधिकार प्राप्त है, तो वह दहेज प्रथा, त्याग, और घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं से अधिक प्रभावी ढंग से लड़ सकती है।

4. पुनर्विवाह या अकेले जीवन के विकल्प - संपत्ति में अधिकार होने से विधवा या तलाकशुदा महिलाएँ अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जी सकती हैं और समाज पर निर्भरता कम होती है।

5. संतानों की भलाई और उत्तराधिकार - मां के पास संपत्ति का अधिकार होने से उसकी संतानें भी सुरक्षित रहती हैं। वह शिक्षा, स्वास्थ्य, और पालन-पोषण के लिए निर्णय ले सकती है।

7.6 सारांश:

विवाह अधिनियम भारत में विभिन्न धर्मों और समुदायों के व्यक्तियों के वैवाहिक संबंधों को **कानूनी रूप से मान्यता** देने वाला कानून है। इसका उद्देश्य विवाह को **संगठित, वैध और न्यायपूर्ण** बनाना है, जिससे पति-पत्नी के अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जा सकें।विवाह अधिनियम भारतीय समाज में विवाह को **न्यायसंगत, वैधानिक और समान अधिकार आधारित** संस्था बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह अधिनियम न केवल विवाह को कानूनी रूप से सशक्त बनाता है, बल्कि पति-पत्नी और संतान के बीच पारिवारिक सुरक्षा और दायित्वों को भी सुनिश्चित करता है।

महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना लैंगिक समानता, आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले समाज में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार बहुत सीमित था, लेकिन समय के साथ कानूनों में सुधार कर उन्हें बराबरी का दर्जा दिया गया। यह अधिकार केवल कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि समानता, सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सामाजिक क्रांति है। यह अधिकार उन्हें एक सशक्त और स्वतंत्र नागरिक के रूप में स्थापित करता है।

बोध प्रश्नों के उत्तर :

i - उत्तर के लिए 7.2 देखिए

ii - उत्तर के लिए 7.5 देखिए

7.7 निबंधनात्मक प्रश्न:

1- महिला कल्याण से आप क्या समझते हो? भारत में महिला कल्याण कार्यक्रमों की संक्षेप में चर्चा कीजिए।

2- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं का संपत्ति संबंधी अधिकार भारतीय समाज के लिये कितना आवश्यक है? स्पष्ट कीजिये।

3- भारत में विवाह से संबंधित कानूनों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए।

4- विवाह एवं महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में विवाह अधिनियमों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

5- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में महिलाओं को संपत्ति के अधिकारों की व्याख्या कीजिए।

7.8 संदर्भ ग्रंथ सूची:

1- सिंह, डॉ. निशांत, ''सामाजिक सुरक्षा और महिलायें'', खुशी पब्लिकेशन, 2011.

2- गर्ग, डॉ. वीना, ''भारतीय महिलायें : एक विश्लेषण'', आर्या पब्लिकेशन, 2011.

3-https://www.blsichomeloln.com/blog/home-lolns/womens-rights-to-property-in-indil.

4- केसरी, डॉ. यू.पी.डी. एवं केसरी, डॉ . आदित्य: हिन्दू विधि, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहबाद,2011, पृ-364.

5- केसरी, डॉ. यू.पी.डी. एवं केसरी, डॉ. आदित्यः हिन्दू विधि, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 2018 पृ.256-257

6- दीवान, डॉ., पारस एवं दीवान पीयूषी: आधुनिक हिन्दू विधि, इलाहाबाद लॉ एजेंन्सी पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 2011, पृ. 368- 369

7- गुप्ता, डॉ. एच.पीः नारी एवं बाल विधि, इलाहाबाद लॉ एजेंसी, इलाहाबाद, 2006, पृ.240.

8- वाधवा, एस.केः ''घरेलू हिंसा एवं यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण कानून'', वाधवा पब्लिशिंग हाउस, ग्वालियर, 2009, पृ. 287-288.

9- ठाकुर, एम. के, ''उत्तराधिकार विधियाँ'', इंण्डिया लॉ हाउस, इन्दौर, 2010, पृ. 355.

10- आहूजा, राम एवं आहूजा, मुकेश., ''समाजशास्त्र:विवेचना एवं परिप्रेक्ष्य'', रावत पब्लिकेशन, 2008.

ईकाई-8 महिलाओं के व्यवसाय से संबंधित कानून
Laws Relating to Women's Occupation

इकाई की रूपरेखा

8.0 प्रस्तावना

8.1 उद्देश्य

8.2 कामकाजी महिलाओं की समस्याएं

8.2.1 नगरीय समाज की व्यवसाय से संबंधित महिलाओं की समस्याएं

8.2.2 विभिन्न वर्गों की कामकाजी महिलाओं की समस्याएं

I. उच्च एवं मध्यम वर्ग की महिलाएं

II. निम्न वर्ग की महिलाएं

III. अत्यधिक निर्धन वर्ग की महिलाएं

8.3 महिला एवं पंचवर्षीय योजनाएं

8.4 महिलाओं के व्यवसाय से संबंधित कानून का महत्व एवं परिणाम

8.5 सारांश

8.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

8.7 निबंधनात्मक प्रश्न

8.8 संदर्भ ग्रंथ

8.0 प्रस्तावना -

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में व्यवसाय से जुड़ी महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। जिसमें महिलायें कार्यस्थल के अतिरिक्त पारिवारिक भूमिकाओ का भी निर्वहन कर रही है। साथ ही महिलाएं पारिवारिक गृह सीमाओं से बाहर निकलकर व्यवसायिक क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रही है। जहां

स्वतंत्रता से पूर्व महिलाएं घरेलू कार्यों में संलग्न रहती थी, वही औद्योगीकरण के पश्चात महिलायें घर की चारदीवारी से निकाल कर व्यावसायिक क्षेत्रों में भी आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करने लगी। प्रारंभ में महिलाओं को व्यावसायिक क्षेत्रों से संबंधित कानूनी अधिकारों जानकारी नहीं हुआ करती थी, परंतु व्यवसाय के प्रति जगरूकता द्वारा महिलाओं की कार्यक्षेत्र के प्रति व्यावसायिक चेतना का विकास हुआ। जिसका प्रभाव केवल समाज के उच्च वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहा है। परंतु निम्न वर्ग की महिलायें इन व्यावसायिक अधिकारों से वंचित रही है जिसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक क्षेत्रों में कार्यरत निम्न एवं उच्च वर्ग की महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु संवैधानिक प्रयास किए गये।

19 वीं शताब्दी के औद्योगीकरण के पश्चात महिलाओं की शिक्षा, जागरूकता, कानूनी आदि से संबंधित अधिकारों की स्थिति में सुधार आया है और वे विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। जहाँ उच्च वर्ग की हिलाओं को व्यवसाय से सम्बंधित कार्यक्रमों एवं योजनाओं का लाभ मिल पाता है वहीं निम्न वर्ग की महिलाओं को सरकार द्वारा महिला श्रमिकों हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं से वंचित होना पड़ता है। जिसका प्रमुख कारण विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं में व्याप्त निरक्षरता, गरीबी व अज्ञानता है। जिस कारण उन्हें सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। जो महिलाओं की एक प्रमुख समस्या है। महिला कार्मिकों की समस्याओं के संबंध में विभिन्न देशों की सरकारों ने अपने-अपने स्तर पर इस समस्या के समाधान के लिए समय-समय पर संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थाएं की है। इस संदर्भ में **"इंटरनेशनल कोन्फ्रेंन्स ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन"** की रिपोर्ट में कहा गया की अमेंरिका जैसे विकसित देशों में आज भी बाल एवं महिला श्रमिकों की समस्या और उनका शोषण आज भी जारी है। ठीक उसी प्रकार विकासशील देशों में भी शोषण की प्रक्रिया चल रही है। ILO की रिपोर्ट के अनुसार एशियाई देशों में महिला श्रमिकों की संख्या ज्यादा है जो विभिन्न उद्योगों एवं कार्यों में पारिवारिक जीवन के विकास एवं अर्थोपार्जन के लिए संलग्न है, जो एक चिंताजनक स्थिति है। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार महिला श्रमिकों की स्थिति सुधार करने हेतु विभिन्न कानून व्यवस्थाएँ बनाई गई। भारतीय संविधान के राज्यनीति के निर्देशक सिद्धान्तों से सम्बंद्ध **अनुच्छेद-39** में कहा गया है कि राज्य निर्देशक सिद्धान्तों को इस प्रकार निर्देशित करेगा जिससे पुरूषों और महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। 1958 में भारत सरकार द्वारा **अंतराष्ट्रीय श्रम-संगठन के समान पारिश्रमिक अभिसमय, 1951** के अनुसार स्पष्ट है कि पुरूष और महिला कार्मिकों को समान मूल्य के कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराने और इसे श्रम कानूनों या सामूहिक समझौतों के जरिए अनिवार्य रूप से लागू कराने का सुझाव दिया है। **राष्ट्रीय श्रम आयोग 1969** ने भी सिफारिश की,"समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धान्त को अधिक संतोषजनक

रूप से लागू किया जाना चाहिए।" जिससे समाज में महिला एवं पुरूषों दोनों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक समानता स्थापित की जा सकें।

8.1 उद्देश्य:-

इस ईकाई के अध्यनन के पश्चात आप-

1 - कार्यस्थल में महिलाओं की कार्यक्षेत्र के प्रति जागरूकता को समझना।

2 - कार्यक्षेत्र में व्यवसाय से संबन्धित कानूनों को जान पाएंगे।

3 - महिलाओं के व्यवसाय संबन्धित समस्याओ एवं सुझावों को पहचान पाएंगे।

महिलाओं की कार्यस्थल के प्रति जागरूकता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए श्रम अनुसंधान समिति एवं कल्याणकारी योजनाओं एवं अन्य संस्थाओं ने महिला श्रमिकों के बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक व आर्थिक विकास में जागरूकता लाने की वकालत की है। इस प्रकार कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत वे सब कार्य **जैसे- समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976), मजदूरी भुगतान अधिनियम (1936), मातृत्व अभिलाभ अधिनियम (1961), न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948), कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (1948) आदि** कार्य चाहे वे मालिकों द्वारा ऐच्छिक रूप से अकेले अथवा श्रमिकों के सहयोग से किये जाते हों। इन्हीं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत् महिलाओं तक नहीं पहुँच पाता हैं। अतः इस क्षेत्र में जो उपरोक्त कानून बने है इन कानून एवं अधिनियमों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम,1976 - यह कानून, पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करना सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम कार्यस्थल पर लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकने और समान अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य रोजगार की प्रकृति के आधार पर पुरुषों और महिलाओं को रोजगार में समान वेतन मिलने साथ ही साथ व्यवसाय से संबंधित भेदभाव से रक्षा करना है। तथा यह सुनिश्चित करना कि किसी भी व्यक्ति को केवल लिंग के आधार पर अनुचित रूप से काम से नहीं निकाला अतः यह अधिनियम पुरुष एवं महिला के बीच समानता को सुगम और सुनिश्चित करता है।

मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 - श्रमिको के लिए केवल मजदूरी की मात्रा ही महत्वपूर्ण नही होती, बल्कि उसकी अदायगी के तरीके तथा उससे संबद्ध अन्य कई बातें भी महत्वपूर्ण होती है। मजदूरी की संरक्षा से संबद्ध कानूनों के बनाए जाने के पहले मजदूरी के भुगतान में कई तरह के अनाचार हुआ करते थे तथा मजदूरी भुगतान के लिए कोई निश्चित अवधि भी नही रहती थी। नियोजक अपनी ईच्छा से एक लम्बी अवधि अथवा कई महिनों के बीत जाने पर ही मजदूरी का भुगतान किया करते थे। नियोजक कार्य से अनुपस्थिति, खराब काम, औजारों या समानों की क्षति, नियमों आदेशों के उल्लंघन, वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति आदि कई बहानों से मजदूरी से मनमाने ढंग से कटौतियॉ भी किया करते थें। इन कटौतियों के फलस्वरूप कभी-कभी तो श्रमिकों को मजदूरी की पूरी राशि से भी हाथ धोना पड़ता था। जिससे श्रमिकों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक डेनिक हो जाती थी।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 - श्रमिकों की मजदूरी नियत करने के लिए कई तरीके प्रयोग में लाए जाते है। कई उद्योगों या नियोजनों में श्रमिक अपने संघ बनाकर मजदूरी-वृद्धि के लिए नियाजकों पर दबाव डालते रहते है। इन नियोजनों में काम करने वाले श्रमिकों को एक ओर तो कम दर पर मजदूरी दी जाती है, वही दूसरी ओरं उन्हें अधिक देर तक कठिन दशाओं में काम भी करना पड़ता है। इसी आधार पर श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 लागू किया गया।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 - यह अधिनियम प्रथम चरण में सारे देश में मौसमी कारखानो को छोड़कर ऐसे सभी कारखानो में लागू है जिनमें सरकार के स्वामित्व वाले कारखानें भी हैं। परंतु यह अधिनियम सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले उन कारखानों या स्थापनो में लागू नही होता, जिनके कर्मचारियों को इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध लाभों से सारभूत रूप से समान या उनसे उच्चतर हितलाभ उपलब्ध हों। पहले यह अधिनियम ऐसे कर्मचारियों के साथ लागू था जिनकी अधिकतम मजदूरी 1,600 रूपये प्रतिमाह थी, लेकिन 1989 के संशोधन के अनुसार मजदूरी की अधिकतम सीमा विहित करने की शक्ति केन्द्रीय सरकार को दे दी गयी। इस शक्ति का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार ने प्रारम्भ में अधिनियम के अंतर्गत 3,000 रूपये प्रतिमाह पाने वाले कर्मचारियों को दायरे में लाया, लेकिन वर्तमान समय में यह अधिनियम 6,500 रूपये प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों के साथ लागू है।

मातृत्व अभिलाभ अधिनियम,1961- देश में ओद्योगिकरण के प्रसार के साथ-साथ उद्योगों में महिला-श्रमिकों के नियोजन के अवसर बढे है। आज बड़ी संख्या में महिला श्रमिक कारखानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने लगी है। महिला श्रमिकों को प्रसवावस्था में विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। जिसके अंतर्गत सभी कारखानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाली महिला-श्रमिकों के लिए

प्रसवावस्था में नकद तथा अवकाश के रूप में प्रसूति-हितलाभ की व्यवस्था की गई है। हितलाभ बच्चे के जन्म के पहले तथा बाद में निर्धारित अवधि के लिए देय है।

अतः महिलाओं के व्यवसाय संबंधी यह अधिनियम उनकी सुरक्षा, प्रगति और कल्याण को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जिससे कि महिलाओं का कार्यस्थल या कार्यक्षेत्र में नियोजक द्वारा किसी प्रकार का शोषण न हो सके।

बोध प्रश्न -1

I. भारतीय महिलाओं का कार्यस्थल से संबंधित अधिनियमों को स्पष्ट कीजिए।

....

....

....

....

....

8.2 कामकाजी महिलाओं की समस्याएं

कामकाजी महिला को कई स्तरों पर विभिन्न समस्याओं का सामना करना है। जिसमें महिलायें अपने अस्तित्व के लिए अनेकों समस्याओं से निपटने के लिए संघर्ष करती है। इन संघर्षों में महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के साथ-साथ अन्य कार्यस्थल संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। जिसके परिणामस्वरूप उनको शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें विभिन्न समस्याओं को निम्नलिखित आधार पर समझा जा सकता है।

8.2.1 पारिवारिक एवं अन्य समस्याएं

भारतीय समाज में व्याप्त अनेकों समस्याओं के कारण अधिकांश महिलाये श्रम का कार्य करती है। जिसमें भारत में 40 करोड़ महिलाओं में से 20 करोड़ महिलायें श्रमशील है। इन महिलाओं को कार्यस्थल संबंधी समस्याओं क साथ पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इन कामकाजी महिलाओं में ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन ग्रामीण व नगरीय परिवार की महिलाओं के कार्य के पृथक–पृथक क्षेत्र हैं फिर भी इन महिलाओं को परिवार एवं अन्य अनेकों समस्याओं से जूझना पड़ता है– जो निम्नलिखित है।

1– ग्रामीण परिवार की महिलाएं सुबह से देर रात तक किसी ना किसी प्रकार के कार्यों में संलग्न रहती है,जिसके परिणामस्वरूप उनके शारीरिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।

2– ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को पितृसत्तात्मक परिवार में शारीरिक–मानसिक यातनाओं को झेलना पड़ता है।

3–महिलाओं के व्यक्तित्व निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु अशिक्षित होने के कारण इन महिलाओं को अच्छे रोजगार के अवसर नहीं मिल पातें है।

4– कार्यस्थल में महिलाओं को कार्यक्षेत्रों में भेदभाव एवं बीमारी में भी काम से मुक्ति न मिलना एक प्रमुख समस्या है।

5– महिलाओं को आर्थिक इकाई के रूप से भी कार्य करने के फलस्वरूप घर पर दासी जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ता है।

6– ग्रामीण कामकाजी महिलाएं चाह कर भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाती हैं क्योंकि वह स्वावलंबी एवं शिक्षित नहीं है।

8.2.2 नगरीय समाज की व्यवसाय से संबंधित महिलाओं की समस्याएं–:

नगरीय क्षेत्रों की महिलाएं मुख्यतया संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कार्य करती हैं। जिसमें असंगठित क्षेत्र का अर्थ है कि कामगारों के मध्य औपचारिक अनुबंधों के न होने के कारण संगठन एवं कर्मचारियों के मध्य स्पष्ट संबंधों का अभाव होता है जबकि संगठित क्षेत्र के कामगारों के मध्य स्पष्ट कामकाजी संबंध होते हैं। नगरीय व्यवसाय में संलग्न महिलाओं की कई श्रेणियां हैं उन सभी की समस्याएं समान न होकर असमान हैं। अधिकांश महिलायें दोहरी जिम्मेदारी पूर्ण करती हैं। परिवार का सारा कार्य समाप्त करने के पश्चात ही रोजगार पर जाती है। सरकारी कार्यालयों में छुट्टी समय पर मिल जाती है पर गैर-सरकारी कार्यालयों में काम के घंटे गिने नहीं जाते हैं। काम के बोझ से इनका स्वास्थ्य निरंतर खराब रहता है और मानसिक तनाव में भी रहती हैं। असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाली अधिकांश महिलाओं को प्रसूति संबंधित जो सुविधाएं प्राप्त होती वो भी नहीं मिल पाती है, बल्कि बहुतों को कामों से हटा दिया जाता है। इस भय से इनके बच्चे एक या दो होकर रह जाते हैं या होते नहीं। नगरीय क्षेत्रों में यह भी देखा गया है कि विवाहित महिलाएं टूटे परिवारों कि भांति जीवन यापन करती है। जिससे इन कामकाजी महिलाओं को दयनीय मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ता है।

8.2.3 विभिन्न वर्गों की कामकाजी महिलाओं की समस्याएं–:

नगरों, महानगरों और औद्योगिक महानगरों की कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है.

I. उच्च एवं मध्यम वर्ग की महिलाएं
II. निम्न वर्ग की महिलाएं और
III. अत्यधिक निर्धन वर्ग की महिलाएं

उच्च एवं मध्यम वर्ग की महिलाओं की समस्याएं

विभिन्न रोजगारों में कार्यरत महिलाओं का कार्य के प्रति दायित्व सबसे बड़ा होता है, उन पर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। तथा उनके बच्चों का लालन-पोषण भी नौकरों द्वारा ही होता हैं। इन महिलाओं को यह भी ज्ञात नहीं होता की उसके बच्चे कहां जाते है?क्या करते हैं?उनमें कौन सी आदतें पड़ रही हैं। यदि पति दूसरे शहर में कार्य अथवा व्यवसाय करता है तो इन्हें न तो परिवार की सुरक्षा मिल पाती है और न पारिवारिक सुख ।इस द्वंद्व में वह मानसिक रूप से एक बीमार व अस्वस्थ अधिकारी बन जाती है। महानगरों में यदि महिला किसी प्राइवेट कंपनी अथवा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियो में कार्यरत है तो इनकी भी उत्पाद और प्रशासन की जिम्मेदारी कम नहीं होती और उनकी नौकरी न तो स्थायी है और न सुरक्षित होती है।

निम्न वर्ग की कामकाजी महिलाओं की समस्याएं–:

निम्न वर्ग की महिलाओं की इतनी आय नहीं है कि परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। इनमें शिक्षित, अशिक्षित और साक्षर महिलाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि अपने बच्चों का पालन-पोषण एवं उनको शिक्षित करने की होती है। इनमें से शिक्षित महिलाएं स्कूलों में अध्यापिकाएं हैं, जिन्हें मात्र 1000 या 1500 रु0 माह वेतन मिलता है। कुछ ऐसी भी हैं जो घर में रहकर काम करती हैं जैसे कढ़ाई, सिलाई-बुनाई, मोमबत्ती एवं पापड़ बनाना आदि विभिन्न प्रकार के कामों पर दैनिक मजदूरी पर कार्य करती हैं। अतः इन महिलाओं के जीवन की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या गृहस्थी एवं व्यवसाय के मध्य सामंजस्य की है।

अत्यधिक निर्धन वर्ग की कामकाजी महिलाओं की समस्याएं–:

इस वर्ग में वें महिलाएं हैं जिन्हे निर्धनता जन्म से मिली है। जो सड़क और नालों के किनारे टाट के छप्पर बनाकर रह लेती हैं। ये महिलायें सड़क किनारे मूर्तियां बनाने, लोहार का काम ,घरों में बर्तन मांजना, पोछा लगाना, कपडे धोना, डस्टिंग आदि करती हैं। यह महानगरों के लिए अभिशाप नहीं तो और क्या है। ये भारत की महिलाएं हैं जो सदियों से भूखे, बेघर एवं बेरोजगार है।

बोध प्रश्न -2

ii - रोजगार में कार्यरत महिलाओं की प्रमुख समस्याओं को समझाइए।

....

....

....

....

8.3 महिला एवं पंचवर्षीय योजनाएं -:

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) – यह कल्याणकारी लक्ष्यों को लेकर बनाई गई थी। जिसमें महिला कल्याण के मुद्दे समाहित थे। केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (CSW Board) ने स्वैच्छिक संस्थाओं से मिलकर या इनके सहयोग से महिला कल्याण संबंधी कार्यों को किया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61)– द्वितीय योजना की मुख्य बात यह है कि इनमें महिला मंडलों को प्रोत्साहित किया गया कि वे जमीनी स्तर पर कार्य करें जिससे कि कल्याणकारी लक्ष्यों की प्रगति हो सके, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करना।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-62 से 1965-66)– इस योजना में महिला शिक्षा को अत्यधिक प्राथमिकता भी दी गई। मां और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाने लगा। साथ ही गर्भवती महिलाओं को सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनेकों कार्यक्रम बनाए गए।जिससे उनके उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) – इस योजना के अंतर्गत समानता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों को प्रेरित करना था जिससे कामकाजी महिलाओं का जीवन स्तर अच्छा हो सके।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) – इस योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया कि 'कल्याण' शब्द के स्थान पर विकास शब्द को रखा गया। इस दृष्टि से सामाजिक कल्याण का दायरा काफी बढ़ गया ताकि महिलाओं के परिवार की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया जा सकें। इस नवीन समन्वयात्मक उपागम के अंतर्गत महिलाओं के कल्याण और विकास की अवधारणा का विकास किया जा सकें।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) – इस योजना में महिला कल्याण व विकास को एक नयी पहचान ही नहीं बल्कि उनको प्राथमिकता भी प्रदान की गई। महिला विकास हेतु एक पृथक सेक्टर का प्रस्ताव रखा गया जिससे कि महिलाओं का विकास समुचित ढंग से हो सके। इसकी मुख्य विशेषता स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार था।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)– इस योजना में महिला विकास का कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में इस प्रकार का बदलाव लाया गया जिसमें कि वे राष्ट्र की मुख्य विकास की धारा में शामिल हो सकें। इस दृष्टि से महिलाओं के लिए लाभप्रद कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाने लगा जिससे कि महिलाओं को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति बेहतर हो सके।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) – इस योजना में यह सुनिश्चित किया गया कि विकास का लाभ महिलाओं को प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं। साथ ही कुछ विशेष कार्यक्रम भी चलाए गए जिससे महिलाओं को अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सके। इन विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य था महिलाओं को इस योग्य बनाया जाए कि वे पुरुषों के समान विकास कार्य में भाग ले सकें।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)– यह योजना देश की आजादी के पचासवें वर्ष में शुरू हुई। इस योजना का यह लक्ष्य था की सभी स्तरों के लोगों को विकास कार्य से जोड़ा जाए। ताकि महिलाओं को व्यावसायिक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और विकास के लिए संपन्न बनाया जाए।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) – इस योजना का लक्ष्य है कि विकास इस तरह हो कि जो पिछड़े, दलित एवं निर्धन लोगों को समान रूप से लाभ प्राप्त हो तथा नौकरी के अवसर सभी को समान रूप से प्राप्त हों। इसमें संतुलित विकास का लक्ष्य रखा गया।

बोध प्रश्न – 3

iii - नवीं पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी?

A - **1992-97** C- **1985-90**

B- **1980-85** D-**1997-2002**

महिला उद्यमियों के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएं:- भारत सरकार ने महिलाओं के विकास, कल्याण और रोजगार से जुड़ी महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। जिसमें प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित है ।

I. **मुद्रा योजना (प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY):** इसके तहत महिला उद्यमी शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹50,000 से ₹5 लाख तक) और तरुण (₹5 लाख से ₹10 लाख तक) श्रेणियों में ऋण प्राप्त कर सकती हैं।
II. **स्टैंड-अप इंडिया योजना:** यह योजना अनुसूचित जाति/जनजाति और महिला उद्यमियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ के बीच बैंक ऋण प्रदान करती है। गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में, शेयरहोल्डिंग और नियंत्रण हिस्सेदारी का कम से कम 51% या तो एससी/एसटी के पास या किसी महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।
III. **उद्योगिनी योजना:** यह योजना महिला उद्यमियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने में वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें कम या निःशुल्क ब्याज ऋण और 30% तक लोन सब्सिडी शामिल है। इसमें 88 लघु उद्योग शामिल हैं।
IV. **अन्नपूर्णा योजना:** यह विशेष रूप से खाद्य और खानपान व्यवसाय में लगी महिलाओं के लिए बनाई गई है।
V. **स्त्री शक्ति योजना:** यह महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और व्यवसाय शुरू करने की इच्छुक महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को ₹2 लाख से अधिक के लोन पर 0.05% की छूट मिलती है।

VI. **महिला कॉयर योजना:** यह विशेष रूप से कॉयर उद्योग में महिलाओं को मशीनरी खरीदने में मदद करती है।

VII. **भारत महिला बैंक बिजनेस लोन:** यह बैंक महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर महिलाओं को लोन प्रदान करता है।

इन कानूनों और योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सहायक व्यावसायिक वातावरण बनाना है, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें और देश के विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे सकें।

सुधार एवं प्रयास

• **शिक्षा और प्रशिक्षण:** महिलाओं को तकनीकी और पेशेवर प्रशिक्षण देना चाहिए। जिससे कार्यक्षेत्र से संबंधित महिलाओं सर्वांगीण विकास संभव हो सकें।

• **सरकारी योजनाएँ :** महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएँ चला रही है जैसे मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया आदि। इन योजनाओं द्वारा कार्यक्षेत्र से संबंधित महिलाओं को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकें।

• **कार्यस्थल पर समान अवसर :** सभी देशों में महिला एवं पुरुषों के समानता की बात कही जाती रही है,इसी आधार पर कार्यस्थलों में भी महिलाओं को समान वेतन और प्रमोशन के अवसर मिलना चाहिए।

• **सशक्तिकरण कार्यक्रम :** NGO और सामाजिक संस्थाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दे रही हैं। इन कार्यक्रमों द्वारा ही कार्योजित महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति में सकारात्मक विकास संभव हो पाया है।

8.4 महिलाओं के व्यवसाय से संबंधित कानून का महत्व एवं परिणाम

भारत में महिलाओं को कार्यक्षेत्र में समान अवसर, सुरक्षा, गरिमा और अधिकार देने के लिए व्यवसाय से संबंधित कानूनों का समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इन कानूनों का उद्देश्य केवल सुरक्षा देना नहीं, बल्कि महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने का

अवसर प्रदान करना है। इसी आधार पर महिलाओं के व्यवसाय से सम्बन्धित कानूनों के क्रियान्वयन को निम्नलिखित महत्व एवं परिणामों द्वारा समझा जा सकता है।

1. लैंगिक समानता की स्थापना- इन कानूनों के माध्यम से पुरुष और महिला दोनों को कार्यक्षेत्र में समान अधिकार और अवसर मिलते हैं।

2. कार्यस्थल पर सुरक्षा- POSH(Prevention of Sexual Harassment) अधिनियम, 2013 जो महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित, गरिमामय और समान अवसर वाला स्थान बनाना है। इस अधिनियम ने महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा तंत्र प्रदान किया है, जिससे महिलाएं निर्भय होकर कार्य कर सकती हैं।

3. मातृत्व संरक्षण- मातृत्व लाभ अधिनियम महिलाओं को गर्भावस्था और मातृत्व के दौरान आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देता है।

4. आर्थिक सशक्तिकरण- इन कानूनों के कारण महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं और घरेलू भूमिकाओं तक सीमित न रहकर आर्थिक रूप से भी मजबूत हुई हैं।

5. कार्यक्षेत्र में भागीदारी बढ़ाना- इन कानूनी प्रावधानों ने महिलाओं की कामकाजी जनसंख्या में भागीदारी को प्रोत्साहित किया है।

परिणाम (Outcomes)

1. कार्यस्थल पर महिलाओं की संख्या में वृद्धि- सुरक्षा और अधिकारों की गारंटी मिलने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है– जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, उद्योग, आईटी आदि।

2. महिलाओं की नेतृत्व क्षमता में वृद्धि- महिलाएं अब प्रबंधकीय, नेतृत्व और उद्यमिता की भूमिकाओं में भी तेजी से आगे आ रही हैं।

3. कार्यस्थल की संस्कृति में सुधार- संगठनों ने महिलाओं के लिए संवेदनशील और सुरक्षित वातावरण बनाना शुरू किया है।

4. भेदभाव और शोषण में कमी- समान वेतन अधिनियम और अन्य कानूनों से लैंगिक भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं में कमी आई है।

5. ग्रामीण और शहरी महिलाओं को अवसर- सरकारी योजनाओं और कानूनों के माध्यम से ग्राम स्तर पर भी महिला स्वरोजगार और लघु उद्योगों की वृद्धि हुई है।

8.5 सारांश

महिलाओं के व्यवसाय से संबंधित कानून भारत में लैंगिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम हैं। इन कानूनों ने न केवल महिलाओं को कार्यस्थल पर सम्मान और सुरक्षा दी है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर समाज में उनका दर्जा ऊँचा किया है। जिसके परिणामस्वरूप, आज महिलाएं हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, नेतृत्व और विकास की नई मिसालें कायम कर रही हैं। भारत में महिलाओं को कार्यक्षेत्र में समान अवसर, सुरक्षा, और सम्मान दिलाने हेतु कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देना और लैंगिक समानता सुनिश्चित करना है। महिलाओं के व्यवसाय से संबंधित कानून समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने, उन्हें समान अधिकार देने और सम्मानपूर्वक कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करने में मील का पत्थर साबित हुए हैं।

8.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

i - उत्तर के लिए 8.0 देखिए

ii - उत्तर के लिए 8.2.3 देखिए

iii- उत्तर के लिए 8.3 देखिए

8.7 निबंधात्मक प्रश्न

1- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 का महिला श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ा?

2-महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा लागू योजनाओं एवं कानूनों की समीक्षा कीजिए।

3- भारतीय समाज में महिलाओं की आर्थिक क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने में व्यवसायिक कानूनों की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

4- महिलाओं के व्यवसाय से संबंधित कानून का महत्व एवं परिणामों को स्पष्ट कीजिए।

8.8 संदर्भ ग्रंथ सूची

1- सेतिया, सुभाष (2014), ‘‘असंगठित क्षेत्र में महिला कामगारों की स्थिति” योजना मासिक पत्रिका, अंक-10।

2- अर्जुन सेनगुप्ता कमिटी रिपोर्ट-2006।

3- सिन्हा॰ पी॰आर॰, इन्दुबाला,(2011), ‘‘श्रम एंव समाज कल्याण’’, भारती भवन (पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स)

4- Hate, C.A., (1930), “Changing Status of Women”, Bombay: Allied Publishers Pvt. Ltd

5– Kutty, K.A, (1957), “Women Labour in Two Cashew Factories of Quilon”, A research project report of faculty of social work, M.S. University of Baroda, Baroda; published in P. Ramchandran (Ed.), Students Research Abstracts in Social work, TISS,1968.

6- Srinivas, M.N.(1978). “The Changing Position of Indian Women” ,oxford university.

7- Banerjee N., (1985), “Women Workers in The Unorganized Sector”. Sangam Book, Hyderabad,

8- Singh, D.P. (2005)., “Women Workers Unorganized Sector”, Deep and Deep Publication Pvt. Ltd, New Delhi.

9- Singh V. (2007)., “Women Domestic Workers Within Households”, Rawat Publication, New Delhi.

10- सिंह, वी. एन., सिंह जनमेंजय (2010),"आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण" रावत पब्लिकेशन, जयपुर.

11- डॉ लवानिया, एम. एम,"भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र", रिसर्च पब्लिकेशन,जयपुर, 2023.

इकाई-9 स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी अधिकार

Health and Reproductive Rights

इकाई की रूपरेखा

9.0 उद्देश्य

9.1 प्रस्तावना

9.2 स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी अधिकार की अवधारणा

9.3 स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी अधिकार एवं महिला कल्याण

9.4 भारत में स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी अधिकारों के लिए संवैधानिक संरक्षण एवं कानूनी उपाय

9.4.1 स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी अधिकारों के लिए संवैधानिक प्रावधान

9.4.2 स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी अधिकारों के लिए कानूनी उपाय

9.4.3 स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी सरकारी योजनाएं और नीतियां

9.5 भारत में स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी अधिकारों के सामाजिक निर्धारक

9.5.1 स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी अधिकारों के सामाजिक-सांस्कृतिक निर्धारक

9.5.2 स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी अधिकारों के आर्थिक एवं तकनीकी निर्धारक

9.5.3 स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी अधिकारों के भौगोलिक एवं जनांकिकीय निर्धारक

9.5.4 प्रजनन एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों को प्रभावित करने वाले शैक्षिक निर्धारक

9.5.5 स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी अधिकारों के राजनीतिक एवं प्रशासनिक निर्धारक

9.6 भारत में स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी अधिकारों को सुनिश्चित करने के उपाय

9.6.1 विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

9.6.2 माध्यमिक शिक्षा में प्रजनन एवं स्वास्थ्य की जानकारी

9.6.3 परिवार में लैंगिक समानता के मूल्यों की स्थापना के प्रयास

9.6.4 स्वास्थ्य सेवाओं तक आमजन की सहज पहुँच सुनिश्चित करना

9.6.5 स्वास्थ्य एवं प्रजनन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए नवोन्मेषी क्रियाओं का संपादन

9.7 सारांश

9.8 शब्दावली

9.9 निबंधात्मक अभ्यास प्रश्न

9.10 सन्दर्भ सूची

9.0 उद्देश्य (Objectives):

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप-

- स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी अधिकारों तथा महिला कल्याण के संबंधों को समझ सकेंगे।
- स्वास्थ्य और प्रजनन संबंधी अधिकारों की आवश्यकता और महत्त्व के बारे में जान सकेंगे।
- स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी अधिकारों के लिए कानूनी उपाय एवं नीतियों के बारे में समझ सकेंगे।
- स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी अधिकारों के सामाजिक निर्धारकों के विषय में समझ सकेंगे।
- स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी अधिकारों को सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में जान सकेंगे।

9.1 प्रस्तावना (Introduction):

स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी अधिकारों की सुनिश्चितता और पहुँच न केवल भारतीय महिलाओं के लिए आवश्यक है, बल्कि वैश्विक स्तर पर सभी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी अधिकार एक महत्वपूर्ण विषय है। यह अधिकार न केवल महिलाओं के व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं कल्याण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बल्कि समग्र समाज के विकास और प्रगति के लिए स्वास्थ्य एवं प्रजनन का अधिकार एक

महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिलाओं के स्वास्थ्य और प्रजनन की सुनिश्चितता न केवल महिला और उसके परिवार के लिए आवश्यक है बल्कि राष्ट्र और समाज की प्रगति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृहद स्तर पर महिलाओं के प्रजनन एवं स्वास्थ्य का संबंध न केवल प्रजनक वर्षों, जिसमें माहवारी से लेकर के रजोनिवृत्ति तक का समय सम्मिलित है, से है, अपितु इसका संबंध महिलाओं के साथ ही, साथी पुरुष के संपूर्ण जीवन काल से है, जिससे उसकी स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी आयाम प्रभावित हो सकते हैं। प्रजनन सम्बन्धी अधिकारों में महिलाओं के लिए वह आधारभूत अधिकार सम्मिलित हैं, जो महिलाओं की जीवन प्रत्याशा और स्वास्थ्य सुनिश्चितता को बढ़ाते हैं। इन अधिकारों में यौन और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, गर्भनिरोधक के उपयोग का अधिकार, गर्भावस्था एवं प्रसव सम्बन्धी निर्णयन का अधिकार, बेमेंल और बाल विवाह से मुक्ति जैसे विषय शामिल किये जा सकते हैं।

इसलिए भी प्रत्येक सामाजिक क्षेत्रों में भारत की आधी आबादी के योगदान को सुनिश्चित करने के लिए उनके स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी अधिकारों तथा नीतियों को गंभीरता से लेना आवश्यक है, क्योंकि महिलाओं के स्वास्थ्य और प्रजनन संबंधी अधिकारों की रक्षा करना और उसे बनाए रखना एक बड़ी सामाजिक चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिये केंद्र राज्य और स्थानीय सरकारों के साथ ही वृहद स्तर पर जनजागृति एवं सहयोग की आवश्यकता है।

9.2 स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी अधिकार की अवधारणा:

महिलाओं के स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी अधिकारों में ऐसे सभी अधिकारों को सम्मिलित किया जा सकता है, जिससे महिलाओं को प्रजनन एवं स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में संवैधानिक या कानूनी सहायता मिलती है। इन अधिकारों में संतानोत्पत्ति करना या ना करने का निर्णय, गर्भधारण एवं संतानोत्पत्ति के निर्णय, सुरक्षित मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच, यौन हिंसा इत्यादि से सुरक्षा, सुरक्षित एवं कानूनी गर्भपात के अधिकार आदि जैसे सम्मिलित हैं। प्रजनन स्वास्थ्य की परिभाषा को चतुर्थ महिला सम्मेलन 1995 में प्रस्तुत किया गया, जिसे बीजिंग घोषणा पत्र तथा महिला अधिकार के मानवाधिकार के क्रियान्वयन के एक प्रमुख मंच के रूप में जाना जाता है। इसमें कानून या सुरक्षित गर्भपात का अधिकार जन्म दर को नियंत्रित करने का अधिकार, गुणवत्तापूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य की उपलब्धता का अधिकार, प्रजनन का चुनाव करने हेतु शिक्षा का अधिकार आदि जैसे अधिकार बताये गए हैं।

1994 में काहिरा में जनसंख्या और विकास पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया गया जिसमें 180 देशों ने संयुक्त राष्ट्र अमेंरिका सहित विकास सहायता के लिए एक मानवाधिकार का प्रारूप तैयार किया।

इसमें पहली बार महिलाओं और लड़कियों के सार्वभौमिक यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकार SRHR को बढ़ावा दिया गया। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों पर गुट्टामार-लेसेंट आयोग SRHR को यौनिकता और प्रजनन के सभी पहलुओं के संबंध में शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित करता है और यह मानता है कि सभी व्यक्तियों को अपने शरीर को नियंत्रित करने वाले निर्णय लेने और उस अधिकार का समर्थन करने वाली सेवाओं तक पहुँचने का अधिकार है। SRHR के प्रमुख घटकों में निम्नलिखित प्रमुख घटक शामिल हैं-

आपातकालीन गर्भनिरोधक सहित व्यापक परिवार नियोजन और गर्भ निरोधक सेवाएं, मातृ स्वास्थ्य, जिसमें प्रसव पूर्व देखभाल जन्म के समय कुशल उपस्थित, आपातकालीन प्रसूति देखभाल और सम्मानजनक मातृत्व की देखभाल इत्यादि।

9.3 स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी अधिकार एवं महिला कल्याण (Health and Reproductive Rights and Women`s Welfare):

महिलाएं न केवल उनके परिवार की बल्कि समस्त समाज के विकास और समृद्धि की धुरी के रूप में कार्य करती हैं। स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी अधिकारों का महिला कल्याण के साथ घनिष्ठ संबंध है। भारतीय संस्कृति की लोक मान्यताओं के अनुसार भी प्रथम सुख निरोगी काया को माना गया है। आधुनिक समय में भी अधिकांश भारतीय घरों में परिवार के सदस्यों की देखभाल और बच्चों का पालन पोषण मुख्य रूप से परिवार की महिलाओं पर ही निर्भर करता है। ऐसे में परिवार की महिला यदि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य नहीं होगी, तो न केवल महिला का स्वास्थ्य प्रभावित होगा बल्कि परिवार के अन्य सदस्य भी अपनी दिनचर्या उचित तरीके से पूरी नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी अधिकारों का महिला कल्याण के साथ घनिष्ठ संबंध है। अधिकार अन्य देशों की भाँति भारत में भी महिलाओं में प्रजनन एवं स्वास्थ्य का महत्त्व न केवल महिला के लिए अपितु परिवार एवं समाज के सभी सदस्यों के लिए मुख्य सरोकार है। वृहद अर्थों में स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी अधिकार महिला कल्याण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जबकि परिवार एवं समाज का कल्याण भी महिला स्वास्थ्य से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।

अतः बिना उत्तम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के किसी भी जीव का पूर्ण विकास और कल्याण संभव नहीं हो सकता। महिलाओं के मामलों में भी यह बात अक्षरशः सत्य है। महिलाओं के स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी अधिकारों को प्रदान करके, उनकी जीवन प्रत्याशा, परिवार एवं समाज की समृद्धि और विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है।

9.4 भारत में स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी अधिकारों के लिए संवैधानिक संरक्षण एवं कानूनी उपाय (Constitutional Provisions and Legal Measures for Health and Reproductive Rights in India):

महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक संवैधानिक एवं कानूनी उपाय किये गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों एवं कानूनी उपायों को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं-

9.4.1 स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी अधिकारों के लिए संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions for Health and Reproductive Rights):

भारतीय संविधान में आवश्यकता के अनुसार विभिन्न वर्गों जैसे, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं एवं बालकों के जीवन की गुणवत्ता एवं विकास को सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न तरीके के संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। आवश्यकता के अनुसार इन प्रावधानों में समय समय पर संशोधन का कार्य भी किया गया है। इनमें से महिलाओं के स्वास्थ्य एवं प्रजनन के अधिकार को सुनिश्चित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को हम निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं-

- **अनुच्छेद 14-** अनुच्छेद 14 के द्वारा भारत के नागरिको को समानता का अधिकार मिलता है। जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग जाति भाषा सम्प्रदाय क्षेत्र आदि के आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। विधि के समक्ष भारत के सभी नागरिक एक समान हैं।
- **अनुच्छेद 15 (3)-** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 (3) यह निर्देशित करता है कि राज्य महिलाओं और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जिसमें कार्यकारी सरकार के द्वारा महिलाओं, शिशुओं एवं बालकों से संबंधित मातृत्व लाभ, स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण एवं पोषाहार जैसी योजनाएं सरकार के खर्चे पर शुरू कर सकती है।
- **अनुच्छेद 21-** अनुच्छेद भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है, जो यह सुनिश्चित करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अनुच्छेद के द्वारा यह भी सुनिश्चित होता है कि पुरुष हो या महिला, किसी को भी प्रजनन और स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने का अधिकार है।

- **अनुच्छेद 42-** अनुच्छेद 42 राज्यों को यह निर्देशित करता है कि राज्य न्यायसंगत और मानवीय कार्य की स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिये इसके साथ ही मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान करेगा। इन में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता आदि का उपबंध भी प्रावधानित किया गया है। वस्तुतः यह उपबंध महिलाओं के लिए कार्य की दशाओं को बेहतर और उत्तम बनाने का प्रबंध करता है।
- **अनुच्छेद 47-** अनुच्छेद 47 प्रत्यक्ष तौर पर राज्य के नीति निदेशक तत्वों का अंग है, जो लोगों के पोषण स्तर को और जीवन स्तर को उत्तम बनाने के साथ ही लोगों के स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित है। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि राज्य को मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपयोग को तब प्रतिबंधित करने का प्रयत्न करना चाहिए, जबकि यह औषधीय प्रयोग के लिए ना प्रयोग की जा रही हो, बल्कि व्यसन के रूप में प्रयोग की जा रही हो।
- अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के विधानों में भी प्रजनन अधिकारियों को महिलाओं के स्वास्थ्य और निर्णय से संबंधित मानवीय अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है। यहाँ स्थापित करने का प्रयत्न किया गया कि महिलाओं को संतानोत्पत्ति और प्रजननता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए।

9.4.2 स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी अधिकारों के लिए कानूनी उपाय (Legal Measures for Health and Reproductive Rights):

स्वास्थ्य वर्ष 1952 में पारिवारिक स्वास्थ्य से संबंधित पहला कार्यक्रम, जिसे राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के नाम से जाना गया, को भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उच्च जन्म दर और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से प्रेरित था। वर्तमान शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम का पहला चरण 1997 से शुरू हुआ, जिसका मुख्य लक्ष्य जन्म दर को कम करना और मातृ-शिशु मृत्यु दर में गिरावट लाना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अभी तक समय समय पर आवश्यकतानुसार महिलाओं के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कानूनी उपायों को अपनाया गया है, जिनके द्वारा देश की सभी हिस्सों की महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी अधिकारों के लिए आवश्यकतानुसार कतिपय कानूनी उपाय एवं नीतियों का निर्माण किया गया है। इनमें से महत्त्वपूर्ण उपायों को निम्नलिखित बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- **अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956-** यह कानून मानव तस्करी को रोकने के लिए बनाया गया था, जो प्रारंभ में 1956 में लागू हुआ और बाद में 1986 में इसे संशोधित किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य वेश्यावृत्ति और मानव तस्करी को रोकना था। जिसमें किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए भर्ती करना, खरीदना या बहकाना सम्मिलित है। 1986 में इस कानून में सुधार और संशोधन करते हुए उन प्रावधनों को हटा दिया गया था जो कि वेश्याओं को इसलिए दंडित करते थे कि वह अपने ग्राहकों को आकर्षित करती हैं। यह कानून भी अप्रत्यक्ष तौर पर महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, प्रजनन आदि जैसे अधिकारों की रक्षा करते हैं।
- **मातृत्व लाभ अधिनियम 1961-** मातृत्व लाभ अधिनियम, जो कि भारत भर में प्रभावी है, यह स्थापित करता है कि भारत में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान, इस कारण से कभी कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता। साथ ही यह अधिनियम कार्यशील महिलाओं की गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं को सवैतनिक अवकाश और अन्य मातृत्व लाभ प्रदान किए जाने की व्यवस्था करता है।
- **गर्भ का चिकित्सकीय समापन (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट,) 1971-** यह कानून भारत देश में निश्चित दशाओं में गर्भपात के लिए विधिक सीमाएं निर्धारित करता है। कोई भी गर्भवती महिला वैध कारणों से, पंजीकृत चिकित्सकों से, सामाजिक और चिकित्सकीय आधार पर परामर्श के द्वारा गर्भ समापन की अनुमति प्राप्त कर सकती है। मौलिक रूप से इस कानून का उद्देश्य असुरक्षित गर्भपात को रोकना और मात्र मृत्युदर और अस्वस्थता को कम करना है। इस कानून के अंतर्गत एक चिकित्सक की सलाह से 12 सप्ताह तक तथा दो चिकित्सकों की सलाह से 20 सप्ताह तक के गर्भ के समापन की अनुमति प्राप्त थी, जिसमें वर्ष 2021 में संशोधन करके महिलाओं की विशिष्ट श्रेणियों जैसे बलात्कार पीड़ितों, विकलांग महिलाओं एवं नाबालिगों, के लिये गर्भ समापन के ऊपरी सीमा को बढ़ाकर 20 से 24 सप्ताह कर दिया गया, जिससे गर्भपात सेवाओं तक पहुंच सुधार किया जा सके।
- **लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम 1994-** इस अधिनियम के अंतर्गत भ्रूण हत्या को रोकने एवं प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों के घटते हुए लिंगानुपात को रोकने के लिए यह अधिनियम प्रकाश में आया, जिसमें प्रसव की पूर्व लिंग निर्धारण के निदान की तकनीकों के उपयोग पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया है। इस कानून के उल्लंघन पर पंजीकरण को निलंबित करना जुर्माना और कठोर कारावास जैसे दंड के प्रावधान हैं।

❖ **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005-** यह कानून भारत की महिला नागरिकों पर लागू है, जो उन्हें घर में शारीरिक, मौखिक, लैंगिक एवं आर्थिक हिंसा और शोषण से सुरक्षा देता है। इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना है और उन्हें एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। वर्तमान समय में भारत भर में यह कानून लागू है, 26 अक्टूबर 2006 को यह कानून पहली बार प्रभाव में आया था।

❖ **बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006-** यह अधिनियम महिलाओं के प्रजनन, स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ा हुआ है। मुख्य रूप से इस अधिनियम को बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु का लड़का और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह वर्जित होगा। नियम का उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध होगा। बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष या बाल विवाह को संपन्न कराने वालों को इस अधिनियम के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास या ₹1,00,000 का जुर्माना या दोनों प्रकार का दंड देने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत किसी महिला को करावास से दंडित नहीं किया जाएगा। इस नियम के अंतर्गत किए गए अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती होंगे।

❖ **यौन उत्पीड़न, रोकथाम, संरक्षण और निवारण अधिनियम 2013-** यह कानून भारत में महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया एक महत्त्वपूर्ण कानून है। **निर्भया कांड के बाद इसे 2013** में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। इस कानून के अंतर्गत आवांछित शारीरिक संपर्क, अश्लील साहित्य दिखाना, यौन टिप्पणी इत्यादि प्रकार के आचरण सम्मिलित हैं, जो महिलाओं की गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं। 09 दिसंबर 2013 से यह कानून भारत भर में लागू हुआ है, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध एक सुरक्षात्मक संरचना का निर्माण करता है।

9.4.3 स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी सरकारी योजनाएं और नीतियां:

महिलाओं के स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा से से अद्यतन कई स्वास्थ्य योजनाएं और नीतियां चलाई जा रही हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सहज और सुलभ बनाकर महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना है। इस प्रकार इन स्वास्थ्य नीतियों के द्वारा भारत सरकार महिलाओं को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करने एवं सशक्त बनाने की ओर अग्रसर है। इनमें प्रमुख योजनाओं एवं नीतियों को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है-

- **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) (2005)-** ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने और मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) तथा शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) को कम करने के उद्देश्य से यह योजना भारतीय सरकार द्वारा चलायी गयी एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका प्रारंभ 12 अप्रैल 2005 में हुआ। मुख्य रूप से एनआरएचएम का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में सुधार करना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार करना, संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों पर नियंत्रण करना, स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय स्तर तक ले जाकर स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना, स्वच्छता तथा पोषण में सुधार करना एवं परंपरागत चिकित्सा प्रणाली, आयुष चिकित्सा पद्धति, जिसे हम आयुर्वेद, योग, यूनानी और होम्योपैथिक इत्यादि के रूप में जानते हैं, को बढ़ावा देना है। इस योजना को पूरे देश में विशेषकर ऐसे राज्यों में जिनमें स्वास्थ्य एवं संरचना की स्थिति अच्छी नहीं है, उनमें लागू किया गया। जिन राज्यों में यह योजना लागू की गई है, उनमें से उत्तराखंड भी एक राज्य है। इसके क्रियान्वयन में लगी प्रशिक्षित कार्यकर्ता आशा की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसकी नियुक्ति 1000 की जनसँख्या पर 01 होती है।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (2013)-** यह स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जिसकी शुरुआत 01 मई 2013 में की गई थी। इस स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य कुपोषण की समस्या से मुक्ति से संबंधित था, जिसमें ग्रामीण एवं नगरीय आबादी को लक्ष्य बनाकर, पूर्व में चल रहे मिशन को आगे बढ़ाते हुए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना, संक्रामक एवं गैर संक्रामक रोगों से निपटान, जिला एवं उप-जिला स्तर पर स्वास्थ्य संरचना और सुविधाओं को बढ़ावा देना शामिल रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित होने वाले प्रमुख 10 घटकों में, सामुदायिक कार्यकर्ता आशा, रोगी कल्याण समिति अथवा अस्पताल प्रबंधन, उपकेंद्रों को संयुक्त अनुदान प्रदान करना, ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की स्थापना, जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसवाई), राष्ट्रीय मोबाइल चिकित्सा इकाई की स्थापना, राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा, चिकित्सा की बुनियादी संरचना का विकास, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसे घटक सम्मिलित हैं।
- **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन योजना (एनयूएचएम) (2013)-** व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एक उपभाग के रूप में एनयूएचएम अर्थात राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत कस्बाई एवं शहरी क्षेत्रों में जिनकी जनसंख्या 50000 से अधिक है, को सम्मिलित

किया गया है। इस योजना का उद्देश्य शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में विशेषकर अधिक गरीबी वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है।

- **वन स्टॉप सखी योजना (2015)-** वन स्टॉप सखी योजना को महिला सशक्तिकरण मिशन के एक उपयोजना के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रयोजित योजना के रूप में जाना जा सकता है, जिसकी शुरुआत 01 अप्रैल 2015 से की गई। यह योजना महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा हिंसा से बचाव की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यौनिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, आर्थिक दुर्व्यवहार का सामना करने वाली 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों समेंत समस्त महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है, बिना उनकी जाति, पंथ, नस्ल, वर्ग, शैक्षिक स्थिति, आयु, संस्कृति या वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव करते हुए। इस योजना का वित्तपोषण निर्भया कोष से किया जाता है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पूरी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र 2018-** आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की अनुशंसा पर 2018 में लागू किया गया। योजना के अंतर्गत दो प्रमुख संघटक संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, जिनमें प्रथम, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एचडब्ल्यूसीएस) है और द्वितीय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) है। एचडब्ल्यूसीएस के समूह में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, एक या दो स्वास्थ्य कार्यकर्ता साथ सात से आठ की संख्या तक आशा कार्यकर्ता सम्मिलित होते हैं। यह टीम स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक समुदाय की पहुँच को सुनिश्चित करके सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने का कार्य करती हैं। इनसे ग्रामीण एवं नगरीय आमजन, महिलाओं और बच्चों को सहज स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होती है। यह कल्याण केंद्र प्रजनन, माता एवं नवजात बालक के स्वास्थ्य, किशोर और पोषण इत्यादि से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने के साथ ही संचारी रोगों के नियंत्रण संबंधी प्रयत्न भी करते हैं। इस प्रकार सरकार की यह योजना भारत भर में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और आमजन के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) योजना (2019)-** केंद्र सरकार की यह योजना 10 अक्तूबर 2019 को नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 13वें सम्मेलन के दौरान प्रारंभ की गई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा के अंतर्गत महिला और

नवजात शिशु को नि:शुल्क, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और देखभाल को सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और प्रसव के छह महीने बाद तक की माताओं को नि:शुल्क स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ देने की बात कही गई है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करके महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य को उत्तम बनाना है।

9.5 भारत में स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी अधिकारों के सामाजिक निर्धारक (Social Determinants of Health and Reproductive Rights in India):

प्रजनन एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों के सामाजिक निर्धारकों में वे समस्त कारक सम्मिलित किए जा सकते हैं, जो महिलाओं समेत व्यक्तियों एवं समुदाय के प्रजनन और स्वास्थ्य के साथ ही समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। भारत देश के अन्दर ऐसे बहुत से कारक विद्यमान हैं, जो स्वास्थ्य एवं प्रजनन (विशेषकर महिलाओं के) को निर्धारित करते हैं। इन निर्धारकों को विभिन्न उपखंडों के अंतर्गत निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है-

9.5.1 स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी अधिकारों के सामाजिक-सांस्कृतिक निर्धारक (Socio-Cultural Determinants of Health and Reproductive Rights):

प्रजनन एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों के सामाजिक सांस्कृतिक निर्धारकों में वे कारक सम्मिलित हैं, जो किसी विशेष समाज की परंपराओं और रीतियों, सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं इत्यादि से संबंधित होते हैं। ऐसे कारक प्रजनन दर, मातृ स्वास्थ्य, यौन एवं प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के रूप में, विवाह की कम आयु, सांस्कृतिक प्रथाएँ जैसे बहुविवाह, बेमेंल विवाह, पितृसत्तात्मक संस्कृति के अंतर्गत पुत्र प्राप्ति की इच्छा, कन्या भ्रूण हत्या आदि जैसी सांस्कृतिक मान्यताओं के चलते महिलाओं के प्रजनन और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कई बार इन कारणों से महिला के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर इतना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कि महिला को उससे बाहर निकलने में वर्षों लग जाते हैं।

9.5.2 स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी अधिकारों के आर्थिक एवं तकनीकी निर्धारक (Economic and Technological Determinants of Health and Reproductive Rights):

प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों के निर्धारकों में आर्थिक एवं तकनीकी कारक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। निर्धनता के कारण महिलाओं को पौष्टिक भोजन, स्वच्छ पानी नहीं प्राप्त हो पाता, जिससे उनमें बीमारियों का खतरा ज्यादा रहता है। बीमारियाँ होने के बाद भी यह महिलाएं स्वास्थ्य सेवाओं तक अपनी उचित पहुँच नहीं बना पाती। इसके साथ ही कई बार अस्पताल में तकनीकी मशीनों की उपलब्धता न होना, उपलब्ध मशीनों में तकनीकी खराबी होना और उनका लंबे समय तक सही न हो पाना, इनके उपयोग हेतु कुशल प्रशिक्षितों की कमी होना आदि जैसे कारक महिला के प्रजनन के साथ ही समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जिन क्षेत्रों में इनकी उपलब्धता सुगम होती है, उन क्षेत्रों में महिलाओं को तुलनात्मक रूप से अधिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो पाता है।

9.5.3 स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी अधिकारों के भौगोलिक एवं जनांकिकीय निर्धारक (Geographical and Demographic Determinants of Health and Reproductive Rights):

प्रजनन और स्वास्थ्य संबंधी निर्धारकों में व्यक्ति का भौतिक स्थान जलवायु एवं पर्यावरण, बुनियादी संरचना जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं यातायात एवं परिवहन आदि साधनों की उपलब्धता, आयु, जनसंख्या की संरचना, जनसंख्या का वितरण आदि जैसे कारक निर्धारक के रूप में कार्य करते हैं। जिस स्थान की भौगोलिक संरचना, पर्यावरण एवं जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों के अनुकूल होती है, उस स्थान पर महिलाओं का स्वास्थ्य एवं प्रजनन सापेक्षिक रूप से उत्तम दशा में होता है।

9.5.4 प्रजनन एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों को प्रभावित करने वाले शैक्षिक निर्धारक Educational Determinants of Health and Reproductive Rights):

शिक्षा मनुष्य के जीवन के अधिकांश क्षेत्रों के उत्तम निर्धारक के रूप में काम करती है। विशेषकर महिलाओं का शिक्षित होना, स्वयं के स्वास्थ्य और पूरे परिवार के स्वास्थ्य का आधार होता है। शिक्षित महिलाएं प्रजनन स्वास्थ्य, यौन स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अधिक बेहतर समझ पाती है। शिक्षित महिलाओं के निर्णयन क्षमता अच्छी होती है, इस कारण वे तुलनात्मक रूप से अधिक स्वस्थ और बेहतर जीवन व्यतीत कर पाती है। इस प्रकार शिक्षा, प्रजनन एवं स्वास्थ्य के मुख्य निर्धारक के रूप में कार्य करती है।

9.5.5 स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी अधिकारों के राजनीतिक एवं प्रशासनिक निर्धारक (Political and Administrative Determinants of Health and Reproductive Rights):

स्वास्थ्य एवं प्रजनन को निर्धारित करने वाले कारकों में राजनैतिक एवं प्रशासनिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ये ऐसे कारक हैं जो स्वास्थ्य नीतियों, योजनाओं कार्यक्रम और सेवाओं को प्रभावित करते हैं। इनका प्रभाव प्रजनन एवं स्वास्थ्य के अनुकूल तथा प्रतिकूल परिणामों पर भी पड़ता है। राजनीतिक इच्छाशक्ति, सरकारी नीतियां, नीतियों का दृढ़तापूर्वक कार्यान्वयन, जागरूकता अभियान, और अन्य प्रशासनिक प्रणालियाँ संयुक्त रूप से कार्य करते हुए महिलाओं की स्वास्थ्य एवं प्रजनन कि स्थिति उत्तम करने का कार्य कर सकते हैं।

9.6 भारत में स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी अधिकारों को सुनिश्चित करने के उपाय (Measures to Ensure Health and Reproductive Rights in India):

भारत जैसे विकासशील देश में स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी अधिकारों को सुनिश्चितता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्य करने की आवश्यकता है-

9.6.1 विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन (Organizing Various Awareness Programs):

स्थानीय एवं सामुदायिक स्तर पर समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करके प्रजनन, स्वास्थ्य एवं इसके अधिकारों के विषय में आम जनता विशेषकर महिलाओं एवं बच्चियों को शिक्षित एवं जागरूक करने की आवश्यकता है। इस जागरूकता कार्यक्रम सुरक्षित यौन संबंध, गर्भनिरोधक और यौन संचारित संक्रमणों, अन्य संचारी तथा गैर संचारी रोगों के बारे में विस्तार से एक निश्चित समय अंतराल पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए।

9.6.2 माध्यमिक शिक्षा में प्रजनन एवं स्वास्थ्य की जानकारी (Reproductive and Health Information in Secondary Education)-

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी विशेषकर स्कूली लड़कियों को प्रजनन एवं स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देना सुनिश्चित करना चाहिये। इसके लिए स्कूल प्रशासन, सामुदायिक सहभागिता, सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों की सक्रियता उत्तम परिणाम दे सकते हैं। बालिका विद्यार्थियों को स्वस्थ्य

एवं प्रजनन सम्बन्धी क्रियाओं की जानकारी प्रदान करने, किशोरावस्था से ही उन्हें अपने स्वस्थ्य के प्रति जागरूक बनाने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया जा सकता है।

9.6.3 परिवार में लैंगिक समानता के मूल्यों की स्थापना के प्रयास (Efforts to Establish the Values of Gender Equality in the Family)-

अभी भी कई सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं के चलते भारत समेंत विश्व भर के कई समाजों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों एवं अशिक्षित समुदाय में लैंगिक रूप से असमानता विद्यमान हैं। जहाँ लिंग के आधार पर कार्यों का विभाजन एवं भूमिकाओं का बंटवारा करने की परंपरा आम है। ऐसे में माता पिता के घर से ही बेटियों को एक रूढ़िवादी धारणा के अंतर्गत यह सीख दे दी जाती है, कि घर के पुरुष, पिता, चाचा, भाई, ताऊ इत्यादि उनकी तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है और उन्हें अधिक देखभाल की आवश्यकता है। इसका एक पक्ष यह भी है कि बेटियों के मन में यह जमी जमाई धारणा आ जाती है, कि उन्हें घर के पुरुष सदस्यों का ध्यान स्वयं से ज़्यादा रखना है।

9.6.4 स्वास्थ्य सेवाओं तक आमजन की सहज पहुँच सुनिश्चित करना (Ensuring Public Access to Health Services)-

यह पाया गया है कि जागरूकता और ज्ञान होने के बावजूद भी, स्वास्थ्य सुविधाएँ आमजन की पहुँच में शामिल नहीं हो पाती। ऐसे में, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गाँव में आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना, समय समय पर निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श एवं जांचें, गर्भनिरोधक दवाओं की उपलब्धता, जांचों हेतु सामान्य उपकरणों की आपूर्ति, सुरक्षित गर्भपात, प्रसव पूर्व जाँच और उपचार आदि जैसी सुविधाएं महिलाओं और आमजन के स्वास्थ्य अधिकारों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

9.6.5 स्वास्थ्य एवं प्रजनन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए नवोन्मेषी क्रियाओं का संपादन (Taking Innovative Actions to Ensure Health and Reproductive Rights)-

महिलाओं में स्वास्थ्य एवं प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए सरकार को नवोन्मेषी क्रियाओं, जैसे संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान, सामाजिक कलंक और भेदभाव को दूर करने के प्रयास, पर्याप्त चिकित्सा संरचना का विकास एवं उनमें आवश्यकतानुसार समय-समय पर विस्तार एवं सुधार, आदि जैसी क्रियाओं के द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के प्रयास किए जा सकते हैं।

9.7 सारांश (Summary)

स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी अधिकार महिलाओं के स्वास्थ्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। इस अध्याय में स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी अधिकारों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी अधिकारों की अवधारणा एवं विभिन्न दृष्टिकोणों से स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी अधिकारों की अवधारणा को समझने का प्रयास किया गया है। इस अध्याय में यह भी विवरण है कि स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी अधिकार किस प्रकार संपूर्ण महिला कल्याण एवं सामाजिक कल्याण और स्थायित्व को को प्रभावित करते हैं, इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी अधिकारों के लिये संवैधानिक संरक्षण एवं कानूनी उपाय का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इसमें यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि संवैधानिक संरक्षण और कानूनी उपायों के द्वारा भारत में महिला स्वास्थ्य आपकी स्थिति को उत्तम बनाने प्रयत्न किए गए हैं। इस अध्याय में यह भी विवरण मिलता है कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं और नीतियां महिलाओं के स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करके के लिए कार्य कर रही हैं। इस अध्याय में स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी अधिकारों के प्रमुख सामाजिक निर्धारकों की संक्षिप्त चर्चा की गयी है, इसके साथ ही अंतिम रूप इस अध्याय में भारत में स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी अधिकारों को सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि महिला स्वास्थ्य किसी भी समाज के विकास और प्रगति में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि घर से लेकर सार्वजनिक उपक्रमों तक के मूल्यों में, नीतियों में, महिलाओं को स्वस्थ और सशक्त बनाने के लिए जवाबदेही के साथ कदम उठाए जाएं। महिला-स्वास्थ्य एवं अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जितनी महत्वपूर्ण भूमिका संवैधानिक संरक्षण, कानूनी उपायों एवं सरकारी नीतियों की है, उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि महिला की स्वयं, महिला परिवार के सदस्य, आमजन की सहभागिता, सामुदायिक प्रयास आदि का महिलाओं के स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्रिय भागीदारी हो। इन सभी संयुक्त प्रयासों से निश्चित ही महिला स्वास्थ्य को उत्तम बनाया जा सकेगा।

9.8 शब्दावली (Terminology)

- **SRHR (एसआरएचआर)-** सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स
- **MMR (एमएमआर)-** मैटरनल मोर्टेलिटी रेशिओ (मातृ-मृत्यु दर)

- **IMR (आईएमआर)-** इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशिओ (शिशु मृत्यु दर)
- **JSY (जेएसवाई)-** जननी सुरक्षा योजना
- **JSSY (जेएसएसवाई)**- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
- **PM-JAY (पीएम-जेएवाई)-** प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

9.9 निबंधात्मक प्रश्न अभ्यास (Practice Question):

1. स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी अधिकार क्या हैं? इस हेतु किये गए संवैधानिक उपायों की संक्षिप्त चर्चा कीजिये।
2. भारत में स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी अधिकारों के संरक्षण के लिए किये गए किये गए विधानों का संक्षेप में वर्णन कीजिये।
3. स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी अधिकार महिला कल्याण से किस प्रकार सम्बंधित हैं? संक्षेप में चर्चा कीजिये।
4. स्वास्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी अधिकारों के सामाजिक निर्धारकों को विस्तारपूर्वक समझाइये।
5. स्वस्थ्य एवं प्रजनन सम्बन्धी अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले उपाय कौन कौन से हैं?

9.10 सन्दर्भ सूची (References):

1. महिलाओं के स्वास्थ्य पर स्वच्छता का प्रभाव" जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ, भारत, 2021।
2. स्वास्थ्य शिक्षा और महिलाओं का सशक्तिकरण" भारतीय जनस्वास्थ्य शोध पत्रिका, 2018।
3. पार्कर, विली जे (2020) प्रजनन अधिकार, स्वास्थ्य और न्याय की नैतिक अनिवार्यता, बेस्ट प्रैक्टिस एंड रिसर्च क्लिनिकल ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी।
4. मांगलिक, रोहित (2024)- जेंडर संवेदीकरण संस्कृति, समाज और परिवर्तन, एदूगुरिल्ला प्रेप एक्सपर्ट्स।
5. सिद्धिकी, ई फातिमा, रंगनाथन, सरला (2001)- हैंडबुक वीमेंन एंड ह्यूमन राइट्स, कनिष्क पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्युटर्स, न्यू डेल्ही, 2001।

6. Niumai, Ajailiu, Chauhan, Abha (2022)- Gender, Law and Social Transformation in India, Springer Nature Singapore pte Ltd, Year- 2022
7. Justice K S Puttaswamy v Union of India 10 SCC 1; Independent Thought vs. Union of India & another, (2017) 10 SCC 800; Joseph Shine v. Union of India, 2018 SCC OnLine SC 1676; etc.
8. National Policy for the Empowerment of Women, 2001, (https://wed.nic.in)
9. The Constitution of India as amended by the (One Hundred and First Amendment) Act, 2016,
10. Universal New Delhi (2018).
11. Article 14, Constitution of India.
12. Article 15(3), Constitution of India.
13. Article 21, Constitution of India.
14. Article 42, Constitution of India (Provision for Maternity Relief).
15. 19 Article 47, Constitution of India.

इकाई– 10 संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन एवं चुनौतियां

Implementation and Challenges of Constitutional and Legal Provisions

इकाई की रूपरेखा

10.0 प्रस्तावना

10.1 उद्देश्य

10.2 संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों का क्रियान्वयन

10.2.1 संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में संवैधानिक एवं राजनीतिक निकायों की भूमिका

10.2.2 संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में शिक्षण संस्थानों की भूमिका

10.2.3 संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में समाज की भूमिका

10.2.4 संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में व्यक्ति की भूमिका

10.3 संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की चुनौतियां

10.3.1 संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौतियाँ

10.3.2 संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की आर्थिक चुनौतियाँ

10.3.3 संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की राजनीतिक चुनौतियाँ

10.3.4 संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की तकनीकी एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ

10.3.5 संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की भौगोलिक एवं जनसांख्यिकीय चुनौतियाँ

10.3.6 संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की अन्य चुनौतियाँ

10.4 संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की चुनौतियों से निपटने के उपाय

10.4.1 महिलाओं एवं जन सामान्य के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन

10.4.2 भावी चुनौतियों की पहचान सुनिश्चित करना

10.4.3 चुनौतियों से निपटने के लिए उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना

10.4.4 भ्रष्टाचार के उन्मूलन की प्रतिबद्धता

10.4.5 आवश्यकता के अनुसार संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना

10.4.6 न्यायिक अभिकरणों द्वारा निश्चित समय में न्यायिक मामलों का निपटान

10.5 सारांश

10.6 शब्दावली

10.7 अभ्यास प्रश्न

10.8 सन्दर्भ सूची

10.0 प्रस्तावना (Introduction)

भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान होने का गौरव प्राप्त है, भारतीय संविधान को देश की राजनैतिक एवं विधिक व्यवस्था की आधारशिला कहते हैं, जिसमें आम नागरिकों के साथ, बालकों, महिलाओं, दिव्यांगजनों, विशिष्ट सामाजिक वर्गों जैसे पिछड़े, दलितों एवं आदिवासी जनों आदि जैसे लोगों के लिए विशिष्ट प्रावधान करके भारत को सामाजिक रूप से स्वस्थ, समृद्ध एवं विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया गया है। भारतीय संविधान, शासन एवं प्रशासन की शक्ति और संरचना को स्पष्ट करता है। इसके साथ ही यह नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है। यह सभी व्यवस्थाएँ भारत में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय एवं सुशासन की स्थापना करने के साथ ही सभी प्रकार की असमानताओं, राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान के यथासंभव प्रयत्न के लिए की गई हैं। संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में कई प्रकार की चुनौतियां सामने आती है। संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में विभिन्न निकायों की एवं

संस्थानों की क्या भूमिका है? संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की विभिन्न चुनौतियां क्या है? इन सभी के विषय में हम इस अध्याय में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे।

10.1 उद्देश्य (Objectives):

- इस इकाई के द्वारा आप संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन के विषय में समझ सकेंगे।
- इस इकाई के द्वारा आप संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में विभिन्न निकायों एवं संस्थानों की भूमिका को समझ सकेंगे।
- इस इकाई के द्वारा आप संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में समाज एवं व्यक्ति की भूमिका के विषय में समझ सकेंगे।
- इस इकाई के द्वारा संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की चुनौतियों के बारे में जान सकेंगे।
- इस इकाई के द्वारा संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की चुनौतियों से निपटने के उपायों के बारे में जान सकेंगे।

10.2 संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों का क्रियान्वयन (Implementation of Constitutional and Legal Provisions)-

संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों का सफल क्रियान्वयन करना किसी भी देश, और उसके नागरिकों के गुणवत्तापूर्ण जीवन को सुनिश्चित के लिये आवश्यक एक कदम है। इसके लिए विभिन्न देशों की सरकारें समय समय पर अनेक उपाय अपनाती हैं। भारत जैसे सघन जनसंख्या एवं अपेक्षाकृत कम संसाधन वाले देश में संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के सफल क्रियान्वयन में शासन, प्रशासन को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में विभिन्न निकायों, संस्थानों, समाज एवं व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है, इसे हम निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं-

10.2.1 संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में संवैधानिक एवं राजनीतिक निकायों की भूमिका (Role of Constitutional and Political Bodies in the Implementation of Constitutional and Legal Provisions)-

संवैधानिक और राजनीतिक निकाय परस्पर संबद्ध होते हैं। संवैधानिक निकाय भारतीय संविधान द्वारा स्थापित वे संस्थाएँ हैं, जिनका उद्देश्य शासन को सुनिश्चित करना और विधि व्यवस्था को बनाए रखना

होता है। ये दोनों ही निकाय संविधान और कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। जहाँ तक महिला कल्याण से संबंधित प्रावधानों की बात है, इसमें भारतीय संवैधानिक निकायों में भारतीय चुनाव आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, न्यायपालिका आदि निकायों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार राजनीतिक निकायों में विधायिका है, इसमें संसद और विधानमंडल सम्मिलित हैं, जो विधियों और नीतियों के निर्माण में, सरकारी कार्यों की निगरानी में विशेष भूमिका निभाते हैं। विधायिका और कार्यपालिका के साथ विभिन्न राजनीतिक दल, महिला कल्याण को सुनिश्चित करने में विभिन्न प्रावधानों के निर्माण में, कार्यान्वयन में आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर निर्मित प्रावधानों में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य रूप से ये दोनों ही निकाय प्रावधानों के निर्माण, व्याख्या, क्रियान्वयन और आवश्यकतानुसार उसके प्रवर्तन में मुख्या भूमिका निभाते हैं।

10.2.2 संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों क्रियान्वयन में शिक्षण संस्थानों की भूमिका (Role of Educational Institutions in the Implementation of Constitutional and Legal Provisions)-

संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में शिक्षण संस्थानों की भूमिका विशिष्ट है। किसी भी देश के उत्तम नागरिकों का निर्माण करने में उस देश के शिक्षण संस्थान अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में भी शिक्षण संस्थानों के माध्यम से भारत की भावी और वर्तमान पीढ़ी को शिक्षा का अधिकार मिलता है। शिक्षण संस्थान संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण एवं स्थापना में, कानूनी रूप से छात्र छात्राओं को जागरूक करने में, महिला कल्याण के लिए किए गए उपायों और प्रावधानों के विषय में छात्र छात्राओं को जागरूक करने में, कानूनी जागरूकता स्थापित करने में, छात्र-छात्राओं में संवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का बोध कराने में भेदभाव के उन्मूलन में, जिम्मेदार नागरिक के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षण संस्थानों के माध्यम से छात्र-छात्राओं को इस प्रकार समाजीकृत किया जा सकता है, कि वे संविधान के विभिन्न प्रावधानों, सामाजिक सरोकारों, अपने मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के लिए संवेदनशील और उत्तरदायी हों।

10.2.3 संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में समाज की भूमिका (Role of Society in the Implementation of Constitutional and Legal Provisions)-

संविधान के कानूनों और प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन में समाज की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। समाज की सक्रिय भागीदारी होने से संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के लक्ष्य की

प्राप्ति के लिए अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करने पड़ते। समाज के नागरिक जिम्मेदारी से इन प्रावधानों को समझते हुए कानूनों का पालन करना अपना कर्तव्य समझे, समाज के युवा, वरिष्ठ नागरिकों के साथ, महिलाएं, महिला अधिकारों और महिलाओं के कल्याण के प्रति जागरूक रहें तो इन प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन की संभावना बढ़ जाएगी। जितनी जवाबदेही इस प्रावधानों और कानूनों के पालन की है, उतनी ही जवाबदेही इस बात की है कि समाज के सभी लोग कानून और प्रावधानों में सुधार या परिवर्तन होने की दशा में प्रवर्तन एजेंसियों को सहयोग करें। इससे महिलाओं को विरुद्ध होने वाले अपराध, अपराधियों और गैरकानूनी गतिविधियों से बचाव होगा और समाज में समानता, न्याय और मानवाधिकार की स्थापना में मदद मिलेगी।

10.2.4 संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में व्यक्ति की भूमिका (Role of Indivisual in the Implementation of Constitutional and Legal Provisions)-

संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में समाज के साथ ही व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिला कल्याण हेतु निर्मित प्रावधानों एवं कानूनों के विषय में समाज के सभी व्यक्तियों को जागरूक होकर सक्रिय रूप से इन्हें लागू करने के लिए अपना योगदान देना चाहिये। इसके साथ समाज के व्यक्तियों के द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा हेतु तत्पर रहना, स्वतंत्रता, समानता एवं सामाजिक न्याय को स्थापित करने में यथासंभव योगदान देना, सार्वजनिक मामलों में भागीदारी, निर्मित कानूनों का पालन आदि जैसे योगदान संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सभी व्यक्ति अपने अधिकारों के विषय में जागरूक होने के साथ ही, अपने कर्तव्यों के विषय में भी जागरूक हों, इससे कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में अधिक सहायता मिल सकेगी, क्योंकि किसी समाज में जो एक व्यक्ति के अधिकार हैं, उसी समाज में वह दूसरों के लिए कर्तव्य होंगे। इसी प्रकार महिलाओं से संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की जितनी जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन, सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक संस्थानों और समाज की है, उतनी ही जिम्मेदारी उस समाज के प्रत्येक व्यक्ति, महिला और पुरुष की होती है कि वह इन प्रावधानों के क्रियान्वयन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।

10.3 संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की चुनौतियां (Challenges in Implementation of Constitutional and Legal Provisions)-

संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक समाज को अलग-अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों

के अस्तित्व के बावजूद भी यदि समय से इन चुनौतियों की बाधा को दूर ना किया गया, तो यह बाधाएं इन प्रावधानों के क्रियान्वयन एवं प्रभावशीलता को कम करती है। ऐसी चुनौतियों को हम निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं-

10.3.1 संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौतियाँ (Socio-Cultural Challenges in the Implementation of Constitutional and Legal Provisions)-

भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर अनेक प्रकार के धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा, लिंग, सम्प्रदाय, मत, पंथ आदि आधार पर जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। ऐसे में संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन विविधताओं के कारण अनेक प्रकार की सामाजिक रूढ़िवादिता, कुप्रथाएं और पूर्वाग्रह आदि जैसे कारक कानूनी प्रावधानों की चुनौती के रूप में सामने आते हैं। उदाहरण के रूप में महिलाओं के प्रति अपराध एवं शोषण को रोकने के लिए दहेज प्रथा, बाल विवाह, बेमेंल विवाह, आदि के विषय में कानूनी प्रावधान होने के बावजूद भी यह आज के समाज में विद्यमान हैं। अभी हाल ही में भारतीय संसद के द्वारा भारतीय मुस्लिम महिलाओं में प्रचलित तीन तलाक की प्रथा को 01 अगस्त 2019 से दण्डनीय कृत्य बना दिया गया। इस एक्ट के प्रभावशीलता का विश्लेषण कुछ वर्ष का समय बीतने के बाद किया जा सकेगा। इस प्रकार के सभी प्रावधानों की प्रभावशीलता का कम होने संबंधी मुख्य कारक सामाजिक-सांस्कृतिक है।

10.3.2 संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की आर्थिक चुनौतियाँ (Political Challenges in the Implementation of Constitutional and Legal Provisions)-

संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के सफल क्रियान्वयन में आर्थिक चुनौतियां दो प्रकार से सामने आती है। प्रथम प्रकार की आर्थिक चुनौतियों में, संवैधानिक और सरकारी तंत्र की ऐसी परिस्थितियों को रखा जा सकता है, जिसमें महिलाओं के कल्याण हेतु प्रावधान निर्मित करने के लिए पर्याप्त भौतिक संसाधन, पर्याप्त धन और मूलभूत संरचना की आवश्यकता होती है, इनसे सम्बन्धित अपर्याप्तता सरकारी तंत्र के समक्ष संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान के क्रियान्वयन में आर्थिक चुनौतियों के रूप में सामने आते हैं। कई बार सरकार उक्त संसाधनों को जुटाने में लंबे समय तक असफल रहती है, जिसके कारण इन कानूनों के क्रियान्वयन और प्रभावशीलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और लाभान्वित होने वाला वर्ग इन कानूनों

और प्रावधानों के लाभ से वंचित रह जाता है। द्वितीय प्रकार की आर्थिक चुनौतियों वह वर्ग उठाते हैं, जिनके लिए कोई विशिष्ट प्रकार के संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान निर्मित होते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाएं और अन्य जन सामान्य कई बार यातायात संसाधन, भौतिक संरचना एवं धन के अभाव में इन प्रावधानों का लाभ नहीं उठा पाते। ऐसे में आर्थिक चुनौतियां संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के संरक्षण एवं विकास बाधक का कार्य करती है। यथासंभव आर्थिक चुनौतियों की बाधाओं को दूर करके प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सकता है।

10.3.3 संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की राजनीतिक चुनौतियाँ (Economic Challenges in the Implementation of Constitutional and Legal Provisions)

इस क्षेत्र की राजनैतिक चुनौतियों को गम्भीर, व्यापक एवं बहुआयामी रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। कई बार संवैधानिक संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप उनकी स्वायत्तता और निष्पक्षता को कर कमजोर करता है। अति न्यायिक सक्रियता और न्यायिक उदासीनता भी संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन को प्रभावित करते हैं। अत्यधिक न्यायिक सक्रियता कई बार कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण कर सकते हैं। इसके साथ ही न्यायिक उदासीनता जैसे न्याय में देरी, अपर्याप्त जांच, मामले का समय से दर्ज न किया जाना आदि जैसे कारण विद्यमान होने से महिलाओं से संबंधित संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों की प्रभावशीलता कुप्रभावित होती है। कई बार ऐसा पाया गया है कि महिलाओं के साथ ही अन्य सामाजिक अपराधों के संबंध में मामले का निपटान बहुत दीर्घकाल तक नहीं होता, ऐसे में संवैधानिक प्रावधान को और कानूनी उपायों के प्रति अपराधियों का भय कम होता है और समाज में अपराधों की संख्या में वृद्धि होती है। संघीय ढांचे में अस्थिरता, और संघर्ष की स्थिति इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव डालती है। राजनीतिक विचारधाराएँ जब संवैधानिक मूल्यों से टकराती है तब भी प्रावधानों सफल क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है। हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा तथा अस्मिता को संरक्षित करने के लिए संसद द्वारा तीन तलाक ऐक्ट 2019 का कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा विरोध किया गया, संभव है कि राजनीतिक विचारधारा का टकराव इसके लिए उत्तरदायी हो।

10.3.4 संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की तकनीकी एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ (Technical and Administrative Challenges in the Implementation of Constitutional and Legal Provisions)

मानवाधिकार व महिला कल्याण से संबंधित संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की तकनीकी चुनौतियों के रूप में, बदलती परिस्थितियों के अनुसार कानून के प्रयोगकर्ता एवं संरक्षकों के

तकनीकी ज्ञान एवं कौशल की कमी बाधा बनती है। वर्तमान डिजिटल युग में तकनीकी दक्षता इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक होती है। अतः यह आवश्यक है कि प्रावधानों के संरक्षक, लागूकर्ता और प्रयोगकर्ता तकनीकी ज्ञान के प्रति जागरूक हों। कुशल प्रशासनिक दक्षता का अभाव संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। यद्यपि इन कानूनों का निर्माण संविधान में दिए गए निर्देश के अनुसार संसद या विधानमंडल द्वारा होता है, तथापि भारत के किसी भी क्षेत्र में स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय स्तर तक इन प्रावधानों को सफलतापूर्वक लागू कराने का कार्य प्रशासन का ही होता है। ऐसे में कुशल प्रशासनिक क्षमता के अभाव वाले क्षेत्रों में महिलाओं के साथ ही साथ अन्य मानवाधिकार से संबंधित प्रावधानों के सफल कार्यान्वयन की संभावना कम हो जाती है। कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप भी प्रावधानों के सफल क्रियान्वयन में बाधक होते हैं।

10.3.5 संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की भौगोलिक एवं जनसांख्यिकीय चुनौतियाँ (Geographical and Demographic Challenges in the Implementation of Constitutional and Legal Provisions)-

भारत में विभिन्न स्तरों पर भिन्नताएं विद्यमान हैं। यह भिन्नताएं भौगोलिक एवं जनांकिकीय स्तर में भी पायी जाती हैं। कुछ मैदानी इलाकों को छोड़ करके पहाड़ी, रेगिस्तानी, सीमावर्ती स्थानों आदि जैसे क्षेत्रों में मूलभूत संरचना की कमी, परिवहन एवं संचार की कमी और सीमित सरकारी पहुँच के कारण संविधान के प्रावधानों एवं कानूनों को लागू करने में बाधा पहुंचती है। अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों में, भौतिक संसाधनों की कमी, भीड़, संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव आदि जैसे कारक संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में बाधा पहुंचाते हैं।

10.3.6 संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की अन्य चुनौतियाँ (Other Challenges in the Implementation of Constitutional and Legal Provisions)

संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की अन्य चुनौतियों में भ्रष्टाचार, जन-जागरूकता की कमी, अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप, आदि जैसे कारक बाधक का कार्य करते हैं। संरक्षण एवं पोषण में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बाधा है। सभी संसाधनों से युक्त होते हुए भी कई बार यह पाया गया है कि भ्रष्टाचार के कारण महिलाओं के कल्याण एवं संरक्षण संबंधी प्रावधानों का सफल क्रियान्वयन एवं अनुपालन नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार राजनीतिक हस्तक्षेप भी इन कानूनों के सफल क्रियान्वयन में बाधा

पहुंचाते हैं। जन जागरूकता की कमी इसके कारण संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का सफल क्रियान्वयन अधूरा रह जाता है।

10.4 संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की चुनौतियों से निपटने के उपाय (Measures to deal with the Challenges in the Implementation of Constitutional and Legal Provisions)-

संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का क्रियान्वयन किसी भी देश के लिए एक जटिल प्रक्रिया है। भारत जैसे सघन आबादी और भरपूर विविधता वाले देश के लिए यह कार्य और भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाली विभिन्न चुनौतियों के विषय में इस अध्ययन में पूर्व चर्चा की जा चुकी है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपायों को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है-

10.4.1 महिलाओं एवं जन सामान्य के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन (Organizing Awearness Programmes for Women and Public)-

संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में एक बड़ी बाधा के रूप में महिलाओं और आम जनता में जागरूकता का न होना होता है। यह आवश्यक है कि इन कानूनों और प्रावधानों के प्रति जागरूकता में वृद्धि करने हेतु विभिन्न संस्थाओं एवं स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। गाँव-गाँव, नगर-नगर, प्रचार-प्रसार करके विशेषकर महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों एवं प्रावधानों के प्रति सजग किया जाए। ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, तहसील और जिला स्तर पर समाज कल्याण विभाग सक्रियता से इस जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान करे। माध्यमिक स्कूलों में इस प्रकार से जागरूकता कार्यक्रम उत्तम परिणाम दे सकते हैं। किशोर बालिकाएं जो कल की कुशल गृहणियां, भावी माताएं और समाज की नारी शक्ति होने वाली हैं, उन बालिकाओं में संविधान, संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों को लेकर विशेष रूप से जागरूकता होनी चाहिए, ऐसे में माध्यमिक स्कूल में किए जाने वाले जागरूकता कार्यक्रम से बालिकाएं और बालक दोनों ही महिला कल्याण, मानवाधिकार, संविधान, संवैधानिक प्रावधान आदि के लिए सजग होकर एक जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे।

10.4.2 भावी चुनौतियों की पहचान सुनिश्चित करना (Identifying Future Challenges)

यह आवश्यक है कि संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के विषय में आकलन करते हुए समय समय पर उसकी पहचान कर ली जाए। समय बीतने के क्रम में विभिन्न

प्रकार की सामाजिक, भौगोलिक एवं प्राकृतिक चुनौतियां, प्रावधानों के क्रियान्वयन में बाधा पहुँचाती हैं। समय से इनके निपटान के द्वारा इन चुनौतियों को सीमित करके इसके दुष्प्रभावों को न्यूनतम किया जा सकता है।

10.4.3 चुनौतियों से निपटने के लिए उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना (Providing Proper Education and Training to deal with the Challenges)-

विभिन्न प्रकार के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन की चुनौतियों से निपटने में समय-समय पर अधिकारियों एवं कर्मचारी वर्ग के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण के व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि शासन एवं प्रशासन के द्वारा इस हेतु उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, जिससे विभिन्न समयांतराल पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों में उचित दक्षता का परिमार्जन होता रहे।

10.4.4 भ्रष्टाचार के उन्मूलन की प्रतिबद्धता (Commitment to Eradicating Corruption)-

किसी भी समाज में भ्रष्टाचार अनेक दुष्परिणामों का एक मुख्य कारण होता है। महिला कल्याण के मामले भी इससे अछूते नहीं हैं। महिलाओं से संबंधित संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के सफल क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। भ्रष्टाचार के कारण कई बार न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। गरीबों का न्याय मारा जाता है। ऐसे में महिला कल्याण एवं मानवाधिकार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को भ्रष्टाचार उन्मूलन में अपना योगदान देना होगा।

10.4.5 आवश्यकता के अनुसार संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना (Ensuring Availability of Resources as per Requirement)-

संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं में संसाधनों की अनुपलब्धता प्रमुख है। भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए आवश्यकता के अनुसार संसाधनों की पहुँच सुनिश्चित कराना सरकारी तंत्र का मुख्य उत्तरदायित्व है। जागरूक जनता और कुशल कर्मचारी होने के बावजूद जब तक समुचित संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, तब तक संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता से तात्पर्य, भौतिक एवं मानवीय संसाधन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने से है, जिसमें आवश्यक मशीनी उपकरण, मानवीय संसाधन, कानूनी तंत्र के लिए सहायक निकाय आदि सम्मितित हैं।

10.4.6 न्यायिक अभिकरणों द्वारा निश्चित समय में न्यायिक मामलों का निपटान (Timely Resolution of Judicial Cases by Judicial Agencies)-

संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में एक बड़ी बाधा के रूप में, किसी न्यायिक मामले हेतु दिये गए निश्चित समय में मामले का निपटारा ना हो पाना शामिल है। वर्तमान में भी भारतीय न्यायिक व्यवस्था में कई लंबित मामले हैं इनमें से कुछ मामले हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर विषयों से संबंधित है। कई बार एक न्यायिक विवाद को निपटाने में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का समय भी आ जाता है। इन सभी परिस्थितियों में उपलब्ध कानूनों के प्रति अपराधियों के मन में भय समाप्त होने लगता है और पीड़ित पक्ष तथा सामान्य जनता का मनोबल टूटता है। न्यायिक अभिकरण से जनसामान्य का विश्वास कमजोर होकर समाप्त होता रहता है। इस प्रकार की स्थितियों में कई बार पाया गया है कि समाज में अराजकता की स्थिति विद्यमान हो जाती है। इस प्रकार दिए गए निश्चित समय में न्यायिक मामलों का निपटान सुनिश्चित होना आवश्यक है, जिससे समाज में अपराधों के प्रति भय का वातावरण हो, कानून और संवैधानिक व्यवस्था में आम जनता का भरोसा दृढ़ हो सके।

10.5 सारांश (Conclusion):

भारत का संविधान विश्व का का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं के उपाय के क्रम में संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों को इस संविधान में सम्मिलित किया गया है। समयानुसार नए प्रावधान भी अस्तित्व में आये हैं और पूर्व के प्रावधानों में आवश्यकतानुसार संशोधन का कार्य किया गया है। भारतीय संविधान में सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रावधान किए गए हैं, विशेष रूप से बाल एवं महिला कल्याण, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विशेष प्रावधान, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संरक्षण हेतु विशेष प्रावधान। इन सभी के साथ ही भारत के सभी नागरिकों को अधिकार एवं कर्तव्यों के साथ संविधान संरक्षण के अनेकों प्रावधान किए गए हैं। इन सभी प्रावधानों का संयुक्त रूप से एक ही उद्देश्य है, उत्तम एवं अपराधमुक्त सामाजिक वातावरण का निर्माण एवं मानवाधिकारों की स्थापना। वस्तुतः संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों का क्रियान्वयन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें अनेकों कारक संयुक्त रूप से सम्मिलित होते हैं। इस अध्याय में संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया, इससे संबंधित विभिन्न संस्थानों और निकायों की भूमिका के विषय में चर्चा की गई है, समाज एवं व्यक्ति की भूमिका संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में किस प्रकार हो सकती है, संक्षेप में इसका उल्लेख इस अध्याय में किया गया है। इस अध्याय में बताया गया है कि किस

प्रकार विभिन्न प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी एवं प्रशासनिक चुनौतियां संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में बाधा पहुंचाते हैं। अध्याय के अंत में इन बाधाओं से मुक्त होने के उपायों के बारे में संक्षिप्त चर्चा की गई है।

10.6 शब्दावली (Terminology)-

- ❖ **संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)-** किसी भी देश के संवैधानिक प्रावधान, वह मूल्य नियम और सिद्धांत हैं, जो उस देश को शासनात्मक संरचना प्रदान करते हैं, इसके साथ ही सरकार एवं नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को पारिभाषित करते हुए उनके पालन के लिए निर्देश देते हैं।
- ❖ **कानूनी प्रावधान (Legal Provisions)-** कानूनी प्रावधान किसी देश के कानून में उल्लिखित वे नियम और सिद्धांत हैं, जिसका कार्य किसी विशेष क्षेत्र या विशेष विषय को नियंत्रित करना होता है। कानूनी प्रावधानों में नियम एवं उप-नियम सम्मिलित होते हैं, जो व्यक्तियों, संगठनों, और अभिकरणों के अधिकार, सीमाओं एवं कर्तव्यों को पारिभाषित करते हैं। उदहारण के रूप में, नागरिकों के लिए कानून, प्रशासनिक क्षेत्र के कानून इत्यादि।
- ❖ **न्यायिक अभिकरण (Judicial Agencies)-** न्यायिक अभिकरणों में वह न्यायिक संस्थाएं सम्मिलित हैं जो, निश्चित क्षेत्र के अन्दर आने वाले कानूनी विषयों और विवादों पर न्यायिक निर्णय, समाधान एवं सुझाव का कार्य करती हैं। इस अभिकरणों का न्यायिक प्रक्रिया में, अधिकारों एवं कर्तव्यों को बनाये रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान होता है।

10.7 निबंधात्मक प्रश्न (Practice Question)-

1. संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में विभिन्न संस्थानों एवं निकायों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा कीजिये।
2. संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की चुनौतियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं? व्याख्या कीजिये।
3. संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में व्यक्ति एवं समाज के भूमिका पर निबंध लिखिए।
4. संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन की चुनौतियों से मुक्त होने के उपायों के विषय में चर्चा कीजिये।

10.8 सन्दर्भ सूची (References)-

1. बाबेल, बसन्ती लाल (2023), संवैधानिक विधि: नई चुनौतियाँ, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन, वर्ष-2023।
2. सिन्हा, अदिति (2016), भारत में कानूनी सहायता प्रणालियों में नौकरशाही की चुनौतियाँ, 28 भारतीय जे. एडमिन. साइंस, वर्ष-2016, पृष्ठ संख्या -115।
3. मुखर्जी, आर. (2016). भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी।
4. शर्मा, नीता (2020), स्टाफ प्रशिक्षण और विकास के माध्यम से कानूनी सहायता बढ़ाना, 34 इंडियन जे. ऑफ ह्यूमन राइट्स, वर्ष-2020 पृष्ठ संख्या- 51।
5. मांगलिक, श्री रोहित (2024)- शासन मुद्दे और चुनौतियाँ, एडूगोरिल्ला पब्लिकेशन, वर्ष-2024।
6. शर्मा, अंजलि (2018), भारत में कानूनी सहायता: एक अवलोकन, 11 सोस. लेग. रेव. 34 वर्ष- 2018।
7. राधाकृष्णन, आर. (2005), भारत में कानूनी सहायता सेवाओं में नौकरशाही चुनौतियां, 17 भारतीय जे. पब्लिक एडमिन. 45 वर्ष-2005।
8. सिंह, मुकेश (2014), कानूनी सहायता पहुंच में भौगोलिक असमानताएं: भारत का एक अध्ययन, 12 जे. ग्रामीण और सामुदायिक विकास 88 वर्ष- 2014।
9. मेंहता, राघव (2019), भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी सहायता का विस्तार: चुनौतियां और समाधान, 37 भारतीय ग्रामीण विकास जर्नल 72, वर्ष-2014।
10. देसाई, किरण (2021), कानूनी सहायता और भारत की न्याय प्रणाली में विश्वास की कमी, 11 भारतीय मानवाधिकार जर्नल 25, वर्ष-2021।
11. भट्टाचार्य, एन. (2011), न्यायपालिका और संविधान में भारत. पूर्वी किताब कंपनी।
12. इस्लाम मैदुल (2022), तीन तलाक़ विधेयक और भारत में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार, मुस्लिम पर्सनल लॉ पर पुनर्विचार, प्रथम संस्करण, रूटलेज इंडिया, वर्ष- 2022।

ईकाई– 11 महिलाओं के विरूद्ध हिंसा

Violence Against Women

इकाई की रूपरेखा

11.1 प्रस्तावना

11.2 उद्देश्य

11.3 महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की परिभाषा एवं प्रकृति

11.4 महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के प्रकार

11.4.1 घरेलू हिंसा

11.4.2 यौन हिंसा

11.4.3 आर्थिक हिंसा

11.4.4 साइबर हिंसा

11.4.5 मानसिक एंव भावनात्मक हिंसा

11.4.6 कार्यस्थल में हिंसा

11.5 महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा के प्रमुख कारण

11.6 महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा के प्रभाव

11.7 कानूनी एवं संवैधानिक उपाय

11.8 समाधान एवं निवारण के उपाय

11.9 सारांश

11.10 परिभाषिक शब्दावली

11.11 बोध प्रश्न के उत्तर

11.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

11.13 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री

11.14 लघु उत्तरीय प्रश्न

11.15 निबंधात्मक प्रश्न

11.1 प्रस्तावना

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के सन्दर्भ में यदि बात करे तो वर्तमान समय में यह एक गंभीर समस्या बन कर परिलक्षित हो रहा है। वैश्विक परिदृश्य में यह मानव को प्रदत मनवाधिकार के उल्लंघनों में सबसे महत्वपूर्ण उल्लंघनों की श्रेणी में आता है, जैसा कि हम सब जानते है कि महिलायें किसी भी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। अत: महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिसा न केवल समाज और समाज के विकास में अपना गहरा प्रभाव डालती है बल्कि एक महिला के सम्मान, सुरक्षा, स्वतन्त्रता एवं गरीमा को गंभीर ठेस पहुचाने का कार्य करती है, महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिसा से एक महिला न केवल शारिरिक और मानसिक रूप से क्षत्रिग्रस्त होती है बल्कि उसकी स्वयं की पहचान और आत्मनिर्भरता के साथ भविष्य की संभावनाऐं भी बाधित होने लगती है, "भारत में घरेलू हिंसा से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण समस्या तिरस्कार एवं महिला उत्पीड़न" की है। महिलाओं के विरूध तिरस्कार उत्पीड़न या हिंसा की समस्या कोई नई नही है भारतीय समाज में महिलाएँ लम्बे काल से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 21 वी सदीं में भारत में महिलाओं के हित में बनाए गए कानूनों, शिक्षा के फैलाव व आर्थिक स्वतन्त्रता के बावजूद महिलाए अब भी उत्पीड़न या हिंसा की शिकार है। उनको पीटा जाना, अपमानित किया जाना, उनका बलात्कार किया जाना व हत्या किया जाना आदि आज भी देखे जा सकते है। [1]

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब एक ओर महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, तथा महिलाये भी अपना सर्वागीण विकास कर प्रगति की ओर उन्मुख हो रही है। वही दूसरी ओर उन्हे विभिन्न समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा प्रमुख है। शोध और सर्वेक्षण कहते है कि दुनियाभर में जितने भी अपराध होते है, उनमें से अधिकांश अपराध वेश्यावृत्ति, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, छेड़खानी और दहेज उत्पीड़न के ही होते है और ये सभी अपराध महिलाओं के खिलाफ ही

होते है। बलात्कार एक ऐसा अपराध है जो महिलाओं के खिलाफ ही होता है।[2] यद्यपि भारत में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए निरन्तर प्रयास हो रहे है परन्तु हिंसा के मामलों की संख्या अभी भी चिन्ताजनक है। अत: प्रस्तुत अध्ययन में महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा, प्रकार एवं समाधान के उपायों की विस्तृत चर्चा की जायेगी।

11.2 उद्देश्य

इस ईकाई के अध्ययन के बाद आप –

1. महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के अर्थ एवं परिभाषा को समझ पायेगे।
2. महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा के प्रकारों को समझ पायेगें।
3. हिंसा के प्रमुख कारणों से परिचित होगें।
4. हिंसा से होने वाले प्रमुख प्रभावों से परिचित होगें।
5. महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा को रोकने वाले सरकारी प्रयासों एवं समाधान व निवारण के उपायों को समझ पायेगें।

11.3 महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की परिभाषा एवं प्रकृति

किसी भी व्यक्ति के शरीर, मन, स्वतन्त्रता या गरिमा को जान बूझकर नुकसान पहुचाया जाता है तो वह हिंसा की श्रेणी में आता है। महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा है, डॉ0 चन्द्रा का मानना है कि “हिंसा वह व्यवहार है जिसकी औपचारिक रूप से सामाजिक निन्दा की जाती हो या जो नियमाचारी समूहो के व्यवहार सम्बन्धी मानदण्ड़ो से विचलित हो तब महिलाओं के प्रति हिंसा के मामलों का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है। संकुलित अर्थ में हिंसा शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति को आहत करना तथा चोट पहुचाना या शारिरिक रूप से घायल करना है नुकासान या चोट पहुचाने की दृष्टि से जानबूझकर किया गया आघात, किन्तु वास्तविक चोट न पहुचाई हो या ऐसे कार्य जिनसे बड़े नुकसान या आघात लगने की सम्भावना हो या ऐसे कार्य जिनसे शरिरिक आघात न पहुचा हो। किन्तु उनसे मौखिक आघात या मानसिक तनाव तथा कष्ट होता हो।[3] ऐसा माना जाता है कि “हिंसा, शक्ति का ऐसा प्रयोग है जिससे किसी के शरीर, भावना या प्रतिष्ठा को आघात पहुचता हो, विधिक रूप से कहा जा सकता

है कि हिंसा वह मानवीय व्यवहार है जिससे व्यक्ति अपनी शक्ति के मद में चूर होकर कानून का उल्लंघन करता है और किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुचा देता है।"[4]

कुछ प्रमुख समाजशासित्रयों एवं विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं का विवरण निम्नवत हैं :-

1. डॉ0 अमिता सिंह ने मानना है कि, "यह एक जानी-मानी बात है कि अत्याचार वे चाहे राज्य की ओर से हो या सम्पन्न प्रभुत्वशाली वर्गो की ओर से या फिर सामाजिक शक्तियों की टकराहट की बजह से सबसे ज्यादा और प्रत्यक्ष रूप में स्त्रियों के जीवन में ही दिखाई देता है, विश्व स्तर पर मनावाधिकारो के उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामले यौन भेद और हिंसा से जुड़े होते है।"[5]
2. अपर्णा त्रिपाठी के अनुसार, "साधारण रूप से उग्र आक्रामक व्यवहार ही हिंसात्मक व्यवहार की श्रेणी में आता है, यह हिंसात्मक व्यवहार शारिरिक भी हो सकता है और मानसिक भी। हिंसा किसी भी रूप में हो, किसी भी प्रकार की हो, वह व्यक्ति की मनोवृत्ति का प्रतीक होती है। चूकि महिलाएॅ शरिरिक रूप से कुछ अशक्त होती है, और भावनात्मक रूप से कुछ कमजोर होती है। इसलिए उनके विरूद्ध पुरूष हमेंशा से ही हिंसा करता आया है।"[6]
3. आहूजा और आहूजा , के अनुसार, "हिंसा वह व्यवहार है जिसकी औपचारिक रूप से सामाजिक निन्दा की जाती हो या जो नियमाचारी समूहो के व्यवहार सम्बन्धी मानदण्डों से विचलन हो तब महिलाओं के प्रति हिंसा के मामलों का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है।"[7]
4. Kemp Gil, "संकुचित अर्थ में हिंसा शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति को आहत करना तथा चोट पहुचाना या शारिरिक रूप से घायल करना है।"[8]
5. मैगार्गी के अनुसार, "ऐसा कार्य जो जानबूझ कर धमका कर या बलपूर्वक किया गया हो जिसके परिणाम स्परूप व्यक्ति को आघात पहुचा हो व उसका विनाश हुआ हो, या उसके सम्मान को ठेस लगी हो।"[9]

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की प्रकृति – जैसा कि यह सर्वविदित है कि महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा एक नवीन घटना नही है। प्राचीन काल से ही महिलायें किसी न किसी रूप में शोषण या हिंसा का शिकार होती रही है, जिसमें मुख्य रूप से दहेज-उत्पीड़न, दहेज सम्बन्धित हत्याये, वेश्यावृत्ति, घरेलू हिंसा, महिलाओं के अश्लील चित्रों का प्रदर्शन, अपहरण, यौन उत्पीड़न, साइबर अपराध के साथ-साथ मानसिक एवं भावनात्मक हिंसा इत्यादि है। इस सन्दर्भ में नाटाणी एवं ज्योति गौतम का मानना है कि "देश

की स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर 2004 तक महिला का जीवन जन्म से लेकर बचपन, किशोरावस्था, विवाह, मातृत्व तथा वैधव्य तक भेदभाव और अभाव के विरूद्ध एक लम्बे संघर्ष की कथा रहा है, हर स्तर और हर क्षेत्र में दुर्दशा की शिकार है।"[10] नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की 2003 की रिपोर्ट के अनुसार इस इक्कीसवी शताब्दी में भी हर 102 मिनट में दहेज के लिए एक महिला की हत्या हो रही है। हर 54 मिनट में एक बलात्कार तथा हर 38 मिनट में एक उत्पीड़न व प्रत्येक 07 मिनट में महिला के विरूद्ध एक अपराध हो रहा है।[11] एक सर्वेक्षण के अनुसार केवल 10 प्रतिशत शिकायते ही पुलिस में दर्ज प्राथमिकी में परिवर्तित होती है। इसमें खास बात यह है कि महिला उन्ही हाथो से सर्वाधिक हिंसा का शिकार है, जिनसे वे परिचित है।[12] इस प्रकार स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों या हिंसा सभ्यता तथा विकास के साथ-साथ तीव्र होती जा रही है।

डॉ0 सिंह ने महिला उत्पीड़न की प्रकृति को निम्नांकित आधार पर स्पष्ट किया है। [13]

1. दहेज से सम्बन्धित यातनाएँ व हत्याये।
2. पत्नी को पीटना
3. भावनात्मक दुर्व्यवहार
4. यौन दुर्व्यवहार
5. विधवाओं के विरूद्ध हिंसा
6. नारी हत्या और भ्रूण हत्या

इस प्रकार महिलाओं के विरूद्ध होने वाली कोई भी लैगिक आधारित कार्य हिंसा की श्रेणी में आते है जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं को शारीरिक या मानसिक क्षति पहुचाई जाती हो।

11.4 महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के प्रकार

महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा के कई स्वरूप परिलक्षित होते है जिनमें मुख्य रूप से शारीरिक, मानसिक, यौन हिंसा, सामाजिक एवं आर्थिक हिंसा इत्यादि है, ये हिंसा प्राय: कई स्तरों में होती रहती है परिणामस्वरूप एक महिला लम्बे समय तक मानसिक पीड़ा का सामना करती है। प्राय: महिलाये घरेलू हिंसा का सामना सबसे अधिक करती है, जिनमें मुख्य रूप में मारपीट एवं दहेज उत्पीड़न है। इसके अतिरिक्त यौन हिंसा जैसे- बलात्कार या यौन उत्पीड़न, मानसिक हिंसा के रूप में अपमान, धमकी देना या

नियन्त्रण में रखना, आर्थिक हिंसा के अन्तगर्त आय के व्यय का अधिकार न देना। साइबर हिंसा जैसे- आनलाइन उत्पीड़न या बदनाम करना, इसके अतिरिक्त कार्यस्थल में होने वाली शारीरिक एवं मानसिक हिंसा प्रमुख है।

महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को दो श्रेणियों में बाटा जाता है- [14]

1. भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार
   - बलात्कार
   - अपहरण तथा भगा ले जाना
   - दहेज के कारण हत्या
   - शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न अथवा पत्नी को पीटना
   - शारीरिक छेड़छाड़
   - चिढ़ाना
2. स्थानीय एंव विशेष विधानों के अनुसार अपराध –
   - अनैतिक अवैध अधिनियम 1978
   - दहेज मागना : अधिनियम 1961
   - सती के लिए बाध्य करना – अधियिम 1987
   - महिलाओं को अभद्र प्रदर्शन – अधिनियम 1986

महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा के प्रकार –

11.4.1 घरेलू हिंसा

समान्तया जब अपने घर या परिवारिक परिवेश में एक महिला के साथ हिंसा होती है तो उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। भारतीय समाज में प्राय: अधिकांश महिलाये चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र की हो अथवा

शहरी क्षेत्र की उन्हे पति या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से गाली-गलौज, पति, सास-ससुर, देवर, एवं ननदो के द्वारा मारपीट एवं दुव्यर्वहार करना शामिल है, इसके अलावा वैवाहिक हिंसा भी कई बार भयावह रूप धारण कर लेता है। वैवाहिक हिंसा पति और पत्नी के मध्य होने वाली एक ऐसी हिंसा है जो एक महिला को सर्वाधिक शारीरिक व मानसिक पीड़ा पहुचाता है। इस सन्दर्भ में डॉ0 त्रिपाठी का मानना है कि "वैवाहिक हिंसा पति-पत्नी के मध्य होने वाली हिंसा है।" वैवाहिक हिंसा किसी एक वर्ग या सामाजिक स्तर तक ही सीमित नही है। निम्न वर्ग के अशिक्षित लोगों के बीच वैवाहिक हिंसा होती है, तो उच्च कुलीन वर्ग के शिक्षित लोग भी वैवाहिक हिंसा का शिकार होते है।[15]

इस सन्दर्भ में डॉ0 महाजन का मानना है कि "आज नारी के प्रति अपराधिक हिंसा ही नही बढ़ रही है अपितु घरेलू हिंसा में भी अत्यधिक वृद्धि हो रही है। घरेलू हिंसा का सम्बन्ध घर-गृहस्थी में नारी का किया जाने वाला शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न है।"[16]

डॉ0 महाजन द्वारा घरेलू हिंसा के निम्न प्रकारों का उल्लेख किया गया है।[17]

1. **दहेज हत्याएँ** – विवाह के समय जब कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को धन, आवश्यक वस्तुये सम्पत्ति अथवा जेवर आदि भेट की जाती है उसे समान्यत: सरल शब्दों में दहेज कहा जाता है जो धीर-धीरे भारतीय समाज के लिए के लिए एक समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है। कम दहेज अथवा मनवांछित दहेज प्राप्त न होने की दशा में कई बार एक महिला की हत्या तक कर दी जाती है, दहेज प्रथा के कारण समाज में अनेक नयी समस्याओं का भी जन्म होने लगता है जैसे – परिवारिक विघटन, आत्महत्या, ऋृणगस्तता, मानसिक तनाव एवं तलाक इत्यादि यद्यपि इसे रोकने के लिए "दहेज निरोधक अधिनियम 1961" लागू किया गया है, यह अधिनियम 01 जुलाई 1961 से लागू है। अब यह अधिनियम "दहेज निरोधक (संशोधित) अधिनियम 1986" के नाम से जाना जाता है, इस अधिनियम में दहेज लेने वाले को 05 वर्ष के कारावास और 15 हजार रूपये जुर्माने का दण्ड देने का प्रावधान है ऐसे अपराधी की जमानत भी नही होगी।[18] राम अहुजा ने दहेज हत्या के निम्नांकित निष्कर्षो का उल्लेख अपने अध्ययन में किया है।[19]

1 – मध्यम वर्ग की नारियों में दहेज हत्याएँ निम्न तथा उच्च वर्ग की नारियों की तुलना में अधिक होती है।

2 – 70.0 प्रतिशत दहेज हत्याओं की शिकार नारियॉ 21 से 24 वर्ष की आयु की होती है।

3 – दहेज हत्या एक उच्च जाति प्रघटना है न कि निम्न जाति की समस्या।

4 – दहेज हत्या से पहले युवा दुल्हनों का अनेक प्रकार से उत्पीड़न किया जाता है।

5 – समाजशास्त्रीय दृष्टि से पर्यावरणीय दबाव अथवा सामाजिक तनाव दहेज हत्याओं का प्रमुख प्रेरक कारक है।

6 – दुल्हन की शिक्षा व उसकी दहेज हत्या में कोई सह सम्बन्ध नहीं पाया जाता है।

7 – दुल्हन को जिन्दा जला देने के मामलों में परिवार की रचना प्रमुख भूमिका निभाती है।

2. **पत्नी को पीटना** – विवाह के सन्दर्भ में यह हिंसा महत्वपूर्ण मानी जाती है जिससे पति प्यार एवं संरक्षण के स्थान पर पत्नी की पीटाई करता है। राज अहूजा ने 60 ऐसी नारियों से जो ऑकड़े एकत्रित किये उनका विश्लेषण निम्नांकित तथ्यों की ओर संकेत करता है- [20]

1. 25 वर्ष से कम की पत्नियॉ पति द्वारा मार-पिटाई का अधिक शिकर होती है।
2. जो पत्नियॉ पति से आयु में पॉच या अधिक वर्ष छोटी होती है, उनकी मार-पिटाई की सम्भावना अधिक होती है।
3. इस प्रकार की घटनाओं की शिकार नारियॉ यद्यपि निम्न आय वाले परिवारों की होती है तथापि आय को पत्नी के पीटने से अनिवार्य रूप से नही जोड़ा जा सकता है।
4. परिवार के आकार व रचना का पत्नी को पीटने से कोई सम्बन्ध नहीं है।
5. पति द्वारा पिटाई से कोई गम्भीर चोटें नहीं पहॅुचती।
6. यौनिक असामंजस्य, भावात्मक अशान्ति, पति का अत्यधिक अहम् या उसमें निम्नता की भावना (Inferiority complex), पति की मद्यपानता, ईर्ष्या तथा पत्नी की निष्क्रियता व बुजदिली पत्नी के साथ मार-पिटाई के प्रमुख कारण है।
7. पति का बचपन में हिंसा के प्रति प्रकाशकरण (Expose to Violence) पत्नी को पीटने में एक प्रमुख कारण है।
8. यद्यपि अशिक्षित नारियों से ऐसा दुर्व्यवहार अधिकतर होता है, फिर भी शिक्षा तथा पत्नी को पीटने में कोई अनिवार्य समसम्बन्ध नहीं है।

9. यद्यपि उन पत्नियों में ऐसे दुर्व्यवहार की सम्भावना अधिक है जिनके पति मद्यपान करते हैं, परन्तु अधिकांशत: पति पत्नी की मार-पिटाई मद्यपान की दशा में नही करते अपितु तब करते हैं जब कि वे अमत्त (Sober) होते हैं अर्थात पिए हुए नहीं होते।

3. **विधवाओं पर अत्याचार -** हिन्दुओं की उच्च जातियों में विधवा के पुनर्विवाह की परम्परा नहीं थी। महिला के पति के मृत्यु के उपरान्त एक विधवा से बड़े संयमी और तपस्वी जीवन की आशा की जाती थी, एक अनिष्टकारी मानकर उसपर अनेक अत्याचार किये जाते थे। राम अहूजा के अनुसार विधवाओं के प्रति हिंसा के प्रमुख लक्षण निम्नांकित हैं-[21]

1. मध्य आयु वर्ग की विधवाओं की तुलना में युवा विधवाओं का अधिक अपमान व शोषण होता है।
2. सामान्यत: विधवाओं को पति के व्यापार, बैंक खातों, जीवन बीमा पालिसियों इत्यादि का बहुत कम ज्ञान होता है जिसके कारण वे पति पक्ष के सदस्यों के धोखे में आ जाती हैं जो उन्हे उनके मृत पतियों की सम्पत्ति नहीं देना चाहते।
3. विधवाओं पर हिंसा को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति पति पक्ष के ही सदस्य होते है।
4. शोषण के तीन प्रेरकों (शक्ति, सम्पत्ति व यौन शोषण) में मध्यम वर्ग की विधवाओं के प्रति हिंसा हेतू सम्पत्ति अधिक महत्वपूर्ण है; निम्न वर्ग में यौन शोषण अधिक महत्वपूर्ण है।
5. यद्यपि सास का स्वेच्छाचारी व्यक्तित्व विधवाओं के शोषण में प्रमुख कारक है, तथापि विधवाओं की निष्क्रियता व बुजदिली उनके शोषण में अधिक महत्वपूर्ण हैं।
6. आयु, शिक्षा तथा वर्ग विधवाओं के शोषण से महत्वपूर्ण रूप से सहसम्बन्धित हैं परन्तु परिवार की रचना तथा आकार का इससे कोई सहसम्बन्ध नहीं है।

11.4.2 यौन हिंसा

यौन हिंसा वर्तमान समाज में महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा में सबसे अधिक गम्भीर समस्या के रूप में उत्पन्न हो रही है, जिसके अन्तगर्त एक महिला की इच्छाओं के विरूद्ध उसे यौन गतिविधियों के लिए बाध्य किया जाता है, इसमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न, अश्लील इशारे अथवा अभद्र टिप्पणियॉ, छेड़छाड़ करना, वैवाहिक जीवन में पति द्वारा पत्नी की बिना सहमति के जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करना इत्यादि है। इस प्रकार की हिंसा से एक महिला न केवल शारीरिक रूप से बल्कि

मानसिक रूप से भी पीड़ा का अनुभव करती है, परिणामस्वरूप शारीरिक – मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उसके आत्म सम्मान और सामाजिक जीवन पर भी गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस सन्दर्भ में डॉ0 त्रिपाठी का मानना है कि, "यौन उत्पीड़न एक ऐसा अपराध है जिसमें पुरूषों द्वारा महिला को यौन रूप से परेशान किया जाता है। इसके तहत उसके साथ मौखिक छेड़छाड़ तो होती ही है, साथ ही उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ भी की जाती है। महिलाओं के सामने अश्लील इशारें किये जाते है उन पर अश्लील टिप्पणियॉ की जाती है, उन्हे अश्लील चित्र आदि दिखाए जाते है और उन्हे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है।"[22] डॉ0 महाजन ने यौन हिंसा और यौन उत्पीड़न के निम्नांकित रूप स्पष्ट किये है।[23]

1. वेश्यावृत्ति

2. देवदासी

3. अश्लील साहित्य

4. विज्ञापन

5. चलचित्र

6. कबरे नृत्य

7. छेड़ – छाड़

11.4.3 आर्थिक हिंसा

वर्तमान परिप्रेक्ष्य के सन्दर्भ में महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा में आर्थिक हिंसा अनेक रूपों में परिलक्षित हो रही है। यह एक ऐसी हिंसा है जो महिलाओं के मानसिक तनाव का एक प्रमुख कारण बन रही है और उनका गहरा प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। प्राय: इस प्रकार की हिंसा कामकाजी अथावा अर्थोपार्जन करने वाली महिलाओं के साथ सर्वाधिक होता है जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं की आर्थिक स्वतन्त्रता को छीनना अथवा उसमें परिवार के सदस्यों का अत्यधिक नियन्त्रण स्थापित करना, महिला द्वारा अर्जित आय को इच्छानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान न करना, सम्पूर्ण अर्जित आय को छीनना, अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए भी पैसे न देना, बैक के खातो पर अत्यधिक नियन्त्रण रखना, नौकरी करने से रोकना अथवा बाधा डालना, सम्पत्ति का अधिकार न देना तथा किसी भी प्रकार के आर्थिक निर्णय लेने के अधिकार से वंचित रखना इत्यादि है। योजना आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार "निम्न वर्ग की

अधिकतर कामकाजी महिलायें अशिक्षित या अल्पशिक्षित होती है। काम करना इस वर्ग की महिलाओं के लिए एक मजबूरी ही है और मजबूरी में काम पाने के लिए उन्हे कीमत भी चुकानी पड़ती है। कार्यस्थल पर उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। देर शाम जब घर लौटती है तो उन्हे पारिवारिक हिंसा से दो चार होना पड़ता है।"[24]

11.4.4 साइबर हिंसा

साइबर हिंसा महिलाओं के विरूद्ध होने वाली एक ऐसी हिंसा है जो नवीन होने के साथ-साथ तीव्र गति से बढ़ रही है, इस हिंसा के अन्तगर्त डिजिटल माध्यमों से जैसे – सोशियल मीडिया, ई-मेंल, चैट और वेबसाइट के माध्यम से महिलाओं को उत्पीड़ित किया जाता है। इन माध्यमों से महिलाओं को जहॉ एक ओर परेशान किया जाता है वही उन्हे धमकी और बदनाम करने के साथ-साथ अश्लील संदेश भेजना, बिना महिला की स्वीकृति के उनकी निजी तस्वीरों व विडियों को साझा करना, आनलाइन झूठी अफवाहे फैलाना इत्यादि शामिल है। यह हिंसा यद्यपि आभासी माध्यमों से की जाती है परन्तु एक महिला पर इसका गहरा एवं दीर्घकालिक प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। परिणामस्वरूप वह अवसाद, मानसिक चिन्ता, सामाजिक अलगाव एवं आत्मसम्भाव की हानि जैसी समस्याओं से जूझने लगती है, वास्तव में वर्तमान में बहुचर्चित साइबर स्पेस (Cyber Space) शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विज्ञान गल्प (Science Fiction) लेखक विलियम गिब्सन (William Gibson) द्वारा 1984 में उनकी पुस्तक न्यूरोम ऐन्सर (Neurom Ancer) में छवियों के कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न त्रिवियामी रेखाचित्र के रूप में वर्णित है।[25] साइबर अपराध इण्टरनेट का अपराधिक दुरूपयोग है। साइबर अपराध भारत में पुलिस के लिए बहुत हद तक अनभिज्ञ क्षेत्र है, कुछ विशेष इण्टरनेट अपराधों में इण्टरनेट अपराधों में वित्तीय धोखाधड़ी, राज्य और शासकीय एवं निजी संगठनों की सुरक्षा का हनन, नग्नता एंव सार्वजनिक आश्लीलता, बाल मौन व्यवहार एवं युवाओं का बहकना, कुण्ठित एवं भयभीत करना, जुआ प्रणाली, आकड़ो को नष्ट करना, वाइरस प्रदूषण इत्यादि सम्मिलित है।[26]

11.4.5 मानसिक एवं भावनात्मक हिंसा

महिलाओं के विरूद्ध की जाने वाली हिंसाओं में मानसिक एवं भावनात्मक हिंसा एक महत्वपूर्ण हिंसा मानी जा सकती है। जिसमें एक महिला को परिवारिक एवं सामाजिक रूप से लगातार अपमानित किया जाता है, उसे नीचा दिखाने के साथ-साथ मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता है। यह हिंसा प्राय: व्यवहार, शब्दों, चुप्पी, तिरस्कार पूर्ण व्यवहार या सामाजिक अलगाव के माध्यम से की जाती है।

जिसका प्रमुख उद्देश्य एक महिला के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, एवं मानसिक सन्तुलन को छिन्न- भिन्न कर देना होता है। यद्यपि यह हिंसा शारीरिक नही होती तथापि एक महिला पर इसका गम्भीर एवं दीर्घकालीन दुष्प्रभाव होता है, इस प्रकार मानसिक एंव भावनात्मक हिंसा अदृश्य होते हुए भी एक महिला को सर्वाधिक पीड़ा देने के साथ-साथ मानसिक रूप से भी तोड़ देती है।

11.4.6 कार्यस्थल में हिंसा

आर्थिक विकास के साथ साथ महिलाओं की व्यवसायिक गतिशीलता को भी बढ़ावा मिला, प्रराम्भ में आर्थिक विवशता वश निम्न वर्ग की महिलाओं ने आर्थिक जगत में अर्थोपार्जन के लिए कदम रखा किन्तु धीरे शिक्षा के बढ़ते सुआवसरों ने भी महिलाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित किया, उन्नीसवी सदी में महिलाओं से खेतो में जोतने-निराने का कार्य और पत्थर की खानों तथा चाय के बगानों में काम करवाया जाता था, किन्तु मध्यमवर्गीय महिला व्यवसाय में काफी देर से आई महिला शिक्षा को गति प्रदान करने के लिए और महिलाओं को आर्थिक रूप से अपने पैरो पर खड़ा करने के लिए सबसे पहले शिक्षक के धन्धे का द्वार खुला।[27] महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा के सन्दर्भ में यदि बात करे तो कार्यस्थल में भी एक महिला सुरक्षित नही है, यहॉ भी उन्हे कई प्रकार का हिंसा का सामना प्राय: करना पड़ता है, जिसमें मुख्य रूप से मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न एवं आर्थिक उत्पीड़न प्रमुख है। इस प्रकार की हिंसा में मुख्य रूप से यौन उत्पीड़न, शब्दों या इशारों से अपमानजनक व्यवहार, भेदभाव, अवांछित स्पर्श तथा वेतन असंगति के साथ-साथ पदोन्नति में भी भेदभाव इत्यादि है। यह हिंसा न केवल एक महिला की गरिमा, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को गम्भीर रूप से प्रभावित करती है बल्कि कई बार अपनी नौकरी या व्यवसाय को भी छोड़ने को बाध्य हो जाती है। "स्वंप्निल भारत" नामक गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन द्वारा कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के बीच किये गये सर्वेक्षण के आधार पर 60 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं और 55 प्रतिशत छात्राओं ने स्वीकार किया है कि "कभी न कभी उन्हे कार्य स्थल पर अथवा स्कूल – कॉलेजो में यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। कामकाजी महिलाओं का कहना था कि अधिकतर उनके सहकर्मी ही उनके साथ बुरा बर्ताव करते है , लेकिन यौन उत्पीड़न करने में उनके बॉस और अधीनस्थ कर्मचारी तक भी पीछे नही रहते है। कार्यस्थल पर उनके सामने सार्वजनिक रूप से द्विअर्थो भाषा और शब्दों का खुलेआम प्रयोग किया जाता है, जबरदस्ती उनके नजदीक आने की और उन्हे छूने की कोशिश की जाती है।"[28]

11.5 महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा के प्रमुख कारण

महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा के कारणों की यदि हम बात करे तो यह हिंसा केवल एक व्यक्ति की व्यक्तिगत मानसिक विकृति या आक्रोश का ही परिणाम नही है बल्कि हमारे समाज, हमारी परम्परागत रूढ़िवादी विचारधारायें, संचरात्मक असमानतायें व सांस्कृतिक धारणाओं का प्रतिफल भी है, हमारे समाज में आज भी पितृसत्तात्मक समाजिक व्यवस्था स्थापित है जहॉ आज भी एक महिला को दोयम दर्जे का माना जाता है, जबकि एक पुरूष को अधिकार, शक्ति एंव वर्चस्व का प्रमुख केन्द्र माना जाता है। यही लैगिक असमानता प्राय: महिलाओं के हिंसा एंव शोषण का कारण बनता है इसके अतिरिक्त अशिक्षा एवं जागरूकता के अभाव ने भी महिलाओं को उनके अधिकारों से दूर रखा हुआ है, यदि शिक्षित महिला अपने अधिकारों से परिचित होती भी है तो वह अपने विरूद्ध होने वाले अन्याय एवं शोषण के विरूद्ध सामाजिक निन्दा के भय से आवाज उठा ही नही पाती। राम आहूजा ने हिंसा के चार कारणों का उल्लेख किया है।[29]

1. पीड़ित द्वारा भड़काना – कभी-कभी हिंस की शिकार महिला अपने व्यवहार से जो कई बार अनजाने में होता है, अपने स्वयं के उत्पीड़न की स्थिति उत्पन्न कर देती है। पीड़ित महिला अपराधी के हिंसापूर्ण व्यवहार को उत्पन्न करती है या प्रेरित करती है।
2. नशा – हिंसा के कुछ प्रकरण उस समय होते है जब आक्रमक नशे में और अत्युत्तेजक एवं लड़ाई करने की मनोदशा में होते है, और उनको यह समझ में नही आता कि उनके कार्यो का क्या परिणाम होगे, उदाहरण के लिए कुछ बलात्कार के प्रकरणों में अपराधियों ने पीड़ितो के साथ बलात्कार उस समय किया जब उन्होने शराब पी ली थी कि वे नशे और भावनात्मक उत्तेजना की हालत में थे। वे अपना आत्मसंयम खो चुके थे, और उनके आक्रमक स्वप्न चित्र कामवासना से प्रगाढ़रूप से आपस में मिल गये थे, जिन्होने बाद में अनुत्तरदायी कार्यो का रूप धारण कर लिया।
3. महिलाओं के प्रति विद्वेष – महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के प्रतिवेदित (Reported) मामलों में कुछ ऐसे है जिनमें आक्रमणकरी किसी भी तर्क से प्रभावित नही होते और वे उनके विरूद्ध बड़ी कूरता से विद्धेषपूर्ण कार्य करने के अलावा कुछ नही करते, उनमें से कुछ में महिलाओं के पति घृणा और द्वेष की भावनाएॅ इतनी गहराई से गड़ी हुई थी कि उनके हिंसापूर्ण कार्य का मूल उद्देश्य पीड़ित महिला को अपमानित करने के अतिरिक्त कुछ और नहीं कहा जा सकता।

4. परिस्थितिवश प्रेरणा (Situational Urge) – इस श्रेणी में उन प्रकरणों को सम्मिलित किया जा सकता है जहॉ अपराध न तो पीड़िता के व्यवहार के कारण किया जाता है और ना ही अपराधी के मनोरोगात्मक व्यक्तित्व के कारण, अपितु आस्मिक कारणों के कारण, जो ऐसी परिस्थितियॅा उत्पन्न कर देते है जिनके परिणामस्वरूप हिंसा होती है। डॉ0 ब्रेजेश चन्द्रा ने अन्र्तपारिवारिक यौन शोषण के तीन महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख किया है। [30]

1 – शोषक एवं शोषित के व्यक्तित्व सम्बन्धी गुण – शोषित में तो असहाय होने के विचार एवं अपर्याप्तता व निर्भरता की भावना होती है और शोषक में प्रभुता एवं अनुत्तरदायी होने की भावना सम्बन्धी गुण होते हैं।

2 – परिवार संरचना एंव पारिवारिक पर्यावरण।

3 – परिस्थिति जन्य तथ्य – जैसे अकेलापन आदि यौन आक्रमण में इन अन्य तथ्यों को एक साथ देखना है, न कि एक-एक करके, अर्थात परिवार के अन्दर यौन शोषण को परिवार के रहन-सहन के तरीकों तथा इस प्रकार के व्यवहार के लिए उत्तरदायी स्थिति के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए।

11.6 महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के प्रभाव

महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा के प्रभाव प्राय: बहुआयामी होते है। हिंसा की शिकार महिला ही उसके दुष्प्रभावों का सामना नही करती बल्कि उसके शारीरिक एवं मानसिक प्रभाव के साथ-साथ उसके सामाजिक एवं पारिवारिक संरचना पर भी दूरगामी प्रभाव परिलक्षित होते है। हिंसा का सीधा प्रभाव सर्वप्रथम महिला के शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है जैसे– चोटे, गर्भावस्था में जटिलतायें, यौन संक्रमण और यौन जनित दीर्घकालिक बीमारिया, इसके साथ ही वह चिन्ता, अवसाद, आत्मग्लानि एवं आत्मसम्मान की कमी आदि मानसिक समस्याओं का भी सामना करती है। हिंसा का प्रभाव कभी-कभी इतना विकराल रूप धारण कर लेती है कि “पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसआर्डर” के कारण महिला आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम भी उठा लेती है।

महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा या शोषण का प्रभाव एक पीड़ित महिला के आस-पास के सम्बन्धों को भी प्रभावित करती है। सामाजिक डर और शर्म के कारण वह अपने परिवार, नाते रिश्तेदारों, दोस्तों व समाज से एक निश्चित दूरी बना लेती है। समाज द्वारा उन्हे दोषी ठहराये जाना या बदनामी का भय, प्राय: उनके अवसाद और मौन का और अधिक गहरा बना देते है।

हिंसा का सीधा प्रभाव परिवार में बच्चों पर पड़ता है, घर में होने वाले हिंसा के प्रभाव से प्राय: कई बार उनमें मनोविकार उत्पन्न होने लगते है, इन परिस्थितियों में वे या हिंसक प्रवृत्तियों को सामान्य समझते है या स्वयं भय, अवसाद और असुरक्षा की भावना से ग्रसित हो जाते है। परिणामस्वरूप लड़किया प्राय: आत्म-संकोची एवं लड़के आक्रमक प्रवृत्ति के हो जाते है। महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा के प्रभावों को संक्षिप्त में निम्नांकित आधारों के आधार पर समझा जा सकता है।

1. शारिरिक प्रभाव– गम्भीर चोट, गर्भ सम्बन्धी विकार या बाझपन, यौन संक्रमण, तथा अनेक दीर्घकालीक शारीरिक बिमारिया।
2. मानसिक प्रभाव– अवसाद, चिन्ता, अनावश्यक मानसिक तनाव, चिन्ता, घबराहट तथा आत्महत्या सम्बन्धी विचारों की उत्पत्ति एवं असुरक्षा की भावना की उत्पत्ति।
3. सामाजिक प्रभाव – सामाजिक अलगाव, दोस्तों एवं रिश्तों से दूरी स्थापित करना, भय एवं बदनामी का डर।
4. पारिवारिक प्रभाव – परिवार के सदस्यों पर मनोविज्ञानिक एवं मानसिक प्रभाव, महिला के बच्चों पर मानसिक प्रभाव, परिवार के सदस्यों पर प्रतिकूल प्रभाव।

बोध प्रश्न – 01

01. "हिंसा वह व्यवहार है जिसकी औपचारिक रूप से सामाजिक निन्दा की जाती है या जो नियमाचारी समूहों के व्यवहार सम्बन्धी मानदण्डों से विचलन हो तब महिलाओं के प्रति हिंसा के मामलों का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है" यह परिभाषा किनके द्वारा दी गई है।?
02. "संकुचित अर्थ में हिंसा शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति को आहत करना तथा चोट पहुचाना या शारीरिक रूप से घायल करना है।" यह परिभाषा किसकी है।?
03. डॉ0 सिंह ने महिला उत्पीड़न की प्रकृति को कितने आधारों में स्पष्ट किया गया है।?
04. महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को कितनी श्रेणियों में बाटा जाता है।?
05. स्थानीय एवं विशेष विधानों के अनुसार अपराध को कितनी श्रेणियों में बाटा गया है।?

11.7 कानूनी एवं संवैधानिक उपाय

भारत में महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा के रोकधाम एंव उन्हे न्याय दिलाने के उद्देश्य से संविधान एवं अनेक संवैधानिक अधिनियमों के माध्यम से एक शक्तिशाली विधिक ढाचा तैयार किया गया है। महिलाओं के उत्थान, विकास एवं महिला व पुरूष को समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य को लेकर स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही भारतीय संविधान में अनेक विशेष प्रावधान को शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार है। [31]

1. विधि के समक्ष (अनुच्छेद – 14)
2. धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का अन्त (अनुच्छेद – 15)
3. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता (अनुच्छेद – 16)
4. मानव दुर्व्यापार तथा बाल श्रम का प्रतिषेध (अनुच्छेद – 23)
5. राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति-निर्देशक तत्व (अनुच्छेद – 39)
6. समान, न्याय एवं विधिक सहायता (अनुच्छेद – 39 क)
7. काम की न्याय संगत तथा मनोवांद्दित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध (अनुच्छेद – 49)
8. धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग अथवा इनमें से किसी आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने से मना न करना (अनुच्छेद – 325)

पर्सनल लॉ और सिविल कोड़ के अन्तर्गत आने वाले कानून – [32]

1. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (संशोधन) 1929
2. विवाहित महिला का सम्पत्ति अधिनियम – 1874
3. हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति पर अधिकार अधिनियम – 1937
4. मुस्लिम शरीयत अधिनियम – 1937
5. मुस्लिम विवाह- विच्छेद अधिनियम – 1939

6. अलग रहने तथा भरण-पोषण हेतु स्त्रियों का अधिकार अधिनियम – 1946
7. फैक्ट्री एक्ट – 1948
8. कर्मचारी बीमा योजना – 1951
9. महिलाओं के कार्य सम्बन्धी नियम – 1952
10. विशेष विवाह अधिनियम – 1954
11. हिन्दू विवाह अधिनियम – 1955
12. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम – 1956
13. स्त्रियों एवं कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम – 1956
14. दहेज निरोधक अधिनियम – 1961

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को रोकने एवं इनके स्तर में सुधार करने, पुरूषों के समान दर्जा देने हेतु 2002 में बनाई गई राष्ट्रीय नीति में महिला हिंसा को रोकने के लिए दिये गये संकेत ।[33]

1. राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी निर्धारित की गई।
2. शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति का समान अधिकार।
3. लैगिक मामलों में पुरूष समान अधिकार ।
4. वैधानिक प्रक्रिया में परिवर्तन।
5. महिला हिंसा एवं उत्पीड़न रोकने हेतु समुचित मशीनरी का विकास।

घरेलू हिंसा निषेध कानून 2005 :- घरेलू हिंसा को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा 2006 के अन्त में "घरेलू हिंसा निषेध कानून, 2005" को लागू करने सम्बन्धी अधिसूचना जारी कर दी जिससे यह महत्वपूर्ण कानून पूरे देश में लागू हो गया, इस कानून में निम्नलिखित कृत्यों को अपराध घोषित किया गया है।[34]

1. महिला का शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक या यौन शोषण करना या इसकी धमकी देना।

2. महिला को ताने मारना।
3. पुरूष द्वारा घर में महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन और शरीर को कोई नुकसान या चोट पहुचाना।
4. महिला को किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट देना या ऐसा करने की मंशा रखना।
5. महिला का यौन उत्पीड़न
6. महिला की गरिमा व प्रतिष्ठा को ठेस पहुचाना
7. बच्चे न होना या पुत्र न होने पर ताने मारना
8. महिला को अपमानित करना
9. महिला की आर्थिक व वित्तीय जरूरतों को पूरा न करना
10. महिला (पत्नी) को शारीरिक संबंध बनाने या अश्लील चित्र आदि देखने को मजबूर करना
11. सेक्स के दौरान ऐसा कृत्य जिससे पत्नी को चोट पहुचती हो
12. दहेज न लाने के लिए प्रताड़ित करना
13. महिला को गलत नाम से पुकारना और उसके बच्चों को स्कूल-कॉलेज जाने से रोकना
14. महिला या बच्चों को पीटना, धक्के मारना, घूसे मारना
15. महिला को आत्महत्या की धमकी देना

यौन उत्पीड़न के मामलों को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 12 अगस्त 1997 को निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। [35]

1. संस्था एवं कार्यस्थल के नियोक्ता या जिम्मेदार अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यौन-उत्पीड़न के मामलों में इसके निदान एवं दण्ड प्रावधान के लिए आवश्यक उपाय करें।
2. यौन उत्पीड़न में ऐसे सभी अवांछित तथा अशोभनीय शब्द संकेत एवं व्यवहार आता है जो यौन – भावनाओं से सम्बन्धित है। जैसे – सेक्स सूचक शब्द या टिप्पणी करना, उद्देश्यपूर्ण शारीरिक संकेत या संपर्क, किसी भी प्रकार के यौन कार्य की मॉग करना या उनके लिए प्रस्ताव करना और अश्लील फिल्म, चित्र, साहित्य आदि दिखना।

3. सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को यौन उत्पीड़न रोकने के लिए परस्पर व्यवहार एवं अनुशासन से सम्बन्धित प्रावधानों का समावेश करना चाहिए।
4. निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को औद्योगिक रोजगार (चाले आदेश) अधिनियम, 1946 के तहत इससे सम्बन्धित प्रावधानों को सम्मिलित करना चाहिए, इसक अलावा इन नियमों को उचित रीति से वितरित, सूचित एवं प्रकाशित भी किया जाना चाहिए।
5. प्रत्येक संस्था में नियोक्ता को यौन उत्पीड़न की शिकायत सुनने एवं उसके निस्तारण के लिए समुचित प्रणाली विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा एक शिकायत समिति का भी गठन किया जाना चाहिए जिसकी अध्यक्षा अनिवार्य रूप से महिला ही होनी चाहिए। इस समिति में कम से कम आधी महिला सदस्याएँ भी होनी चाहिये।
6. यौन उत्पीड़न के मामलों में उत्पीड़ित का स्थानांतरण कराने का अधिकार मिलना चाहियें।
7. यौन उत्पीड़न के मामलों में नियमानुसार भारतीय दंड विधान अथवा किसी अन्य कानून के तहत दंड सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
8. यदि यौन उत्पीड़न कार्यालय से बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो तो नियोक्ता द्वारा उस महिला को समुचित मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान की जानी चाहियें।
9. केन्द्र एवं राज्य सरकारों को इस आदेश द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं कानून, निजी क्षेत्र में भी प्रभावी कराने के प्रयास करने चाहिए।
10. ये दिशा-निर्देश, मानवाधिकार संरक्षण कानून 1993 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगें।

महिला उत्पीड़न रोकने के लिए सरकारी प्रयास –[36]

1. सभी राज्य सरकारों को निर्देश है कि सादे कपड़ों में महिला कास्टेबल को बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, सिनेमा घर, शापिक माल, पार्किग इत्यादि में तैनात करें।
2. सभी निजी तथा सरकारी संस्थानों में महिला उत्पीड़न की शिकायत को निकटतम थाने के संज्ञान में लाना आवश्यक है।
3. सभी राज्यों, शहरों में महिला हेल्पलाइन को स्थापित करना आवश्यक माना गया है।

4. दिसम्बर, 1995 में राज्य सभा में, "महिलाओं के प्रति कूरतापूर्ण अपराध निरोधक विधेयक" प्रस्ताव पारित हुआ, इसके अनुसार जो पुरूष महिलाओं के विरूद्ध हिंसा या अपराध करते है। उनके अपराध को गैर-जमानती घोषित करके अपराधियों पर विशेष अदालतों में मुकदमा चलाया जाये। इस विधेयक में बलात्कार के बाद हत्या करना, महिला को जलाकर मार देना, महिला की हत्या कर उसके शव को छिपा देना व गर्भवती महिला पर घातक आक्रमण करना आदि जैसे अपराधों को बर्बर और पाशविक अपराध कहा गया।

5. जनवरी 1996 को उच्चतम न्यायालय के निर्णय महिलाओं के विरूद्ध अपराध के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है– (I) जो महिलाएँ घरेलू या बाहरी बलात्कार की शिकार होती है उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए इन मामलो की सुनवाई बन्द कमरे में हों, (II) न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसे मामलों को संचार माध्यम से प्रचारित न किया जाए (III) इन मामलों की सुनवाई महिला न्यायधीशों द्वारा की जाये, (IV) न्यायालय द्वारा जो निर्णय हो, उनमें सम्बन्धित महिला के नाम का उल्लेख से बचा जायें।

6. सरकार इस तथ्य को स्वीकारती है कि महिलाओं के विरूद्ध अधिकांश मामलें उत्पीड़न से सम्बन्धित है। इस सन्दर्भ में केन्द्र सरकार ऐसा कानून बनाने की ओर है जिसके द्वारा घरेलू हिंसा करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध तीन से छ: साल तक की सजा तथा महिला की जरूरत के अनुसार अर्थदण्ड का भुगतान करना पड़ सकता है, साथ ही घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं को संरक्षण व मुफ्त मदद का प्रावधान होगा।

वेश्यावृत्ति निवारण के सन्दर्भ में 1956 में केन्द्रीय सरकार द्वारा "स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम पास हुआ" यह अधिनियम 01 मई 1958 से सम्पूर्ण देश में लागू किया गया इस अधिनियम की विशेषतायें निम्नलिखित है।[37]

1. इस अधिनियम के द्वारा विभिन्न प्रान्तों की वेश्यावृत्ति से सम्बन्धित अधिनियम की विभिन्नता समाप्त हो गई।

2. इस अधिनियम के अन्तर्गत 21 वर्ष से कम उम्र की स्त्रिया लड़की समझी जायेगी तथा ऐसी लड़कियों को सुरक्षा-गृहों में भेज दिया जायेगा।

3. इस अधिनियम के अन्र्तगत किसी वेश्या के अपने बच्चों को छोड़कर अगर कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति पूर्णत: या अंशत: उसकी आय पर निर्भर करता है तो उसे 02 वर्ष की सजा या एक हजार रूपया तक जुर्माना किया जा सकता है।

4. इस अधिनियम के अन्र्तगत शब्द, इशारे या अपने किसी अंग के प्रदर्शन से लोगो का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना या सार्वजनिक स्थान में इसी उद्देश्य से घूमना-फिरना दण्ड एवं जुमाने का भागी बन सकता है।

5. इस अधिनियम के अन्तगर्त वेश्यावृत्ति में संलग्न स्त्रियों व लड़कियों के सुधार एवं पुर्नवास के लिए सुधार-गृहों की स्थापना का प्रावधान है। इस अधिनियम का संशोधित रूप "वेश्यावृत्ति निरोधक अधिनियम 1986" कहा जाता है, जिसे संसद ने अगस्त 1986 में पारित किया।

उपरोक्त संवैधानिक अधिनियमों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध एवं हिंसा को रोकना है जिससे एक महिला पूर्ण समानता, स्वतन्त्रता एवं गरिमा के साथ अपना जीवन निवर्हन कर सके। उपरोक्त वर्णित संवैधानिक अधिनियमों के अतिरिक्त ऐसे कई अन्य संवैधानिक अधिनियम है जो एक महिला के विरूद्ध होने वाली हिंसा को रोकने में सहायक होता है जिनमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय महिला आयोग (जनवरी 1992), वन स्टाप सेन्टर (01 अप्रैल 2015), उज्जवला (दिसम्बर 2007) तथा महिला हेल्पलाइन – 1091 आदि महिलाओं को सहायता और न्याय दिलाने के लिए सक्रिय है।

बोध प्रश्न – 02

01. दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ?

02. स्त्रियों एवं कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ?

03. विवाहित महिलाओं का सम्पति अधिनियम कब पारित हुआ?

04. महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को रोकने एवं इनके स्तर में सुधार करने, पुरूषों के समान दर्जा देने हेतु बनाई गई राष्ट्रीय नीति किस सन् में बनाई गई।?

05. घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ?

11.8 समाधान एवं निवारण के उपाय –

यद्यपि महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को रोकने के लिए अनेक संवैधानिक अधिनियमों एवं योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है तथा वृहद स्तर पर इनका क्रियान्वयन भी किया जा रहा है, महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के विरूद्ध भारतीय न्यायपालिका ने भी समय-समय पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निवर्हन किया है निर्भया कांड (2012) में त्वरित सुनवाई के पश्चात न्यायपालिका द्वारा दोषियों को मृत्युदण्ड देना, इसी प्रकार विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) के मामले के पश्चात कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए महत्वपूर्ण विशाखा दिशा-निर्देशों को भी जारी किया गया, यही दिशा निर्देश आगे चलकर POSH अधिनियम (2013) का आधार भी बनी, महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा जैसे बलात्कार, एसिड या तेजाब हमले, यौन हिंसा, आनर किलिंग, घरेलू हिंसा तथा साइबर अपराध जैसे अनगिनत मामलों में न्यायपालिका द्वारा पीड़ित महिला को न्याय दिलाने में पूरी सहायता प्रदान करी, साथ ही समाज को यह भी सन्देश देने का प्रयास किया कि महिलाओं के विरूद्ध होने वाली किसी भी हिंसा को बर्दाशत नहीं किया जायेगा। यद्यपि सरकारी अधिनियम या योजनाओं का सरकारी प्रयासों के क्रियान्वयन से महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा को रोकने के भरपूर प्रयास किये जा रहे है किन्तु कई बार जागरूकता के अभाव एंव अनभिज्ञता के कारण महिलाओं को उचित न्याय नहीं मिल पाता। अत: महिलाओं के विरूद्ध होने वाली अनेक हिंसाओं को रोकने के लिए सरकारी प्रयासो के अतिरिक्त अनेक उपायों को भी किया जाना चाहिये जिससे महिलायें स्वतन्त्रता पूर्वक बिना भय के और भेदभाव के एक सम्माजनक जीवन का निवर्हन कर सके। हिंसा के विरूद्ध निम्नांकित उपायों के आधार पर समाज हिंसा का समाधान एवं निवारण किया जा सकता है-

1. महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए महिलाओं की शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अधिक प्रचार एवं प्रसार किया जाये, जिससे वह शिक्षित होकर वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके।
2. महिलाओं के प्रति व्याप्त परम्परागत विचारधाराओं में बदलाव लाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम एवं कार्यशालायें की जानी आवश्यक है, जिससे एक महिला घर-परिवार में सम्मानपूर्वक जीवन निवर्हन कर सके तो घरेलू हिंसा से मुक्त हो सके।
3. हिंसा से पीड़ित महिला के पास यदि आवास नही है तब ऐसी परिस्थितियों में उनके पुर्नव्यास की व्यापक प्रायास किये जाने आवश्यक है जिससे पीड़ित महिला को आश्रय प्राप्त हो सके।

4. हिंसा को रोकने में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भी महत्वपूर्ण प्रयास एवं उपाय किये जा सकते है। अत: ऐसे स्वयंसेवी संगठनों को शक्तिशाली बनाना आवश्यक है जो महिलाओं के मध्य जागरूकता का प्रचार-प्रसार तो करे साथ ही पीड़ित महिला की हर सम्भव सहायता भी देने को सदैव तत्पर रहे।

5. ऐसे उपायों को महत्व दिया जाना आवश्यक है जिसमें पीड़ित महिला नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सके क्योंकि कई बार पीड़ित महिला अपनी निर्धनता के कारण कानूनी सहायता लेने में असमर्थ हो जाती है।

6. बढ़ते हुए अपराध या हिंसा के दृष्टिगत लैंगिक संवेदनशीलता पर भी आधारित शिक्षा आवश्यक है, जिससे बालकों में प्रारम्भ से ही लड़कियों एवं महिलाओं के प्रति समानता, सम्मानपूर्ण व्यवहार एवं सम्मान की भावना का विकास हो सके।

7. परिवार एवं समाज में निवासरत प्रत्येक व्यक्ति का यह एक नैतिक दायित्व है कि वह महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक स्वतन्त्रता, नेतृत्व एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि को बढ़ावा दे, जिससे उनमें हिंसा या शोषण के विरूद्ध बोलने की क्षमता का विकास हो। अत: सरकारी या गैर सरकारी इस प्रकार के प्रयास अथवा उपाय किये जाये जो पुरूष वर्ग को इसी प्रकार की जागरूकता उत्पन्न करने में सहायक हो।

8. संचार के साधन एवं मीडिया ऐसे सशक्त माध्यम है जो महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा के रोकथाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निवर्हन कर सकते है। फिल्मों, विज्ञापनों एवं समाचार पत्रों में एक महिला की गरिमामयी एवं सशक्त छवि प्रस्तुत करना मीडिया का एक सामाजिक दायित्व होना चाहिये, साथ ही लड़कियों एवं महिलाओं को संवैधानिक अधिनियमों, सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों को जागरूक भी करना आवश्यक है। स्वयं महिला भी मीडिया के माध्यम से अपने विचारों को वैश्विक स्तर पहूचाने में आवश्यक कदम उठाने होगें।

11.9 सारांश

सम्पूर्ण अध्याय की विवेचना के आधार पर सांराश रूप में कहा जा सकता है कि महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा न केवल सामाजिक अपराध है बल्कि यह मानवाधिकारों के हनन के साथ-साथ वैधानिक उल्लंघन भी है। महिलाओं के विरूद्ध होने वाली कोई भी हिंसा न केवल पीड़ित महिला को शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से प्रभावित करती है बल्कि समाज में समानता एवं स्वतन्त्रता

जैसे मूलभूत अवधारणाओं को भी विधटित करने का कार्य करती है, अत: आवश्यक है कि संवैधानिक अधिनियमों, योजनाओं, कानूनी प्रक्रियाओं एवं सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों को समाज को समाज में दृढ़ता से लागू किया जाये। जिससे अपराध व हिंसा को समाप्त किया जा सके। स्वयं महिलाओं को भी अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है जिससे अपने प्रति होने वाले अपराधों एवं हिंसा के विरूद्ध सामना करने की शक्ति सुदृढ़ हो सके। यदि हम एक सुरक्षित, समान एवं सम्मानजनक समाज की कल्पना करते है तो सर्वप्रथम महिलाओं के विरूद्ध होने वाली सभी हिंसा को समाप्त करना आवश्यक है तभी एक भयमुक्त समाज की स्थापना होगी।

11.10 परिभाषिक शब्दावली

01. हिंसा – किसी भी व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से आहत करना, चोट पहुचाना या घायल करना हिंसा कहलाता है।

11.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्नों के उत्तर (01)

01 – राम अहूजा तथा मुकेश अहूजा

02 – Kemp Gil

03 – 06 आधारों में

04 – 02 श्रेणियों में

05 – 04

बोध प्रश्नों के उत्तर (02)

01 – 1961

02 – 1956

03 – 1874

04 – 2002

05 – 2005

11.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह अमिता, ‘‘लिंग एवं समाज’’ विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली – 07, 2015 पे0न0 – 153
2. त्रिपाठी अपर्णा, ‘‘महानगरों में महिला अपराध’’ संकट और संचेतना – 2015 ओमेंगा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, पे0न0 – 25
3. चन्द्रा ब्रजेश, ‘‘अपराध शास्त्र, दण्डशास्त्र तथा उत्पीड़न शास्त्र – 2004 एस0 आर0 साइट्रिफिक पब्लिकेशन्स आगरा, पे0न0 – 80 ’’
4. उद्दधत – उपरोक्त , पे0न0 – 26
5. सिंह अमिता, ‘‘लिंग एवं समाज’’ – 2015, विवेक प्रकाशन, दिल्ली – पे0न0 – 149
6. त्रिपाठी अपर्णा, ‘‘महानगरों में महिला अपराध’’ – 2015, ओमेंगा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, पे0न0 – 26, 27
7. आहूजा राम, आहूजा मुकेश, ‘‘- 2023 रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली – पे0न0 – 239
8. Kemp 1982 Gil – 1970 उद्‌धत – उपरोक्त पे0न0 – 239
9. Magargee 1982: 80, उद्दधत – उपरोक्त पे0न0 – 239
10. नाटाणी प्रकाश नारायण ज्योति गौतम, ‘‘लिंग एवं समाज’’ रिसर्च पब्लिकेशन्स जयपुर, पे0न0 – 143
11. उपरोक्त पे0न0 – 143
12. उपरोक्त पे0न0 – 143
13. सिंह अमिता, ‘‘लिंग एवं समाज’’ – 2015, विवेक प्रकाशन, दिल्ली – पे0न0 – 154

14. चन्द्रा ब्रजेश, “अपराधशास्त्र दण्डशास्त्र तथा उत्पीड़नशास्त्र – 2004, एस0आर0 साइन्सटीफिक पब्लिकेशन्स आगरा, पे0न0 – 80”
15. त्रिपाठी अपर्णा, “महानगरों में महिला अपराध” – 2015, ओमेंगा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, पे0न0 – 145
16. महाजन संजीव, “सामाजिक समसयायें” अर्जुन पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली – 2012, पे0न0 – 210
17. उपरोक्त पे0न0 – 211,212
18. सिंह अमिता, “लिंग एवं समाज” – 2015, विवेक प्रकाशन, दिल्ली – पे0न0 – 162
19. Ram Ahuja, “Crime Against Women” Pg No. 217,218 उदृघत, “डॉ0 संजीव महाजन – सामाजिक समसयाये” पे0न0 – 211,212
20. अहूजा राम, “सामाजिक समस्यायें” अर्जुन पब्लिशिंग दिल्ली, पे0 न0 – 212
21. अहूजा राम, “सामाजिक समस्यायें” अर्जुन पब्लिशिंग दिल्ली, पे0 न0 – 213
22. त्रिपाठी अपर्णा, “महानगरों में महिला अपराध” – 2015, ओमेंगा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, पे0न0 – 59
23. महाजन संजीव, “सामाजिक समसयायें” अर्जुन पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली – 2012, पे0न0 – 214, 216
24. सिंह अमिता, “लिंग एवं समाज” – 2015, विवेक प्रकाशन, दिल्ली – पे0न0 – 100, 101
25. चन्द्रा ब्रजेश, “अपराधशास्त्र दण्डशास्त्र तथा उत्पीड़नशास्त्र – 2004, एस0आर0 साइन्सटीफिक पब्लिकेशन्स आगरा, पे0न0 – 89”
26. उपरोक्त पे0न0 – 90
27. P. Sen Gupta: Women Workers of India, Pg – 243
28. त्रिपाठी अपर्णा, “महानगरों में महिला अपराध” – 2015, ओमेंगा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, पे0न0 – 62

29. अहूजा राम, “सामाजिक समस्यायें- 2011” रावत पब्लिकेशन्स जयपुर, पे0 न0 – 247, 248

30. चन्द्रा ब्रजेश, “अपराधशास्त्र दण्डशास्त्र तथा उत्पीड़नशास्त्र, पे0न0 – 83”

31. नाटाणी एवं गौतम, “लिंग एवं समाज” रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर पे0न0 – 99

32. उपरोक्त पे0न0 – 101, 102

33. लवनिया, “भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र रिसर्च पब्लिकेशन्स जयपुर” पे0न0 – 110

34. त्रिपाठी अपर्णा, “महानगरों में महिला अपराध” – 2015, ओमेंगा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, पे0न0 – 37, 38

35. उपरोक्त पे0न0 – 71, 72

36. सिंह अमिता, “लिंग एवं समाज” – 2015, विवेक प्रकाशन, दिल्ली – पे0न0 – 156

37. सिंह अमिता, “लिंग एवं समाज” – 2015, विवेक प्रकाशन, दिल्ली – पे0न0 – 169, 170

11.13 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. राम अहूजा, “सामाजिक समस्यायें” – 2011
2. डॉ0 अमिता सिंह, “लिंग एवं समाज” – 2015
3. डॉ0 संजीव महाजन, “सामाजिक समस्यायें” – 2012
4. राम आहूजा, मुकेश आहूजा, “अपराधशास्त्र” – 2023
5. डॉ0 ब्रजेश चन्द्रा, “अपराधशास्त्र दण्डशास्त्र तथा उत्पीड़न शास्त्र” – 2004
6. Ram Ahuja, “Crime Against Women” – 1987
7. R.J Gelles, “Inlimate Violence in Families” – 1958
8. Y.S Jafa, “Cyber Crime” – 1999

11.14 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की परिभाषा एंव प्रकृति को स्पष्ट कीजिये?
2. घरेलू हिंसा को स्पष्ट करें?
3. साइबर हिंसा क्या है? स्पष्ट किजियें?
4. पर्सनल लॉ और सिविल कोड के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख कानून कौन-कौन से है। संक्षेप में स्पष्ट कीजियें?
5. यौन उत्पीड़न के मामलों को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अगस्त 1997 को पारित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों को संक्षिप्त में स्पष्ट करिये?

11.15 निबंधात्मक प्रश्न

1. महिलाओं के विरूद्ध हिंसा : कारण, प्रकार, और समाधान पर एक विस्तृत निबन्ध लिखिण?
2. भारत में महिलाओं के विरूद्ध होने वाली घरेलू, यौन तथा साइबर हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति का विश्लेषण कीजिए?
3. महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा में भारतीय संविधान एवं कानूनों की भूमिका पर चर्चा कीजिए?

इकाई–12 भारतीय समाज में लैंगिक असमानता एवं भेदभाव

Gender Inequality and Discrimination in Indian society

इकाई की रूपरेखा

12.0 प्रस्तावना

12.1 उद्देश्य

12.2 लैंगिक असमानता का अर्थ एवं परिभाषा

12.3 भारत में लैंगिक असमानता का इतिहास

12.4 भारत की वैश्विक रैंकिंग

12.5 लैंगिक असमानता के विभिन्न क्षेत्र

12.6 लैंगिक असमानताओं के कारण

12.7 लैंगिक असमानताओं के दुष्परिणाम

12.8 भारत में लैंगिक समानता के लिए सरकारी नीतियां

12.9 सारांश

12.10 परिभाषित शब्दावली

12.11 अभ्यासार्थ प्रश्न के उत्तर

12.12 संदर्भ ग्रन्थ

12.13 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री

12.14 लघुउत्तरीय प्रश्न

12.15 निबंधात्मक प्रश्न

12.0 प्रस्तावना

प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में बालकों को कुल का तारनहार, वंश बढ़ाने वाला और सामाजिक सम्मान का स्रोत माना गया है। इसके विपरीत, बालिकाओं को उपेक्षित दृष्टि से देखा गया, जिससे लिंग के आधार पर भेदभाव की जड़ें गहरी होती गईं। यह भेदभाव ही **लैंगिक असमानता** कहलाता है, जो केवल एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि एक व्यापक और बहुआयामी चुनौती है।

लैंगिक असमानता के सामाजिक कारणों में परंपरागत मान्यताएँ, दहेज प्रथा, शिक्षा और रोजगार में असमान अवसर, और पुरुष प्रधान सोच शामिल हैं। इन कारणों का प्रभाव भारत के **लिंग अनुपात**, **महिलाओं के स्वास्थ्य**, **शैक्षणिक उपलब्धियों**, और **आर्थिक स्थिति** पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके अलावा, यह असमानता पुरुषों को भी प्रभावित करती है, जैसे कि पुरुषों के लिए बलात्कार जैसे अपराधों के समान कानूनों की अनुपस्थिति।

भारत का संविधान भले ही सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता हो, परंतु **व्यवहारिक जीवन में लैंगिक असमानताएँ आज भी मौजूद हैं।** इसका प्रत्यक्ष असर देश के विकास पर भी पड़ता है क्योंकि जब समाज का आधा हिस्सा पिछड़ जाता है, तो संपूर्ण विकास संभव नहीं होता। इस प्रकार, लैंगिक असमानता केवल एक सामाजिक अन्याय नहीं, बल्कि राष्ट्र की प्रगति में बाधा है। इसे दूर करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएँ, समान अवसर सुनिश्चित करें, और समाज में लैंगिक समानता की भावना को प्रोत्साहित करें।

12.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप लैंगिक असमानता का अर्थ, कारण, दुष्परिणाम एवं सरकारी नीतियो को विस्तृत रुप में जान सकेंगे।

12.2 लैंगिक असमानता का अर्थ एवं परिभाषा

लैंगिक असमानता से तात्पर्य उस भेदभाव से है जो बालक और बालिका के बीच केवल उनके लिंग के आधार पर किया जाता है। समाज में आज भी बालिकाओं को बालकों की तुलना में शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और अवसरों में कम प्राथमिकता दी जाती है, जिससे वे जीवन की दौड़ में पिछड़ जाती हैं। यही स्थिति **लैंगिक असमानता** कहलाती है।

भारत जैसे विकासशील देश में यह असमानता कई रूपों में विद्यमान है—महिलाओं की शिक्षा में पिछड़ापन, रोजगार में असमान अवसर, स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच, और घरेलू हिंसा जैसी समस्याएँ इसका प्रमाण हैं। जबकि संविधान ने पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए हैं, व्यवहारिक रूप से यह समानता आज भी अधूरी है।

प्रोफेसर एस. के. दुबे के अनुसार, *"लैंगिक असमानता का आशय उन कल्पनाओं, विचारों, झुकावों एवं प्रवृत्तियों से होता है जो समाज द्वारा रूढ़िवादिता एवं परंपरा के रूप में स्वीकृत की जाती हैं, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। यह पुरुष प्रधानता की ओर संकेत करती है।"*

श्रीमती आर. के. शर्मा के अनुसार, *"लैंगिक असमानता स्त्री-पुरुष के मध्य अधिकार तथा शक्तियों का अवैज्ञानिक एवं अन्यायपूर्ण विभाजन है, जो स्त्री वर्ग को दुर्बल एवं निम्न साबित करने का प्रयास करती है तथा पुरुष वर्ग को प्रधानता प्रदान करती है।"*

लैंगिक असमानता का समाधान तभी संभव है जब हम बालकों और बालिकाओं को समान दृष्टि से देखें, उन्हें समान संसाधनों, अवसरों और निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करें। यह केवल एक सामाजिक सुधार नहीं, बल्कि राष्ट्र के समग्र विकास के लिए अनिवार्य है।

12.3 भारत में लैंगिक असमानता का इतिहास

प्राचीन भारत, विशेषतः वैदिक युग, महिलाओं के लिए सम्मान और गरिमा का युग था। उस काल में महिलाएँ समाज के निर्णयात्मक अंग थीं। वे सभाओं और समितियों में भाग लेती थीं, और गार्गी, लोपामुद्रा, अपाला जैसी विदुषी महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय था। *मनुस्मृति* भी महिलाओं के सम्मान की बात करती है, जैसा कि श्लोक 3.55–3.56 में उल्लेखित है:

"जहाँ महिलाओं का आदर होता है, वहाँ देवता भी प्रसन्न होते हैं, और जहाँ उनका सम्मान नहीं होता, वहाँ कोई भी शुभ कर्म सफल नहीं होता।"

हालांकि, उत्तर वैदिक काल से लेकर मध्यकाल तक महिलाओं की स्थिति में लगातार गिरावट आने लगी। कम उम्र में विवाह, बहुविवाह, स्त्रियों की शिक्षा पर रोक और सार्वजनिक जीवन से निष्कासन जैसी प्रथाओं ने महिलाओं को सीमित कर दिया। मध्यकाल में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह और

दहेज जैसी अमानवीय परंपराएँ समाज में गहराई से जड़ें जमा चुकी थीं। इनमें सबसे भयावह रही दहेज प्रथा, जो आज भी महिलाओं के लिए जानलेवा बनी हुई है।

आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीक ने कई क्षेत्रों में विकास किया, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव कन्या भ्रूण हत्या के रूप में सामने आया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 943 महिलाएं था, जो इस सामाजिक असमानता का ठोस प्रमाण है। आज के समय में भी महिलाओं के लिए कार्यस्थलों से लेकर घर तक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित नहीं हो सका है। बलात्कार, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और छेड़छाड़ जैसे अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, हर 42 मिनट में एक महिला यौन उत्पीड़न का शिकार होती है, और हर 93 मिनट में एक महिला दहेज के लिए मार दी जाती है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि आज भी महिलाएँ भय और असमानता के वातावरण में जीवन जीने को मजबूर हैं।

यह स्पष्ट है कि लैंगिक असमानता केवल एक सामाजिक दोष नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक अन्याय है, जिसे दूर करने के लिए कानून, शिक्षा, जागरूकता और मानसिकता में बदलाव अनिवार्य है।

12.4 भारत की वैश्विक रैंकिंग

लैंगिक असमानता की स्थिति को विश्व स्तर पर विभिन्न संगठनों द्वारा तैयार किए गए सूचकांकों के माध्यम से मापा जाता है। **विश्व आर्थिक मंच (WEF)** हर वर्ष **वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक (Global Gender Gap Index)** प्रकाशित करता है, जो चार प्रमुख श्रेणियों – **आर्थिक भागीदारी, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और अस्तित्व तथा राजनीतिक सशक्तिकरण** – में पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर को रेखांकित करता है।

हाल ही में जारी **ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024** में भारत 146 देशों में से **129वें स्थान** पर है, जो 2023 के **127वें स्थान** से दो पायदान नीचे है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में लैंगिक समानता की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। दक्षिण एशिया में भी भारत **बांग्लादेश (99), नेपाल (111), श्रीलंका (125) और भूटान (124)** से पीछे **पाँचवें स्थान** पर है, केवल पाकिस्तान और सूडान जैसे देशों से थोड़ा बेहतर।

◈ शैक्षिक असमानता-भारत ने माध्यमिक शिक्षा नामांकन में श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए लैंगिक समानता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। लेकिन साक्षरता दर (124वाँ) और तृतीयक नामांकन (105वाँ) के कारण समग्र शैक्षिक उपलब्धि उप-सूचकांक में भारत की रैंकिंग 26वें से गिरकर 112वें स्थान पर आ गई है।

◈ राजनीतिक सशक्तिकरण- भारत ने राज्य प्रमुख (Head-of-State) सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे वह इस मापदंड में दसवें स्थान पर है। हालांकि, केंद्रीय मंत्री पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 6.9% और संसद में 17.2% होने के कारण भारत राजनीतिक सशक्तिकरण में 65वें स्थान पर है।

◈ आर्थिक समानता- भारत की आर्थिक समानता और अवसर उप-सूचकांक में स्थिति बेहद खराब है। वर्ष 2023 और 2024 दोनों में भारत 142वें स्थान पर रहा। समान कार्य के लिए वेतन के मामले में भारत 120वें और श्रम बल भागीदारी में 134वें स्थान पर है। भारत में अनुमानित अर्जित आय में लैंगिक समानता 30% से भी कम है, जो इस क्षेत्र में असमानता की गंभीरता को दर्शाता है।

◈ स्वास्थ्य और अस्तित्व- भारत स्वास्थ्य और उत्तरजीविता उप-सूचकांक में 142वें स्थान पर बना हुआ है, जो कन्या भ्रूण हत्या, पोषण, और स्वास्थ्य सेवाओं की असमान उपलब्धता जैसी समस्याओं को रेखांकित करता है।

◈ अन्य वैश्विक सूचकांक-

- **OECD का SIGI (Social Institutions and Gender Index)**, जो सामाजिक संस्थाओं में लैंगिक भेदभाव को मापता है, ने भारत को 2012 में 86 देशों में से **56वें स्थान** पर रखा था, जो 2009 में 96वें स्थान से एक उल्लेखनीय सुधार है।
- **UNDP के Gender Inequality Index** में भी भारत की स्थिति चिंताजनक है, जहाँ 148 देशों में भारत को **132वाँ स्थान** प्राप्त है।

इन सूचकांकों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में **लैंगिक असमानता बहुआयामी और संरचनात्मक समस्या** है, जो केवल महिलाओं को ही नहीं, देश के समग्र विकास को भी बाधित करती है। **नीतिगत सुधार, सामाजिक जागरूकता, महिला सशक्तीकरण और आर्थिक अवसरों में समान भागीदारी** के बिना इस अंतर को पाटना कठिन है।

12.5 लैंगिक असमानता के विभिन्न क्षेत्र

भारत जैसे लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश में भी **लैंगिक असमानता** एक गहन सामाजिक समस्या बनी हुई है। यह असमानता केवल महिलाओं के अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की सोच, संरचना और विकास की गति को भी प्रभावित करती है। यह समस्या समाज के हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में दिखाई देती है।

सामाजिक क्षेत्र में लैंगिक असमानता- भारतीय समाज में महिलाओं को परंपरागत रूप से **घरेलू कार्यों तक सीमित** मान लिया गया है। महिलाओं की भूमिका बच्चों के लालन-पालन और रसोई तक मानी जाती है, जबकि निर्णय लेने की प्रक्रिया से उन्हें दूर रखा जाता है। महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर कार्य करने वाले सामाजिक संगठनों में भी उनकी भागीदारी **न्यूनतम** है, जो सामाजिक सोच में गहराई से जमी **पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति** को दर्शाती है।

आर्थिक क्षेत्र में लैंगिक असमानता-आज भी **महिलाओं और पुरुषों के पारिश्रमिक में बड़ा अंतर** देखा जाता है। महिलाओं को समान काम के लिए **कम वेतन** दिया जाता है और रोजगार के अवसरों में भी **पुरुषों को प्राथमिकता** मिलती है। औद्योगिक और संगठित क्षेत्रों में महिलाओं को अक्सर **कम महत्व वाले पदों** पर रखा जाता है। यह आर्थिक असमानता महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण में बड़ी बाधा है।

राजनीतिक क्षेत्र में लैंगिक असमानता- हालांकि भारत ने **महिला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति** जैसी उपलब्धियाँ हासिल की हैं, लेकिन **सामान्य राजनीतिक भागीदारी** में महिलाओं की भागीदारी आज भी सीमित है। अधिकांश राजनीतिक दल **महिलाओं को चुनाव टिकट देने में हिचकिचाते हैं**, और उच्च पदों पर भी उनका प्रतिनिधित्व नाममात्र का होता है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या **अब भी असंतोषजनक** बनी हुई है।

वैज्ञानिक क्षेत्र में लैंगिक असमानता- विज्ञान जैसे **प्रगतिशील और तर्कशील** क्षेत्र में भी महिलाओं को **प्रवेश और पहचान के लिए संघर्ष** करना पड़ता है। महिलाएँ या तो वैज्ञानिक अनुसंधानों से वंचित रहती हैं या उन्हें कम महत्व के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। उदाहरणस्वरूप, **टेसी थॉमस**, जो भारत की **"मिसाइल वूमन"** कहलाती हैं, का नाम शायद ही उतनी प्रसिद्धि पाता है जितनी **डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम** को मिली।

1. मनोरंजन क्षेत्र में लैंगिक असमानता- फिल्मों और मीडिया में भी महिलाओं के साथ पारिश्रमिक, स्क्रीन टाइम और भूमिका को लेकर भेदभाव किया जाता है। अधिकतर फिल्मों में नायिका की भूमिका पुरुष नायक के पूरक के रूप में होती है, न कि केंद्रीय पात्र के रूप में। वहीं, अभिनेत्रियों को समान या पर्याप्त पारिश्रमिक नहीं मिलता, भले ही उनकी लोकप्रियता या अभिनय क्षमता उच्च स्तर की हो।

2. खेल क्षेत्र में लैंगिक असमानता- खेलों में भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम पुरस्कार राशि और कम प्रचार मिलता है। चाहे वह क्रिकेट हो, कुश्ती या ओलंपिक खेल, महिलाओं को कम संसाधन, कम अवसर और कम सम्मान मिलता है। पुरुषों के खेलों का टीवी प्रसारण और प्रायोजन महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक होता है, जिससे महिला खिलाड़ियों की पहचान और आय सीमित रह जाती है।

लैंगिक असमानता समाज के **हर क्षेत्र में व्याप्त** है, और यह एक **संरचनात्मक समस्या** है जो केवल कानूनों से नहीं, बल्कि **सोच और मानसिकता के परिवर्तन** से ही समाप्त की जा सकती है। जब तक महिलाओं को **हर क्षेत्र में समान अवसर, अधिकार और सम्मान** नहीं मिलेगा, तब तक समाज का समावेशी विकास अधूरा रहेगा। इसके लिए शिक्षा, नीति निर्माण, सामाजिक चेतना और समानता की भावना को प्रोत्साहित करना अत्यावश्यक है।

12.6 लैंगिक असमानताओं के कारण

लैंगिक असमानता केवल एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि एक **संरचनात्मक, सांस्कृतिक और वैश्विक संकट** है। यह असमानता स्त्रियों, ट्रांसजेंडर, तथा अन्य लिंग पहचानों वाले व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, काम, सुरक्षा और पहचान जैसे मूल अधिकारों से वंचित करती है। इसके अनेक कारण हैं, जो समाज की विविध परतों में गहराई से समाए हुए हैं।

पितृसत्तात्मक संरचना और पुत्र वरीयता-भारतीय समाज में पितृसत्ता एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पुरुष सत्ता और निर्णय के केंद्र में होते हैं। बेटे को वंश और संपत्ति का उत्तराधिकारी मानना, जबकि बेटी को 'पराया धन' समझना, इस असमानता की नींव रखता है।

1. लड़कियों के प्रति भेदभाव और दहेज प्रथा- गरीब और ग्रामीण परिवारों में बेटियों को कम महत्व दिया जाता है—भोजन, इलाज और टीकाकरण तक में भेदभाव होता है। दहेज प्रथा बेटियों को एक आर्थिक बोझ के रूप में स्थापित करती है। यद्यपि दहेज निषेध अधिनियम, 1961 लागू है, फिर भी यह कुप्रथा आज भी प्रचलित है।

2. असमान शिक्षा और रोजगार- अतीत में लड़कियों को शिक्षा से वंचित किया जाता था, और आज भी साक्षरता दर में लैंगिक अंतर बना हुआ है। महिलाएँ श्रम में तो शामिल होती हैं, लेकिन कम वेतन**,** सीमित पदोन्नति और कम प्रतिष्ठा वाले कार्यों में। **रोजगार पृथक्करण** और **समान कार्य के लिए असमान वेतन** भी इसकी पुष्टि करते हैं।

3. राजनीतिक प्रतिनिधित्व और वैज्ञानिक असमानता- राजनीतिक दल अक्सर महिलाओं को नामांकन नहीं देते और उच्च पदों से वंचित रखते हैं। वैज्ञानिक क्षेत्र में भी महिलाएँ या तो अदृश्य रहती हैं या उन्हें कम महत्व दिए जाते हैं, जैसे टेसी थॉमस का उदाहरण।

4. मनोरंजन और खेल में भेदभाव- अभिनेत्रियों को अभिनय के लिए कम भुगतान और सीमित भूमिकाएँ दी जाती हैं। खेलों में महिला खिलाड़ियों को पुरुषों की तुलना में कम पुरस्कार, प्रचार और सम्मान मिलता है।

5. लिंग आधारित हिंसा और स्वास्थ्य सेवाओं में भेदभाव- घरेलू हिंसा, ऑनर किलिंग, दहेज हत्या और यौन उत्पीड़न जैसे अपराध महिलाओं के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं। अस्पतालों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम दर्द निवारक दवा दी जाती है, और उनके स्वास्थ्य अधिकारों की उपेक्षा की जाती है।

6. प्रजनन अधिकारों का हनन- जब महिलाओं को गर्भपात या परिवार नियोजन जैसे अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो वे न केवल अपनी शारीरिक स्वायत्तता खोती हैं बल्कि शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा से भी समझौता करना पड़ता है।

7. असमान घरेलू ज़िम्मेदारियाँ- महिलाएँ दिन का अधिकांश समय अवैतनिक देखभाल कार्यों में लगाती हैं—खाना बनाना, सफाई, बच्चों व बुजुर्गों की देखभाल आदि। इसका सीधा असर उनकी आर्थिक स्वतंत्रता पर पड़ता है।

8. धार्मिक असहिष्णुता और नस्लीय भेदभाव- धार्मिक प्रतिबंध (जैसे हिजाब पर रोक) और नस्लीय भेदभाव (जैसे अश्वेत महिलाओं की उच्च मृत्यु दर) से लैंगिक असमानता और गहरी होती है।

9. ट्रांसफोबिया और जेंडर विविधता की उपेक्षा- ट्रांसजेंडर और जेंडर नॉन-कन्फॉर्मिंग लोगों को कानूनी पहचान, स्वास्थ्य सुविधा और सुरक्षा से वंचित किया जाता है, जिससे लैंगिक न्याय अपूर्ण रह जाता है।

10. सचेत और अचेतन पूर्वाग्रह- महिलाओं को "कम सक्षम", "भावनात्मक" या "कमज़ोर नेतृत्वकर्ता" मानना समाज में गहराई से समाया हुआ है। यह पूर्वग्रह अकादमिक, नौकरी, विज्ञान, राजनीति—हर क्षेत्र में बाधा बनता है।

लैंगिक असमानता बहुआयामी समस्या है जिसकी जड़ें **सांस्कृतिक मान्यताओं, आर्थिक ढांचे, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और सामाजिक धारणाओं** में गहराई से समाई हुई हैं। इसे मिटाने के लिए केवल **कानूनी प्रावधान** पर्याप्त नहीं हैं; **मानसिकता परिवर्तन, शिक्षा, सामाजिक आंदोलन, नीतिगत समावेशन और प्रतिनिधित्व** को समान रूप से सशक्त करना होगा। जब तक समाज अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं होता, तब तक **समानता केवल एक आदर्श** बनी रहेगी, वास्तविकता नहीं।

12.7 लैंगिक असमानताओं के दुष्परिणाम

लैंगिक असमानता का प्रभाव केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे समाज की मानसिकता, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है। लगातार भेदभाव और हाशिए पर डाले जाने की स्थिति में रहने से महिलाओं के आत्मसम्मान में गिरावट, अवसाद और चिंता जैसी मानसिक समस्याएँ जन्म लेती हैं, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसके अलावा, शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुँच उन्हें आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर बनाए रखती है, जिससे गरीबी का चक्र बना रहता है।

जब महिलाओं को घरेलू आय में योगदान से वंचित किया जाता है, तो पूरे परिवार की आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ जाती है। इससे न केवल परिवार का विकास रुकता है, बल्कि बच्चों की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो महिलाएँ भेदभाव का शिकार होती हैं, उनके बच्चों को भी समान अवसर नहीं मिल पाते, जिससे अंतर-पीढ़ीगत असमानता जन्म लेती है।

एक बड़ा आर्थिक प्रभाव यह भी है कि लैंगिक असमानता देश की समग्र आर्थिक वृद्धि में बाधा उत्पन्न करती है। अध्ययनों से अनुमान लगाया गया है कि यदि लैंगिक समानता सुनिश्चित की जाए, तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 27% तक की वृद्धि संभव है। इसके विपरीत, असमानता सामाजिक स्तर पर विभाजन, असंतोष, और अस्थिरता को बढ़ावा देती है, जिससे लोकतंत्र और विकास दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

इस प्रकार, लैंगिक असमानता एक ऐसी समस्या है जिसका प्रभाव व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र तक विस्तारित होता है। इसे केवल एक "महिला-मुद्दा" न मानकर, एक "सामाजिक-राष्ट्रीय संकट" के रूप में देखना आवश्यक है।

12.8 भारत में लैंगिक समानता के लिए सरकारी नीतियां

संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए **17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** में **लैंगिक समानता** को **5वें लक्ष्य** के रूप में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य **सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना** है।

भारतीय संविधान में लैंगिक समानता- भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लैंगिक समानता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है। विशेष रूप से, अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव (Positive Discrimination) के उपाय अपनाने की अनुमति है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (1992)- महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, उनके सामाजिक-आर्थिक विकास पर परामर्श, और भेदभाव से जुड़ी शिकायतों के निवारण हेतु भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की स्थापना की थी।

महिला केंद्रित प्रमुख कानून- भारत में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई ऐसे कानून बनाए गए हैं जिनका उद्देश्य महिलाओं के लिए समान अवसर और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इनमें प्रमुख हैं:

1. **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005**
2. **सती प्रथा (रोकथाम) अधिनियम, 1987**
3. **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013**

4. **अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956**
5. **महिलाओं का अभद्र चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986**

इन कानूनों का उद्देश्य **महिलाओं को घरेलू, सामाजिक और कार्यस्थल के स्तर पर सुरक्षा और गरिमा प्रदान करना** है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिबद्धता- भारत ने कई अंतरराष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों का समर्थन किया है जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

इसमें सबसे महत्वपूर्ण है:

CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) भारत ने इस संधि को **1993 में अनुमोदित** किया।

उपर्युक्त कानूनों और उपायों के अलावा, भारत सरकार ने समाज में महिलाओं के लिए बेहतर, सुरक्षित और समान स्थान सुनिश्चित करने और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास सहित सर्वांगीण हितों का ध्यान रखने के लिए कई नीतिगत पहल की है, जैसे कि 'राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति' और 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जैसी योजनाएं।

1. **<u>महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति, 2001</u>-** महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2001 में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति अपनाई गई थी। नीति निम्नलिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है-
    1. ऐसा माहौल बनाना जो महिलाओं की समग्र विकास को बढ़ावा दे और उन्हें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में सक्षम बनाए। यह सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक नीतियों को अपनाकर किया जाएगा।
    2. महिलाओं द्वारा सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ सामान आधार पर सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का विधिक और वास्तविक आनंद।
    3. देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भागीदारी और निर्णय लेने में महिलाओं की समान पहुंच सुनिश्चित करना।
    4. स्वास्थ्य देखभाल में महिलाओं को सामान पहुंच, सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कैरियर और व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, समान परिश्रामिक, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्यालय आदि।

5. महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से कानूनी प्रणालियों का मजबूत बनाना।
6. पुरुषों और महिलाओं दोनों की सक्रिय भागीदारी और संलिप्तता द्वारा सामाजिक दृष्टिकोण और सामुदायिक प्रथाओं में परिवर्तन लाना।
7. विकास प्रक्रिया में लैंगिक परिप्रेक्ष्य को मुख्यधारा में लाना।
8. महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध भेदभाव एवं सभी प्रकार की हिंसा का उन्मूलन।
9. नागरिक समाज, विशेषकर महिला संगठनों के साथ साझेदारी का निर्माण और सुदृढीकरण।

2. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)-** बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बालिकाओं की सुरक्षा, जीवन रक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। यह योजना सरकार द्वारा बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) में गिरावट के मुद्दों को संबोधित करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का समग्र लक्ष्य 'बालिकाओं को सम्मान करना और उनकी शिक्षा को सक्षम बनाना' है। योजना के उद्देश्य इस प्रकार है-

- लिंग-पक्षपाती लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोकना।
- बालिका के अस्तित्व और संरक्षण को सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना

3. **निर्भया फंड-** महिलाओं की सुरक्षा में सुधार, आपातकालीन हेल्पलाइनों को वित्तपोषित करने, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और बेहतर पुलिसिंग के लिए 2014 के बाद इसे मजबूत किया गया।
4. **महिला शक्ति केंद्र-** महिला शक्ति केंद्र योजना (एमएसके) का उद्देश्य कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करके ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना को 3 साल यानी 2017-18 और 2019-20 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई थी। यह महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण मिशन की अंब्रेला योजना के तहत एक उप-योजना है।
5. **कामकाजी महिला छात्रावास (WWF)-** कामकाजी महिला छात्रावास (WWF) योजना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे जहां भी संभव हो, उनके बच्चों के लिए डे-केयर सुविधाएँ शामिल है। इस योजना के लाभार्थियों में निम्नलिखित श्रेणी की कामकाजी महिलाएं और उनके बच्चे शामिल है।

- ऐसी कामकाजी महिलाएं जो अकेली, विधवा, तलाकशुदा, अलग हुई या विवाहित है, लेकिन अपने पति या निकटतम परिवार के साथ एक ही शहर/क्षेत्र में नहीं रहती है। समाज की वंचित वर्गों की महिलाओं को विशेष वरीयता दी जा सकती है। शारीरिक रूप से विकलांग लाभार्थियों के लिए सीटों के आरक्षण का भी प्रावधान होना चाहिए।
- नौकरी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को तब तक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जब तक कि कुल प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष से अधिक न हो। यह तभी संभव है जब कामकाजी महिलाओं को समायोजित करने के बाद कोई रिक्ति उपलब्ध हो। नौकरी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या कुल क्षमता के 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- कामकाजी माताओं के साथ आने वाली 18 वर्ष तक की लड़कियों और पांच वर्ष तक के लड़कों को उनकी माताओं के साथ रखा जाएगा। कामकाजी माताएँ योजना के तहत दी जाने वाली डे-केयर सेंटर सेवाओं का भी लाभ उठा सकती है।

6. **किशोरियों के लिए योजना-** किशोरियों की सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (एसएबीएलए) के नाम से जानी जाने वाली किशोरियों के लिए योजना (एसएजी) वर्ष 2010 में तैयार की गई। इस योजना में 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों को शामिल किया गया है और इसका उद्देश्य उन्हें जीवन कौशल शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा तथा सामाजिक-कानूनी मुद्दों के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। इस योजना में किशोरी शक्ति योजना (केएसवाई) योजना किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम (एनपीएजी) की जगह ली है।

एसएजी के उद्देश्य इस प्रकार है-

- किशोरियों को आत्म-विकास और सशक्तिकरण के लिए सक्षम बनाना।
- किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना।
- स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण आदि के संबंध में जागरूकता बढ़ाना।
- किशोरियों के गृह-आधारित कौशल, जीवन कौशल और व्यवसायिक कौशल का उन्नयन करना।
- स्कूल न जाने वाली लड़कियों को औपचारिक स्कूली शिक्षा में वापस लाने के लिए सहायता प्रदान करना।
- उपलब्ध सार्वजनिक सेवाओं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), डाकघर आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

7. **महिला पुलिस स्वयंसेवक (एमपीवी)-** इस योजना में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला पुलिस स्वयंसेवको के नामांकन की परिकल्पना की गई है जो पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेगी और संकट में फंसी महिलाओं की सहायता करेगी। महिलाओं के खिलाफ अपराध से लड़ने के लिए एक एमपीवी एक सार्वजनिक नीति इंटरफेस के रूप में काम करेगी। एमपीवी महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज के संबंध में उत्पीड़न आदि जैसे अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार होगी।
8. **राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके)-** मार्च 1993 में स्थापित, राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) एक स्वायत्त निकाय है, जो महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिला बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। वर्तमान में, आरएमके एक सुविधा एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसमें यह गैर सरकारी संगठनों, मध्यस्थ सूक्ष्म विश्लेषण संगठन (आईएमओ) और स्वैच्छिक संगठनों को ऋण प्रदान करता है जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजीएस) को ऋण देते है।
9. **कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना-** क्रेच एक ऐसी सुविधा है जो माता-पिता को काम पर जाने के दौरान अपने बच्चों को छोड़ने में सक्षम बनाती है और जहां बच्चों को उनके समग्र विकास के लिए एक प्रेरक वातावरण प्रदान किया जाता है। कामकाजी माताओ के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना के उद्देश्य इस प्रकार है-
   - समुदाय में कार्यरत माताओं के 6 माह से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए डे-केयर सेवाएं प्रदान करना।
   - बच्चों के पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना।
   - बच्चों की समग्र विकास को प्रोत्साहित करना।
   - बेहतर देखभाल प्रदान करने के लिए माता-पिता/देखभालकर्ताओं को शिक्षित और सशक्त बनाना।
10. **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-** प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को लाभ पहुंचाना है। यह योजना 1 जनवरी 2017 को लागू हुई। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यू एंड एलएम) को परिवार में पहले जीवित बच्चे के जन्म पर तीन किस्तों में ₹5000 का लाभ दिया जाता है।

11. **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)-** आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में DAY-NULM का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं से सुसज्जित आश्रय प्रदान करना है। मिशन का उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके उनकी गरीबी और भेद्दता को कम करना है। मिशन में शहरी गरीब और महिलाओं सहित वंचित समूहों के परिवार शामिल है। यह महिला SHG के गठन को प्रोत्साहित करता है, स्ट्रीट वेंडरों को कौशल प्रदान करता है, और कमजोर समूहों को संस्थागत ऋण और सामाजिक सुरक्षा आदि तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है।
12. **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-** प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमवाईवाई) को मई 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों में एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। जो अन्यथा पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन जैसे जलाऊ लकड़ी, गोबर के उपले और कोयला आदि के उपयोग कर रहे थे। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान करके उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है।
13. **सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई)-** सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण करना है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के एक हिस्से के रूप में शुरू की गई यह योजना एक बालिका के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक छोटी जमा योजना है। जिन माता-पिता की 10 वर्ष से कम आयु की बालिका है, वे किसी भी नामित सार्वजनिक और निजी बैंक और डाकघरों के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। यह योजना तब परिपक्व होती है जब बेटी 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती है। न्यूनतम जमा राशि 250 रुपए और अधिकतम राशि एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये है। इस योजना के तहत 7.6% प्रति वर्ष की ब्याज दर दी जाती है।
14. **कौशल उन्नयन और महिला कॉयर योजना-** कौशल उन्नयन एवं महिला कॉयर योजना (एमसीवाई) एसएसएमइ का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य उचित कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को रियायती दरों पर कताई उपकरण प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षुओं को ₹10000 प्रति माह का वजीफा दिया जाता है।
15. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)-** प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं और पारंपरिक कारीगरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए स्वरोजगार उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कार्यक्रम के मुख्य लाभ इस प्रकार है-

- गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक वित्तपोषित सब्सिडी योजना।
- 25 लाख रुपये तक की विनिर्माण परियोजना के लिए बैंक ऋण पर 15% और 35% तक तथा सेवा परियोजनाओं के लिए 10 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी सब्सिडी
- विशेष श्रेणी के लाभार्थियों जैसे कि एससी/एसटी/भूतपूर्व सैनिक/एनईआर/महिला/पीएच/अल्पसंख्यकों के लिए, शहरी क्षेत्रों में धन सब्सिडी मार्जिन 25% और ग्रामीण क्षेत्रों में 35% है। सेवा क्षेत्र में अधिकतम परियोजना लागत की सीमा 10 लाख रुपए से और विनिर्माण क्षेत्र में 25 लख रुपए है।

16. **स्टैंड-अप इंडिया-** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और/या महिला उद्यमियों के लिए वित्तपोषण के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना का उद्देश्य विनिर्माण, सेवा, कृषि-सम्बद्ध या व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधरकर्ता और प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख और एक करोड़ तक के बैंक ऋण की सुविधा देकर महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
17. **महिला ई-हाट-** महिला ई हाट महिला और बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) की संयुक्त पहल हाई। 7 मार्च 2016 को लांच किया गया, महिला ई-हाट एक सीधा ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म है जो महिला उद्यमियों/एसएचजी/एनजीओ को सहायता प्रदान करने तथा उनके द्वारा बनाए/निर्मित/उपलब्ध कराए जाने वाले उत्पादो/सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हैं।
18. **वन-स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना-** वन-स्टॉप सेंटर 2015 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा निजी और सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता देने की लक्ष्य शुरू की गई। यह योजना उन महिलाओं को विशेष सेवाएं प्रदान करती है, जिन्होने किसी भी प्रकार की लिंग आधारित हिंसा को सहन किया है।
19. **उज्ज्वला योजना-** उज्ज्वला योजना 'व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी की रोकथाम और पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और पुन: एकीकरण' के लिए 1 अप्रैल 2016 से प्रारभ हुई एक योजना है।
20. **महिला हेल्पलाइन योजना-** महिला हेल्पलाइन योजना 1 अप्रैल 2015 को लागू की गई। यह योजना सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में हिंसा से प्रभावित सभी महिलाओं को 24 घंटे आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करती है। यह हेल्पलाइन हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की गई।

21. **स्वाधार गृह-** यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के पुनर्वास के उद्देश्य से क्रियान्वित की जा रही है।
22. **महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम (एसटीईपी) योजना-** STEP योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के योग्य बनाने के लिए कौशल प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में 16 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को लाभ पहुंचाना है।
23. **महिला उद्यमिता मंच (WEP)-** महिला उद्यमिता मंच, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना एवं समर्थन देने के लिए नीति आयोग की एक पहल है। यह तीन स्तंभों पर आधारित है – इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं क्रम शक्ति।

बोध प्रश्न

1. लिंग अवधारणा है- सामाजिक/जैविक
2. लैंगिक असमानता का क्षेत्र नहीं है?
   i) राजनीतिक क्षेत्र
   ii) सामाजिक क्षेत्र
   iii) पारिवारिक क्षेत्र
   iv) खेल क्षेत्र
3. दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ?
   i) 1985
   ii) 1961
   iii) 2005
   iv) 1856
4. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का संबंध है?
   i) बालिकाओं की
   ii) महिलाओं की
   iii) शिशु की
   iv) इनमें से कोई नहीं
5. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब लागू की गई?
   i) 2 जनवरी 2017
   ii) 1 जनवरी 2017

iii) 1 जनवरी 2020

iv) 2 जनवरी 2018

6. उत्तराखंड में महिला हेल्प लाइन योजना कब शुरू की गई?

i) 1 अप्रैल 2001

ii) 1 अप्रैल 2012

iii) 1 अप्रैल 2014

iv) 1 अप्रैल 2015

7. लैंगिक असमानता का कारण है?

i) प्राचीन मान्यता

ii) सामाजिक कुप्रथा

iii) उपर्युक्त दोनों

iv) इनमें से कोई नहीं

8. लैंगिक असमानता स्त्री पुरुष के बीच अधिकार व शक्तियों का अवैज्ञानिक तथा तार्किक विभाजन है?

i) एस के दुबे

ii) आर के शर्मा

iii) रवींद्र नाथ मुखर्जी

iv) ए आर देसाई

9. वैश्विक लैंगिक सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है-

i) 146 वां

ii) 129 वां

iii) 120 वां

iv) 100 वां

10. उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई?

i) 1 अप्रैल 2016

ii) 1 अप्रैल 2015

iii) 2 जनवरी 2017

iv) 1 जनवरी 2010

12.9 सारांश

लैंगिक असमानता और भेदभाव भारत जैसे समतामूलक समाज के निर्माण में एक गंभीर बाधा है। यह केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं है, बल्कि देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति में भी बाधा उत्पन्न करता है। इस समस्या से निपटने के लिए व्यक्तियों, समुदायों और संस्थानों के स्तर पर सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। भारत यदि सभी लिंगों को समान अधिकार, सम्मान और अवसर देता है तो वह अपनी पूर्ण क्षमता का दोहन करते हुए एक समावेशी और न्यायसंगत भविष्य का निर्माण कर सकता है।

लैंगिक असमानता केवल नीति या कानूनों की कमजोरी नहीं है, बल्कि यह **सामाजिक सोच, संस्कृति,** और **पारंपरिक संरचनाओं** से भी जुड़ी हुई है। जब तक हम इस असमानता की **जड़ों को नहीं समझते**, तब तक समाधान केवल सतही होंगे। लैंगिक समानता केवल महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि **समाज की संपूर्ण प्रगति** के लिए आवश्यक है। जब हम सब मिलकर **पूर्वाग्रहों को चुनौती** देते हैं और **समान अवसरों का समर्थन** करते हैं, तभी एक ऐसा भविष्य संभव है जो **वास्तव में न्यायपूर्ण और टिकाऊ** हो।

12.10 परिभाषित शब्दावली

लिंग – लिंग का तात्पर्य सामाजिक रुप से निर्मित भूमिकाओ, अपेक्षाओ और व्यवहारों से है जो अक्सर अलग-अलग लिंगों को दिए जाते है। लिंग पहचान स्वयं के बारे में एक व्यक्तिगत, आंतरिक धारणा है और यह सामाजिक रुप से निर्मित भूमिकाओ, व्यवहारों और रीति-रिवाजों पर आधारित है।

पितृसत्तात्मक समाज – पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों की प्राथमिक सत्ता होती है यानी उन्हें समाज में उच्च माना जाता है। राजनैतिक नेतृत्व अधिकार, सामाजिक सम्मान तथा संपत्ति का नियंत्रण में पुरुष की भूमिका प्रबल होती है।

धार्मिक सहिष्णुता – धार्मिक सहिष्णुता अन्य लोगों को अन्य धर्मों और मान्यताओ के बारे में सोचने या पालन करने की अनुमति देता है।

पूर्वाग्रह – पूर्वाग्रह का अर्थ है- पूर्व निर्णय अर्थात् किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना ही राय बना लेना या मन में निर्णय ले लेना।

12.11 अभ्यासार्थ प्रश्न के उत्तर

बोध प्रश्न

i) जैविक

ii) पारिवारिक क्षेत्र

iii) 1961

iv) बालिकाओं की

v) 1 जनवरी 2017

vi) 1 अप्रैल 2015

vii) उपर्युक्त दोनों

viii) आर के शर्मा

ix) 129 वां

x) 1 अप्रैल 2016

12.12 संदर्भ ग्रंथ

1. Amartya sen, "gender: seven types of inquility" in human right vision, issue no. 22 december 8, 2001.

2. Judith butler "Gender trouble" routledge, NewYork, 1990.

3. Alison jaggar "feminist politics and human nature" Roman and allanheld sussex 1988.

4. K. M. panikkar, Hindu Society at cross Roads.

5. Onlooker, January 15, 1986.

6. Devik jain, seminar, no. 33 march 1987.

12.13 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम

2. महाजन, धर्मवीर एवं महाजन, कमलेश, 2018, समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, ISBN- 978-8183619615

12.14 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. लैंगिक असमानता को परिभाषित कीजिए|
2. भारत में लैंगिक असमानता के स्वरूप पर प्रकाश डालिए?
3. लैंगिक असमानता के दुष्परिणाम की विवेचना कीजिए?
4. लैंगिक असमानता के क्षेत्र के बारे में बताइए?

12.15 निबंधात्मक प्रश्न

1. लैंगिक असमानता क्या है? इसके कारणों की विवेचना कीजिए?
2. स्वतंत्रता के बाद लैंगिक असमानता को दूर करने किए क्या प्रयास किए गए है?

इकाई–13 अविवाहित, परित्यक्ताओं एवं विधवा महिलाओं से संबंधित समस्यायें

Problems related to Unmarried, Abandoned and Widowed women

इकाई की रूपरेखा

13.1 प्रस्तावना

13.2 उद्देश्य

13.3 अविवाहित महिलाओं से तात्पर्य

13.4 अविवाहित महिलाओं की समस्याएं

13.5 अविवाहित महिलाओं की समस्याओं का समाधान

13.6 परित्यक्ता महिलाओं से तात्पर्य

13.6.1 भारत में परित्यक्ता की स्थिति से संबंधित आँकड़े

13.7 परित्यक्ता महिलाओं की प्रमुख समस्याऐ

13.8 परित्यक्ता महिलाओं के कानूनी अधिकार

13.9 विधवा का अर्थ एवं अवधारणा

13.10 विधवा महिलाओं की समस्याऐ

13.11 विधवाओं के प्रति उत्पीड़न के कारण

13.12 विधवाओं के प्रति हिंसा एवं उत्पीड़न को रोकने के उपाय

13.13 सारांश

13.14 परिभाषित शब्दावली

13.15 अभ्यासार्थ प्रश्न के उत्तर

13.16 संदर्भ ग्रन्थ

13.17 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री

13.18 लघुउत्तरीय प्रश्न

13.19 निबंधात्मक प्रश्न

13.1 प्रस्तावना

भारतीय समाज में विवाह केवल एक निजी निर्णय नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संस्था है। विवाह को जीवन का एक आवश्यक संस्कार माना जाता है, और इससे जुड़ी मान्यताएँ इतनी गहराई तक रची-बसी हैं कि अविवाहित रह जाना एक 'असामान्य' स्थिति के रूप में देखा जाता है। विशेषतः महिलाओं के संदर्भ में यह मुद्दा और भी अधिक जटिल हो जाता है। अविवाहित रहना भारतीय समाज में आज भी एक स्वीकार्य विकल्प नहीं बन पाया है। जैसे ही किसी महिला की उम्र 25-26 वर्ष होती है, उस पर विवाह का सामाजिक दबाव बनने लगता है। यदि वह विवाह नहीं करती, तो उसके चरित्र, निर्णय क्षमता और जीवनशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाए जाते हैं।

धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अविवाहित रहना अनुचित माना गया है। मनुस्मृति में महिला के जीवन को पुरुष-प्रधान संरचना में बाँध दिया गया है—पिता, पति और पुत्र के अधीनता को उसका जीवन मान लिया गया। इस मानसिकता के कारण महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके एकल जीवन के निर्णय को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। अविवाहित महिलाओं को सामाजिक मान्यता की कमी, अकेलेपन की भावना, और संपत्ति संबंधी असुरक्षा जैसे कई संकटों का सामना करना पड़ता है। चाहे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों या सामाजिक रूप से सक्रिय, उन्हें 'बेसहारा' या 'बेचारी' समझा जाता है। निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी उन्हें नहीं दी जाती, क्योंकि परिवार को हमेंशा यह भय होता है कि समाज क्या कहेगा।

कुछ महिलाएँ परिस्थितिवश अविवाहित रह जाती हैं—पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, वित्तीय अस्थिरता या उपयुक्त साथी का न मिलना इसके कारण हो सकते हैं। कृष्णा कुमारी (1987) और जेठानी (1994) जैसे समाजशास्त्रियों के अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक बाधाएँ महिलाओं को विवाहित जीवन से दूर कर सकती हैं।

आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तब भी अविवाहित रहना एक सामाजिक कलंक की तरह देखा जाता है। समय की माँग है कि समाज अपनी सोच बदले और महिलाओं के व्यक्तिगत निर्णयों का सम्मान करे। एकल जीवन जीना कोई असामान्य या निंदनीय बात नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का प्रतीक हो सकता है। हर व्यक्ति को अपनी जीवनशैली चुनने का अधिकार होना चाहिए—बिना किसी सामाजिक दबाव या पूर्वग्रह के।

13.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप अविवाहित, परित्यक्ताओं एवं विधवा महिलाओं की समस्याओं और समाधान को विस्तृत रुप में जान सकेंगे।

13.3 अविवाहित महिलाओं से तात्पर्य

अविवाहित महिलाओं से तात्पर्य उन महिलाओं से है, जो विवाह किए बिना अकेले जीवन व्यतीत कर रही हैं। ये महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं और अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं लेती हैं। शिक्षा, करियर, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं या अन्य कारणों से वे विवाह नहीं करतीं, या फिर उनके जीवन में कोई स्थायी साथी नहीं होता। भारतीय समाज में पिछले दो दशकों में अविवाहित महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश की कुल महिला जनसंख्या में से 7.4% महिलाएं अविवाहित, परित्यक्त या विधवा थीं, जो वर्ष 2011 तक बढ़कर 21% तक पहुँच गई। यह सामाजिक संरचना में हो रहे बदलाव का प्रतीक है।

प्रकाश (1991) के अनुसार, एकलता दो प्रकार की होती है:

1. **स्वैच्छिक एकलता** – जहाँ महिलाएं स्वयं के निर्णय से अकेले रहना चुनती हैं।
2. **बाध्यता मूलक एकलता** – जहाँ परिस्थितियाँ उन्हें अकेले रहने को विवश करती हैं।

शिक्षित और कार्यरत महिलाएं, जो अपने करियर और स्वतंत्रता को प्राथमिकता देती हैं, स्वैच्छिक एकलता को अपनाती हैं। शर्मा (1996) के अनुसार, नगरीय क्षेत्रों में ऐसी महिलाओं की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है।

21वीं सदी में समाज ने एकल महिलाओं को कुछ हद तक स्वीकार करना शुरू कर दिया है। वे चाहे कितनी भी सफल हों, उच्च पदों पर कार्यरत हों या आर्थिक रूप से संपन्न हों, फिर भी उन्हें विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे:

- सामाजिक दबाव और पूर्वाग्रह
- मनोवैज्ञानिक तनाव
- पारिवारिक असहयोग

- आवास और सुरक्षा संबंधी समस्याएँ

9 मार्च 2014 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के अवसर पर 'इंडिया बोल' मंच ने अविवाहित महिलाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और सरकार तथा समाज का ध्यान उनकी समस्याओं की ओर आकर्षित किया। यह पहल उनकी आवाज़ को समाज में पहचान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। आज की अविवाहित महिलाएं आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का प्रतीक हैं। हालांकि उन्हें अभी भी कई प्रकार की सामाजिक और मानसिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी समाज धीरे-धीरे उन्हें स्वीकार कर रहा है। यह आवश्यक है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ महिलाएं बिना किसी दबाव या भय के अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकें।

13.4 अविवाहित महिलाओं की समस्याएं

अ. मनोवैज्ञानिक समस्याएं-

1. **अकेलापन-** अकेलापन अविवाहित महिलाओं में एक सामान्य परंतु गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्या है, जो उनके मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करती है। यह समस्या विशेषकर तब बढ़ जाती है जब उनके पास सामाजिक या भावनात्मक समर्थन की कमी होती है।

अकेलेपन के कारण:

- **समाज द्वारा दबाव** – विवाह को भारतीय समाज में एक अनिवार्य संस्था माना जाता है। अविवाहित महिलाओं को समाज की आलोचना, तानों और अनावश्यक प्रश्नों का सामना करना पड़ता है।
- **समर्थन की कमी** – परिवार और मित्रों से भावनात्मक समर्थन न मिलना महिलाओं में अलगाव और असुरक्षा की भावना को जन्म देता है।
- **एकाकीपन की स्वाभाविक असहजता** – कुछ महिलाएं स्वभावतः अकेले रहना पसंद नहीं करतीं और उन्हें एक भावनात्मक साथी की आवश्यकता महसूस होती है।

अकेलेपन का प्रभाव:

- **मनोवैज्ञानिक समस्याएं** – लगातार अकेलेपन से अवसाद (डिप्रेशन), चिंता (एंग्ज़ायटी) और तनाव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

- **सामाजिक अलगाव** – महिलाएं धीरे-धीरे सामाजिक कार्यक्रमों से दूरी बना लेती हैं, जिससे उनका सामाजिक दायरा सीमित होता जाता है।
- **आत्म-सम्मान में कमी** – समाज द्वारा मिली उपेक्षा और निजी रिश्तों की कमी से उनमें अपने प्रति नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, जो आत्म-सम्मान को कम करते हैं।

2. मानसिक तनाव- अविवाहित महिलाओं में मानसिक तनाव एक अत्यंत गंभीर और जटिल समस्या बनती जा रही है। यह तनाव केवल व्यक्तिगत कारणों से नहीं, बल्कि सामाजिक, भावनात्मक और जैविक कारकों से भी उत्पन्न होता है। इन महिलाओं को अपने जीवन में कई प्रकार की अपेक्षाएं और दबाव झेलने पड़ते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

मानसिक तनाव के प्रमुख कारण:

- **समाज द्वारा दबाव-** भारतीय समाज में विवाह को एक अनिवार्य सामाजिक संस्था माना जाता है। अविवाहित महिलाओं पर परिवार, रिश्तेदारों और समाज द्वारा विवाह करने का निरंतर दबाव बनाया जाता है, जिससे मानसिक असुविधा और चिंता उत्पन्न होती है।
- **भविष्य की चिंताएं-** नौकरी की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, बुढ़ापे की योजना आदि को लेकर अविवाहित महिलाएं अक्सर चिंतित रहती हैं। यह अनिश्चितता भविष्य के प्रति भय और तनाव को जन्म देती है।
- **व्यक्तिगत अपेक्षाएं-** स्वयं से अधिक सफलता, सामाजिक पहचान या "परिपूर्ण जीवन" की अपेक्षा रखना, और उसमें असफल रहने पर निराशा होना, मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है।
- **रिश्तों में समस्याएं-** अकेलापन, भावनात्मक समर्थन की कमी, या सामाजिक रूप से ‘अलग-थलग’ पड़ जाना – ये सभी कारक महिलाओं के आत्म-सम्मान और मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं।
- **हार्मोनल परिवर्तन-** मासिक धर्म, प्रजनन आयु, या रजोनिवृत्ति के समय शरीर में होने वाले हार्मोनल उतार-चढ़ाव मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। इससे चिंता, चिड़चिड़ापन, और अवसाद जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं।

समाधान और प्रबंधन के उपाय:

- **स्वस्थ जीवन शैली अपनाना**- नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, और पर्याप्त नींद तनाव को कम करने में मदद करते हैं।
- **सकारात्मक सामाजिक समर्थन**- परिवार, मित्रों, और सहकर्मियों से भावनात्मक समर्थन प्राप्त करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है।
- **मनोवैज्ञानिक परामर्श लेना-** किसी विशेषज्ञ से बात करना, थेरेपी या काउंसलिंग करवाना बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।
- **आत्म-स्वीकृति और आत्म-सम्मान को बढ़ाना**- स्वयं को स्वीकार करना और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक है।

3. सुरक्षा की भावना की कमी- अविवाहित महिलाओं में सुरक्षा की भावना की कमी एक गंभीर सामाजिक और मानसिक चुनौती है। विवाह को अब भी कई समाजों में सामाजिक स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जब कोई महिला अविवाहित रहती है, तो उसे कई प्रकार की असुरक्षाओं का सामना करना पड़ता है — सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक, और व्यक्तिगत स्तर पर।

अविवाहित महिलाओं में असुरक्षा की भावना के मुख्य कारण:

- **समाज द्वारा दबाव-** समाज में विवाह को एक अनिवार्य सामाजिक कर्तव्य माना जाता है। अविवाहित महिलाओं को "देर से शादी", "अपूर्ण जीवन" या "असामान्य" जैसे टैग दिए जाते हैं, जिससे उन पर निरंतर सामाजिक दबाव पड़ता है।
- **परिवार की अपेक्षाएं-** परिवारों में विशेषकर बेटियों से विवाह और परिवार बसाने की अपेक्षा की जाती है। जब महिलाएं इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पातीं, तो अपराधबोध और आत्म-संदेह की भावना जन्म लेती है।
- **धन संबंधी असुरक्षा-** अकेले रहने वाली या आर्थिक रूप से स्वयं पर निर्भर महिलाओं के लिए वित्तीय स्थिरता एक बड़ी चिंता हो सकती है। विशेष रूप से यदि उन्हें अकेले घर चलाना हो या परिवार का सहारा बनना हो।

- **समाज द्वारा स्वीकृति न मिलना-** परंपरागत सोच वाले समाजों में अविवाहित महिलाओं को "सामान्य" नहीं माना जाता। उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता और जीवनशैली के कारण सामाजिक स्वीकृति और सम्मान प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
- **संबंधों में असुरक्षा-** भावनात्मक संबंधों की कमी, या अस्थिर संबंध, महिलाओं को अकेलापन और भावनात्मक असुरक्षा की स्थिति में डाल सकते हैं। यह मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।
- **भविष्य की चिंता-** अकेले वृद्धावस्था, स्वास्थ्य सुरक्षा, और आर्थिक भविष्य के बारे में चिंता — ये सब आने वाले कल के प्रति डर और अनिश्चितता को जन्म देती हैं।

समाधान के उपाय:

- **आत्म-जागरूकता और आत्म-स्वीकृति-** महिलाओं को यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन की दिशा और पहचान केवल विवाह से नहीं तय होती। आत्म-सम्मान और आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।
- **सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता-** शिक्षा, करियर और वित्तीय जागरूकता के माध्यम से महिलाएं स्वयं को मजबूत बना सकती हैं। यह न केवल आत्म-विश्वास बढ़ाता है, बल्कि सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता को भी कम करता है।
- **सामाजिक समर्थन और नेटवर्किंग-** समान सोच वाले लोगों के साथ संवाद, महिला समूहों में भागीदारी, और मानसिक स्वास्थ्य सहायता जैसे साधन महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाते हैं।
- **सकारात्मक सोच और परामर्श-** यदि जरूरत हो, तो किसी योग्य मनोवैज्ञानिक से परामर्श लेना लाभदायक हो सकता है। यह महिलाओं को अपनी असुरक्षाओं से उबरने और सशक्त बनने में मदद करता है।

अविवाहित महिलाओं की सुरक्षा की भावना को केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं, बल्कि सामाजिक सोच में बदलाव, परिवार के समर्थन, और सरकारी नीतियों से भी मज़बूती मिल सकती है। यह आवश्यक है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ महिलाओं की स्थिति उनके वैवाहिक दर्जे से नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व, योग्यता और स्वतंत्रता से आँकी जाए।

4. ***उद्देश्यहीन जीवन-*** *अविवाहित महिलाओं में जीवन की स्पष्ट दिशा या उद्देश्य की कमी की भावना प्रकट हो सकती है। यह भावना कई बार समाज द्वारा स्थापित जीवन की पारंपरिक संरचना— जैसे विवाह, परिवार, और संतान — से बाहर रहने के कारण उत्पन्न होती है। जब महिलाएं इस पारंपरिक ढांचे में स्वयं को फिट नहीं पातीं, तो वे अपने जीवन को "अपूर्ण" या "अर्थहीन" मानने लगती हैं।*

प्रमुख कारण:

- सामाजिक मान्यताओं का दबाव
- दीर्घकालिक लक्ष्य की अस्पष्टता
- व्यक्तिगत सपनों और समाज की अपेक्षाओं में टकराव

5. एकाकीपन- अविवाहित महिलाओं को सामाजिक अवसरों में अकसर उपेक्षित या असहज महसूस कराया जाता है। त्योहार, पारिवारिक आयोजन, या सामूहिक गतिविधियाँ जहाँ दंपत्तियों या परिवारों की भागीदारी अपेक्षित होती है, वहाँ अविवाहित महिलाएं अलग-थलग महसूस कर सकती हैं।

एकाकीपन के कारक:

- समाज में "साथी" की अवधारणा का महत्त्व
- सीमित सामाजिक समर्थन
- अकेले निर्णय लेने की मानसिक थकान

6. आत्म-पहचान की चुनौती- *अविवाहित महिलाएं कई बार यह संघर्ष करती हैं कि समाज उन्हें किस नज़र से देखता है, और वे स्वयं को किस रूप में पहचानती हैं। पारंपरिक पहचान जैसे "पत्नी", "माँ", या "बहू" से अलग जीवन जीने वाली महिलाओं के लिए अपनी स्वतंत्र और सम्मानजनक पहचान बनाना एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है।*

चुनौतियाँ:

- पारंपरिक भूमिकाओं से बाहर पहचान बनाना
- आत्म-संदेह और सामाजिक अपेक्षाओं में संतुलन
- करियर, शौक और समाज सेवा में अपनी भूमिका को स्पष्ट करना

अविवाहित महिलाओं के लिए उद्देश्य की भावना, सामाजिक जुड़ाव और आत्म-पहचान की खोज एक आवश्यक लेकिन चुनौतीपूर्ण यात्रा है। इन समस्याओं से निपटने के लिए आत्म-स्वीकृति, समाज की भूमिका में बदलाव, और भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता है। जब महिलाएं अपनी शर्तों पर जीवन जीने लगती हैं, तो उनका जीवन न केवल उद्देश्यपूर्ण होता है, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा भी बनता है।

ब. स्वास्थ्य आधारित समस्याएं- अविवाहित महिलाओं को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विवाह, परिवार, और सामाजिक स्थिरता को स्वास्थ्य से जोड़े जाने के कारण, अविवाहित महिलाओं को सामाजिक कलंक, भावनात्मक तनाव, और स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित पहुँच जैसी कई चुनौतियों से जूझना पड़ता है।

1. शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं

- **प्रजनन स्वास्थ्य समस्याएं-** अविवाहित महिलाओं को असामान्य मासिक धर्म, रक्तस्राव, और बांझपन जैसी समस्याएं अधिक हो सकती हैं। सामाजिक कलंक के कारण वे सही समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने से कतराती हैं।
- **पुरानी बीमारियाँ-** उच्च रक्तचाप, मधुमेह (शुगर), हृदय रोग, और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा अविवाहित महिलाओं में अधिक पाया गया है, खासकर अकेलेपन और तनाव के कारण।
- **ऑस्टियोपोरोसिस-** रजोनिवृत्ति (Menopause) के बाद हार्मोनल परिवर्तन (विशेषकर एस्ट्रोजन की कमी) के कारण हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है।
- **अन्य प्रमुख शारीरिक समस्याएं**
  - स्तन कैंसर
  - गर्भाशय ग्रीवा (**cervical**) का कैंसर
  - योनि संक्रमण एवं हार्मोनल असंतुलन

2. मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं

- **उदासी और अवसाद-** निरंतर अकेलेपन और सामाजिक दबाव के कारण अविवाहित महिलाएं गहरी उदासी और अवसाद का शिकार हो सकती हैं।
- **चिंता एवं बेचैनी-** भविष्य की चिंता, सामाजिक अस्वीकृति और असुरक्षा की भावना अत्यधिक चिंता और घबराहट को जन्म देती है।

- **नींद से जुड़ी समस्याएं-** नींद न आना (Insomnia) या अत्यधिक नींद आना दोनों ही आम हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य की बिगड़ती स्थिति को दर्शाते हैं।
- **भोजन और ऊर्जा संबंधी परिवर्तन-** भूख में बदलाव, वजन का घटना-बढ़ना, और लगातार थकान मानसिक अस्थिरता के लक्षण हो सकते हैं।
- **सामाजिक अलगाव-** अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या समाज से दूरी बनाना, आत्मगोपन और आत्म-संवाद की कमी।
- **ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई-** पढ़ाई, नौकरी या घरेलू जिम्मेदारियों में मन न लगना।
- **आत्मघाती विचार-** कुछ मामलों में अत्यधिक अकेलापन और निराशा आत्महत्या या आत्म-हानि के विचारों तक ले जा सकती है।

स. **आर्थिक समस्याएं-** अविवाहित महिलाओं को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक असमानता और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। चाहे वह वेतन, नौकरी के अवसर हों या संपत्ति पर अधिकार — समाज की परंपरागत सोच और व्यवस्थाएं अक्सर अविवाहित महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में बाधा बनती हैं।

कम वेतन और नौकरी में भेदभाव

- **वेतन असमानता-** अविवाहित महिलाओं को अक्सर पुरुषों की तुलना में समान काम के लिए कम वेतन दिया जाता है। इससे उनकी जीवनशैली, बचत और भविष्य की योजना पर असर पड़ता है।
- **प्रमोशन और अवसरों में कमी-** अविवाहित महिलाओं को यह मानकर कि उनके पारिवारिक दायित्व कम हैं, कई बार अधिक काम दे दिया जाता है, लेकिन पदोन्नति में उन्हें पीछे रखा जाता है।
- **कार्यस्थल पर भेदभाव**
    - मातृत्व अवकाश, बाल देखभाल की सुविधाओं की कमी
    - मानसिक दबाव कि "अकेली हो, तो हमेशा उपलब्ध रहो"
    - सामाजिक व्यवहार में असमानता या "जजमेंटल" रवैया

संपत्ति तक सीमित पहुंच

- **सामाजिक बाधाएं-** पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में अविवाहित महिलाओं को अक्सर 'कम ज़रूरत' वाली सदस्य समझा जाता है। उन्हें भूमि या घर जैसे अचल संपत्तियों में हिस्सेदारी नहीं दी जाती।

- **कानूनी और व्यवहारिक अड़चनें-** कानून भले बराबरी की बात करें, लेकिन व्यवहार में उन्हें भूमि खरीदने, ऋण लेने या आर्थिक निर्णय लेने में कई बार परिवार या समाज से समर्थन नहीं मिलता।
- **वित्तीय असुरक्षा-** संपत्ति में हिस्सेदारी की कमी से बुढ़ापे में या आकस्मिक परिस्थितियों में उनके पास आर्थिक सुरक्षा की कमी हो जाती है।

सामाजिक अपेक्षाएँ और दबाव

- अविवाहित महिलाओं से यह उम्मीद की जाती है कि वे परिवार की आर्थिक सहायता करें, लेकिन जब उनकी खुद की आर्थिक ज़रूरतें सामने आती हैं, तो उन्हें "स्वार्थी" समझा जाता है।
- निवेश और भविष्य की योजना बनाने में उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन या समर्थन नहीं मिलता।

द. आवासीय समस्याएं- अविवाहित महिलाओं के लिए सुरक्षित और आरामदायक आवास प्राप्त करना कई बार कठिन हो जाता है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाएं उनके आवासीय अधिकारों को प्रभावित करती हैं।

भेदभाव

- मकान मालिक और रियल एस्टेट एजेंसियां अक्सर अविवाहित महिलाओं को अकेले घर या अपार्टमेंट किराए पर देने में हिचकिचाती हैं।
- यह भेदभाव महिलाओं को आवासीय विकल्पों में सीमित करता है और उन्हें असुविधा में डालता है।

सामाजिक कलंक

- समाज में अविवाहित महिलाओं को अक्सर अलग-थलग किया जाता है।
- उन पर शादी करने का दबाव लगातार बना रहता है, जिससे वे भावनात्मक तनाव और मानसिक दबाव का सामना करती हैं।
- इस सामाजिक कलंक के कारण महिलाएं कभी-कभी अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति असहज महसूस करती हैं।

आर्थिक असुरक्षा

- आर्थिक रूप से स्वतंत्र न होने या संपत्ति के अभाव में महिलाएं आवासीय सुरक्षा महसूस नहीं कर पातीं।
- चल-अचल संपत्ति का अभाव उन्हें आवासीय स्थिरता से वंचित करता है, जिससे उनकी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर असर पड़ता है।

य. पारिवारिक समस्याएं- अविवाहित महिलाओं को पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर अनेक प्रकार की समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियाँ उनकी स्वतंत्रता, सम्मान और सुरक्षा को प्रभावित करती हैं।

परिवार द्वारा अपेक्षाएं

- अविवाहित महिलाओं से अक्सर घर के काम-काज और परिवार की देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है।
- इससे उनकी व्यक्तिगत आज़ादी और स्वायत्तता सीमित हो जाती है, क्योंकि वे अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जीवन नहीं जी पातीं।

वित्तीय सुरक्षा की कमी

- अधिकांश अविवाहित महिलाएं परिवार पर आर्थिक रूप से निर्भर होती हैं।
- उनकी स्वयं की पर्याप्त आय न होने के कारण वे आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस करती हैं, जिससे उनका आत्म-सम्मान प्रभावित होता है।

भेदभाव

- सामाजिक आयोजनों और पारिवारिक अवसरों में अविवाहित महिलाओं को अक्सर कम महत्व दिया जाता है।
- विवाहित महिलाओं की तुलना में उन्हें भेदभाव और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है।

रिश्तों में चुनौतियां

- साथी खोजने में कठिनाई, परिवार के सदस्यों के साथ तनावपूर्ण संबंध, और पारिवारिक मतभेद अविवाहित महिलाओं के लिए सामान्य समस्याएं हैं।
- ये रिश्ते उनकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालते हैं।

परिवार के सदस्यों का उपेक्षापूर्ण व्यवहार

- अविवाहित महिलाओं के साथ परिवार के सदस्यों द्वारा उपेक्षापूर्ण और असम्मानजनक व्यवहार होना आम है।
- इससे उनका आत्म-सम्मान घटता है और वे अपने परिवार में खुद को अलग-थलग महसूस करती हैं।

पारिवारिक निर्णयों में परामर्श न लेना

- परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में अविवाहित महिलाओं की राय को महत्व नहीं दिया जाता।
- उन्हें पारिवारिक चर्चाओं और निर्णय प्रक्रियाओं से बाहर रखा जाता है।

अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत न कर पाना

- परिवार की उपेक्षा और सामाजिक प्रतिबंधों के कारण अविवाहित महिलाएं अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र जीवन नहीं जी पातीं।
- उनकी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास बाधित होता है।

परिवार द्वारा हित पूर्ति का साधन समझना

- कई बार परिवार के सदस्य अविवाहित महिलाओं का उपयोग अपने हितों की पूर्ति के लिए करते हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त दबाव और जिम्मेदारी आती है।
- यह स्थिति महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और स्वाभिमान के लिए हानिकारक होती है।

र. **सामाजिक समस्याएं-** अविवाहित महिलाओं को समाज में कई तरह की सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनका प्रभाव उनके मानसिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है।

भारतीय समाज में विवाह को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके कारण अविवाहित महिलाओं को विभिन्न प्रकार के दबाव और भेदभाव झेलना पड़ता है।

समाज द्वारा मान्यता का अभाव

- भारतीय समाज में विवाह को जीवन का अनिवार्य हिस्सा माना जाता है, इसलिए अविवाहित महिलाओं को समाज से उचित सम्मान और मान्यता नहीं मिल पाती।
- समाज अविवाहित महिलाओं को अपूर्ण या अधूरा समझने की प्रवृत्ति रखता है।

ताने और हीन दृष्टिकोण

- नातेदारों, परिचितों, सहकर्मियों और पड़ोसियों द्वारा अविवाहित महिलाओं को ताने देना, उपहास करना और हीन दृष्टि से देखना आम बात है।
- उन्हें अक्सर "अपूर्ण" या "समाज से अलग" समझा जाता है।

चरित्र पर संदेह

- अविवाहित महिलाओं के चरित्र पर संदेह किया जाता है, और कई बार उन्हें अनुचित रूप से चरित्रहीन माना जाता है।
- यह गलत धारणा उनके सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है।

सामाजिक अलगाव

- पड़ोसी और नातेदार अविवाहित महिलाओं से सामाजिक संबंध बनाने से बचते हैं।
- इसका परिणाम उनके सामाजिक नेटवर्क और सहयोग की कमी के रूप में सामने आता है।

विवाह का दबाव

- 30 वर्ष की आयु के बाद अविवाहित महिलाओं पर शादी करने का अत्यधिक दबाव होता है।
- यह दबाव मानसिक तनाव और दबाव का कारण बनता है।

सामाजिक सुरक्षा की कमी

- अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, और अन्य लाभों तक सीमित पहुंच होती है।
- इससे वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाती हैं, विशेषकर बुढ़ापे या बीमारी के समय।

सामाजिक अपेक्षाएं और आर्थिक सीमाएं

- अविवाहित महिलाओं को परिवार की आय और संपत्ति के संदर्भ में सामाजिक अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है।
- यह उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सीमित करता है और उन्हें पारिवारिक जरूरतों के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है।

सामाजिक और कार्यस्थल में भेदभाव

- अविवाहित महिलाओं को नौकरी के साक्षात्कार, सामाजिक समारोहों, और अन्य अवसरों पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

13.5 अविवाहित महिलाओं की समस्याओं का समाधान

अविवाहित महिलाओं को समाज में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सामाजिक दबाव, एकाकीपन, और भेदभाव। इसके बावजूद वे अपने मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकती हैं:

1. सामाजिक समर्थन- परिवार, दोस्तों या समर्थन समूहों से जुड़कर एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क बनाएं। यह नेटवर्क भावनात्मक सहारा देने में मदद करता है।
2. मनोवैज्ञानिक परामर्श- मानसिक तनाव, चिंता या अन्य समस्याओं के लिए मनोवैज्ञानिक या काउंसलर की सहायता लें। पेशेवर सलाह से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है।
3. वित्तीय योजना बनाना- अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वित्तीय योजना बनाएं। आर्थिक स्वतंत्रता से आत्म-सम्मान बढ़ता है।

4. समाज में जागरूकता बढ़ाना- समाज में अविवाहित महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए जागरूकता फैलाएं। इससे भेदभाव कम होगा और सम्मान बढ़ेगा।
5. सामाजिक सहयोग- मित्र, परिवार और समुदाय से सहयोग प्राप्त करें। सामाजिक समर्थन से आत्म-विश्वास बढ़ता है।
6. आर्थिक सशक्तिकरण- सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा दी जाने वाली कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाओं का लाभ उठाएं। इससे आर्थिक रूप से सशक्त बनने में मदद मिलती है।
7. कानूनी सुरक्षा- महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधानों को जानें और उनका उपयोग करें। कानूनी सुरक्षा से आत्म-सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
8. शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम- अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लें। इससे आत्म-निर्भरता बढ़ती है।
9. सरकारी योजनाओं का लाभ- सरकार की आवास, वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सही समय पर लाभ उठाएं।
10. गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का सहयोग- एनजीओ की मदद से आवास, कानूनी सहायता और सामाजिक समर्थन प्राप्त करें।
11. समुदाय का समर्थन- समुदाय के सदस्यों को अविवाहित महिलाओं को स्वीकार करने और उन्हें सामाजिक रूप से शामिल करने के लिए प्रेरित करें।
12. आत्म-देखभाल- अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद का पालन करें।
13. सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना- सामाजिक कार्यक्रमों और गतिविधियों में हिस्सा लें। इससे नए मित्र बनेंगे और अकेलेपन की भावना कम होगी।
14. स्वस्थ जीवनशैली अपनाना- तनाव कम करने के लिए नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और आरामदायक नींद जरूरी है।
15. रुचियों और शौक के लिए समय निकालना- अपने शौक और रुचियों को समय देकर मानसिक प्रसन्नता बढ़ाएं।
16. नकारात्मक विचारों को बदलना- नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच से बदलने का अभ्यास करें। यह मानसिक तनाव कम करने में मदद करता है।

17. मादक पदार्थों का कम सेवन- शराब, कैफीन और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन को सीमित करें, क्योंकि ये तनाव को बढ़ा सकते हैं।

अविवाहित महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य समाज के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वे इन उपायों को अपनाकर अपनी भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक भलाई को बेहतर बना सकती हैं। यदि आप मानसिक स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से जूझ रही हैं, तो बिना हिचक पेशेवर मदद लेना आवश्यक है। सही सहायता और समर्थन से अविवाहित महिलाएं खुशहाल और आत्मनिर्भर जीवन जी सकती हैं।

13.6 परित्यक्ता महिलाओं से तात्पर्य

भारत में परित्यक्ता महिलाओं के लिए जीवन एक कठिन दौर हो सकता है, जहाँ वे सामाजिक कलंक, आर्थिक असुरक्षा और कानूनी जटिलताओं का सामना करती हैं। सामाजिक दबाव और परिवार की अपेक्षाओं के कारण, परित्यक्ता महिलाओं को अक्सर मानसिक तनाव और भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

कानूनी दृष्टि से, भारतीय कानून ने परित्यक्ता महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान किए हैं, जिनमें विवाह विच्छेद के बाद भरण-पोषण, संपत्ति के अधिकार, और बच्चों की देखभाल शामिल हैं। परंतु, इन अधिकारों का सही तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और महिलाओं को इनके बारे में जागरूक करना आवश्यक है।

परित्यक्ता महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाना, उन्हें न्याय दिलाना और सामाजिक पुनर्वास के लिए समर्थन देना, समानता और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं और समाज में सम्मान के साथ जीवन जी सकती हैं।

13.6.1 भारत में परित्यक्ता की स्थिति से संबंधित आँकड़े

भारत में परित्यक्ता होना एक महिला के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत बड़ा कलंक माना जाता है। परंपरागत और नैतिक मान्यताओं के कारण, महिलाएं अक्सर हिंसक या अस्वस्थ वैवाहिक संबंधों में रहने को मजबूर होती हैं, क्योंकि तलाक लेना समाज में नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है।

तलाक की दर और सांख्यिकी

आंकड़ों के अनुसार, भारत में तलाक की दर बहुत कम है। 100 शादियों में से केवल एक शादी तलाक के कारण समाप्त होती है, जो पश्चिमी देशों की तुलना में बेहद कम है। ग्रामीण इलाकों में यह दर और भी कम पाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र महिला की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया की सबसे कम परित्यक्ता की दर (लगभग 1.1%) है।

हालांकि तलाक के मामले कम हैं, लेकिन इससे वैवाहिक हिंसा और आत्महत्या के मामले कम नहीं होते। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, 2016 से 2020 के बीच लगभग 37,000 महिलाएं वैवाहिक समस्याओं के कारण आत्महत्या कर चुकी हैं, जिनमें से केवल 7% मामले तलाक से जुड़े थे। इस संदर्भ में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है।

धार्मिक और सामाजिक भेदभाव

2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों में तलाक की दर हिंदुओं की तुलना में अधिक है। 1000 मुस्लिम महिलाओं में से लगभग 5 तलाकशुदा हैं, जबकि हिंदू महिलाओं में यह संख्या लगभग आधी है। ईसाई और बौद्ध धर्म के अनुयायियों में तलाक की दर हिंदू और मुसलमानों से अधिक देखी गई है।

समाज में परित्यक्ता को लेकर दृष्टिकोण

भारत में विवाह टूटने को एक सामाजिक अपमान के रूप में देखा जाता है, और परित्यक्ता महिलाओं को कलंकित किया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि महिलाएं कई बार अपने ही अधिकारों के लिए खामोश रह जाती हैं। यह मानसिक तनाव, सामाजिक अलगाव और आर्थिक असुरक्षा का कारण बनता है।

13.7 परित्यक्ता महिलाओं की प्रमुख समस्याऐ

परित्यक्ता महिलाओं की समस्या एक जटिल सामाजिक मुद्दा है, जिसमें कानूनी, आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी पहलू जुड़े होते हैं। भारत में परित्यक्ता महिलाओं को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं:

1. **धन आधारित निर्भरता-** अधिकांश भारतीय महिलाओं की आर्थिक स्थिति उनके पति या परिवार पर निर्भर होती है। तलाक या परित्याग के बाद आर्थिक अस्थिरता उनके लिए सबसे बड़ा संकट बन जाती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनने में कठिनाई महसूस करती हैं।
2. **दुर्व्यवहार और घरेलू हिंसा-** घर में शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हिंसा झेलने वाली महिलाएं कई बार डर और संसाधनों की कमी के कारण विवाह को तोड़ने से डरती हैं, जिससे वे लंबे समय तक हिंसक रिश्ते में फंसी रहती हैं।
3. **अनुकूल जागरूकता की कमी-** परित्यक्ता महिलाओं को अपने अधिकारों और उपलब्ध संसाधनों की जानकारी न होने के कारण कई बार न्याय पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
4. **सामाजिक कलंक-** परित्यक्ता महिलाओं को समाज में असफल या दोषी समझा जाता है। विवाह टूटने के लिए उन्हें अनुचित रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिससे वे सामाजिक अपमान और अलगाव का शिकार होती हैं।
5. **अलगाव और सामाजिक बहिष्कार-** परिवार और मित्र अक्सर इन महिलाओं से दूरी बनाकर रखते हैं, या तो उन्हें दोषी मानते हुए या सामाजिक कलंक से बचने के लिए, जिससे वे भावनात्मक रूप से और अधिक कमजोर हो जाती हैं।
6. **व्यावसायिक भेदभाव-** परित्यक्ता महिलाओं को कार्यस्थल पर भी पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। उन्हें अविश्वसनीय माना जाता है और उनके करियर के अवसर सीमित हो जाते हैं।
7. **भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक तनाव-** परित्याग की प्रक्रिया महिलाओं के लिए गहन भावनात्मक दर्द और मानसिक तनाव लेकर आती है, जिसमें अकेलापन, अपराधबोध, शर्म और अधूरापन जैसी भावनाएं शामिल होती हैं। यह तनाव सामाजिक और पारिवारिक दबाव से और बढ़ जाता है।

परित्यक्ता महिलाओं की समस्याओं का समाधान केवल कानूनी उपायों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण में भी बदलाव आवश्यक है। उन्हें आर्थिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यापक जागरूकता, सहायता नेटवर्क और नीति-निर्माण की आवश्यकता है।

13.8 परित्यक्ता महिलाओं के कानूनी अधिकार

परित्यक्ता महिलाएं भारतीय समाज में विशेष कानूनी सुरक्षा की पात्र होती हैं, जो उनकी वित्तीय सहायता, व्यक्तिगत सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा सुनिश्चित करती हैं। मुख्य कानूनी अधिकार और संरक्षण इस प्रकार हैं:

1. **भरण-पोषण आधारित अधिकार-** धारा 125, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत महिला अपने पति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है। यह वित्तीय सहायता विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होतीं, जैसे गृहिणियां।

2. **निवास संबंधी अधिकार-** तलाक प्रक्रिया के दौरान और बाद में महिला को वैवाहिक घर में रहने का अधिकार होता है, भले ही संपत्ति पति के नाम हो। यह घरेलू हिंसा या दुर्व्यवहार से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

3. **बाल हिरासत अधिकार-** तलाक के बाद अधिकांश मामलों में माताओं को बच्चों की हिरासत मिलने के मजबूत अधिकार होते हैं। न्यायालय बच्चे के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय करता है।

4. **वैवाहिक संपत्ति का वितरण-** विवाह के दौरान अर्जित संपत्ति का समान वितरण किया जाता है, हालांकि वास्तविक वितरण प्रक्रिया कई बार चुनौतीपूर्ण होती है, खासकर जब एक पक्ष आश्रित हो।

5. **गुजारा भत्ता (वैवाहिक सहायता)-** तलाक के बाद जीवन स्तर बनाए रखने के लिए पति या पत्नी को गुजारा भत्ता देने का प्रावधान है। यह उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से जरूरी होता है, जिन्होंने करियर छोड़कर परिवार की देखभाल की हो।

6. **बच्चों का संरक्षण और सहायता-** न्यायालय बच्चों की स्थिरता और भलाई के लिए हिरासत और बाल सहायता सुनिश्चित करता है। महिलाएं अक्सर प्राथमिक या संयुक्त हिरासत की मांग करती हैं ताकि बच्चे से उनके संबंध मजबूत रहें।

7. **पारिवारिक हिंसा से सुरक्षा-** घर में हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए निरोधक आदेश, आपातकालीन हिरासत आदेश आदि कानूनी सुरक्षा उपलब्ध हैं, जो तलाक की कार्यवाही में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

अतिरिक्त संसाधन एवं सहायता

सरकारी विभाग और आयोग: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, तथा राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) परित्यक्ता महिलाओं के लिए नीतियां, योजनाएं और रिपोर्ट प्रदान करते हैं।

- **गैर सरकारी संगठन (NGOs)**: कई NGOs परित्यक्ता महिलाओं को आश्रय, कानूनी सहायता और पुनर्वास प्रदान करते हैं। प्रमुख NGO उदाहरण हैं:
  - **स्नेह (SNEH)**: आश्रय एवं पुनर्वास सेवाएं।
  - **जागृति महिला समिति**: कानूनी सहायता और परामर्श।
  - **क्राई (CRY)**: बाल अधिकारों के लिए कार्यरत, बच्चों के संरक्षण में सहायता।

13.9 विधवा का अर्थ एवं अवधारणा

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 5.6 करोड़ महिलाएं विधवा हैं। विश्व विधवा दिवस हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। विधवा वह महिला होती है जिसका पति मृत्यु के बाद पुनर्विवाह किए बिना जीवन व्यतीत करती है।

ऐतिहासिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य:

- **प्राचीन भारत में विधवा पुनर्विवाह:** प्राचीन काल में भारत में विधवा पुनर्विवाह को समाज में स्वीकार किया जाता था।
- **परिवर्तन और प्रतिबंध:** समय के साथ परंपरागत समाज में विधवा के पुनर्विवाह पर रोक लगा दी गई।
- **1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम:** इस कानून ने विधवा स्त्री को पुनः विवाह करने का अधिकार दिया तथा पुनर्विवाह से उत्पन्न संतान को वैधानिक मान्यता प्रदान की।
- **वर्तमान स्थिति:** आज भी कुछ समुदायों में विधवाओं का पुनर्विवाह कानूनी रूप से संभव है।

विधवाओं के वर्गीकरण राम आहूजा के अनुसार

1. विवाह के 1-2 वर्ष बाद विधवा होना।
2. विवाह के 5-10 वर्ष बाद विधवा होना।
3. 50 वर्ष की उम्र के बाद विधवा होना।

सामाजिक स्थिति और समस्याएं:

- **सामाजिक कलंक:** विधवाओं को अक्सर समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है।

- **प्रतिबंध:** विधवाओं को अनेक सामाजिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है।
- **उत्पीड़न:** हिंसा, गाली-गलौच, लैंगिक दुर्व्यवहार, संपत्ति से वंचित करना, सामाजिक समारोहों से बाहर रखना आदि।
- **शक्ति, संपत्ति और कामवासना:** ये तीन कारक विधवाओं के उत्पीड़न में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
- **आयु और शिक्षा:** युवा विधवाओं को अधिक अपमानित और तंग किया जाता है, अधेड़ विधवाओं की तुलना में उनका शोषण ज्यादा होता है।
- **लैंगिक दुर्व्यवहार:** युवा विधवाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न की अधिक संभावना होती है, जिससे वे और भी असुरक्षित होती हैं।

विधवा महिलाओं का जीवन सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से अत्यंत जटिल होता है। उनके पुनर्विवाह के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा के बावजूद, वे भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करती हैं। युवाओं को विशेष रूप से अधिक संरक्षण की आवश्यकता है ताकि उनका शोषण रोका जा सके और वे समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकें।

13.10 विधवा महिलाओं की समस्याऐ

1. **संपत्ति के वैध हिस्से से वंचित करना-** विधवाओं को परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उनकी संपत्ति से बेदखल किया जाता है। आर्थिक दबाव बनाकर उन्हें अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। लगभग केवल 50% महिलाएं ही भूमि आदि संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर पाती हैं।
2. **बच्चों के साथ दुर्व्यवहार-** विधवा के बच्चों के साथ खान-पान, रहन-सहन, शिक्षा, पहनावे में भेदभाव होता है। बच्चों को सौतेले बच्चे जैसा व्यवहार दिया जाता है, जो विधवा महिला के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
3. **अच्छे कपड़ों और सज-धज पर रोक-** विधवाओं को परंपरागत रूप से तड़क-भड़क वाले कपड़े पहनने या सजने-संवरने से रोका जाता है। उन्हें जीवन में सादगी और सीमितता के लिए मानसिक रूप से मजबूर किया जाता है।
4. **परिवार के सदस्यों द्वारा धोखाधड़ी-** विधवा को संपत्ति, जीवन बीमा, प्रोविडेंट फंड, व्यापार आदि से संबंधित जानकारी की कमी का फायदा उठाकर परिवार के सदस्य धोखा देते हैं और संपत्ति हड़पने की कोशिश करते हैं।

5. **भय और असुरक्षा का वातावरण-** परिवारिक अशांति या झगड़ों के कारण विधवा महिला को असुरक्षा का भय सताता है। कई बार उसे धमकाया या डराया भी जाता है।
6. **परिवार की जिम्मेदारी-** पति की मृत्यु के बाद बच्चे की परवरिश और परिवार के अन्य आर्थिक-सामाजिक दायित्व विधवा महिला पर ही आते हैं, जिससे वह कई कठिनाइयों और विषमताओं का सामना करती है।
7. **तनाव और अवसाद-** परिवार और समाज से समर्थन न मिलने पर विधवा महिला तनाव और मानसिक अवसाद में जा सकती है, जिससे उसका जीवन अत्यंत दुखदायी हो जाता है।
8. **आर्थिक समस्याएँ-** कम पढ़ी-लिखी या बेरोजगार विधवाएं आर्थिक संकट से जूझती हैं। आर्थिक तंगी के कारण वे अपने बच्चों की शिक्षा तक नहीं दे पातीं और बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर हो जाती हैं।
9. **पुनर्विवाह को नामंजूरी-** कुछ समुदायों में विधवाओं के पुनर्विवाह पर प्रतिबंध होता है। यदि वे पुनर्विवाह भी कर लें, तो परिवार और समाज द्वारा उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया जाता है।

विधवा महिलाओं के जीवन में सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक और कानूनी अनेक चुनौतियां हैं। इनके समाधान के लिए सामाजिक जागरूकता, कानूनी संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक हैं। विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना, उन्हें उचित संपत्ति अधिकार देना, और सामाजिक भेदभाव खत्म करना भी आवश्यक है।

13.11 विधवाओं के प्रति उत्पीड़न के कारण

महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराध विश्वव्यापी समस्या हैं, और भारत में यह तेजी से बढ़ रहे हैं। हर वर्ष महिलाओं के खिलाफ अपराध लगभग 20% की दर से बढ़ रहे हैं। कुल अपराधों में से लगभग 7% अपराध महिलाओं के विरुद्ध होते हैं। विधवाएं, सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अक्सर अपने उत्पीड़न की शिकायत नहीं कर पातीं और चुप रहती हैं।

1. **संपत्ति की लालसा-** विधवा महिलाओं की संपत्ति पर नजर रखने वाले पुरुष सदैव हावी रहते हैं, और अक्सर संपत्ति हड़पने के लिए उत्पीड़न करते हैं। यह लालसा उत्पीड़न का प्रमुख कारण होती है।
2. **कामवासना की पूर्ति-** कई बार पुरुष विधवा महिलाओं के साथ यौन संबंध स्थापित करने की इच्छा से उत्पीड़न करते हैं। यदि यह इच्छा पूरी नहीं होती, तो वे हिंसक व्यवहार भी कर सकते हैं।

3. **पारिवारिक वैमनस्य-** परिवार में मनमुटाव और द्वेष होने पर विधवा महिलाओं को अक्सर शिकार बनाया जाता है। परिवार के अंदर लड़ाई-झगड़े में वे दबाव और उत्पीड़न का सामना करती हैं।
4. **पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति-** भारतीय समाज में पुरुष प्रधानता है, जहाँ महिलाओं को गौण स्थान दिया जाता है। विधवाओं की स्थिति अन्य महिलाओं की तुलना में और भी दयनीय होती है।
5. **सामाजिक कुप्रथाएं-** बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह का अभाव, सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुप्रथाएं विधवाओं के उत्पीड़न को बढ़ावा देती हैं और उनकी स्वतंत्रता और सम्मान को कम करती हैं।

कानूनी सुरक्षा:

भारतीय दंड संहिता और व्यक्तिगत विधि में महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए प्रावधान हैं।

- **घरेलू हिंसा (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005)**- भारत सरकार द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून है, जो महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। यह कानून महिलाओं के जीवन में मील का पत्थर साबित हुआ है, जिससे वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकती हैं।

भारत में महिलाओं, विशेषकर विधवाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और उत्पीड़न को रोकने के लिए सामाजिक सोच में बदलाव, कड़े कानूनी प्रावधानों का क्रियान्वयन, और महिलाओं का आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण आवश्यक है। साथ ही, कुप्रथाओं का उन्मूलन और सामाजिक जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है ताकि महिलाएं सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन यापन कर सकें।

13.12 विधवाओं के प्रति हिंसा एवं उत्पीड़न को रोकने के उपाय

1. विधवा शरणस्थलों की व्यवस्था- सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को विधवाओं के लिए सुरक्षित, स्थायी और अस्थायी आश्रय स्थल बनाने चाहिए, जहां वे उत्पीड़न, धमकियों और हिंसा से बच सकें।
2. महिला संगठनों की सक्रिय भूमिका- अधिक से अधिक महिला संगठन स्थापित किए जाएं जो विधवाओं को कानूनी, आर्थिक और मानसिक सहायता प्रदान करें। ये संगठन परिवारों पर सामाजिक दबाव डालकर उत्पीड़न के मामलों को सुलझाने में मदद करें।

3. परामर्श और निशुल्क कानूनी सहायता- सरकार को विधवा महिलाओं के लिए निशुल्क कानूनी परामर्श और वकीलों की व्यवस्था करनी चाहिए जो उनके पक्ष में मुकद**में** लड़ सकें। यह संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 39-क के तहत सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
4. महिला थाने और विशेष न्यायालय- महिलाओं की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निपटारा हो इसलिए महिला थाने और विशेष महिला न्यायालयों की स्थापना आवश्यक है।
5. सुरक्षा एवं पुनर्वास सुविधाएँ- विधवाओं के लिए सुरक्षित छात्रावास और पुनर्वास केंद्र बनाएं जाएं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और हिंसा से बची रहें।
6. महिला विकास प्रकोष्ठ की स्थापना- सरकार या न्यायालयों द्वारा महिला विकास प्रकोष्ठ बनाए जाएं जो हिंसा के मामलों में क्षतिपूर्ति और सहायता प्रदान करें तथा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें।
7. महिलाओं का सशक्तिकरण- विधवा महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, संपत्ति एवं कानूनी अधिकारों में सशक्त बनाया जाए ताकि वे आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और हिंसा की संभावनाएँ कम हों।

इन उपायों का समन्वित क्रियान्वयन ही महिलाओं के प्रति हिंसा को कम करने और उन्हें सुरक्षित, सम्मानित जीवन प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अहिंसा की सोच और व्यवहार को बढ़ावा देना समाज के प्रत्येक स्तर पर अत्यंत आवश्यक है।

बोध प्रश्न

र. घरेलू हिंसा से स्ट्री का संरक्षण कानून पारित किया गया?

- 13 सितंबर, 2005
- 14 दिसंबर 2006
- 10 जनवरी 2010
- 2 अक्टूबर 2004

ल. हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ?

- 1860
- 1886
- 1856
- 1976

ळ. विश्व विधवा दिवस का आयोजन कब किया जाता है?

- 22 जुलाई
- 23 जून
- 15 अगस्त
- 2 अक्टूबर

ऴ. अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब मनाया गया?

- 8 मार्च 2014
- 9 मार्च 2014
- 10 मार्च 2014
- 11 मार्च 2014

व. एकलता का संबंध स्वैच्छिक और बाध्यतामूलक है, किसने कहा है?

- कृष्णा कुमारी
- शर्मा
- प्रकाश
- वेबर

श. एकाकीपन का कारण नहीं है?

- सामाजिक दबाव
- करियर की चिंता
- अकेलेपन की भावना
- रिश्तों की कमी

ष. परित्यक्त महिलाओं को आश्रय व पुनर्वास सेवाएं कौन प्रदान करता है?

- जागृति महिला समिति
- क्राई
- NGO
- स्नेह

13.13 सारांश

हिंदू विवाह को सिविल संविदा के रूप में परिवर्तित करने में हिंदू विवाह संशोधन कानून, 1976 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई की है। विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष एवं वधू की आयु 18 वर्ष निर्धारित

की गई है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पति पत्नी के विवाह का पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। हिंदू विवाह कानून 1955 की धारा-9 में दाम्पत्य अधिकार पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक अपेक्षाओं या लक्ष्यों को बताया गया है। इसमें बताया गया है कि किन्हीं कारणों से अगर पति-पत्नी अलग-अलग रहने लग गए हो, उनमें मनमुटाव हो गया हो तो इन दोनों के मध्य आपसी समझौता करवाकर दोनों साथ-साथ रहने लगें यह प्रयास किया जाए।

विधवाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे हिंसा की भावनात्मक यातना का, अपशब्दों का, मारपीट का, लैंगिक दुर्व्यवहार का, संपत्ति से वंचित किया जा सकता है, इससे बच्चों का शोषण हो सकता है। उनके उत्पीड़न के कई कारण है जैसे महिलाओं का निर्बल होना, संपत्ति की लालसा, कामवासना, पारिवारिक वैमनस्य, अशिक्षा, सामाजिक कुप्रथाएं आदि। विधवाओं के प्रति किए जाने वाले उत्पीड़न को आश्रम की व्यवस्था करके, महिला संगठनों की प्रभावी सक्रियता से कानूनी सहायता एवं संरक्षण से, शिक्षा की समुचित व्यवस्था से रोका जा सकता है।

13.14 परिभाषित शब्दावली

अलगाव- अलगाव का अर्थ है अलग होने की स्थिति या प्रक्रिया। यह एक ऐसी स्थिति है जहां कोई व्यक्ति या समूह किसी अन्य व्यक्ति, समूह या समाज से भावनात्मक, सामाजिक या शारीरिक रुप से दूर हो जाता है।

घरेलू हिंसा- घरेलू हिंसा वह हिंसा है जो पीड़ित के परिवार के किसी सदस्य द्वारा पीड़ित को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, अशब्दिक एवं शाब्दिक रुप से नुकसान पहुंचाया जाता है।

महिला विकास प्रकोष्ठ- महिला विकास प्रकोष्ठ एक ऐसा संगठन है जो महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए काम करता है।

अवसाद- अवसाद का अंग्रेजी अर्थ डिप्रेशन है। यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति उदास, निराश और उत्साहहीन महसूस करता है।

पारिवारिक वैमनस्य- पारिवारिक वैमनस्य का अर्थ है परिवार के सदस्यों के बीच आपसी भेदभाव, शत्रुता या दुश्मनी।

13.15 अभ्यासार्थ प्रश्न के उत्तर

बोध प्रश्न

i) 13 सितंबर, 2005

ii) 1856

iii) 23 जून

iv) 9 मार्च 2014

v) प्रकाश

vi) करियर की चिंता

vii) स्नेह

13.16 संदर्भ ग्रंथ

1. अकेली भारतीय महिला को होने वाली समस्याएं। https://hindiboldsky.com>....>pulse 11 Dec. 2014.

2. कृष्णा कुमारी, एन.एस. (1987) स्टेट्स ऑफ सिंगल वुमैन इन इंडिया, ए स्टडी ऑफ द स्पिनस्टर्स, विडोस एण्ड डाइवोर्सिज, नई दिल्ली, उप्पल पब्लिशिंग हाउस

3. जेठानी, उर्मिला (1994), सिंगल वुमैन, जयपुर, रावत पब्लिकेशंस।

4. प्रकाश इन्दू, (1991), इंडियन वुमैन: द पावर ट्रैप्ड, नई दिल्ली, गैलेक्सी पब्लिकेशंस।

13.17 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. डा0 राजकुमार, नारी के बदले आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस 2005।

2. उमा शुक्ल, भारतीय नारी अस्मिता की पहचान, पृष्ठ संख्या 14।

3. काशी गोपाल श्रीवास्तव, क्या महिलाओं की स्थिति में सुधार संभव है?, योजना, मई 2002, पृष्ठ 35-36।

4. उत्तरा, महिला पत्रिका, अंक मार्च 2009, सितम्बर 2005, 2006।

13.18 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. अविवाहित महिलाओं की समस्याओं पर प्रकाश डालिए?
2. परित्यक्ता महिलाओं की प्रमुख समस्याऐ ज्ञात कीजिए?
3. विधवाओं के प्रति उत्पीड़न के क्या-क्या कारण है?

13.19 निबंधात्मक प्रश्न

1. भारत में महिलाओं की समस्या पर प्रकाश डालते हुए, महिलाओं के उत्पीड़न के कारणों को ज्ञात कीजिए?
2. पितृसत्तामक समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए क्या-क्या प्रयास करने चाहिए?
3. महिलाओं के प्रति समाज में बढ़ते हुई हिंसा एवं उत्पीड़न को रोकने के उपायों का सविस्तार वर्णन कीजिए?

इकाई–14 महिला स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रमुख समस्यायें एवं निराकरण

Major Problems related to women health and their Solutions

इकाई की रूपरेखा

14.1 प्रस्तावना

14.2 उद्देश्य

14.3 महिला स्वास्थ्य की प्रमुख समस्यायें

14.3.1 प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य समस्यायें

14.3.2 पोषण सम्बन्धित समस्यायें

14.3.3 हृदय रोग

14.3.4 कैसर

14.3.5 ऑस्टियोपोरोसिस

14.3.6 मानसिक स्वास्थ्य समस्यायें

14.4 महिला स्वास्थ्य में सुधार के उपाय एवं निराकरण

14.5 सारांश

14.6 पारिभाषिक शब्दावली

14.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

14.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

14.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

14.10 लघु उत्तरीय प्रश्न

14.11 निबंधात्मक प्रश्न

14.1 प्रस्तावना

जैसा कि हम सब जानते है कि महिलायें किसी भी समाज का एक अभिन्न अंग होती है। समाज के आधे भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक महिला जब स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होगी तभी सम्पूर्ण समाज विकास एवं प्रगति की ओर अग्रसर होगा। चूकि एक महिला किसी भी समाज तथा परिवार का केन्द्र बिन्दु होती है। अत: उनका स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसे वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप समझना आवश्यक हो जाता है। स्वास्थ्य किसी भी समाज की उन्नति का एक मूल आधार होता है। एक महिला के स्वास्थ्य के साथ पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास भी जुड़ा होता है। प्राय: ऐसा देखा गया है कि एक महिला को अपनी सम्पूर्ण जीवन काल में सदैव किसी न किसी रूप में अनेक स्वास्थ्य समस्याओं अथवा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यद्यपि सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा इन समस्याओं के समाधान एवं निराकरण से सम्बन्धित अनेक प्रयास किये जाते है किन्तु आज भी महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी अनेक समस्यायें ऐसी है जिनका सामना उन्हे अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन करना पड़ता है। यद्यपि भारत में महिला के स्वास्थ्य की स्थिति में पिछले कुछ दशको से आवश्यक सुधार भी हुए है किन्तु आज भी कई गम्भीर चुनौतियॉ ऐसी है जो प्रतिदिन उनके समक्ष परिलक्षित होती रहती है। उदाहरण के तौर पर यदि बात करे तो आज भी अधिकांश घरों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिलायें एनिमिया, कुपोषण एवं प्रजनन सम्बन्धित समस्याओं से अत्यधिक ग्रस्त है। अत: प्रस्तुत अध्याय का मुख्य उद्देश्य महिला स्वास्थ्य से जुड़ी अनेक समस्याओं की पहचान करना, उनके कारणों को समझने के साथ-साथ समस्याओं के निराकरण एवं समाधान पर प्रकाश डालना है।

14.2 उद्देश्य

इस अध्याय के पढ़ने के पश्चात आपके द्वारा समझना सम्भव होगा।

1. महिला स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली प्रमुख स्वास्थ्य समस्यायें।
2. महिला स्वास्थ्य को सुधारने के उपाय।
3. स्वास्थ्य समस्या के निराकरण के उपाय।

14.3 महिला स्वास्थ्य की प्रमुख समस्यायें

परिवार और समाज की केन्द्र बिन्दु होने के कारण एक महिला एवं महिला के स्वास्थ्य का प्रभाव सम्पूर्ण समाज एवं परिवार पर पड़ता है। सरल शब्दों में यदि कहे तो महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक महिलाओं के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति में तो प्रभाव डालते ही है साथ ही उसके

आस-पास के वातावरण को भी प्रभावित करते है। महिला स्वास्थ्य के सन्दर्भ में प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी जटिलताएॅ जैसे असुरक्षित गर्भपात, माहावारी सम्बन्धी विकार, प्रसव सम्बन्धी बिमारिया, कुपोषण, एनिमिया, मानसिक तनाव एवं यौन संचरित रोग आदि प्रमुख स्वास्थ्य समस्यायें है। महिला के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली प्रमुख समस्याओं को निम्नांकित आधारों पर समझा जा सकता है।

14.3.1 प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य समस्यायें (Reproductive health Issues)

महिलाओं के सम्पूर्ण स्वास्थ्य में प्रजनन सम्बन्धित स्वास्थ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रजनन स्वास्थ्य न केवल एक महिला को शारीरिक रूप से प्रभावित करता है बल्कि उनकी मानसिक स्थिति के साथ सामाजिक स्थिति को भी गहराई से प्रभावित करता है। महिलाओं में प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य समस्यायें निम्न प्रकार है।

1. महावारी सम्बन्धी विकार– अत्यधिक रक्तश्राव, पीड़ादायी महावारी, अनियमित मासिक धर्म, मासिक धर्म देर से शुरू होना आदि।
2. गर्भधारण एवं प्रसव सम्बन्धित जटिलताये– रक्तल्पता, उच्च रक्तचाप, समय पूर्व प्रसव, शिशु एवं मातृ मृत्यु।
3. प्रजनन पथ संक्रमण (RTI) और यौन संचारित संक्रमण (STI)

प्रजनन पथ संक्रमण और यौन संचारित संक्रमण विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते है। विभिन्न प्रकार बैक्टरिया, और वाइरस के द्वारा प्रजनन प्रणाली को प्रभावित करते है। कई बार ये संक्रमण यौन सम्पर्क के बिना भी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते है, जिसमें मुख्य रूप अस्वच्छता, असुरक्षित प्रसव, प्रसवोपरान्त संक्रमण, या अस्वच्छ शौचालय प्रमुख है। जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं में बाझपन, पैल्विक दर्द, गर्भाशय की बिमारिया तथा एच आई वी जैसी गम्भीर बिमारिया भी परिलक्षित होने लगती है। यौन संचारित संक्रमण प्राय: असुरक्षित यौन सम्पर्क से संचारित होते है जिसमें मुख्य रूप से क्लैमाइडिया, गोनोरिया, सिफलिस, हयूमन इम्यूनोडेफिशिंएसी वायरस (एच.आई.वी.) हयूमन पेपिलोमावायरस (एच.पी.वी.) तथा ट्राइकोमोनिएसिस प्रमुख है।

14.3.2 पोषण सम्बन्धित समस्यायें

सम्पूर्ण विश्व में विशेष रूप से विकासशील देशों में महिलायें पोषण सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याओं से सबसे ज्यादा प्रभावित है। पोषण की कमी एक महिला के शरीर एवं जीवन दोनों को ही विशेष रूप से प्रभावित करते है। भारतीय समाज में महिलायें विशेष रूप से गर्भवती महिलायें व किशोरिया रक्त की कमी या एनिमिया से ग्रसित होती है। भोजन में पोषक तत्वों की कमी या आयरन व फोलिक एसिड की

अपर्याप्तता से भी कई बार एनिमिया की समस्या उत्पन्न होने लगती है। डॉ0 सिंह के अनुसार, "हमारे देश में जनसंख्या का अधिकांश भाग कुपोषण का शिकार है। यही कारण है कि देश की लगभग 50 प्रतिशत लड़कियां व 20 प्रतिशत लड़के 1 से 5 वर्ष की आयु में ही कुपोषण का शिकार हो जाते है।"[1] साथ ही उनका मानना है कि "कुपोषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण स्त्री व पुरूषों के आहार में भिन्नता का पाया जाना है। अधिकांश परिवारों में महिलाओं को जहॉ अत्यधिक क्रियाकलापों का संपादन करना पड़ता है। उनकी खुराक पर पुरूषों की अपेक्षा बहुत कम ध्यान दिया जाता है भले ही पुरूषों के क्रियाकलाप महिलाओं की तुलना में सीमित ही क्यों न हों, आहार में उचित मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज, लबण, आयरन तथा कार्बोहाइडेड न मिल पाने के कारण भी कुपोषण होता है तथा इन पौष्टिक तत्वों की उचित मात्रा के अभाव में बीमारिया उत्पन्न हो जाती है।"[2]

महिलाओं में कुपोषण के प्रमुख कारण ।

01. निर्धनता
02. खाद्य असुरक्षा
03. लैगिक भेदभाव
04. सांस्कृतिक रीतिरिवाज एवं प्रथायें
05. बाल विवाह या कम उम्र में विवाह
06. शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव
07. स्वास्थ्य सेवाओं की कमी या अपर्याप्तता
08. पोष्टिक अहार की कमी
09. अत्यधिक कार्यभार या मानसिक तनाव

पोषण की कमी का प्रभाव :-

01.एक महिला के भोजन में पोष्टिक तत्वों की कमी से बॉडी मास इंडेक्स (बी एम आई) कम हो जाता है जिससे शारीरिक विकास विशेष रूप से किशोरियों में अवरूद्ध होने लगता है। साथ ही शरीर अत्यधिक कमजोरी का अनुभव करने लगता है।

02.पोषण की कमी से शरीर को विकास के लिए आवश्यक विटामिन जैसे– आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए और फोलिक एसिड जैसे आवश्यक तत्वों की कमी होने लगती है तथा जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और गम्भीर परिणाम उत्पन्न हो सकते है। एक महिला में पोषण सम्बन्धी कमिया प्राय: मासिक धर्म के समय, गर्भवस्था व स्तनपान के समय अत्यधिक देखने को मिलती है।

03.कई बार महिलाओं के स्वास्थ्य को अतिपोषक भोजन से भी गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें मुख्य रूप से अत्यधिक मोटापा, मधुमेंह व हृदय सम्बन्धित रोग प्रमुख है।

04.पोषण तत्वों की कमी के कारण महिलायें खून की कमी या रक्तल्पता जैसी बिमारियों से ग्रसित है जो उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे 2016 के अनुसार भारत में हर तीसरी महिला को खून की कमी है। 45 हजार महिलाएं हर वर्ष प्रसव के दौरान मर जाती है, उत्तर प्रदेश मं 50 प्रतिशत महिलाऍ एनीमिक है तो बिहार में हर साल साढ़े सात हजार महिलाऍ गर्भावस्था और प्रसव के दौरान मर जाती है।[3]

05.समयपूर्ण प्रसव एवं कम वजन वाले शिशु का जन्म

06.मासिक धर्म में अनियमितताऍ

07.बाझपन की समस्या

08.कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली

14.3.3 हृदय रोग

आधुनिक जीवन शैली एवं तनावपूर्ण दिनचर्या के कारण महिलायें न केवल प्रजनन या पोषण सम्बन्धी समस्याओं से जूझ रही है बल्कि उनमें हृदय से सम्बन्धित रोग भी उनके लिए चुनौतियॉ बनी हुई है। इनमें मुख्य रूप से कोरोनरी धमनी रोग, दिल का दौरा तथा स्ट्रोक शामिल है। हृदय रोग होने का कारण उच्च रक्तचाप, व्यायाम की कमी, अत्यधिक धूम्रपान तथा अस्वस्थ्यकर आहार व शारीरिक निष्क्रयता को माना जा सकता है।

14.3.4 कैंसर

जब शरीर में असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि होने लगती है तब कैंसर जैसी बिमारियों के लक्षण उत्पन्न होने लगते है। महिलाओं में प्राय: स्तन कैंसर तथा गर्भाश्य ग्रीवा का कैसर प्रमुख है। स्तन कैंसर ने प्राय: एक महिला के स्तन कोशिकायें में अनियंत्रित रूप से वृद्धि होने लगती है जो प्राय: टयूमर का आकार लेने लगती है। परिणामस्वरूप स्तन में गॉठ बनने लगती है और स्तन के आकार या स्वरूप में परिवर्तन होने लगता है साथ ही स्तन के निप्पलों से स्त्राव भी होने लगता है, जो रक्त वाहिकाओं के द्वारा शरीर के अन्य भागों में भी फैलने लगती है। इसी प्रकार गर्भाशय ग्रीवा कैंसर योनी के ऊपरी भाग से शुरू होने वाला कैंसर है। इस कैंसर के परिणामस्वरूप योनी से असमान्य दुर्गंधयुक्त रक्तश्राव होने लगता है।

14.3.5 ऑस्टियोपोरोसिस

ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी गम्भीर बीमारी है जो महिलाओं विशेष रूप से 40 उम्र से ऊपर की महिलाओं की एक आम समस्या है। इस रोग में हड्डिया अत्यधिक कमजोर हो जाती है तथा एक साधारण चोट से ही हडडिया टूटने लगती है।

आस्टियोपोरोसिस के प्रमुख कारण –

01. आयु बढ़ने के साथ-साथ मानव शरीर की हडियॉ कमजोर होने लगती है। ऐसे में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ने लगता है। महिलायें इस समस्या से अधिक पीड़ित होती है।

02. रजोनिवृत्ति – महिलाओं को रजोनिवृत्ति (Menopause) के बाद इस समस्या का ज्यादा सामना करना पड़ता है, इसका मुख्य कारण महिलाओं के हार्मोन में आने वाला परिवर्तन भी माना जा सकता है।

03. पोषण की कमी – विटामिन डी एवं कैल्शियम की प्रचुर मात्रा हड्डियों को शक्तिशाली बनाती है जब हमारे भोजन में इन दोनों पोषण तत्वों की कमी होती है, तब हड्डिया कमजोर होने लगती है तथा टूटनें लगती है।

04. निष्क्रिय जीवन शैली – निष्क्रिय जीवन शैली भी ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बिमारियो को जन्म देती है। अत: आवश्यक है कि नियमित व्यायाम एवं सैर को अपने जीवन का प्रमुख हिस्सा बनाना आवश्यक है।

14.3.6 मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ

महिलाओं के स्वास्थ्य की प्रमुख समस्याओं की यदि बात करे तो आज मानसिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित गम्भीर समस्यायें समाज एवं परिवार में परिलक्षित हो रही है। समाज तथा परिवार द्वारा प्रदत कार्य, भावनात्मक जिम्मेदारियॉ, सामाजिक अपेक्षायें, हिंसा एवं शोषण विशेष रूप से घरेलू हिंसा जैसी परिस्थितियों में कई बार महिलायें अवसाद और चिन्ता जैसे मानसिक विकारों से पीड़ित होने लगती है। परिणामस्वरूप एक महिला का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। इस सम्बन्ध में चतुर्वेदी जी का मानना है कि "महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति में उनकी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनो परिस्थितियों को शामिल किया गया है।" इस पर जीव-वैज्ञानिकों और शारीरिक समस्याओं के अतिरिक्त उनकी आवश्यकताओं और क्षमताओं के बारे में समाज के जो वर्तमान मानक एवं धारणाएँ है उनका भी प्रभाव पड़ता है। इन धारणाओं को प्रसूतिकालीन देखभाल सेवाओं सहित निरोधक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की व्यवस्था और उपयोग पर प्रभाव पड़ता है।[4] "सांस्कृतिक मानदण्ड का

महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। विवाह के प्रति दृष्टिकोण, विवाह की आयु, जनन क्षमता की दर, बच्चे का लिंग, पारिवारिक संगठनों की अभिरचना, परिवार में महिलाओं का स्थान व सामाजिक मान्यताओं के अनुसार महिला की उपेक्षित भूमिका। इन सभी कारणों का अत्यधिक जनसांख्यिकीय महत्व है। कम आयु में का सांस्कृतिक आग्रह, उच्च जनन क्षमता, माता व गृहणी की भूमिका का आदर्शीकरण महिला के शारीरिक एवं मानसिक दोनों स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।''[5] महिलायें चाहे घर पर हो या घर से बाहर जाकर कार्य करती हो, कई बार उनके समक्ष ऐसी परिस्थितियॉ उत्पन्न होने लगती है, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न तथा यौन शोषण इत्यादि सबसे ज्यादा महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर अपना दीघर्कालीक प्रभाव द्दोड़ती है। महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव को निम्नांकित आधार पर समझा जा सकता है।

1. अवसाद, निराशा, थकान, आत्मक्षति या आत्महत्या के विचारों की उत्पत्ति।
2. फोबिया, तनाव या चिन्ता, पैनिक अटैक, बेचैनी, घबराहट तथा दिल की धड़कनों का अनियन्त्रित होना।
3. अनिद्रा की समस्या एवं चिड़चिड़ापन होना।
4. PTSD (Post Traumatic stress Disorder) होना, तथा सिजोफ्रिनिया से ग्रसित होना जिसमें महिला को बुरे सपने आने लगते है, तथा व्यक्ति के सोचने-समझने की शक्ति भी प्रभावित होने लगती है।

बोध प्रश्न के उत्तर –

01. एच.आई.वी का पूर्ण रूप या पूरा नाम क्या है ?
02. एच.पी.वी. का पूरा नाम क्या है ?
03. ऑस्टियोपोरोसिस से शरीर में क्या लक्षण उत्पन्न होते है ?

14.4 महिला स्वास्थ्य में सुधार के उपाय एवं निराकरण

यदि समाज की महत्वपूर्ण इकाइयों के सन्दर्भ में बात करे तो एक महिला और पुरूष समान रूप से समाज के विकास और प्रगति में अपनी-अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निवर्हन करते है। ''स्वास्थ्य का अर्थ शारीरिक, मानसिक, व सामाजिक समृद्धि से है न कि बीमारियों की अनुपस्थिति से, इसका मतलब है कि केवल शरीर से स्वस्थ्य होना ही नही, बल्कि हमारा मस्तिष्क स्वस्थ्य हो और हम अपने स्वस्थ कार्यो से जीवन व्यतीत करके अपने परिवार, पड़ोस व दूसरे समुदायों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सके।''[6] कहने का आश्य यह है कि जब हम एक समाज के विकास की बात करते है तो आवश्यक है कि सबसे पहले

समाज में निवासरत व्यक्तियों के सर्वागीण विकास को प्राथमिकता दी जाये, स्वास्थ्य एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जो एक मानव के जीवन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चूकि महिलायें किसी भी समाज या परिवार का मुख्य केन्द्र बिन्दु होती है। अत: महिला स्वास्थ्य से सम्बन्धित अनेक समस्याओं के निराकरण एवं समाधान के लिये बहुआयामी उपायों को किया जाये, वर्तमान समय में सरकारी और गैर सरकारी कई ऐसे उपाय है जो एक महिला के स्वास्थ्य की प्रमुख समस्याओं के निराकरण एवं समाधान के उपायों के लिए तत्पर है। निम्नांकित उपायों के आधार पर इसे समझा जा सकता है।

01. प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में निम्नलिखित कार्यक्रमों को समाविष्ट किया गया था।[7]

01 स्वास्थ्य हेतु भौतिक सुविधाओं का विस्तार (मातृत्व व शिशु कल्याण केन्द्र खोलने सहित)

02 परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरूआत

03 संक्रामक बीमारियों (मलेरिया, फाइलेरिया, टी.बी., लेप्रोग्रेसी) पर नियन्त्रण

04 प्रशिक्षण हेतु सुविधाएँ प्रदान करना (महिलाओं को स्वास्थ्य, वैयक्तिक प्रशिक्षण देने पर अधिक ध्यान दिया गया था। जिसमें नर्से, धात्री के रूप में सहायक नर्से, हैल्थ विजिटर्स तथा दाई आदि शामिल थी।)

02. पंचम पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भिक[8] उद्देश्य उपेक्षित वर्गो, यथा-बच्चों, गभवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली माताओं हेतु परिवार नियोजन एवं पोषण के साथ न्यूनतम जन स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करके प्रदान करना था। माताओं के स्वास्थ्य पर विशेष बल देने हेतु इस अवधि के दौरान अनेक योजनाओं प्रारम्भ की गई। भारत में स्वास्थ्य में नियोजित विकास के प्रथम ढाई दशक के लिये निर्देशित सिद्धान्तों में इन मापों को समाविष्ट किया गया-

01. जनसंख्या हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुगम बनाना।

02. आवश्यक मानवीय संसाधनों का विकास

03. मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सहित स्वास्थ्य हेतु सेवाओं का प्रावधान

03. "महिलाओं हेतु स्वास्थ्य सुरक्षा, 1977-87"[9]

द्ठी एवं सातवी पंचवर्षीय योजनाओं में स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रमुख व्यूह रचनाओं को जिसमें महिलायें भी सम्मिलित थी, उन्हे जारी रखा गया –

01 भौतिक आधारभूत ढॉचे का विस्तार

02 स्वास्थ्य प्रशिक्षण मानव शक्ति की उपलब्धता में वृद्धि

03 अन्य बिमारियों की भॉति संक्रामक रोगों हेतु सेवाओं को सशक्त करना

04 मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं की ही भाति परिवार नियोजन का प्रावधान

04. जननी सुरक्षा योजना- [10]

इस योजना की शुरूआत 12 अप्रैल सन् 2005 के दौरान की गई है एवं 21 प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है। जननी सुरक्षा योजना के अन्र्तगत गर्भवती प्रसूता तथा स्तनपान करा रही महिलाएॅ काफी लाभान्वित होगी। यह योजना को राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (एन.एम.बी.एस.) का संशोधित रूप कहा जा सकता है। जननी सुरक्षा योजना में माता को गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के दौरान तथा प्रसवोत्तर काल के दौरान कुछ सहयोग राशि प्रदान की जाती है एवं क्षेत्र स्तरीय स्वास्थ्य कर्मचारी (आशा, दाई) द्वारा देखभाल करने पर उसे भी सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के प्रमुखत: दो उद्देश्य है – प्रथम, समग्र मातृ – मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और द्वितीय बी.पी.एल. (BPL) परिवारों में संस्थागत प्रसवों की संख्या में वृद्धि करना।

05. आशा – मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, भारत सरकार द्वारा 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NHRM) के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के सन्दर्भ में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करना तथा स्वास्थ्य जागरूकता की स्थापना करना था। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाभावी आशा की विभिन्न भूमिकाएॅ व दायित्व निम्नलिखित प्रमुख है।[11]

01. लोगों की गांव/उपकेन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध सेवाओं का उपयोग करने के सन्दर्भ में जानकारी देना। टीकाकरण, प्रसवपूर्ण जॉच, प्रसवोत्तर जॉच, समन्वित बाल विकास सेवा योजना, सफाई और सरकार द्वारा प्रदान की जा रही अन्य सेवाओं का लाभ उठाने में उन्हें सहायता देगा।

02. जागरूकता पैदा करने के उपाय करना। लोगों को स्वस्थ रहने के विषय में आवश्यक बाते बताना, जिनमें पोषण, बुनियादी सफाई और स्वच्छता बनाये रखने की आदतें, स्वस्थ्य, रहन-सहन, मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में जानकारी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की सेवाओं का उपयोग आदि शामिल हैं।

03. आवश्यकता पड़ने पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के भर्ती कराने, इलाज कराने हेतु पहले से निर्धारित नजदीक के स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र पर भेजने की व्यवस्था करना।

04. ग्राम पंचायत की ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के साथ मिलकर व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य योजना बनाना।

05. महिलाओं को प्रसव की तैयारी, स्तनपान और पूरक आहार, टीकाकरण, गर्भ निरोधन और सामान्य संक्रमणों की रोकथाम (जिनमें प्रजनन मार्गीय संक्रमण–यौन– संचारित संक्रमण भी शामिल हैं) की जानकारी देना। छोटे बच्चों की देखभाल के लिए परामर्श देना।

06. संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण काय्रक्रमों के तहत सीधे देख-रेख में दिए जाने वाले अल्पावधि उपचार (डाट्स) की औषधियॉ उपलब्ध कराना।

07. छोटी-छोटी बीमारियों हेतु प्राथमिक चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध कराना जिनमें अतिसार, बुखार और छोटी-मोटी चोट के लिये प्राथमिक चिकित्सा शामिल है।

08. अपने गॉव में जन्म और मृत्यु तथा किसी भी असामान्य/रोग के फैलने के विषय में उपकेन्द्र /प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सूचित करना।

09. प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान की जा रही आवश्यक सुविधाओं हेतु डिपो होल्डर के रूप में कार्य करना।

आशा के कार्य – [12]

आशा के प्रमुख कार्यो को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है-

01. समुदाय में आशा ग्राम महिला/स्वास्थ्य समितियों और अन्य बैठकों तथा पंचायत स्वास्थ्य समितियों की बैठकों का आयोजन करेगी अथवा उनमें भाग लेगी। वह परिवारों को अपनी भूमिका और दायित्व के अनुसार सेवाएँ प्रदान करेगी।

02. आशा जरूरतमन्द लोगों के घर पर जाकर उसके स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करेगी।

03. ऑगनबाड़ी केन्द्र में उसे टीकाकरण/प्रसवपूर्व जॉच सत्र के दिन तथा स्वास्थ्य दिवस मनाये जाने के लिए ऑगनबाड़ी केन्द्र में उपस्थित होना होगा।

महिला स्वास्थ्य सुधार एवं समसयाओं निराकरण के प्रमुख उपाय :-

महिला स्वास्थ्य के प्रमुख उपायों एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के निराकरण को निम्नांकित आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है-

01. शिक्षा एवं जागरूकता – एक महिला के स्वास्थ्य के सुधार एवं विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु शिक्षा एक ऐसा अभिकरण है जो उनमें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्याओं के उपचार एवं उपायों को समझने में मदद करता है। अत: अनेक शैक्षणिक कार्यक्रमों एवं जागरूकता अभियान के माध्यमों से महावारी स्वच्छता, पोषण, यौन व प्रजनन स्वास्थ्य तथा स्वयं की देखभाल आदि से जागरूक होकर एक स्वस्थ्य जीवन का निर्वाह कर पायेगी तथा अनेक स्वास्थ्य सम्बन्धित शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं के निदान में जागरूक हो पायेगी।

02. स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता – महिला स्वास्थ्य की अनेक समस्याओं के निदान के लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य सेवाओं की सहज और समावेशी सुलभता प्रत्येक महिला को अनिवार्य रूप से प्राप्त हो। "विश्व बैंक की मीरा चटर्जी की रिपोर्ट 'स्पायरिग' के अनुसार भारत में आज भी प्रति एक लाख प्रसवों के दौरान 301 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। जबकी नेपाल में यह दर 281, पाकिस्तान में 276 तथा श्रीलंका में सिर्फ 58 है। बाग्लादेश में जरूर यह भारत से ज्यादा 320 है। भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए अपने स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना होगा।"[13] स्वास्थ्य सेवायें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत महिलायें एवं किशोरियों तक पहुचना अत्यन्त आवश्यक है जिससे मातृत्व को सुरक्षित एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। ग्रामीण एवं पिद्दड़े क्षेत्रों में प्राय: विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में महिलाएँ अक्सर चिकित्सकीय सुविधाओं एवं संसाधनों से वंचित रह जाती है। अत: ऐसे क्षेत्रों में प्राथमिक केन्द्रों की स्थापना, महिला चिकित्सक, प्रशिक्षित नर्स, आशा कार्यकत्ता एवं काउन्सलर उपलब्धता महिलाओं की स्वास्थ्य सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के निराकरण में सहायक होगी। साथ ही इन क्षेत्रों में महिलाओं, किशोरियों एवं शिशु से सम्बन्धित नियमित जॉच, टीकाकरण, परामर्श एवं आवश्यक दवाओं की उपलब्धता स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृणीकरण में सहायक होगी।

03. पोषणा सुधार – भारतीय समाज के सन्दर्भ में यदि बात करे महिलायें स्वयं अपने स्वास्थ्य के अतिरिक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य के भोजन एवं सुख-सुविधाओं को प्राथमिकता देती है। पोषण मॉनिटरिग ब्यूरों में कहा गया है कि "13 से 15 वर्ष की लड़कियों को हमारे देश में 1620 कैलोरी वाला भोजन मिलता है। जबकि उन्हे 2050 कैलोरी वाला भोजन चाहिये, महिला के खून की कमी किशोरावस्था के समय से ही रहती है जो गर्भधारण व प्रसव के समय अपने चरम अवस्था में पहॅुच जाती है।"[14] सरल शब्दों में यदि कहे तो महिला के समग्र स्वास्थ्य में पोषण की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किशोरावस्था गर्भवास्था एवं मातृत्व के समय तो पोषण हमारे लिए विशेष महत्व का हो जाता है। भारतीय महिलाओं के सन्दर्भ में यदि बात करे तो यहॉ पर सबसे ज्यादा रक्तल्पता या एनिमिया एवं कुपोषण से महिलायें ग्रसित होती है।

परिणामस्वरूप एक महिला के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव परिलक्षित होने लगता है, जिससे वह अनेक बिमारियों से ग्रसित होने लगती है। अत: आवश्यक है कि सरकार द्वारा संचालित अनेक पोषण से सम्बन्धित सुधार काग्रक्रमों को बढ़ावा मिले, साथ ही जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से इन काग्रक्रमों का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से किया जाये, नियमित रूप से प्रत्येक महिला तक आयरन एवं फोलिक एसिड की दवाइयों का वितरण किया जाये जिससे किशोरियों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को एनिमिया या खून की कमी से बचाया जा सके। मिड डे मिल योजना, प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना और आगंबाड़ी योजनाओं के तहत वितरित पौष्टिक आहार नि:शुल्क स्वास्थ्य जॉच एवं पोषण युक्त भोजन की जानकारी आदि के माध्यम से भी महिलाओं के स्वास्थ्य को सुधारने के अनेक उपाय किये जा सकते है।

04. सरकारी योजनायें – महिला स्वास्थ्य के सुधार में भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाये संचालित की जाती है। जो शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य एवं पोषण से सम्बन्धित है। इस श्रंखला में जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 में शुरू की गई केन्द्र प्रायोजित योजना है इस योजना का मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गर्भवती प्रसूता तथा स्तनपान करा रही महिलायें काफी लाभान्वित होगी। यह योजना को राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (एन.एम.बी.एस.) का संशोधित रूप कहा जा सकता है। जननी सुरक्षा योजना में माता को गर्भवस्था के दौरान, प्रसव के दौरान तथा प्रसवोत्तर काल के दौरान कुछ सहयोग राशि प्रदान की जाती है एवं क्षेत्र स्तरीय स्वास्थ्य कर्मचारी (आशा, दाई) द्वारा देखभाल करने उसे भी सहायता प्रदान की जाती है।"[15] इसी प्रकार "प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे महिला गर्भवस्था के दौरान अपनी स्वास्थ्य देखभाल के साथ पोषण युक्त आहार का सेवन कर सके। इसके अतिरिक्त "बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं योजना जहॉ एक ओर समाज में लैगिक समानता को तो बढावा देती है। वही दूसरी ओर शिक्षाएवं स्वास्थ्य अधिकारों के सन्दर्भ में भी जागरूकता को बढावा देती है।"

05. पारम्परिक पद्धतियॉ – महिलाओं के विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के निराकरण में पारम्परिक एवं वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। परम्परागत समाज से ही आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने में अपनी अग्रणी भूमिका का निवर्हन करता रहा है। अशोक, शतावरी, एवं त्रिफला ऐसी जड़ी बूटिया है जो एक महिला के हार्मोनल असन्तुलन के उपचार में लाभकारी होता है, इसी प्रकार योग और प्राणायाम से शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है। साथ ही यह मानसिक तनाव चिन्ता और अवसाद जैसी समस्याओं को भी दूर करने में सहायक होता है। परम्परागत

उपचार प्रणाली में हल्दी, अजवाइन, सौठ, तुलसी एवं शहद ऐसे गुणकारी खाद्य प्रदार्थ है जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। अत: वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन पारम्परिक पद्धतियों के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते है तथा कई स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण भी कर सकते है। अत: आवश्यक है कि इन सभी घरेलू नुक्से जो हमें अपने पूर्वजो या दादी-नानी द्वारा दिये गये है। पारम्परिक ज्ञान को समकालीन स्वास्थ्य दृष्टिकोण का एक आवश्यक भाग बनाने को प्राथमिकता दे।

बोध प्रश्न – 02

01. जननी सुरक्षा योजना कब परित हुई थी ?
02. किन पंचवर्षीय योजनाओं में, स्वास्थ्य हेतु भौतिक सुविधाओं का विस्तार किया गया ?
03. पंचम पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भिक उद्देश्य क्या था ?

14.5 सारांश

उपरोक्त अध्याय के सारांश के रूप में कहा जा सकता है कि महिलाओं को अपने सम्पूर्ण जीवन काल में अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं को सामना करना पड़ता है, जिसमें मुख्य रूप से प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्यायें जैसे– माहावारी सम्बन्धित, असुक्षित गर्भपात सम्बन्धित, पोषण से सम्बन्धित समस्यायें जैसे – एनिमिया, अल्पपोषण, कैलिशयम तथा विटामीन की कमी, गम्भीर रोग जैसे– स्तन और गर्भाशय ग्रीवा कैसर, मधुमेंह, उच्च रक्तचाप इत्यादि तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्यायें जैसे अवसाद, चिन्ता और हिंसा से उत्पन्न मानसिक आघात इत्यादि प्रमुख है।

महिलाओं से सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याओं के निराकरण के लिए सर्वप्रथम एक महिला को ही जागरूक होना आवश्यक है। इसके साथ ही उनके बेहतर स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने हेतु शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है। ऐसे अनेक उपाय जैसे स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं स्वास्थ्य सुलभ सेवाओं के विस्तारीकरण के साथ-साथ इनका प्रचार-प्रसार भी आवश्यक है तभी हम प्रत्येक महिला तक विशेष रूप से ग्रामीण एवं पिद्दड़े हुए क्षेत्रों की महिलाओं तक इन स्वास्थ्य लाभ सेवाओं की जानकारी एवं लाभ पहुचाने में सक्षम होगे।

14.6 पारिभाषिक शब्दावली

1–महिला स्वास्थ्य – स्वास्थ्य का अर्थ होता है शरीर का निरोगी होना, जिसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों सम्मिलित है, जब एक महिला शारीरिक और मानसिक रूप से रोगमुक्त होगी तो उसे महिला स्वास्थ्य कहते है।

14.7 बोध प्रश्नों के उत्तर –

बोध प्रश्न 01 के उत्तर

01. हयूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस
02. हयूमन पेपिलोमावायरस
03. शरीर की हडिया कमजोर होने लगती है।

बोध प्रश्न 02 के उत्तर

01. 12 अप्रैल 2005 में
02. प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में
03. परिवार नियोजन एवं पोषण के साथ न्यूनतम जन स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करना।

14.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह अमिता, "लिंग एंव समाज" – 2015 विवेक प्रकाशन, दिल्ली पे0न0 – 294
2. उपरोक्त पे0न0 – 294
3. चन्द्र कला, "महिला स्वास्थ्य की स्थिति-लेख, उत्तराखण्ड की महिलाएँ स्थिति एंव संघर्ष" – 2021 नवारूण गाजियाबाद, पे0न0 – 158
4. चतुर्वेदी प्रतिमा, "विकसित समाज में महिला सशक्तीकरण की यर्थाथता" – 2014, वाईकिंग बुक्स जयपुर, पे0न0 – 123
5. उपरोक्त पे0न0 – 124
6. सिंह अमिता, "लिंग एंव समाज" – 2015 विवेक प्रकाशन, दिल्ली पे0न0 – 293
7. चतुर्वेदी प्रतिमा, "विकसित समाज में महिला सशक्तीकरण की यर्थाथता" – 2014, वाईकिंग बुक्स जयपुर, पे0न0 – 125
8. नाटाणी एवं गौतम, "लिंग एवं समाज" रिसर्च पब्लिकेशन्स जयपुर पे0न0 – 73
9. उपरोक्त पे0न0 – 74
10. चतुर्वेदी प्रतिमा, "विकसित समाज में महिला सशक्तीकरण की यर्थाथता" – 2014, वाईकिंग बुक्स जयपुर, पे0न0 – 132
11. चतुर्वेदी प्रतिमा, "विकसित समाज में महिला सशक्तीकरण की यर्थाथता" – 2014, वाईकिंग बुक्स जयपुर, पे0न0 – 127,128
12. उपरोक्त पे0न0 – 127,128

13. चन्द्र कला, "महिला स्वास्थ्य की स्थिति-लेख, उत्तराखण्ड की महिलाऍ स्थिति एंव संघर्ष" – 2021 नवारूण गाजियाबाद, पे0न0 – 161

14. उपरोक्त पे0न0 – 161

15. चतुर्वेदी प्रतिमा, "विकसित समाज में महिला सशक्तीकरण की यर्थाथता"– 2014, वाईकिंग बुक्स जयपुर, पे0न0 – 132 ,133

14.9 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री

01. प्रकाश नारारण नाटाणी, ज्योति गौतम, "लिंग एवं समाज"

02. डॉ0 अमिता सिंह , "लिंग एवं समाज"– 2015

03. डॉ0 प्रवीण जे0 गुप्ता, "महिलाओं की स्वास्थ्य समस्यायें"

04. डॉ0 सीता बिम्ब्रो "नारी, समस्या और समाधान"

14.10 लघु उत्तरीय प्रश्न

01. महिलाओं में प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य समस्यायें कितने प्रकार की है?

02. महिलाओं में कुपोषण के प्रमुख कारण कौन-कौन से है?

03. ऑस्टियोपोरोसिस के प्रमुख कारण कौन-कौन से है?

14.11 निबन्धात्मक प्रश्न

01. महिला स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रमुख समस्याओं को सविस्तार स्पष्ट कीजिये?

02. पोषण सम्बन्धित समस्याओं के प्रमुख कारणों एवं प्रभाव को सविस्तार स्पष्ट कीजिये ?

03. महिला स्वास्थ्य में किस प्रकार सुधार लाया जा सकता है? स्प्ष्ट करिये?